Tuesday, 24th February, 1987

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

—304

विषय-सूची

—283

•०८

अष्टम माला, खण्ड 24, आठवां सत्र, 1987/1908 (शक)

अंक 2, मंगलवार, 24 फरवरी, 1987/5 फाल्गुन, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—44
*तारांकित प्रश्न संख्या : 2 से 4, 8, 9 और 11	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	44—265
तारांकित प्रश्न संख्या : 1, 5 से 7, 10 और 12 से 20	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 15, 17 से 35, 37 से 129, 131 से 137, 139 से 147, 149 से 173, 175 से 182 और 184 से 230	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र :	265—271
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	271—272
रेल अभिसमय समिति ... ... 7वां प्रतिवेदन प्रस्तुत	272
पंजाब की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य :	273—276
सरदार बूटा सिंह	273—276

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय | पृष्ठ

' 377 के अधीन मामले ... ... 276—282

(एक) कलाकारों को विशेष सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता

श्री जयप्रकाश अग्रवाल ... ... 276—277

(दो) देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगों के बार-बार होने की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय

श्री जी० एस० बासवराजु 277

(तीन) नर्मदा नदी के किनारों पर स्थित जीर्ण-शीर्ण मन्दिरों और धर्मशालाओं का संरक्षण करने की मांग

श्री के० एन० प्रधान ... ... 277—278

(चार) राजस्थान में सूखे से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए उस राज्य को सामान के रूप में सहायता देने की मांग

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 278

(पांच) हैदराबाद और सिकन्दराबाद के बीच चलने वाली उपनगरीय रेलगाड़ियों की समग्र स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता

श्री पी० पेंचालैया 279

(छह) आंध्र-प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों और बजट आबंटनों में क्षेत्रीय असमानताओं की जांच करने के लिए एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने की आवश्यकता

श्री सी० जंगा रेड्डी ... ... 279—280

(सात) देश के विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत का पता लगाने हेतु गहन अनुसंधान करने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ रथ ... ... 280—281

(आठ) उड़ीसा में रेलवे परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की मांग

श्री बृजमोहन महन्ती 281

(नौ) क्षेत्रीय भाषाओं में नेटवर्क कार्यक्रम प्रसारित करने तथा बंगलौर दूरदर्शन पर कन्नड़ कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर 282

विषय					पृष्ठ
कपास, खोपरा और वनस्पति तेल उपकर (उत्सादन) विधेयक ...				...	282—304
विचार करने के लिए प्रस्ताव					
	डा० जी० एस० ढिल्लों	...		...	282—283
	श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	...		...	283—286
	श्री मूल चन्द डागा	...	...	...	286—288
	श्री बाजू बन रियान	...		...	288—289
	श्री गिरधारी लाल व्यास	...	...	...	290—292
	श्री तम्पन थॉमस	...	...	...	292—294
	श्री शान्ति धारीवाल	...	...	...	294—296
	श्री कादम्बुर जनार्दन	...	...	...	296—297
	श्री जी० एस० बसवराजु	...	...	...	297—299
	श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह			...	299—300
	श्री सी० जंगा रेड्डी	...	...	...	301—302
	डा० दत्ता सामन्त	...	...	...	303—305
पंजाब की स्थिति के सम्बन्ध में गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा...					305—368
	श्री बृजमोहन महन्ती	...	...	...	306—311
	श्री सैफुद्दीन चौधरी	...	...	...	311—314
	प्रो० एन० जी० रंगा	...	...	...	214—318
	श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	...	...	...	318—321
	श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	...		...	321—324
	श्रीमती गीता मुखर्जी	...	...	...	324—327
	प्रो० मधु दंडवते ...	...	...	...	327—337
	श्री आर० एस० स्पैरो	...	...	...	337—339
	श्री भोला नाथ सेन ...	...	...	...	340—343
	श्री पी० कुलनदईवेलु	...	...	...	343—344
	चौधरी सुन्दर सिंह	...		...	344—347
	श्री दिनेश गोस्वामी	...	...	...	347—350
	श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	...	...	350—352
	श्री चरणजीत सिंह वालिया	...	...	...	352—355
	श्री बलवंत सिंह रामूवालिया	...	...	...	355—358
	सरदार बूटा सिंह ...	...	...	...	358—367
कार्य मंत्रणा समिति		...	...	...	368
	तेतीसवां प्रतिवेदन-प्रस्तुत				

लोक सभा

मंगलवार, 24 फरवरी 1987/5 फाल्गुन, 1908 (शक)

लोकसभा 11 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

कृषि कार्यों के लिए बिजली-शुल्क

* 2. श्री उत्तमराव पाटिल+
श्री धर्म पाल सिंह मलिक } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि कार्यों के लिए पूरे देश में बिजली के शुल्क में भारी वृद्धि की गई है और इसके परिणामस्वरूप किसानों में असंतोष व्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस शुल्क में कटौती करने के लिए कोई कदम उठाने के बारे में विचार कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए टैरिफ में संशोधन करना राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों के क्षेत्राधिकार में आता है। राज्य बिजली बोर्ड कृषि क्षेत्र को विद्युत सप्लाई पर आने वाली लागत से काफी कम मूल्य पर बिजली सप्लाई करते हैं।

[हिन्दी]

श्री उत्तम राव पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के ए और बी भाग का जवाब नहीं दिया गया है और जी सी भाग का उत्तर दिया है उसमें यह कहा गया है कि यह मामला राज्य सरकारों के अधीन है। तो ऐसे तो ऐग्रीकल्चर फाइनेंस और अन्य दूसरे सब्जेक्ट्स भी राज्य सरकार के हैं, किन्तु क्या केन्द्र सरकार का उससे कोई ताल्लुक नहीं है ? ऐसा कह कर कि यह राज्य सरकार का सबजेक्ट है, केन्द्र सरकार का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा कह कर क्या केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेवारी टाल सकती है ? यह मेरा पहला सवाल हुआ।

दूसरा मेरा प्रश्न है कि यहां जो उत्तर में बताया गया है कि राज्य विद्युत बोर्ड किसी भी क्षेत्र में विद्युत सप्लाई पर आने वाली लागत से काफी कम मूल्य पर बिजली सप्लाई करते हैं; तो इसका ब्योरा भी यहां कुछ नहीं दिया गया, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इसका ब्योरा भी यहां दिया जाय।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, जहां तक ए और बी के उत्तर का ताल्लुक है कि उत्तर नहीं दिया गया है, जैसा कि पहला प्रश्न पूछा गया है :

[अनुवाद]

"क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि कार्यों के लिए पूरे देश में बिजली के शुल्क में भारी वृद्धि की गई है।

[हिन्दी]

इसका उत्तर (ए) टु (सी) में अन्त में है।

[अनुवाद]

"राज्य बिजली बोर्ड कृषि क्षेत्र को विद्युत सप्लाई पर आने वाली लागत से काफी कम मूल्य पर बिजली सप्लाई करते हैं।"

[हिन्दी]

इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई हाई इन्क्रीज इसमें नहीं की गई है जिसके लिए कि उत्तर नहीं दिया गया है।

दूसरा जो प्रश्न केन्द्र की जिम्मेवारी का है, तो यह राज्य एलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के अन्तर्गत है कि वह अपना टैरिफ वगैरह बढ़ाएं स्टेट गवर्नमेंट के अन्तर्गत पर प्लानिंग कमीशन के द्वारा भी पत्र भेजा गया है और इसके अतिरिक्त हमारी सेंट्रल एलेक्ट्रिसिटी एथारटी के माध्यम से भी भेजा गया है कि कामर्शियल बाडीज जहां तक संभव हो सके इनको ऐसे चलाएं कि जिसमें इनका घाटा

जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, वह न बढ़े। विशेषकर यह हमारा जो अभी एक्सपैंशन हो रहा है ऐग्रीकल्चर सैक्टर में और जो होना बहुत आवश्यक है—ट्यूबवेल के लिए बिजली देना, सिंचाई के लिए बिजली देना गांवों के विद्युतीकरण के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इसको प्राथमिकता दी गई है। इन सब कारणों से कहीं-कहीं पर, सात राज्यों में थोड़ा सा बढ़ाया गया है, परन्तु वह इतना अधिक नहीं है कि हाई की कैटेगरी में आता हो। अगर आप चाहें तो मैं उन सातों राज्यों के नाम भी दे सकती हूं।

श्री उत्तमराव पाटिल : मैंने पहला प्रश्न यह पूछा था कि राज्य सरकारों ने या स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स ने जो बिजली के टैरिफ में बढ़त की है उसकी जानकारी केन्द्र सरकार को है या नहीं? यह मेरा सीधा प्रश्न था। उसका कोई जवाब यहां नहीं दिया गया। बाद में, राज्य के द्वारा कृषि के लिए विद्युत सप्लाई जो होती है उसके बारे में जो मंत्री महोदया ने बताया है कि इसमें बहुत कम टैरिफ में बिजली पहुंचायी जाती है, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में, गुजरात में या अन्य कुछ ऐसे राज्य हैं जहां यह टैरिफ अभी-अभी बढ़ाया गया है और एग्रीकल्चरिस्ट को पहले से कहीं ज्यादा बिजली का बिल आता है और वह उसको देना पड़ता है। तो क्या केन्द्र शासन खुद अपने तौर से राज्य शासन को ऐसा सलाह-मशविरा देगा कि ऐग्रीकल्चरिस्ट को कृषि के लिए जो भी बिजली दी जाती है उसके लिए उससे कम टैरिफ लेने की कोशिश करें?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ किसानों की तरफ से एक मांग पत्र हमें मिला था, जिसको तुरन्त केन्द्र ने उत्तर प्रदेश के चेयरमैन, यू० पी० इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को भेज दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी दिया था।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : उसको वहां भेज दिया गया, ताकि वे इस पर गहराई से विचार करे और उसके संबंध में जो भी कर सकें, वे अपनी तरफ से निर्णय लें। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगी, जैसी कि हमारे पास फीगर्स हैं, उत्तर प्रदेश ने टैरिफ के बारे में एक कमीशन बैठाया था। उन्होंने सुझाव दिया कि 50 पैसे प्रति यूनिट इसका दाम बढ़ाया जाए। इस पर सरकार ने देखा कि किसानों पर इसका अधिक भार पड़ेगा, इससे पचास पैसे न स्वीकार कर 30 पैसे प्रति यूनिट हो रहा है, जोकि पहले से थोड़ी जरूर बढ़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि असम में 30 पैसे प्रति यूनिट से 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया गया है। गुजरात में 33.51 पै० से 36.50 पै० प्रति यूनिट, हरियाणा में 28.68 पैसे प्रति यूनिट से 32.35 पैसे प्रति यूनिट, कर्नाटक में 7.66 पैसे से 11.49 पैसे प्रति यूनिट, और उत्तर प्रदेश में 22.90 पैसे से 30.64 पैसे प्रतियूनिट बढ़ाया गया है। जैसे कि हमारे पास आंकड़े हैं और जो जानकारी आई है, वह मैंने दे दी है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया, का जवाब संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा है कि बहुत कम रेट पर बिजली दी जाती है। मैं मंत्री महोदया को बताना चाहूंगा

कि हरियाणा के अन्दर पहले 12.5 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता था। उसके बाद 15 पैसे प्रति यूनिट हुआ, फिर 20 पैसे प्रति यूनिट, 25 पैसे प्रति यूनिट, फिर 28 पैसे प्रति यूनिट और फिर 32 पैसे प्रति यूनिट हुआ। इतना ज्यादा रेट है। इसके साथ फ्लैट रेट पर भी चार्ज किया जाता था, यूनिट के हिसाब से 20 रु० पर-मन्थ पर-हार्स-पावर, लेकिन बिजली की सप्लाई बिल्कुल नहीं होती थी। किसानों को पैसे वैसे ही देने पड़ते थे। मैंने पिछली दफा प्रश्न किया था कि उत्तर प्रदेश में और ज्यादा रेट बढ़े हैं, ऐसा क्यों हैं? यूनियन गवर्नमेंट भी अपने थर्मल प्लांट्स द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को बिजली सप्लाई करती है, तो क्या यूनियन गवर्नमेंट भी रेट कम करना चाहेगी? मैं यह भी जानना चाहता हूं, एक यूनिट बिजली पैदा करने में यूनियन गवर्नमेंट को कितना खर्चा करना पड़ता है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि देश में 80 प्रतिशत बिजली आज भी स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा निर्मित की जाती है सैन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड जहां-जहां हैं, जैसे सिंगरौली, कोरबा और रामागुंडम आदि, इनके माध्यम से हम बहुत ही कम बिजली देते हैं। आज देश में 48 हजार मेगावाट बिजली है, जिसकी 8000 मेगावाट भी बिजली हम सैन्ट्रल सैक्टर में पैदा नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसकी कास्ट करीबन 40 पैसे से 45 पैसे होती है और ट्रांसमीशन वगैरह मिलाकर 60 पैसे होती है। फिर भी हम पर्याप्त मात्रा में स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को एग्रीकल्चर उत्पादन के लिए दे सकें, यह आज संभव नहीं है। यह वस्तुस्थिति समझने की है।

बुनियादी हकीकत यह है, यदि कास्ट आफ प्रोडक्शन 53 पैसे आती हो और ट्रांसमीशन मिलाकर 69 पैसे आती हो और तो एग्रीकल्चर को या इन्डस्ट्री को, किसी को भी देना चाहें, तो पचास पैसे नेशनल एव्रेज में कम दाम में किसनों को देनी चाहिए। इतना करने के बाद भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि असम में कास्ट 1.60 रु० आती है और पचास करने के बाद भी 1.10 रु० का घाटा होता है। गुजरात में 81 पैसे कास्ट आती है, 36 पैसे चार्ज करने के बाद भी 45 पैसे पर-यूनिट घाटा होता है। हरियाणा में 33 पैसे पर यूनिट घाटा, कर्नाटक में 42 पैसे पर यूनिट घाटा, उत्तर प्रदेश में 53 पैसे पर यूनिट घाटा, राजस्थान में 41 पैसे पर यूनिट घाटा, महाराष्ट्र में 50 पैसे पर यूनिट घाटा, तमिलनाडु में 64 पैसे पर यूनिट घाटा।

अध्यक्ष महोदय : वसंत साठे जी, किसान भी तो आप को घाटे पर देता है।

श्री वसंत साठे : आप किसान को फ्री दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : किसान भी तो घाटे में देता है।

श्री वसंत साठे : आप किसान को बिजली फ्री दीजिए, मैं तैयार हूं। सवाल यह है···

अध्यक्ष महोदय : वह फ्री नहीं मांगता।

श्री वसंत साठे : जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अण्डरटेकिंग्स हैं, वे कमर्शियल अन्डरटेकिंग्स हैं।

उनको यदि घाटे में चलाने को कहेंगे, तो फिर यह अपेक्षा करना कि 3 परसेन्ट प्रोफिट होना चाहिए, यह कैसे होगा। 1200 करोड़ रुपये प्रति वर्ष स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स घाटा बर्दाश्त कर रहे हैं। सदन मालिक है और आप मालिक हैं, जो कहेंगे करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं दोनों तरफ की कहता हूं न उसको घाटा रहना चाहिए और न दूसरे को घाटा रहना चाहिए। उसका भी तो आप घाटे में लेते हैं।

श्री बसंत साठे : मैं सदन का मार्गदर्शन चाहता हूं। मैं किसानों के फेवर में हूं। फर्टीलाइजर्स सब्सीडी, पावर सब्सीडी, उनको दी जाती है।......(व्यवधान)......मैं चोरी पर भी आता हूं।......(व्यवधान)......मुझे बोलने दें। मैं भ्रष्टाचार पर भी आता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह इनएफिशियेन्सी की वजह से घाटा हो रहा है। इसको आप दूर कराएं।

श्री बसंत साठे : ट्रांसमीशन लाइन्स में मैंने खुद कहा है कि चोरी है, 10 परसेन्ट घाटा है। टेक्निकल में 12 परसेन्ट घाटा है। चोरी कौन कर रहा है। पावर जा रही है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : कर नहीं रहा है, करवाई जा रही है।

श्री बसन्त साठे : ठीक है कोई तो ले रहा है। आप इस पर चर्चा करवाइए। मैं चाहता हूं कि आप इस पर एक दिन विस्तार से चर्चा करवाइए।

अध्यक्ष महोदय : करवाएंगे।

श्री बसंत साठे : पार्लियामेंट से मार्गदर्शन मिल जाए। घाटे में चलाना है, तो पैसा दे दीजिए। आप इस पर चर्चा करवाइए।

अध्यक्ष महोदय : जरूर करवाएंगे।

श्री बसंत साठे : बुनियादी बात पर चर्चा करवाइए।

अध्यक्ष महोदय : श्री अरुण कुमार नेहरू।

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार नेहरू : महोदय, लाभ और हानि का प्रश्न सापेक्षिक है जिसे किसी भी ओर लागू किया जा सकता है। परन्तु हाल ही में मूल्यों में जो वृद्धि हुई है उसके सन्दर्भ में कितने राज्य विद्युत बोर्डों ने वेतन एवं पारिश्रमिकों में वृद्धि की है क्योंकि हर बार आप विद्युत शुल्क दर में वृद्धि कर देते हैं। जो कुछ हो रहा है वह यह है कि वेतन में बढ़ोतरी होती जा रही है और घाटा बढ़ता जा रहा है तथा इस व्यवस्था में घाटे के साथ वेतन में कमी या समानता लाने का

कोई प्रश्न ही नहीं है । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य विद्युत बोर्डों की लागत में वृद्धि न हो, भ्रष्टाचार में कमी हो तथा परेषणा के दौरान होने वाली औसतन 21% हानि में कमी आये, क्या विशेष उपाय किए गये हैं । जहां तक केन्द्रीय परियोजनाओं का सम्बन्ध है, राज्य विद्युत बोर्डों की तुलना में पारेषण व्यय बहुत कम है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाए गये हैं ।

श्री वसन्त साठे : महोदय, जैसा कि मैं कह चुका हूं, विद्युत उत्पादन तथा पारेषण का कार्य मूल रूप से राज्यों के अन्तर्गत आता है । हमारे यहां राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : यह तो एक बहाना है ।

श्री वसन्त साठे : यह एक बहाना नहीं है······(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दीजिये ।

श्री वसन्त साठे : यदि आप विद्युत उत्पादन तथा वितरण के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं तो विद्युत बोर्ड राज्य सरकारों के अधीन विद्युत संयन्त्र तथा विद्युत बोर्ड भी हमारे नियन्त्रण में होने चाहियें । अधिकार तथा उत्तरदायित्व साथ-साथ होने चाहियें । आप एक राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकुशल न होने के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते जो राज्य सरकार के नियन्त्रण में है, जो मेरे नियन्त्रण में नहीं है······(**व्यवधान**)

श्री रणवीर सिंह : तो उन्हें राज्य विद्युत बोर्डों के अकार्यकुशलता के बारे में सफाई नहीं देनी चाहिए ।

श्री वसन्त साठे : मैं राज्य विद्युत बोर्डों की अकार्यकुशलता के बारे में बिल्कुल भी सफाई नहीं दे रहा हूँ । मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह यह है कि वास्तव में ये लागतें हैं । जैसा कि प्रश्न पूछने वाले मेरे मित्र, जिन्हें इस विभाग का अनुभव भी है, जानते हैं, मैंने भी कहा है कि पारेषण के दौरान हानि मूलरूप से विद्युत की चोरी के कारण से होती है । इसके लिए हमने एक कानून बनाया है । राज्यों ने भी कानून बनाये हैं और उन कानूनों को लागू भी किया जाना है । परन्तु कुछ स्वार्थी तत्व है वे लोग जो निःशुल्क विद्युत प्रयोग में ला रहे हैं, उनमें से काफी लोग किसान भी हैं. बड़े किसान उस स्तर पर कानूनों को लागू करना होगा । हम केवल समझा सकते हैं । विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन में, स्वय प्रधान मन्त्री जी ने राज्य विद्युत बोर्डों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि पारेषण खर्च कम किया जाये । हम केवल अपनी प्रेरक शक्ति का ही इस्तेमाल कर सकते हैं । राज्यों मे आप भी अपनी प्रेरक शक्तियों का प्रयोग कीजिये ।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय मन्त्री जी सारा उत्तरदायित्व राज्यों पर लादने की कोशिश कर रहे हैं । मैं मूलभूत मुद्दा उठाना चाहता हूं । मैं उनसे स्पष्ट जवाब चाहता हूं । मैं योजना में प्राथमिकता के प्रश्न को उठा रहा हूं । बार-बार वित्त मन्त्री जी ने घोषणा की है कि इस देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास को नं० 1 प्राथमिकता मिलेगी । मुझे आशा है कि नये वित्त मन्त्री जी

ने इन प्राथमिकताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया है । मैं एक स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वह भी प्राथमिकताओं से सम्बन्धित हैं । मैं रेलवे के बारे में एक ठोस उदाहरण दूंगा । जहाँ तक विद्युत सप्लाई का सम्बन्ध है, और विशेष रूप से जहां तक कभी-कभी विद्युत में कटौती का सम्बन्ध है, यह एक सर्वमान्य प्रथा है कि चूंकि रेलवे बुनियादी ढांचा प्रदान करती है तो जब कभी विद्युत में कटौती की जाये तो विद्युत कटौती के मामले में रेलवे सबसे अन्त में आयेगा । जहाँ तक कि राज्यों को भी यह निर्देश दिया गया है कि यदि आपके अपने राज्यों में कोई कठिनाइयां हैं, जहाँ तक रेलवे का सम्बन्ध है, तो रेलवे विद्युत सप्लाई में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहिए । इसी तरह आपकी योजना प्राथमिकताओं के सन्दर्भ में क्या आप सभी राज्यों को ये मार्ग निर्देश भेजेंगे कि देश में कृषि को प्राथमिकता दिये जाने के कारण, सापेक्ष शुल्क दर निर्धारित करने में कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि यह लाभकारी मूल्यों के प्रश्न से भी सम्बन्धित है । कृषि के लिए निवेशों की लागत जितनी अधिक होगी, मूल्य उतने ही कम लाभकारी होंगे और चूंकि आप कृषि उत्पादन के लिए लाभकर मूल्यों के प्रश्न पर भी विचार करेंगे, और शुल्क भी निवेशों में शामिल है इसलिए मेहरबानी करके सभी राज्यों को मार्ग-निर्देश दीजिये । बहाने मत बनाइये, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है, कि विद्युत बोर्डों का प्रशासनिक खर्च बढ़ रहा है और उसके परिणामस्वरूप कृषकों को हानि उठानी पड़ रही है, आप यह कहने की कोशिश मत कीजिये और इसलिए आपको विद्युत बोर्डों के क्रिया-कलापों पर भी ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए तथा देखना चाहिए कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता का पालन किया जा रहा है और उदार शुल्क के मामले में कृषि को प्राथमिकता दी जा रही है ।

श्री वसन्त साठे : माननीय सदस्य द्वारा दी गई सलाह का कार्यरूप दिया जा रहा है ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह सलाह नहीं है । प्रश्न भी पूछा गया है । मैं सलाह नहीं देता हूं । मैंने यह प्रश्न पूछा है कि प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये क्या वह राज्यों को मार्ग निर्देश देंगे ?

श्री वसन्त साठे : आपके सलाह देने से पहले ही हमने अनुमान लगा लिया था तथा मैंने कहा है कि इसे कार्यरूप दिया जाना चाहिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं सलाह नहीं दे रहा हूं । सलाह का आप पर कोई असर नहीं होता है ।

अध्यक्ष महोदय : सुधार की कोई गुञ्जाइश नहीं है ।

श्री वसन्त साठे : आपको यह बताते हुये मुझे खुशी हो रही है कि आपकी सलाह का पहले से ही पालन किया जा रहा है ।

प्रो० मधु दण्डवते : पहले से ही !

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय सारा सदन जानता है कि किसान हिन्दुस्तान का बेकबोन है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब किसान का सवाल आता है तो हर आदमी पीछे जाता है और सरकार भी पीछे जाती है। हमारे मंत्री जी ने अभी जवाब दिया कि चोरी होती है। किसान कभी चोरी नहीं करता है। उसका छोटा-सा इलेक्ट्रिक मोटर होता है, उससे वह क्या चोरी करेगा। आप जानते हैं कि चोरी कहां होती है। उसको रोकने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय, प्रोडक्शन कास्ट एक्चुअल्ली पांच रुपये होती है। उसको दस रुपये बढ़ाकर ये कह देते हैं कि हम किसान को बिजली दो रुपये में देते हैं। यह आपने किसान को क्या दिया ? जो चोरी हो रही है, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, क्या कदम उठाने वाले हैं ताकि किसान को कम कीमत पर बिजली मिल सके। किसान के गेहूं का रेट नहीं बढ़ता, किसान के कपास का रेट नहीं बढ़ता, किसान के धान का रेट नहीं बढ़ता।

अध्यक्ष महोदय : सवाल करिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : तुलसीराम जी यह कहना चाहते हैं कि जब किसान को उसके उत्पादन का पूरा भाव नहीं मिलता, वह घाटे में अपना सामान बेचता है तो सरकार भी कम कीमत पर बिजली देकर उस पर कोई अहसान नहीं करती है, इसलिए उसको प्रायरिटी दी जानी चाहिए।

श्री वसंत साठे : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और अगर हम किसान को सस्ते दाम में बिजली देते हैं तो उस पर कोई मेहरबानी नहीं करते, यह मैं बिल्कुल मान्य करता हूं। हमें बिजली किसान को इससे भी सस्ते दाम पर देनी चाहिए, लेकिन सवाल हमारे सामने यह आता है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या कोई भी उत्पादक कितना भी एफीशिएंट हो, आपकी कमेटी तय कर दे कि एफीशिएंसी में एक्स-कास्ट इतनी होगी, चोरी को आप छोड़ दो और ट्रांसमीशन कास्ट मिलाकर इतनी होगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इस पर डिसकशन कराइए।

अध्यक्ष महोदय : जरूर कराएंगे, आप कहेंगे तो जरूर कराएंगे, इस प्रश्न को तो पूरा होने दीजिए।

(**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे : थ्यूरिटिकली अगर 50 पैसे कास्ट मानकर चलें तो हमको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वह पावर किस दाम में लेनी चाहिए, क्या उनको घाटे में चलाना चाहिए, क्या यह

राष्ट्रीय हित में है, इस पर भी विचार किया जाए और जो भी राष्ट्र तय करे, उसके मुताबिक चला जाए। किसान का नुक्सान हो, यह मैं कभी नहीं चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यू० पी० वालों को समझाओ जरा।

[अनुवाद]

समानान्तर दूर संचार प्रणाली

* 3. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौजूदा टेलीफोन लाइनों की अधिक व्यस्तता को कम करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र से एक समानान्तर दूर संचार प्रणाली स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) मौजूदा लाइनों में अधिक भार को कम करने के लिए समानान्तर दूर संचार प्रणाली स्थापित करने के सम्बन्ध में गैर-सरकारी क्षेत्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, संचार माध्यम देश का महत्वपूर्ण अंग है और इसमें इतना लाइन कंजेशन है कि हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बात नहीं कर सकते, बहुत कठिनाई होती है। सरकार कहती है कि प्राइवेट सेक्टर के बारे में कोई भी सुझाव विचाराधीन नहीं है, ठीक है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या पब्लिक सेक्टर में इसको रखकर ही संचार माध्यम को दुरुस्त करने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं जिससे लाइन कंजेशन दूर हो सके।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, मार्च 1986 में व्यापार और औद्योगिक नेटवर्क के लिए एक समानान्तर दूर संचार प्रणाली स्थापित करने की जांच करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालय समिति बनायी गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1986 में पेश कर दी है और इस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। यदि यह क्रियान्वित होती है तो औद्योगिक तथा व्यापारिक घरानों को एक अच्छी दूर संचार प्रणाली मिल सकेगी।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : लाइन कंजेशन को दूर करने के लिए क्या दूसरे देशों के एक्सपर्ट्स की राय भी ली गई है, जिससे हमारे यहां लाइन कंजेशन दूर हो सकता है ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, दूर संचार प्रणाली के रख-रखाव की देख-रेख करने के लिए देश में काफी विशेषज्ञ हैं और इस सेवा को सुधारने की एक सतत् प्रक्रिया चल रही है। इस कार्य के लिए किसी विदेशी विशेषज्ञ की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री आशुतोष लाहा : महोदय गैर-सरकारी क्षेत्र को दूर संचार प्रणाली की सुविधा न देने के सरकार के निर्णय को देखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार अब कलकत्ता में एक निगम स्थापित करने पर विचार कर रही है, क्योंकि इस समय कलकत्ता टेलीफोन में कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है तथा यहां बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा है। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का कलकत्ता में; कलकत्ता टेलीफोन की बजाय एक निगम स्थापित करने का कोई ठोस प्रस्ताव है।

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली कार्य कर रही है लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है। **(व्यवधान)**

श्री आशुतोष लाहा : यह बिल्कुल कार्य नहीं कर रही है। 199, 197 तथा 188 पर कोई जवाब नहीं मिलता है। कोई भी व्यक्ति ट्रंककाल, एस० टी० डी०, सहायता, आदि के लिए कुछ भी जवाब प्राप्त नहीं कर सकता है। वहां कोई भी टेलीफोन प्रणाली कार्य नहीं कर रही है।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि वहां टेलीफोन प्रणाली कार्य कर रही है। उसमें कतिपय सुधारों की आवश्यकता है और सरकार इस समय किसी भी निगम की स्थापना करने पर विचार नहीं कर रही है।

श्री तम्पन थामस : इस सन्दर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि सारे देश में टेलीफोन के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं, और आप उन आवेदकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे। अभी तक क्या आप टेलीफोन को विलासिता की वस्तु समझ रहे हैं या उपयोगिता की दृष्टि से देख रहे हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए आपकी क्या योजना है ? क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम है ?

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, इस समय देश में लगभग 10 लाख आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य 16 लाख टेलीफोन लगाने का है जिससे न केवल वर्तमान सूची, अपितु भावी उपभोक्ताओं की मांग की भी पूर्ति की जा सकेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या '4' श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर ।

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी टेलीफोन के सम्बन्ध में एक प्रश्न करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब तो आगे निकल गया है, दोबारा कर दीजिएगा ।

[अनुवाद]

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली-तीन और इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली-चार के एककों की स्थापना

*4. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली-तीन और इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली-चार के एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इन एककों को किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के सभी वर्तमान कर्मचारियों को प्रस्तावित एककों में खपा लिया जाएगा ;

(घ) क्या इसके लिए नई भर्तियां की जानी है ; और

(ङ) प्रस्तावित एकक कब तक स्थापित किये जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नही उठते ।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि तीसरी और चौथी प्रणालियों को आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । क्या मैं कम से कम यह जान सकता हूं कि बंगलौर में लगायी जाने वाली द्वितीय इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली का क्या होगा तथा यह वास्तविक रूप से कब कार्य करना शुरू कर देगी ? इस कारखाने की क्या क्षमता है ? क्या क्रासबार एक्सचेंजों के सभी कर्मचारियों को उस कारखाने में ले लिया जायेगा और इसके लिए कितना निवेश आवश्यक है ?

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, जहां तक इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली —'दो' का सम्बन्ध है इसे स्थापित करने के लिए अन्ततः बंगलौर को चुन लिया गया है । लेकिन प्रौद्योगिकी

का अभी तक फैसला नहीं किया गया है। एक बार प्रौद्योगिकी का निर्णय हो जाने पर ही हम यह कह पायेंगे कि कारखाना कितना बड़ा होगा परन्तु सामान्यतः यह मनकापुर की तरह होना चाहिए जो कि 5 लाख लाइनों को देने के लिए है, द्वितीय इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली से भी समझा जाता है कि यह 5 लाख लाइनों के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी।

जहाँ तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है हम सभी आवश्यक कदम उठायेंगे, ताकि उन्हें वैकल्पिक रोजगार मिले या उन्हें इसमें खपा लिया जाये। इस समय हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : पिछले दो वर्षों से मुझे एक ही उत्तर मिल रहा है। महोदय, वे प्रौद्योगिकी पर निर्णय कब तक कर रहे हैं? पिछले दो वर्षों से वे कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक प्रौद्योगिकी के बारे में फैसला करना है, मैं जानना चाहूंगा कि जहाँ तक इलेक्ट्रानिक उपस्करों का सम्बन्ध है, देश की आवश्यकता क्या है और क्या मनकापुर इस स्थिति से निपट पायेगा। क्या यह आवश्यक नहीं है कि हमें द्वितीय एकक को तुरन्त आरंभ करना चाहिए?

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, यह प्रश्न स्वयं परस्पर विरोधी है—क्योंकि जो नई लाइन अपनाई जानी है उसके मुकाबले में हमें क्रासबार तथा स्ट्रोजर कारखानों की स्थिति को देखना है, जो कि न केवल बंगलोर मे है अपितु रायबरेली में भी हैं। एक मंत्री होने के नाते मैं मनकापुर जैसे अधिक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों को लगाना चाहूंगा परन्तु साथ ही हमें रायबरेली के साथ-साथ बंगलोर क्रासबार तथा स्ट्रोजर एक्सचेंजों के बारे में भी सोचना चाहिए। एक समिति बनाई गई है तथा वे इसके नफा नुकसान के बारे में जांच कर रहे हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अध्यक्ष श्री कृष्णमूर्ति इस समिति के अध्यक्ष हैं। उनकी रिपोर्ट मिलने के पश्चात हम इस पर सरकारी निर्णय ले पायेंगे।

श्री अताउर्रहमान : महोदय, हर समय हमें दूर संचार मंत्री से यही उत्तर मिल रहा है कि हमारी प्रौद्योगिकी अच्छी है। यह कैसी बात है कि बिल्कुल भी सुधार नहीं हो पाया है? मैं कहना चाहूंगा कि जब कभी हमारे राजनीतिज्ञ बीमार पड़ते हैं तो वे अपना इलाज विदेश में करवाना पसंद करते हैं। फिर इसमें भी क्या गलत है, यदि हम अपनी टेलीफोन प्रणाली को ठीक करने के लिए विदेश से बुद्धिमान इंजीनियरों को ले आयें? यही मेरा प्रश्न है।

संचार मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : माननीय सदस्य को यह कहने का पूरा अधिकार है कि कौन किस जगह अपना इलाज कराना चाहता है जहां उसकी इलाज कराने की इच्छा होती है। वह एक व्यक्तिगत मामला है। परन्तु यह एक राष्ट्रीय मामला है और······

श्री अताउर्रहमान : इसी वजह से मैं यह कह रहा हूं।

श्री अर्जुन सिंह : इसी कारण मैं उत्तर दे रहा हूं।

मैं इसे बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी तथा विदेशी प्रौद्योगिकी में

चुनाव करते वक्त यदि विदेशी विशेषज्ञता या प्रौद्योगिकी का चुनाव करना जरूरी हुआ तो हम यह तभी करेंगें यदि यह नितान्त आवश्यक हुआ। हम इस बात पर दृढ़ हैं कि वे प्रौद्योगिकीविद और प्रौद्योगिकी जो कि देश में विकसित हुई हैं, वह भी संसार में उत्तम समझी जाती है।

श्री पी०आर० कुमार मंगलम : महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या संचार मंत्री को इंजीनियर्स ऐशोसियेशन ने यह प्रस्ताव दिया है कि वे संचार प्रणाली में तीन महीनों के अन्दर लगभग 50 प्रतिशत तक अधिक कार्यकुशलता के साथ सुधार कर सकते हैं? यदि ऐसा प्रस्ताव दिया गया है तो इस पर कहां तक विचार किया गया है?

श्री अर्जुन सिंह : यह सही है कि ऐसा एक प्रस्ताव किया गया है और मैं दूर संचार विभाग के कर्मचारियों द्वारा ऐसा प्रस्ताव करने में दिखाए गये उनके रवैये की बहुत सराहना करना चाहूंगा और हम अपने कर्मचारियों की सहायता से इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ताकि दूर सचार विभाग मे कार्यकुशलता बढ़े।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कृपया मुझे अनुमति दें।

कलकत्ता में हस्तचालित एक्सचेंज स्थापित करने के पश्चात 4 कर्मचारियों को 'टेली शाक' के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे समय केवल केन्द्र सरकार की निन्दा की जाती है और यह की गई है। क्या यह एक राजनैतिक षणयंत्र या तोड़फोड़ की बात है। और क्या सरकार का समूची स्थिति की समीक्षा करने के लिए और वास्तविक गलती को ढूंढने तथा कर्मचारियों और आम लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव है? (**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा : मंत्री महोदय उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री बाल कवि बैरागी : ममता जी का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है जिस दिन यह शाक लगा मैं उस दिन कलकत्ता में था और मुझे भी शाक लगा था।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो कहता हूं ममता जी जब खड़ी होती हैं आप भी जरूर खड़े होते हैं।

श्री अर्जुन सिंह : माननीय सदस्य यह भी जानकारी करना उचित होगा कि उनके पास यह शाक किसके द्वारा पहुंचा।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, यह सच है कि कोई घटना घटी थी। परन्तु मुझे यह

जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल से अधिकांश कर्मचारी वापस आ गये हैं तथा उन्होंने अपना कार्य आरंभ कर दिया है और वहाँ जो समस्या है उसे हल कर दिया गया है। हम नहीं समझते कि वहाँ कोई गुप्त तोड़-फोड़ वाली बात थी। और मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। परन्तु कार्य अपनी सामान्य स्थिति पर आ रहा है तथा मैं अपने दल तथा विपक्ष के संसद सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने वहाँ सामान्य स्थिति लाने में हमारी सहायता की।

नई औषध नीति

*8. **श्री सी० जंगा रेड्डी**
श्रीमती किशोरी सिंह } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक नई औषध नीति की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) क्या नई औषध नीति के परिणामस्वरूप कुछ औषधियों के मूल्यों में गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) दिसम्बर, 1986 में सरकार ने देश में औषध एवं भेषज उद्योग के विकास सुव्यवस्थीकरण एवं उसमें गुणवता नियंत्रण के लिये, कुछ उपायों की घोषणा की है।

(ख) उक्त उपायों की प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०3734/87]

(ग) चूंकि नये औषध मूल्य नियंत्रण आदेश की घोषणा अभी नहीं की गई है अतः मूल्यों में संशोधन नहीं किया गया है।

विवरण

भारत में औषध तथा भेषज उद्योग के अभिनवीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा वृद्धि के लिए उपाय—

प्रस्तावना

1.1. स्वास्थ्य मौलिक मानव अधिकार है। भारत के संविधान राज्य को निर्देश देता है कि वह मानव स्वास्थ्य में सुधार को अपने मुख्य दायित्वों में समझे। पंचवर्षीय योजना ऐसा खाका प्रदान कर रही है जिसके अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों मे अपनी स्वास्थ्य सेवा इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा कार्यक्रम विकसित किए है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात लोगों के स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि लाने

में काफी प्रगति प्राप्त की गई है जैसे कि चेचक, मलेरिया आदि जैसी बीमारियों के उन्मूलन/नियंत्रण, मृत्यु दर में कमी, जीवन आयु में वृद्धि, स्वास्थ्य देख रेख संस्थाओं के काफी व्यापक तंत्र के सृजन तथा बड़ी मात्रा में चिकित्सीय भण्डारों तथा स्वास्थ्य कार्मिकों की उपलब्धि से प्रस्तावित होता है।

1.2. 1983 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जन स्वास्थ्य में सुधार के लिए राष्ट्रीय प्रयास का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत की "वर्ष 2000 ई० तक सबके लिए स्वास्थ्य की बचनबद्धता को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सेवा के सर्वव्यापी प्रावधान के माध्यम से दोहराता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रमाणित किस्म की आवश्यक तथा जीवन रक्षक औषधों तथा वेकसीनों सहित स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली के सभी इन्पुटस का त्वरित विकास अपेक्षित है। स्वास्थ्य देख-रेख प्रदान करने के केवल औषध पर्याप्त नहीं है। तथापि यदि उनकी युक्तिसंगत रूप से उपयोग किया जाए तो वे लोगों के स्वास्थ्य का संरक्षण करने, उसे बनाये रखने तथा स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने तथा जनसंख्या नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अत: भारतीय भेषज उद्योग की लोगों की मूल स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

1.3. भारतीय भेषज उद्योग के विकास में हाथी समिति की रिपोर्ट (1975) एक महत्वपूर्ण युगान्तकारी घटना है। हाथी समिति ने दवाइयों में स्वावलम्बन की प्राप्ति तथा आवश्यक दवाइयों की उचित दरों पर प्रचुर मात्रा में उपलब्धि पर जोर दिया। 1975 से, भारतीय भेषज उद्योग सम्पूर्ण तीसरे संसार में अत्यधिक नानाविध तथा उदग्र रीति से एकीकृत भेषज उद्योग के रूप में विकसित हुआ है। देश ने फार्मूलेशनों तथा बहुसंख्यक प्रपुंज औषधों में स्वावलम्बन प्राप्त किया है। 1984-85 में, केवल 10.17 करोड़ रुपए के फार्मूलेशनों का आयात किया गया या देश में कुल फार्मूलेशन का लगभग 0.5 प्रतिशत तथा 49 प्रपुंज औषधों का आयात नगण्य था। अनेक प्रपुंज औषधों के उत्पादन की प्रौद्योगियां, एम्पिसिलिन, अमोक्सीलिन, इरिथ्रोमाइसिन की तरह की एंटिबायोटिक्स सल्फामेथाक्साजोल तथा ट्राइमेथोप्रिम की तरह के संक्रामक रोग निरोधक, इथमबुटोल की तरह की तपेदिक निरोधी औषधों, मिथाइल डोपा की तरह की कार्डियो वेस्कुलर औषधों, इबुप्रोफिन तथा इसोप्रोपाइल एंटिपाइराइन की तरह के एनेलजेसिक्स तथा मेट्रोनिडाजोल तथा टिनिडाजोल की तरह के एमिबिक निरोधी, विनब्लास्टाइन, विनक्रिस्टापर तथा सिसप्लाटिन की तरह की कैंसर निरोधी औषधें स्वदेशी रूप से विकसित की गई थी। बढ़ते हुए निर्यातों के परिणामस्वरूप भेषज उद्योग में व्यापार संलग्न में भी सुधार हो रहा है।

1984-85 में 219.49 करोड़ रुपए के औषध और फार्मूलेशन निर्यात किए गए जबकि 215.62 करोड़ रुपए के आयात किए गए। कई प्रकार की प्रपुंज औषधों और फार्मूलेशनों का यू० एस० तथा पश्चिम यूरोपीय देशों सहित अनेक देशों में निर्यात किया जा रहा है। कुछ भारतीय फर्मों ने अन्य देशों में उत्पादन सुविधाएं भी स्थापित की हैं और टर्न की संयंत्रों और तकनीकी सेवाओं की बिक्री में रत है। भारतीय भेषज उद्योग द्वारा विकसित विविध उत्पादन और प्रौद्योगिकी दक्षतायें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा निर्यात संभाव्यत: को पूर्णत: प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण परिसम्पत्तियां हैं।

1.4. यद्यपि ये उपलब्धियां अपने आप में प्रभावशाली हैं, फिर अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उद्योग को पूर्वाभिमुख करना होगा, यदि इसे लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को प्रभावी सबसे पूर्ण करना है। वर्तमान उत्पादन ढांचा देश की स्वास्थ्य देख-रेख आवश्यकताओं को वास्तविक अपेक्षाओं को पर्याप्त रूप से प्रतिबिम्बित नहीं करता।

पर्याप्त चिकित्सीय युक्तियुक्त के बिना फार्मूलेशनों तथा पैकों की प्रचुरता चिन्ता का विषय है। जबकि संगठित तथा लघु उद्योग क्षेत्र में कई फर्मों के पास उत्तम आन्तरिक परीक्षण सुविधायें हैं तथा गुणवत्ता नियंत्रण तथा अच्छी उत्पादन पद्धतियों को अपनाने का अच्छा रिकार्ड है, परन्तु यही बात फार्मूलेशनों का उत्पादन करने वाली बहुसंख्यक फर्मों के बारे में नहीं कही जा सकती। नयी फार्मूलेशनों के पंजीकरण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण के प्रवर्तन के लिए, प्रतिकूल प्रभावों पर निगरानी रखने के लिए तथा देश में विपणन किए जाने वाले उत्पादों की आपतयुक्ति तथा दक्षता के सम्बन्ध मे सूचना के निष्पक्ष प्रसार के लिए वर्तमान संस्थागत तथा सांविधिक व्यवस्थाएं नहीं अपर्याप्त हैं।

1.5. अच्छे किस्म की अनिवार्य, जीवन रक्षक तथा रोग निरोधक दवाइयों की उचित मूल्यों पर सतत आधार पर प्रचुर उपलब्धता नये उपायों की अति महत्वपूर्ण बात है। सरकार का यह प्रयास रहेगा कि यह सुनिश्चित हो कि उपर्युक्त उद्देश्य, जो आम लोगों तक स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं पहुंचाने तथा वर्ष 2000 ईसवी तक सबके लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की सरकार की नीति के अनुसार है, प्राप्त हो। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए औषधों की मूल्य नियंत्रण प्रणाली तथा लाइसेंसिंग एवं अनुमोदन प्रक्रियाओं में परिवर्तन किए गये हैं। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के कार्यान्वियन से प्राप्त अनुभव ने स्पष्ट दर्शाया है कि यदि उपभोक्ताओं ने मूल्य नियंत्रण के लाभ प्रभावी रूप से प्राप्त करने हैं, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए जिनके हितों की सुरक्षा के लिए सरकार बचनबद्ध है, तो मूल्य निर्धारण प्रणाली को सहज तथा युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। इस समय मूल्य नियंत्रण का क्षेत्र अव्यवहार्य रूप से काफी बड़ा है, जिसके अन्तर्गत 347 प्रपुंज औषधों तथा 4000 से अधिक फार्मूलेशन आते हैं। जिनका लगभग 20,000 पैकों में विपणन किया जाता है। नियंत्रण के क्षेत्र को काफी हद तक कम करने तथा मूल्य नियंत्रण पद्धति को कम बोझिल तथा अधिक प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है।

1.6. चूंकि औषधों के मूल्य स्वदेशी उत्पादन की लागत परिणामिता से भी निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि भारतीय भेषज उद्योग में प्रौद्योगिकी तथा उत्पादकता पर जोर दिया जाए जो इसे निर्यात संभाव्यताओं को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाएगा।

उचित मूल्यों पर दवाईयों की प्रचुर उपलब्धता को सुनिश्चित करने का उद्देश्य सर्वोत्तम रूप से पूरा प्रतियोगिता को बढ़ावा देने तथा आर्थिक रूप से उत्पादन की मात्रा को बढ़ावा देने तथा वृद्धि के रास्ते में अनावश्यक बाधाओं को भी दूर करने से होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वांछित क्षेत्रों में निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, अनिवार्य और जीवन रक्षक दवाइयों के सम्बन्ध में लाइसेंसिंग एवं अनुमोदन

प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। इस पक्ष की वैधता पहले ही गत वर्षों के अनुभव से सिद्ध हो चुकी है, जिसके मुताबिक जब कभी बड़ी संख्या में उत्पादकों द्वारा किसी प्रपुंज औषध का उत्पादन किया जाता है प्रपुंज औषध के बाजार मूल्य सांविधिक मूल्यों से कम हो जाते हैं। साथ ही, फेरा कंपनियां सरकार द्वारा विनियमित की जाती रहेंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके प्रचालन पूर्वताओं के राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुसार हो।

1.7. इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने औषध नीति के कार्यकरण का पुनरीक्षण किया है और अब प्राप्त अनुभव के संदर्भ में तथा "वर्ष 2000 ई० तक सभी के लिए स्वास्थ्य" के उद्देश्य की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए नीति को पुनर्गठित किया है।

भाग-2-उद्देश्य

2.1. नए उपायों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(क) अच्छे किस्म की अनिवार्य जीवन रक्षक तथा रोग निरोधक दवाइयों की उचित मूल्यों पर प्रचुर उपलब्धि सुनिश्चित करना ;

(ख) औषधों के उत्पादन पर गुणवत्ता नियंत्रण की प्रणाली को सुदृढ़ बनाना तथा देश में औषधों के युक्तिसंगत उपभोग को बढ़ावा देना ;

(ग) भेषज उद्योग में नए निवेश करने के अनुसार वातावरण सर्जित करना, मितव्ययी मात्राओं के साथ लागत प्रभावशाली उत्पादन को बढ़ावा देना तथा नयी प्रौद्योगिकियां तथा नयी औषधें चालू करनी ; और

(घ) औषधों के उत्पादन के लिए स्वदेशी दक्षताओं को सुदृढ़ बनाना।

भाग-3 औषधों का युक्तिसंगत इस्तेमाल

3.1. नए फार्मूलेशनों का पंजीकरण, वर्तमान फार्मूलेशनों का अभिनवीकरण तथा राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण का सृजन।

देश में इस्तेमाल के लिए पहले ही अनुमोदित औषधों पर आधारित नए फार्मूलेशनों को तब तक उत्पादित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक उनकी चिकित्सीय दक्षता तथा युक्तता पर्याप्त रूप से परीक्षित और सिद्ध नहीं हो जाती। राष्ट्रीय औषध तथा भेषज प्राधिकरण नामक तंत्र केन्द्रीय स्तर पर स्थायी सचिवालय के साथ स्थापित किया जाए।

3.2. नयी औषधों का पंजीकरण

देश में नयी औषधों की शुरुआत पर कड़ी निगरानी रखने की दृष्टि से, किसी नयी औषध को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए तथा विस्तृत मार्गदर्शनों को सांविधिक आधार प्रदान

करने के लिए, जो नयी औषधों की जांच तथा अनुमोदन के लिए तैयार की जाएगी, औषध तथा प्रसाधन नियमों को संशोधित किया जाएगा।

3.3. पैकेजिंग का मानकीकरण

औषधों के उचित औषध वितरण तथा इस्तेमाल को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, पैकेजिंग निर्देशों के सांविधिक मार्गदर्शन निर्धारित किए जाएंगे। जोखिम के परिणाम के अनुसार उत्पादों को विभेदन के लिए पैकस की कलर कोडिंग पर दृढ़ता से जोर दिया जाएगा। पैकों का भी मानकीकरण किया जाएगा।

3.4. पूर्व प्रतिक्रिया पर निगरानी रखना

औषध प्रतिक्रिया कुप्रभाव पर निगरानी रखने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय तथा प्रान्तिक एकक स्थापित किए जाएंगे। सभी औषधों की सुरक्षा, दक्षता नुसखों तथा इस्तेमाल के सम्बन्ध में एक केन्द्रीय सूचना केन्द्र भी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

3.5. जेनेरिक नाम का इस्तेमाल

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय दिये जाने तक, नयी औषधों के सिंगल इनग्रीडिएन्ट फार्मूलेशनों के विपणन के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन स्वीकृति प्रदान की जा रही है कि जेनेटिक (प्रापर) नाम को ट्रेड (ब्रैंड) नाम के दुगुने माप में, दोनों को बड़े अक्षरों में, दिखाया जाना चाहिए। अनिवार्य औषध की सूची में शामिल सभी औषधों के मामले में जेनेरिक नामों को प्रगामी रूप से अपनाया जाएगा।

3.6. एलोपेथिक पद्धति की दवाइयों के अतिरिक्त, दवाई की परम्परागत पद्धति को प्रोत्साहित करने तथा उसमें सुधार करने का भी प्रस्ताव है ताकि सरकार की स्वास्थ्य देख-रेख स्कीमों की व्याप्ति को व्यापक बनाया जाए। यह स्वीकृति तथ्य है कि हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में, परम्परागत दवाइयों की भारतीय पद्धति के इस्तेमाल को वरीयता देते हैं, विश्वास तथा आधुनिक दवाइयों की प्राप्ति के अभाव दोनों कारणों से। आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्धा दवाई प्रणाली का प्रचलन इस देश में कई सदियों से चल रहा है। तथापि, इन पद्धतियों में इस्तेमाल की जाने वाली यौगिक औषधों के निर्माण के तरीकों, संघटकों की शिनाख्त तथा उनके संघटन के सम्बन्ध में कोई एकरूपता नहीं है। कुछ एकरूपता तथा मानकीकरण लाने की दृष्टि से, भारत सरकार द्वारा गठित आयुर्वैदिक सिद्ध और यूनानी फार्माकोपियल समिति "नेशनल फार्मूलेरीज" प्रकाशित कर रही है। फार्मूलेरीज संघटकों को उनके वैज्ञानिक नामों के साथ इन औषधों के इस्तेमाल का अनुपात तथा तैयार करने का तरीका दर्शाती है। फार्माकोपिरा मानकों को अन्तिम रूप दिए जाने से पूर्व यह मानकीकरण कार्य का प्रथम चरण है। फार्माकोप्यूएल समिति ने अब साथ ही इन पद्धतियों में इस्तेमाल होने वाले सिंगल इनग्रीडिएन्ट औषधों के संबंध में मानक तैयार करने का कार्य आरंभ कर दिया है।

3.7. इन पद्धतियों में औषधों के सम्बन्ध में फार्माकोपियल मानक शीघ्र तैयार करने तथा प्रत्येक राज्य में औषध परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने तथा पुनः सक्रिय करने का प्रस्ताव है। ताकि गुणवता नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। आन्तरिक तथा निर्यात मांग दोनों को पूरा करने के लिए भारतीय औषध पद्धतियों में बढ़ते हुए भेषज उद्योग के लिए कच्चे माल की सुस्थिर तथा नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का भी प्रस्ताव है।

भाग-4 गुणवता नियंत्रण

4.1. इनफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना

सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान क्रमिक ढंग से गुणवता नियंत्रण के लिए केन्द्रीय और राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं को बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इन इनफ्रास्ट्रकचरल सुविधाओं के प्रावधान में की गई प्रगति तथा गुणवता नियंत्रण को लागू करने के प्रभाव का सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में पुनरीक्षण किया जाएगा ताकि आवश्यक सुधार किए जावें और गुणवता नियंत्रण के लिए तंत्र मजबूत बनाया जा सके।

4.2. आन्तरिक परीक्षण सुविधाएं

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा गहन निरीक्षणों तथा सुधारात्मक कार्यवाही के माध्यम से, कि सभी उत्पादकों के पास आन्तरिक परीक्षण सुविधायें हों।

4.3. अच्छी उत्पादन पद्धतियां

अच्छी उत्पादन पद्धतियों को सांविधिक सा प्रदान किया जाएगा जो स्थान, उपस्कर अर्हता प्राप्त कार्मिकों, परीक्षण सुविधाओं तथा उत्पादक एकक में स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाली न्यूनतम अपेक्षाओं को निर्धारित करते हैं।

4.4. ड्रग लाइसेंसिंग

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त से पहले तक क्रमिक ढंग से ड्रग लाइसेंसिंग पद्धति को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

4.5. प्रमाणीकरण योजना

उत्पादकों तथा उपयोगकर्ता एजेंसियों, दोनों में औषध के क्षेत्र में गुणवता चेतना को बढ़ावा देने की दृष्टि से तथा साथ ही सांविधिक औषध नियंत्रण अभिकरण के कार्यभार को कम करने के लिए, प्रमाणीकरण पद्धति आरंभ करने के लिए प्रयास किये जाएंगे जिसके अन्तर्गत सिद्ध विशेषज्ञता तथा परीक्षण सुविधाओं वाले मान्यता प्राप्त संस्थान फार्मूलेटरों द्वारा अच्छी उत्पादन पद्धतियों तथा उत्पादित फार्मूलेशनों की गुणवता को प्रमाणित कर सकते हैं।

भाग-5 मूल्य निर्धारण

5.1. मूल प्रस्ताव

स्वास्थ्य समिति का विचार था कि औषधों एवं फार्मूलेशनों के उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मूल्य नियमन की पद्धति में अधिक चयनात्मकता वांछित होगी। फार्मूलेशनों (जाति गत को छोड़कर) के मामले में चयनात्मकता निम्न के मामले में हो सकती है।

(क) एककों के आकार (ख) मदों के चयन और (ग) उत्पादों, विशेषत: जिनके लिये मूल्य नियंत्रण परिकलित हैं, के केवल बाजार लीडरों के मूल्य नियंत्रित करना। इन कसौटियों का एक उचित सम्मिश्रण भी व्यवहार्य है। नये मूल्य निर्धारण नियमन हाथी समिति द्वारा सिफारिश किए गये चयनात्मकता के नियम के अनुसार होंगे।

5.2. क्षेत्र

निम्न उद्देश्यों को दृष्टिगत रखकर प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशन के वर्तमान श्रेणीकरण के सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया गया है :—

(क) उन औषधों एवं फार्मूलेशनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना जो देश के बहुसंख्यक लोगों की आवश्यकताओं के लिये अनिवार्य हैं ;

(ख) मूल्य नियंत्रण पद्धति के विस्तार को कम करना तथा अधिक प्रभावी और कम बोझिल बनाना ;

(ग) अनिवार्य औषधों के उत्पादकों की उपयुक्त प्रतिवसूली सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके मूल्य में अनुचित वृद्धि को सीमित करना।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अब यह निर्णय लिया गया है कि इस समय विद्यमान फार्मूलेशनों एवं प्रपुंज औषधों की 3 श्रेणियों के बजाय 2 श्रेणियां बनाई जाएं। श्रेणी 1 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए अपेक्षित औषध होंगे तथा इस श्रेणी में अनुसंधान औषधों के लिए एम० ए० पी० ई० (निर्माण से प्रतिधारण की अवस्था तक किया गया अधिकतम अनुमेय निर्माण पश्चात व्यय तथा निर्माता का मार्जिन) 75 प्रतिशत होगा, श्रेणी 2 में वे औषधें होंगी जो श्रेणी 1 से भिन्न है तथा जिन्हें स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य समझा जाता है तथा इस श्रेणी के औषधों के मूल्य निर्धारण करते समय फार्मूलेशनों के लिए 100 प्रतिशत का एम०ए०पी०ई० अनुमेय किया जाएगा।

इन मार्गदर्शनों के आधार पर एक समिति तीन माह के भीतर श्रेणी 2 की औषधों की सूची तैयार करेगी, इस समिति में रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो तथा कुछ राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे। इस समय तक, जब तक कि इसे अन्तिम रूप नहीं दिया जाता, विद्यमान औषध मूल्य नियंत्रण आदेश जिसकी घोषणा

प्रत्येक श्रेणी में औषधों की सूची के अन्तिम रूप देने के बाद की जाएगी, इस आशय की एक शर्त होगी कि सरकार को किसी भी समय पर यदि यह आवश्यक समझा जाये, अनियंत्रित श्रेणी के किसी भी औषध के नियंत्रण की सीमा में लाने का अधिकार होगा।

उन औषधों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो देश की आवश्यकताओं के लिए अधिक अनिवार्य है। एम०ए०पी०ई० के अलावा अन्य प्रोत्साहनों पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार अनियंत्रित श्रेणी के औषधों के मूल्यों की सख्ती से निगरानी करेगी और इस उद्देश्य के लिए एक प्रभावी निगरानी प्रक्रिया विकसित की जाएगी।

5.3 मूल्य निर्धारण के लिए मानदण्ड

नियंत्रित श्रेणी 1 एवं 2 में आने वाले सभी प्रपुंज औषधों के लिए एक समान मानदण्ड बनाने का निर्णय किया गया है और निर्माताओं के निम्न तीन विकल्प दिए जाएँगे ;—

(1) शुद्ध मूल्य पर कर पश्चात प्राप्ति 14 प्रतिशत अथवा

(2) नियोजित पूंजी पर प्राप्ति 22 प्रतिशत अथवा

(3) नए संयंत्रों के मामले में प्राप्ति की 12 प्रतिशत आंतरिक दर के साथ दीर्घावधि मार्जिनल लागत।

उत्पादन शुल्क एवं स्थानीय करों, यदि कोई हो, को छोड़कर स्वदेशी रूप से उत्पादित मदों का अधिकतम खुदरा मूल्य श्रेणी 1 फार्मूलेशनों के मामले में फैक्ट्री बाह्य लागत से 75 प्रतिशत से तथा श्रेणी 2 फार्मूलेशनों के मामले में 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका यह आशय है कि श्रेणी 1 एवं 2 फार्मूलेशनों के लिए एम० ए० पी० ई०, फैक्टरी बाह्य लागत का क्रमश: 75 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत होगी।

आयातित फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में, बिक्री एवं वितरण व्यय, जिसमें व्याज एवं आयातकों का मार्जिन सम्मिलित है अवतरित लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

5.4 औषध मूल्य समीकरण लेखा (डी०पी०ई०ए०)

डी०पी०ई०ए० की स्थापना अनिवार्यत: प्रतिधारित मूल्य निर्धारण की पद्धति के माध्यम से प्रपुंज औषधों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। तथापि, वास्तविक व्यवहार में डी०पी०ई०ए० का संचालन दुर्दमनीय प्रशासनिक समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है जिससे डी०पी०ई०ए० के सम्बन्ध में किए जाने वाले विवादों तथा दावों के दायर किए जाने से डी०पी०ई०ए० से होने वाले प्रत्याशित लाभों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अत: प्रतिधारण एवं पूलड मूल्य निर्धारण की पद्धति को समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। जहां भी आवश्यक हो, प्रपुंज औषधों के स्वदेशी उत्पादन को टैरिफ प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षा प्रदान

की जाएगी। तथापि नये औषध मूल्य नियंत्रण आदेश में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया जाएगा कि डी०पी०ई०ए० को पहले से ही प्राप्त राशि तथा विगत में प्रक्रिया के परिणाम-स्वरूप प्राप्त होने की संभावित राशियों को सुरक्षा प्रदान की जाए तथा विद्यमान डी०पी०सीओ० में निर्धारित उद्देश्य के लिए ही प्रयुक्त किया जाए।

भाग 6—लाइसेंसिंग

6.1 फेरा कंपनियां

फेरा कंपनियों के व्यापार संचालन राष्ट्रीय उद्देश्यों और प्रग्रताओं के अनुरूप होने चाहिए। फेरा कंपनियों मुख्यत: इन क्षेत्रों में प्रवेश की अधिकारी होगी जहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य देखरेख के उद्देश्यों से प्रवेश वांछनीय हो। सभी क्षेत्रों के लिए खुले प्रपुंज औषधों की सूची को तदनुसार संशोधित कर दिया गया है। फरा कंपनियां मुख्यत: इन प्रपुंज औषधों एवं संबद्ध फार्मुलेशनों के संबंध में, चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम की शर्त पर लाइसेंसों के लिए पात्र होगी। उच्च प्रपुंज औषध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, फेरा कंपनियों के लिए प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों के उत्पादन मूल्य के मध्य अनुपात (जिसे इसके पश्चात अनुपात मानदण्ड कहा जाएगा) को 1:5 से घटा कर 1:4 कर दिया जाएगा। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के परिशिष्ट 1 की प्रविष्ट 14 में सूची बद्ध (औषधों एवं भेषजों की परिभाषा को अब अनुबंध—1 में दिये गये अनुसार पढ़ा जाएगा।

6.2 फेरा कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियां

ये कंपनियां उन सभी प्रपुंज औषधों, जो देश में प्रयोग हेतु अनुमोदित हैं तथा संबद्ध फार्मूलेशनों के लिए, सार्वजनिक एवं लघु क्षेत्र के लिए आरक्षण की शर्तों पर औद्योगिक अनुमोदन के लिए पात्र रहेगी।

6.3 सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका

सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी विशेषत: उन मूल प्रपुंज औषधों के उत्पादन में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की आवश्यकताओं के लिए मूल रूप से आवश्यक है। तथापि, सरकार इस तथ्य को स्वीकार करनी है कि नई नीति में अर्थात् अनिवार्य प्रपुंज औषधों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध करने की जो भूमिका सार्वजनिक क्षेत्रीय एककों को सौंपी गई है, उसे पूरा करने के लिए उन्हें उत्पादन एवं विपणन दोनों क्षेत्रों में दक्षता के इष्टतम स्तरों पर कार्य करना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति में सार्वजनिक क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक एकक के निष्पादन में सुधार लाने के लिए उपायों की एक कार्य योजना तैयार करने के लिए गहन अभ्यास पहले ही आरम्भ किए जा चुके हैं।

इन सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के लिए पुनर्वास एवं पुनः संरचना योजनाओं को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है। इन योजनाओं में प्रबन्ध संस्कृति एवं मूल्य परिवर्तन, प्रबन्ध पद्धति में सुधार उत्पाद नीति में सुधार, नकद का आंतरिक सृजन, निर्धारित लागतों में बचत, लाइन वेस्टेज एवं वैच रद्दीकरण में कमी, प्रौद्योगिकी में सुधार, उपयोगिताओं पर व्यय में कमी, वस्तुसूची स्तरों में कमी, बेहतर एवं अधिक सचेत विपणन नीति, उच्च क्षमता उपयोग, अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं की बेहतर उपयोगिता इत्यादि सम्मिलित है।

सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रपुंज औषधों के निर्माण के लिए आरक्षण की वर्तमान नीति को काफी सीमा तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस समय पेंसलिन और पोलियो वेक्सीन सहित 17 प्रपुंज औषध केवल सार्वजनिक क्षेत्रीय एककों द्वारा उत्पादन के लिए आरक्षित हैं। पेंसिलिन की अपेक्षाओं की प्रायोजनाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यमान सार्वजनिक क्षेत्रीय एककों में अधिक विकसित प्रौद्योगिकी की अधिष्ठापन के साथ पेंसिलिन की क्षमता को विस्तृत करने का निर्णय किया गया है। तथापि यह महसूस किया जाता है कि इन उपमाओं के साथ भी सार्वजनिक क्षेत्रीय एकक अपने आप देश में इन दो मूल एवं अनिवार्य औषधों की सम्पूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं होंगे। 637 एम० एम० यू० की विद्यमान स्थापित क्षमता, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में 390 एम० एम० यू० भी शामिल है, की तुलना में 1989-90 में पैंसिलिन की मांग के बढ़ कर 2470 एम० एम० यू० तक होने का अनुमान है। इस प्रकार 7वीं योजनावधि के अन्त तक इस महत्वपूर्ण औषध की मांग एवं उत्पादन में वर्तमान अन्तर के और अधिक होने की सम्भावना है। यदि इसे कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय न किए गए। इस समय इस अनिवार्य औषध की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आयातों का सहारा भी लिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप काफी सीमा तक विदेशी मुद्रा बाहर जाती है, वर्ष 1985-86 में यह बहिर्गमन 24 करोड़ रुपए का था। इसी प्रकार पोलियो वेक्सीन, जो सरकार के इम्युनिजेशन कार्यक्रम में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निवेश है, का अभी देश में उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार के उपक्रम मे० हाफकिन द्वारा 10 मिलियम खुराकों की क्षमता स्थापित की जा रही है। तथापि, विस्तृत इम्युनिजेशन कार्यक्रम की अपेक्षाओं को ध्यान में लेते हुए 1989-90 की मांग 80 मिलियन खुराक अनुमानित है। पैंसिलिन तथा पोलियो वेक्सीन के लिए सृजित क्षमताओं तथा 1989-90 की मांग में अन्तर को ध्यान में रखते हुए इन दो महत्वपूर्ण उत्पादों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता हेतु सभी क्षेत्रों द्वारा इन दो उत्पादों के उत्पादन की अनुमेय करने का निर्णय लिया गया है। इन अनिवार्य औषधों की मांग को उस समय तक आयातों के माध्यम से भी पूरा किया जाता रहेगा जब तक कि स्वदेशी उत्पादन उस स्तर तक नहीं पहुंचता जहां पर आयात अनावश्यक हो जाऐंगे। तथापि इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित 15 अन्य प्रपुंज औषध इसी प्रकार आरक्षित रहेंगे? (अनुबंध 2)

6.4 डी०जी०टी०डी० रजिस्ट्रेशन

डी०जी०टी०डी० पंजीकरण के मानदण्डों को सन्तुष्ट करने वाले प्रस्तावों के सम्बन्ध में

गर फेरा और गैर एम०आर०टी०पी० कंपनियों के लिए डी०जी०टी०डी० पंजीकरण उपलब्ध होना जारी रहेगा।

6.5 लाइसेंसमुक्त करना

लाइसेंसमुक्ति की योजना को पहले ही 14 प्रपुंज औषधों पर लागू कर दिया गया है जिसमें सभी कैंसर निरोधी औषधों, स्वदेशी अनुसंधान के माध्यम से विकसित सभी नये प्रपुंज औषधों तथा संबद्ध फार्मूलेशनों के साथ-साथ दो औषध मध्यवर्ती सम्मिलित हैं। योजना निम्न मानदण्ड की शर्त पर प्रभावी रूप से विस्तृत की जाएगी :—

(क) प्रपुंज औषध जिनका आयात खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमेय है।

(ख) औषध जिनका उत्पादन संगठित क्षेत्र में तीन अथवा कम उत्पादकों तक सीमित है।

(ग) प्रपुंज औषध जिनके फार्मूलेशन अनिवार्य एवं बृहत् खपत प्रकृति वाले हैं।

(घ) लाइसेंसमुक्त प्रपुंज औषधों से संबद्ध फार्मूलेशन एवं औषध मध्यवर्ती।

नए औषधों, जो देश में प्रयोग के लिए अनुमेय की जायेगी तथा जिनमें सार्वजनिक एवं लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित प्रपुंज औषध सम्मिलित नहीं होंगे, को छोड़कर लाइसेंस मुक्ति की योजना केवल गैर फेरा एवं गैर एम०आर०टी०पी० कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी।

तथापि, लाइसेंसमुक्ति की योजना के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली क्षमताएं उत्पादन के आर्थिक पैमानों के अनुसार होगी।

6.6 नई औषधों को प्रोत्साहन

नई प्रपुंज औषधों पर आधारित फार्मूलेशनों को देश में प्रचालित करने के लिए औषध नियंत्रक (भारत) का अनुमोदन अपेक्षित है। प्रचालित किए जाने के लिए प्रस्तावित नई औषधों की सुरक्षा एवं प्रभाव स्थापित करने के लिए, विस्तृत जानकारी उपलब्ध करनी पड़ती है। इस जानकारी में अन्य बातों के साथ-साथ पशुओं पर जहरीलेपन के आंकड़े, औषध विज्ञान अध्ययन तथा भारतीय परिस्थितियों में नैदानिक परीक्षणों के परिणाम जिसमें कई साल लग सकते हैं, सम्मिलित होने चाहिए। एक बार कोई फर्म अनुमोदन प्राप्त कर ले, तो उस औषध के सम्बन्ध में अन्य फर्मों द्वारा फिर अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित नहीं है। देश मे नए औषधों के प्रचालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी नए प्रपुंज औषधों एवं संबद्ध फार्मलेशनों को लाइसेंस मुक्ति की योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा। यदि नई औषध के प्रचालन के लिए अनुमोदन किसी एम०आर०टी०पी० अथवा फेरा कंपनी द्वारा किए गए नैदानिक परीक्षणों पर आधारित हो तो ऐसी कंपनी इस प्रकार की नई प्रपुंज औषध एवं संबद्ध फार्मूलेशनों के सम्बन्ध

में भी लाइसेंस मुक्ति की योजना का लाभ उठा सकती है। इस प्रकार के मामलों में एम०आर० टी०पी० अधिनियम की धारा 22 क के अन्तर्गत छूट भी प्राप्त होगी।

6.7 चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम

लागत प्रभावी स्वदेशीकरण के प्रोत्साहित करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रपुंज औषधों का उत्पादन केवल पटवर्ती मध्यवर्तियों के प्रक्रियान्वयन तक ही सीमित न रहे, एक चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम (पी०एम०पी०) की प्रणाली आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है। यह सभी निर्माताओं तथा सभी प्रकार के औद्योगिक अनुमोदनों लाइसेंस, डी०जी०टी०डी० के साथ पंजीकरण तथा लाइसेंसमुक्ति की योजना के अन्तर्गत, पंजीकरण) पर लागू होगा। जहां पर आयात अंश उत्पादन के मूल्य का 20 प्रतिशत या अधिक हो, प्रपुंज औषध निर्माताओं के लिए आयात लाइसेंस केवल अनुमोदित पी०एम०पी० के अनुसार ही प्रदान किए जाएंगे जिनमें उत्पाद मूल्य के, प्रतिशत के रूप में प्रतिवर्ष प्राप्य स्वदेशीकरण निर्दिष्ट किया जाएगा। विदेशी मुद्रा के उचित शैडो दर सहित उत्पादन के स्वदेशी संसाधन लागत के अनुसार पी०एम०पी० की व्यवहार्यता की जांच की जाएगी। प्रपुंज औषधों का निर्माण करने वाली सभी कंपनियों द्वारा रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को अपने पी०एम०पी० प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित रहेंगे। तथा विद्यमान कंपनियों को अपने मूल मालिकों अथवा उनकी संबद्ध कंपनियों से औषध मध्यवर्तियों अथवा अन्य कच्चे माल का आयात करती है, से अपेक्षा की जाएगी कि वे ऐसे आदान प्रदान के विवरण इस प्रकार के आयात किए जाने के एक माह के भीतर सरकार को सूचित करें।

6.8 ब्राड-बैंडिंग

निर्माण में अधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से संयंत्र डिजाइन प्रक्रिया एवं उत्पादन सुविधाओं जैसे तकनीकी कारकों को ध्यान में रखते हुए ब्राडबैंडिंग का विस्तार भेषजीय उद्योग तक किया जाएगा। आरम्भ में प्रपुंज औषधों (अनुबंध 3) को ब्रोड बैंडिंग के अन्तर्गत लाया जाएगा। प्रपुंज औषधों से भिन्न उत्पादों को निम्न श्रेणियों में ब्राड बैंड किया जाएगा :—

(क) अनुबंध 3 में प्रपुंज औषधों पर आधारित फार्मूलेशन।

(ख) सर्चर्स, कैटगटस, बैंडेज इत्यादि जैसे सर्जिकल अनुषंगी।

(ग) शीरा एवं वैक्सीन।

(घ) सभी प्रकार के डायग्नेस्टिक।

(ङ) एलर्जिन।

(च) ट्रांसफ्यूजन एवं साल्यूशन।

ब्राड बैंडिंग की सुविधा केवल उन उत्पादों के सम्बन्ध में उपलब्ध होगी जो देश में प्रयोग

हेतु औषध नियंत्रक (भारत) द्वारा अनुमोदित हैं। स्वदेशी उत्पादन के लिए, संगठित क्षेत्र की कंपनियों को केवल उनके लिए अनुमेय मदों के सम्बन्ध में ब्राड बैंडिग अनुमेय होगी।

इसके लिए अपनाई जाने वाली पद्धति ही होगी जैसी औद्योगिक विकास विभाग की दिनांक 26-9-1986 की प्रैस विज्ञप्ति (33.1986 क्रम) में निर्धारित की गई है। ब्राड बैंडिग की योजना पर भी उन्हें निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

6.9 निर्यात उत्पादन

निर्यात उत्पादन के लिए सभी कंपनियों को अपनी विद्यमान सुविधाओं से किसी भी उत्पाद का उत्पादन करने के लिए पूर्ण लचीलापन प्रदान होगा। उन्हें केवल ऐसे उत्पादन एवं निर्यात के विवरण सरकार को सूचित करने अपेक्षित होंगे।

6.10 संशोधित अनुपातिक मानदण्ड

देश में प्रपुंज औषधों के उच्च उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रपुंज औषधों के उत्पादन के फैक्टरी बाह्य मूल्य तथा फार्मूलेशनों के मध्य आनुपातिक मानदण्ड संशोधित किए गए हैं। आनुपातिक मानदंड कंपनी के आकार से संबद्ध होगा जिसका प्रपुंज औषधों के उत्पादन में निवेश करने तथा प्रौद्योगिकी के विकास/प्राप्ति में उसकी क्षमता के साथ संबद्ध है। फेरा कंपनियों के लिए आनुपातिक मानदंड अब 1:4 होगा। अन्य कंपनियों के लिए आनुपातिक मानदंड निम्न प्रकार प्रपुंज औषधों एवं फार्मूलेशनों के फैक्टरी बाह्य मूल्य से संबद्ध होंगे :—

क्रमश:

	प्रपुंज औषधों एवं फार्मूलेशनों का फैक्टरी बाह्य मूल्य	आनुपातिक मानदंड
1.	10 करोड़ रुपए तक	1:10
2.	10 करोड़ रुपए से अधिक तथा 25 करोड़ रुपए तक उत्पादन के लिए	1:7
3.	25 करोड़ रुपए से अधिक उत्पादन के लिए	1:5

आनुपातिक मानदण्डों का आकलन करते समय निम्न क्रियाकलापों को छोड़ना जारी रहेगा :—

(क) औषध मध्यवर्ती।

(ख) खाली हार्ड जिलेटिन कैप्सूल।

(ग) सर्जिकल अनुषंगी।

(घ) शीरा एवं वेक्शीन ।

(ङ) सभी प्रकार के डायेग्नोस्टिक ।

(च) एलर्जिन ।

(छ) ट्रांसफ्यूजन साल्यूशन ।

संगठित क्षेत्र की कंपनियों द्वारा एक उत्पादन कार्यक्रम प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जिसमें नए औषधों का उत्पादन सम्मिलित हैं, ताकि वे 3 वर्ष की अवधि के भीतर नए आनुपातिक मानदण्डों को प्राप्त कर सके। जब और जैसे एक कंपनी एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रवेश करेगी, उसे नये आनुपातिक मानदण्ड प्राप्त करने के लिए 3 वर्ष का समय दिया जायेगा।

देश में प्रपुंज औषधों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, संगठित क्षेत्र में सभी कंपनियों की कुल फार्मूलेशन बिक्री स्वदेशी रूप से उत्पादित प्रपुंज औषधों तथा आयातित प्रपुंज औषधों के मूल्य के मध्य 2:1 के अनुपात पर आधारित रहनी जारी रहेगी।

6.11 गैर संबद्ध फार्मूलेटरों को प्रपुंज औषधों की आपूर्ति

फेरा एवं एम०आर०टी०पी० कंपनियां प्रपुंज औषध उत्पादन का 50 प्रतिशत गैर संबद्ध फार्मूलेटरों एवं अन्य कंपनियों को, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र सम्मिलित है तथा प्रपुंज औषध उत्पादन का 30 प्रतिशत गैर संबद्ध फार्मूलेटरों को सप्लाई करना जारी रखेगी।

6.12 अनुसंधान एवं विकास जानकारी का आयात

अनुसंधान एवं विकास को नीति में प्रस्तावित विभिन्न उपायों से प्रोत्साहन प्राप्त होगा जैसे कि, जो कंपनियां नैदानिक परीक्षण करती हैं तथा नए औषधों के प्रचालन के लिए औषध नियंत्रक (भारत) का अनुमोदन प्राप्त करती है, उन पर लाइसेंसमुक्ति के विस्तार। तथापि जहां भी आवश्यक होगा, पात्रता के आधार पर जानकारी के आयात के पक्ष में विचार किया जाता रहेगा।

6.13 उत्पादन का नियमन

एक से दो दशकों वाले औद्योगिक अनुमोदनों के आधार पर बहुसंख्यक फार्मूलेशनों का उत्पादन किया जा रहा है जिनकी वैधता को चुनौती दी जा रही है। यह दावा किया जा रहा है कि इनमें से अधिकांश औषधों औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) (आई०डी०आर) अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्रों के अन्तर्गत आते हैं। उस समय प्रचलित पद्धति के अनुसार इन प्रमाणपत्रों में अलग-अलग मद तथा क्षमताओं का जिक्र नहीं किया गया है। बल्कि केवल औषधों एवं भेषजों के अनुमेय उत्पादन का उल्लेख है। एक अन्य मुख्य श्रेणी में वे मद हैं जिनके 1960 तथा 1970 के दशमों में आई०डी०आर० अधिनियम की धारा 29ख के

अन्तर्गत जारी अधिसूचना, जिसमें कुछ शर्तों पर औद्योगिक लाइसेंस से छूट की घोषणा की गई थी, के अन्तर्गत होने का दावा किया गया है। तथापि, छूट प्रदान करने की एक या अधिक शर्तों के पूरा न होने के कारण अनेक मामलों में सी०ओ०बी० लाइसेंस जारी नहीं किया जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकतर मामलों में उल्लंघन तकनीकी है तथा उत्पादों को डाक्टरी व्यवसाय द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है, सरकार ने इस प्रकार की सभी फार्मूलेशनों तथा सर्जिकल एड्स के उत्पादन को नियमित करने का निर्णय लिया है।

6.14 क्षमता का पुन: पृष्ठांकन

सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित क्षमताओं के पुन: पृष्ठांकन तथा उपकरण के प्रति-स्थापन/आधुनिकीकरण/पुनरोद्धार के परिणामस्वरूप अतिरिक्त क्षमताओं को स्वीकार करने के सम्बन्ध में औद्योगिक नीतियां भेषज उद्योग पर लागू होंगी।

भाग 7—शुल्क सुव्यवस्थीकरण

7.1 आयात एवं उत्पाद शुल्क को घटाकर यथा सम्भव न्यूनतम स्तर पर लाने तथा प्रपुंज औषधों पर संचित शुल्क निवेशों एवं औषध मध्यवर्तियों से अधिक है। यह सुनिश्चित करने के लिए बन ए गये उचित वित्तीय नीति उपायों द्वारा भी लाइसेंसिंग एवं मूल्य निर्धारण नीतियों के क्षेत्र में उपायों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। शुल्क सुव्यवस्थीकरण का उद्देश्य प्रपुंज औषधों एवं उच्च स्तरीय फार्मूलेशनों के लागत दक्ष उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।

भाग 8—स्वास्थ्य एवं उद्योग मंत्रालयों में समन्वय

8.1 भेषज क्षेत्र में स्वास्थ्य नीतियों तथा औद्योगिक नीतियों में बेहतर एकीकरण प्राप्त करने की दृष्टि से उद्योग मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग में एक अंत: मंत्रालय स्थायी समिति गठित की जायेगी जिसके सदस्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा अन्य संबद्ध विभागों एवं एजेंसियों के अधिकारी होंगे। प्रथमत: समिति नये उपायों तथा अन्य संबद्ध निर्णयों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगी, जैसे कि राष्ट्रीय फार्मूलेटरी में संशोधन, गुणवत्ता नियंत्रण लागू करने के लिये संस्थानात्मक एवं सांविधिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, मेडीकल एवं पैरामेडीकल कार्मिकों के लिये औषधों की सुरक्षा एवं प्रभावोत्पादकता के सम्बन्ध में जानकारी का वितरण, औषध पंजीकरण का केन्द्रीयकरण, फार्मूलेशनों का सुव्यवस्थीकरण तथा प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी।

भाग 10—समीक्षा

9.1 इन उपायों के कार्यान्वयन एवं मानदण्डों की समीक्षा 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में की जायेगी। कार्यान्वयन की प्रगति तथा समय-समय पर प्रकट होने वाली प्रवृत्तियों का पता लगाने के लिये अल्प अंतरालों पर मूल्यांकन किया जायेगा।

अनुबन्ध-1

(पैरा 6.1 देखें)

परिशिष्ट-1

उद्योग नीति—सरकार का निर्णय—
प्रेस नोट दिनांक 2 दिसम्बर, 1973

×× ×× ××

औषध और भेषज

फेरा औषध कंपनियों के लिए

निम्नलिखित प्रपुंज औषधें, क्रमिक निर्माण कार्यक्रम के अध्याधीन तथा उन पर आधारित फार्मूलेशन, प्रपुंज औषध खपत (अपने निर्माण से) के सभी स्रोतों से फार्मूलेशनों के समग्र खपत के 1:4 के अनुपात में।

1. रिफाम्पीसिन।
2. वीरापामिल
3. सिफेलेक्सिन
4. पेन्टोथीनेट
5. बेसीट्रेसिन
6. नियोमाइसिन
7. सिफेलोरिडीन
8. एलकेलोइड्स इरगोट के
9. थियोपेन्टोन
10. प्रोपोक्सीफिनाजोन
11. पाइरेन्टल पामोएट
12. नोरीथीस्टीरोन
13. ओक्सीफाजाइन
14. पेन्टाजोकेन
15. नोरगेस्ट्रोल
16 डिपाइराडीमोल

17. टोलनाफ्टेट
18. ट्रिफ्लेतोडाइन
19. नेप्रोक्सेन
20. नेलीडिक्सिक एसिड
21. क्लोरफोमाजाइन
22. क्लोरफिनिरामाइन
23. बेटामेथाजोन
24. डेक्सामेथाजोन
25. क्लोरमफेनीकोल
26. विटामिन ए
27. डिगोक्सिन
28. डेपसोन
29. एलुपुरिनोल
30. विटामिन बी 12
31. प्रेडनीसोलोन
32. बारालगन कीटोन
33. इन्सुलिन
34. प्रिमाक्वीन
35. अमोडियाक्वीन
36. सक्सीनिल कोलिनीक्लोराइड
37. क्लोफाजामाइन
38. थियाबेन्डाजोल
39. टेट्रामिसोल
40. फेमाइसिटिन
41. साइक्लोफोस्फामाइड
42. मेपाकाइन
43. ट्राइमसीलोनोल
44. फिनाइल इफीरीन
45. ओक्सीटोक्सिन
46. विटामिन पी (रुटिन)

47. प्रिनिलेमाइन लेक्टेट

48. थियोरिडाजाइन

49. फिनोलथियाजाइन

50. पेनिसिलिन

51. मेनसरीन हाइड्रोक्लोराइड

52. अमीनोग्लुटीथीमिड

53. सिनारिजाइन

54. बीकेम्पीसिलिन

55. केपटोप्रिल

56. प्राजीक्वेन्टल

57. टोब्रामिसिन

58. टिमोलोल

59. केफेजोलाइन सोडियम

60. एटीनोलोन

61. निमुस्टीन

62. पाइरिथिलडोन

63. आइसोसोरबिडीमोनोट्रेट

64. कोई ऐसी नई औषध जिसके लिए वे क्लीनिकल परीक्षण किए और औषध नियंत्रक का अनुमोदन प्राप्त किया।

65. पोलियो वेक्सीन

66. मीजल्स वेक्सीन

गैर फेरा एम०आर०टी०पी० कंपनियों के लिए वर्तमान परिभाषा जारी रहेगी, अर्थात्, सभी प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशन उत्पादन के आधार पर लागू अनुपात मानदण्डों के अध्यधीन तथा सरकारी और लघु उद्योग क्षेत्रों के लिए आरक्षण के अध्यधीन।

अनुबन्ध—2

(पैरा 6.3 देखें)

सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित प्रपुंज औषधों की सूची

1. स्ट्रेप्टोमाइसिन

2. टेट्रासाइक्लीन

3. ओक्सीटेट्रासाइक्लीन
4. जेन्टामाइसिन
5. सल्फागुनिडाइन
6. सल्फाडिमिडाइन
7. सल्फामेथोक्सीन पाइरीडाजाइन
8. सल्फाडिमिथोक्साइन
9. विटामिन बी-1
10. विटामिन बी-2
11. फोलिक एसिड
12. क्वीनीन
13. एनलजिन
14. फिनोवारविटोन
15. मोरफिन

टिप्पणी :—प्रपुंज औषधों में लक्षण' एस्टर्स तथा डेरिवेटिव्स, यदि कोई हो, शामिल होंगे।

अनुबन्ध-3
(पैरा 6.8 देखें)

ब्रांड रेंजिग के अन्तर्गत आने वाली प्रपुंज औषधों के वर्ग।

समूह

1. सभी प्रकार की पेंसिलिन
2. इरीथ्रोमाइसिन, ग्रीसफुलबिन रिफाम्पीसिन
3. क्लोरमफेनिकोल और इसके मध्यवर्ती, अर्थात् एल-बेस
4. पोटाशियम पेंसिलिन जी से 6 एसीए और 7 एडासीए
5. एम्पिसिलिन, अमोक्सीसिलिन आदि की तरह के सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन
6. सभी प्रकार के सिफलोस्फोरिन्स
7. सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित से भिन्न सल्फा औषधी में (8) निम्नलिखित सहित स्टीराएडस एवं हारमोन्स

   प्रेडनीसोलोन, प्रेडनीसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, बेटामेथाजोन, इथीनाइल आस्ट्राडियल, नोरथीस्टीरोन, नोरगेस्ट्रोल, टेस्टोस्टीरोन, प्रोगेस्टीरोन आदि।

9. थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, हाइड्रोक्सीथाइल थियोफाइलिन, जेन्थेनोल, निकोटिनेट और सिन्थेटिक कैफीन

10. फेनोबारबिटोन से भिन्न सभी बारबिटुरेटस

11. एनलजिन, आइसोप्रोपाइलेम्टीपाइरीन

12. क्लोरप्रोमाआइन
प्रोक्लोररोपिराजाइन
प्रोमिथाजाइन
ट्रिफलुपिराजाइन
ट्रिफल्युफ्रोमाजाइन

13. क्लोरोक्वीन अमोडियाक्वीन

14. ओक्सीफिनबुटाजोन
फिनाइलबुटोजोन

15. डिफेनहाइड्रेमाइन
ब्रोमोडीफिनहाइड्रामाइन

16. हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड
साइक्लोपेनटेजाइड

17. क्लोरोफेनिसेन
मेफेनिसिन

18. जाइलोकेन
प्रोकेन
बेन्जोकेन
प्रिलोकेन

19. मेट्रोनिडाजोल
टिनिडाजोल

20. टालबुटामाइड
क्लोरप्रामामाइड

21. एसिटाजोलामाइड
थियासिटाजोन

22. डाएजोपाम
क्लोरडियाजीफोक्साइड
ओक्साजीफाम
निट्राजोफाम
लोराजोफाम

23. फिनिरामाइड
क्लोरफिनिरामाइन

24. इब्युपोफिन
कीटोप्रोफिन
फल्युरविप्रोफेन
नेप्रोक्सेन

25. सालबुटामोल
टरबुटालाइन

26. फुराजोलिडाइन
निट्रोफुराटोइन
निट्रोफुराजोन

27. क्लोरसाइक्लीजाइन
साइक्लीजाइन
मेक्लोजाइन
बुक्लइजाइन
डाइथाइल कार्बमाजाइन सिट्रेट

28. प्रोप्रोनोलोल
एटीनोलोल
मेट्रोप्रोलोल
ओक्सप्रीनोलोल
पिनडोलोल

29. मेबेन्डाजोल
थियाबेन्डाजोल
बेनबेन्डाजोल

30. वनस्पति सामग्री के सत्त से प्राप्त औषधें जैसे कि बेलाडोना, हाइसीमीन सीनोसाइडस, डिगोक्सिन, एमालिसिन, पेसरफाइन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टाइन, क्वीनीन, क्वीनीडाइन, इमीटीन, स्ट्रेचनाइन, बूलीन आदि।

31. इन्सुलिन से भिन्न प्राणी मूल की औषधें, जैसे कि लीवर एक्सट्रेक्ट, हेफारिन, पेन्क्रीटिन, इम्युनोग्लोबुलिन आदि।

टिप्पणी :—प्रपुंज औषधों में लवण एस्टर्स और डेरिवेटिव्स, यदि कोई हो, शामिल होंगे।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, आपकी पालिसी के कारण दुकानों में दवाएं नहीं हैं और मरीज दवाखानों में मर रहे हैं।……(व्यवधान)

दिल्ली बन्द करेंगे और आपका मुंह भी बंद कराएंगे हम।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, इनका कोई कसूर नहीं है, ये अभी भी यही समझ रहे हैं कि ये बोट-क्लब में खड़े हुये हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो "सी०" में उत्तर दिया है उसके बारे में पूछना चाहता हूं कि दवाओं के दाम न घटने के क्या कारण हैं और आपकी प्राइस कण्ट्रोल पालिसी कब निकलने वाली है?

[अनुवाद]

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : मैंने भाग 'सी' में उत्तर दे दिया है कि औषध मूल्य नियंत्रण आदेश (डी० पी० सी० ओ०) अभी तक लागू नहीं किया गया है। यह केवल श्रेणी दो के वर्गीकरण के बाद लागू होगा जिसके लिये एक विशेषज्ञ समिति की भी नियुक्ति की गयी है। हमें आशा थी कि समिति अपनी रिपोर्ट तीन माह में दे देगी। परन्तु यह अधिक समय लेगी। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद डी० पी० सी० ओ० को लागू किया जायेगा। जैसे ही डी० पी० सी० ओ० लागू हो जायेगा तो संशोधित मूल्यों की घोषणा की जायेगी। फिलहाल, मूल्यों में न तो वृद्धि है और न ही कमी है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मंत्री महोदय, आपकी पालिसी के कारण ही दुकानों पर दवा नहीं मिल रही हैं और एसेंश्यल दवाएं भी नहीं मिल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करो।

श्री सी० जंगा रेड्डी : कितने साल के बाद आप अनाउंस करेंगे?

[अनुवाद]

चूंकि नये औषध मूल्य नियंत्रण आदेश की घोषणा अभी नहीं की गई है अतः मूल्यों में संशोधन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

इसका मुहूर्त कब निकलेगा, क्या लोगों के मरने के बाद इसका मुहूर्त निकलेगा। क्योंकि कुछ दवाएं आप सरकारी कारखाने में सीधे बनाना चाहते हैं इसलिये प्राइवेट कारखाने वाले उन

दवाओं को नहीं बना रहे हैं जिसके कारण दवाओं का अभाव बाजार में पैदा हो गया है। इसलिये आप बताइये कि इस पालिसी पर आप कब अमल करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : जैसा कि मैंने पहले कहा है, कई कारणों की वजह से, इसमें कुछ और महीनों का समय लग जायेगा। वर्गीकरण के पूरा होते ही नये औषध मूल्य नियंत्रण आदेश लागू हो जायेंगे। जब एक बार यह लागू हो जायेगा तो फिर मूल्यों के मामले पर निर्णय किया जायेगा।

श्रीमती किशोरी सिंह : उत्तर में हमें एक 19 पृष्ठों वाली पुस्तिका दी गयी है। इसको पढ़ने के लिये हमें समय की आवश्यकता है। इसलिए, मैं अनुरोध करती हूं कि इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाये। (व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : मेरे सहयोगी ने घोषणा की है कि अभी तक हमने इस औषध मूल्य नियंत्रण आदेश को लागू नहीं किया है। केवल अधिसूचना के बाद ही हम मूल्यों की घोषणा करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आधे घंटे की चर्चा के बारे में प्रश्न का निर्णय मैं करूंगा। अब श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

श्रीमती किशोरी सिंह : महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : वर्ष 1978 में अपनायी गयी पूर्व नीति हाथी समिति के प्रतिवेदन पर आधारित थी। यद्यपि हाथी समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकृत नहीं किया गया तो भी इस नीति ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की औषध उद्योग में घुसपैंठ प्रदेश और गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया। इस नीति ने देश में स्वदेशी औषध उत्पादन को भी प्रोत्साहन दिया। इसके साथ-साथ इसने आयात को हतोत्साहित किया और एक औषध मूल्य समकरण कोष का निर्माण करते हुये स्वदेशी औषध उत्पादन के विस्तार में प्रोत्साहन दिया। महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है इस नई नीति द्वारा अनियंत्रित औषधियों की संख्या में 14 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक वृद्धि करने से, जिसे संसद की अवहेलना करते हुये शरद्कालीन सत्र के बाद घोषित किया गया था—सभी आवश्यक औषधियों के मूल्यों में वृद्धि होगी।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : महोदय, वर्ष 1975 में सरकार को प्रस्तुत की गयी हाथी समिति का प्रतिवेदन अब भी इन विशेष उपायों के लिए आधार है। ये उपाय इस प्रकार हैं, सुव्यवस्थीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और दिसम्बर 1886 में सरकार द्वारा देश में औषध तथा भेषज उद्योग के विकास के लिए घोषित उपाय। ये हाथी समिति के प्रतिवेदन पर आधारित हैं। इससे कोई भी विचलन नहीं है।

माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि वर्ष 1978 वाली पूर्व नीति में भी हाथी समिति के प्रतिवेदन में रखे गये कुछ प्रस्तावों को नहीं माना था। यह एक बहुत बड़ा प्रतिवेदन था जिसमें बहुत से सुझाव दिये गये थे। वर्ष 1978 में हम उन सभी सुझावों को लागू नहीं कर सके। अब हम इसको और अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं।'

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ दिये जाने का प्रश्न कई लोगों ने उठाया है। इसके लिए कुछ स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। वास्तव में, 'फेरा' (एफ० ई० आर० ए०) से सम्बन्धित कम्पनियों के लिए पैरामीटर का अनुपात 1.5 से कम कर के 1.4 कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, हमनें एक संकीर्ण विचारधारा अपनायी है। अब हम 'फेरा' कंपनियों से यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वे मूलभूत क्षेत्र में अधिक उत्पादन करें आधारभूत चरण से वे जिस भी 'बल्क ड्रग' का उत्पादन करते हैं उनको अब 5 फार्मूलेशनों की बजाय केवल 4 फार्मूलेशन' के उत्पादन की अनुमति दी जायेगी। इस प्रकार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ देने का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में हमने उन औषधियों की अवधि घटा दी है जिनको 'फेरा' कंपनियां बना सकती हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : अनियंत्रित औषधियों, जिनकी संख्या 14 प्रतिशत से 16 प्रतिशत कर दी गयी है की संख्या के बारे में पूछे गये प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इससे औषध मूल्यों में वृद्धि होगी या नहीं।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : हम अनियंत्रित औषधियों के मूल्यों का नियंत्रण नहीं करते। पहले हमने तीन श्रेणियां बना रखी थी—श्रेणी एक, श्रेणी दो और श्रेणी तीन ;—इन श्रेणियों के अधीन आने वाली औषधियों के मूल्यों का नियंत्रण किया जाता है। श्रेणी चार भी थी परन्तु वह अनिर्दिष्ट अनियंत्रित औषध थी। अब नये नीति उपायों में, श्रेणी एक में वे औषधियां आती हैं जिनका राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में, उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित करना सरकार द्वारा समय-समय पर बनायी गयी नीति पर निर्भर करता है कि कौन सी औषधियां श्रेणी एक में आयेंगी। क्योंकि प्राथमिकता उन औषधियों को दी गयी है जिनका उपयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए किया जायेगा। उदाहरण के लिये हमें पता है कि आजकल हमारे देश में मलेरिया एक समस्या बना हुआ है। एक या दो वर्ष के पश्चात् हम यह पायेंगे कि मलेरिया का उन्मूलन कर दिया गया है। इस प्रकार, मलेरिया रोग का सामना करने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी औषधियां परिधि से बाहर हो जायेंगी। इस प्रकार, यह निर्धारित करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम पर निर्भर करता है कि कौन-सी औषधियां श्रेणी एक में आयेंगी।

जहां तक श्रेणी दो का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा है, इस पर ध्यान देने और आवश्यक औषधियों की सूची बनाने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी है। वे अपना प्रतिवेदन दो या तीन महीने में प्रस्तुत कर देंगे।

श्रीमती किशोरी सिंह : महोदय, मेरे प्रश्न के बारे में क्या विचार है?

अध्यक्ष महोदय : महोदया, मैंने आपको एक अवसर दिया था। आपने पूछा था कि क्या आधे घंटे की चर्चा होगी या नहीं और वह अपना प्रश्न करते हुये मैंने आपको नहीं रोका था।

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या सरकार को इस बात की जानकारी मिल गयी है कि नये वर्गीकरण के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए पूर्णतया रखी जाने वाली कुछ औषधियों को अब विदेशी कंपनियों को भी बनाने की छूट दे दी गयी है—उदाहरण के तौर पर पैंसीलीन—जिसके परिणामस्वरूप आई० डी० पी० एल० जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद का सामना करना पड़ेगा ? मैं समझता हूं कि सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों ने सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया है। इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, जहां तक पैंसीलीन का सम्बन्ध है, फिलहाल हम अपनी आवश्यकताओं का सिर्फ 30 प्रतिशत उत्पादन कर रहे हैं। बाकी 70 प्रतिशत आवश्यकताओं का हम आयात कर रहे हैं। इसलिए हमने पैंसीलीन के सम्बन्ध में निजी कम्पनियों द्वारा उत्पादन की नीति को उदार बना दिया है।

पेट्रोलियम पदार्थों की जांच के लिए भारतीय तेल निगम की चलती-फिरती प्रयोगशालायें

* 9. **श्री बनवारी लाल पुरोहित +**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने हाल ही में दिल्ली पेट्रोलियम पदार्थों की जांच करने के लिये एक चलती-फिरती प्रयोगशाला चलाई है ;

(ख) यदि हां, तो उन पेट्रोल पम्पों आदि का ब्यौरा क्या है जिन पर भारतीय तेल निगम ने पिछले एक महीने के दौरान छापे मारे हैं ;

(ग) दिल्ली में ऐसे पेट्रोल पम्पों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है ; जिन्हें मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री करते पाया गया ;

(घ) क्या सरकार अन्य नगरों में भी ऐसी चलती-फिरती प्रयोगशालायें चलाने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्तरी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों के परीक्षण के लिए एक चलती-फिरती प्रयोगशाला बनाई गई है और दिल्ली में रखी गई

है किन्तु इसने अभी तक काम करना आरम्भ नहीं किया है इसलिए इस प्रयोगशाला की रिपोर्टों पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) इंडियन आयल कार्पोरेशन ने पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में उपयोग के लिए भी चलती-फिरती प्रयोगशालाएं बनाई है जो शीघ्र ही काम करना आरम्भ कर देंगी। इस प्रणाली का विस्तार इसके कार्यों से प्राप्त अनुभव पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, पेंट्रोल और डीजल में कैरासिन की मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या पूरे देश में है। किसानों को कैरासिन मिल नहीं पाता और उनको जो मिलावट का पेंट्रोल व डीजल मिलता है, उससे उनके इंजन खराब हो जाते हैं। सबसे बड़ा इसका कारगर उपाय यही है कि मिलावट करने वलों को पनिश किया जाये। इसके लिये सरकार काम करे।

13 जनवरी को मोबाइल लैबोरेटरी का यहां पर उद्घाटन हुआ और आज एक महीना हो गया लेकिन अभी तक उस मोबाइल लैबोरेटरी ने काम करना शुरू नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, मेरा अहम प्रश्न है, इस पर आप ज्यादा ध्यान देंगे क्या? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि एक लैबोरेटरी में कितने आदमियों का यूनिट होगा और रोज कितने सैम्पल टैस्ट होंगे? पूरे देश में इस तरह की लैबोरेटरी का जाल बिछाना चाहिये जिससे जो लोग मिलावट करते हैं उनको सजा मिल सके और उपभोक्ताओं को राहत मिल सके, इसके लिये आपकी क्या योजना है?

श्री ब्रह्मदत्त : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं और इस तरह की लैबोरेटरीज का जाल होना चाहिये, लेकिन 4 मोबाइल लैबोरेटरीज हम स्थापित कर रहे हैं, जिसमें एक दिल्ली में है। उसमें कुछ कैलीब्रेशन की बात है। इसके अलावा और सिस्टम से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यह डीजल का अडल्ट्रेशन न हो और उसके लिये और बहुत सारे उपाय भी किये जा रहे हैं जिससे यह समस्या ही खत्म हो जायेगी।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है।

श्री नारायण चौबे : कुछ उत्तर नहीं है, धोखा ही धोखा है खाली।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : डेढ़ महीना उद्घाटन हुए हो गया लेकिन अभी तक मोबाइल लैबोरेटरी का काम चालू नहीं हुआ। यह क्यों नहीं होता है? आगे आपकी क्या योजना है, विस्तृत बताइये? योजना जो लैबोरेटरी में टैस्टिंग की है, उसमें कितने आदमी काम करेंगे और दिन भर में कितने सैम्पल टैस्ट हो सकेंगे आन दी स्पाट?

श्री ब्रह्मदत्त : मैंने अर्ज किया कि अभी इस लैबोरेटरी का कैलीब्रेशन ठीक किया जा रहा है। इसकी टैस्टिंग ठीक हो, इक्विपमैंट ठीक हो, यह कैलीब्रेट किया जा रहा है और जैसे ही यह

कैलीब्रेट हो जायेगा यह लैबोरेटरी काम करेगी। इसके अलावा दूसरी लैबोरेटरीज हैं जो स्टैटिक हैं, मोबाइल नहीं है, उनसे काम किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आदमी कितने काम करते हैं ?

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र, नागपुर, इन्दौर और यू० पी० में कानपुर वगैरह जो बड़े-बड़े शहर हैं, वहां भी इस तरह की लैबोरेटरी चालू करने की आपकी योजना है क्या ? यदि हां, तो यह कब तक करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त : मोबाइल लैबोरेटरी 4 क्षेत्रीय होंगी, रीजनवाइज होंगी। बाकी स्टैटिक लैबारेटरीज तो काफी हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, पैट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट करना आजकल आम बात हो गयी है। सरकार पैट्रोल और डीजल के कम उपयोग की नीति अपना रही है ताकि राष्ट्र को कम से कम नुकसान हो। महोदय, साथ ही, इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनियां भी दुकानों और पेट्रोल पम्पों को अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पादन माल जारी कर रही हैं ? क्या वे सरकार की सहमति से अधिक बेचने की इस नीति को अपना रही हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त : सरकार की नीति पेट्रोलियम उत्पादों को संरक्षित रखने की है लेकिन दुकानें तो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं इसलिए वे तो ज्यादा बेचेंगी ही। नीति कुशल मशीनरी का इस्तेमाल करके पेट्रोलियम उत्पादों को संरक्षित रखने की है न कि उनकी मात्रा में कमी करके।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपकी जो स्टैटिक लैबरेट्रिज हैं उसमें जो इस प्रकार के मिलावट के केसिज देखे जाते हैं उसमें कितने परसेंट केसिज ऐसे हैं जिनमें मिलावट पायी गई ? साथ ही यह भी देखने में आया है कि ज्यादातर केसिज ऐसे हैं जिनमें मिलावट बतायी नहीं जाती है और जितनी भी स्टैटिक लैबरेट्रिज हैं वह काम भी ठीक प्रकार से नहीं कर रही हैं और जिन अधिकारियों के पास वह केस जाते हैं वह दोषी अधिकारियों के साथ मिल जाते हैं। इस वजह से उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है।

दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भारत-सरकार का कोई अधिकारी नहीं होता है। केवल राज्य सरकार के ही अधिकारी हैं जो कि डी० एस० ओ० कहलाते हैं। आपने राज्य सरकार को इस प्रकार के अधिकार दे रखे हैं कि दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती हैं। इस कारण आप इस मिलावट को रोकने के लिए क्या कोई ऐसी मशीनरी तैयार

करेंगे जिससे कि डीजल और पेट्रोल आदि में मिलावट न हो सके और मिलावट करने वालों को सख्त सजा मिल सके ?

श्री ब्रह्मदत्त : मान्यवर मैं माननीय सदस्य की पहली बात से सहमत हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि यह केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों का काम है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं का वितरण प्रदेश सरकार भी करती है। लेकिन इसमें मिलावट न हो इसके लिये कैरोसीन में कलर करके रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और उसका परीक्षण भी किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी कम्पनीज इंस्पैक्शन भी करती हैं और इस काम के लिये हमारे स्टेट की अथारिटिज भी होती हैं। इसको सुदृढ़ भी किया जा रहा है। मोबाइल लैबरेट्रिज स्थापित होने के बाद यह व्यवस्था सुदृढ़ हो जायेगी। सबसे अधिक आवश्यकता इसको सुदृढ़ करने की है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में डाकघरों का बन्द किया जाना

* 11. श्री अजय विश्वास + }
श्री बी० एन० रेड्डी } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में 60 डाकघरों को बंद किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) इस प्रकार की कार्यवाही से डाक सेवा की निरन्तरता पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) जनता को डाक सेवायें किस प्रकार प्राप्त होंगी ; और

(घ) क्या ऐसा किफायत के तौर पर किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में 1-4-1986 से बन्द किए गए डाकघरों की संख्या 69 है। इन डाकघरों को निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से बन्द किया गया :—

(1) डाकघरों में किया गया डाक सम्बन्धी कार्य अपर्याप्त रहा जिसमें इनको बनाए रखने का औचित्य सिद्ध नहीं हुआ।

(2) एक क्षेत्र में डाकघर दूसरे डाकघर से कम दूरी पर स्थित होना

(शहरी क्षेत्रों में 1.5 कि० मी० से कम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 3 कि० मी० की दूरी से कम) और।

(3) शहरी क्षेत्रों के सम्बन्ध में डाकघर वित्तीय दृष्टि से स्वयं पर निर्भर न होता।

69 डाकघरों में से 46 डाकघर गौण स्तर के विभागीय उप डाकघर थे जिन्हें टाउन उप डाकघर कहते हैं और जिनमें कोई डाक वितरण कार्य नहीं था। इन डाकघरों द्वारा सुलभ कराई जाने वाली काउंटर सेवाएं उस क्षेत्र में स्थित अन्य डाकघरों से सुविधापूर्वक सुलभ की जा सकती हैं। शेष 23 डाकघरों में से 2 को छोड़कर सभी डाकघर अतिरिक्त विभागीय डाकघर थे जो टाउन/शहरों में स्थित थे। ये डाकघर भी गैर-वितरण डाकघर थे और इन डाकघरों से प्रदान की गई काउंटर सेवाएं अन्य निकटवर्ती डाकघरों में सुलभ है। दो ग्रामीण डाकघर भी अतिरिक्त विभागीय डाकघर हैं जिनमें कोई वितरण कार्य नहीं था। इनके संबंध में भी इस क्षेत्र में अन्य ऐसे डाकघर हैं जिनमें पर्याप्त काउंटर सुविधाएं सुलभ हैं। अतः इन डाकघरों के बन्द करने से सेवा अस्त-व्यस्त नहीं हुई है।

उक्त कार्रवाई किसी विशेष किफायत अभियान का हिस्सा नहीं है। साधारण प्रक्रिया के अन्तर्गत भी प्रत्येक डाकघर के कार्यभार, लागत और राजस्व को पुनरीक्षा की जाती है तथा इसके फलस्वरूप उनको भविष्य में बनाए रखने के लिए औचित्य पर विचार किया जाता है। वे डाकघर जो कि कम प्रयोग में आते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों में जो वित्तीय दृष्टि से स्वावलम्बी नहीं हैं या जिनका भविष्य में बनाए रखने का औचित्य नहीं बनता है, बन्द कर दिए जाते हैं।

श्री प्रजय विश्वास : डाक सेवा एक उपयोगी सार्वजनिक सेवा है। मैंने विवरण को पढ़ लिया है और दी गई दलीलों को देख लिया है, क्योंकि डाकघर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं। इसलिए वे बन्द कर दिए गये हैं। जब डाक सेवा एक उपयोगी सार्वजनिक सेवा है तो वित्तीय आत्मनिर्भरता का प्रश्न नहीं उठता है। यहाँ दी गई दलीलों को दूसरे डाकघरों पर भी लागू किया जा सकता है। अगर आप इस प्रकार की दलील को मानकर चलते हैं तो आपको देश में कई डाकघरों को बन्द करना पड़ेगा। इस प्रकार मेरे विचार में सरकार ने कई उप डाकघरों और डाकघरों को बन्द करने का एक विशेष निर्णय लिया है। यह केवल आन्ध्र प्रदेश में ही नहीं हो रहा है।

महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि देश में कितने डाकघरों और उप-डाकघरों को बन्द किया जा चुका है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने डाकघर और उप-डाकघर बन्द किए जायेंगे।

श्री सन्तोष मोहन देव : देश में किसी डाकघर को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है यह एक निरन्तर प्रतिक्रिया है। जहाँ विभाग द्वारा चलाये जा रहे डाकघर घाटे में चल रहे हैं या उनकी सेवा को निकटवर्ती डाकघर से जोड़ा जा सकता है, यदि वे 1.5 या 2 कि० मी० के दायरे में आते हैं तो हम उनके कार्यों के नजदीकी डाकघरों में मिला रहे हैं।

हमारे देश में 1,24,356 डाकघर हैं और उनमें से लगभग 15,000 ग्रामीण क्षेत्रों में है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां डाकघर खोलने की आवश्यकता है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां राजनीतिक कारणों से डाकघर खोले गये थे और हमें वहां घाटा हो रहा है। जैसा कि हमें शुल्क बढ़ाने की अनुमति नहीं है फिर भी हम डाक सेवा के लिए 231 करोड़ रुपये की वार्षिक आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। हम इस प्रकार देश के हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके विपरीत, हमने देश के भीतर लाइसेंसशुदा डाक सेवाओं को शुरू किया है। यद्यपि हमने आन्ध्र देश में केवल डाकघरों को बन्द किया, फिर भी 244 डाकघरों को लाइसेंस दिये हैं यह एक निरन्तर प्रक्रिया है और हमें देश के हितों और परिश्रम से अर्जित धन की रक्षा करनी है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ डाकघरों को बन्द करने की आवश्यकता है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ नये डाकघर खोलने की आवश्यकता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ यह सुविधा नहीं है। यह निरन्तर प्रक्रिया है और यह किसी विशिष्ट राज्य के लिए नहीं है।

श्री अजय विश्वास : मेरा विशिष्ट प्रश्न था आन्ध्रप्रदेश की तरह देश में कितने डाकघरों और उप-डाघरों को बन्द किया जा चुका है ? उसका उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि 69 डाकघर बन्द किये जा चुके हैं और 244 खोले गये हैं।

श्री अजय विश्वास : ये केवल आन्ध्रप्रदेश के हैं। मैं पूरे देश के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने केवल आन्ध्रप्रदेश के बारे में पूछा था। क्या आपको उसका कोई उत्तर मिला है ?

श्री सन्तोष मोहन देव : पूरे देश में 257 डाकघर बन्द किए गये हैं। मैं सोचता हूं पहले महाराष्ट्र उसके बाद मध्यप्रदेश और इसी प्रकार पूरे देश में कुछ डाकघर बन्द किये जा रहे हैं। अगर आप आँकड़े चाहते हैं तो मैं सदन के सभापटल पर विवरण रख दूंगा और आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री अजय विश्वास : उन डाकघरों में कितने कर्मचारी काम करते थे ? उनमें से कितनों को पुन: काम पर लगाया जायेगा और कितनों को निकाला जायेगा।

श्री सन्तोष मोहन देव : किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं गया है। जब कभी हम डाकघर बन्द करते हैं तो कर्मचारियों को नजदीकी डाकघर में या कुछ अन्य डाकघरों में लगा दिया जाता है। डाकघरों को बन्द करने की प्रक्रिया में कर्मचारियों को निकाला नहीं जाता वे विभाग के स्थायी कर्मचारी हैं।

श्री बी० एन० रेड्डी : सभापटल पर रखे गये विवरण के अनुसार जो डाक घर कुछ अन्य कारणों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, बन्द कर दिए जायेंगे। यह सच है उस क्षेत्र में डाकघर जनता के कारण नहीं बल्कि प्रशासनिक कारणों और खामियों के कारण आत्मनिर्भर नहीं हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या इन डाकघरों को, जो पहले कार्य कर रहे थे बन्द करने से पहले उनके आत्मनिर्भर न होने के कारणों को जानने के लिए कोई जाँच की गयी थी और क्या ये प्रशासनिक कारणों या प्रशासनिक खामियों के कारण बन्द किए गये थे।

श्री सन्तोष मोहन देव : जब हम किसी डाकघर को बन्द करने का निश्चय करते हैं तो हम संचालन लागत ; राजस्व उपार्जन काम में लगे हुए न्यूनतम कर्मचारियों का कार्यभार दूसरे डाकघरों से दूरी आदि पर विचार किया जाता है। आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए कुछ छूटें हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ निश्चित मापदण्ड हैं। आत्मनिर्भरता ही विचारणीय नहीं है। दूसरे कई घटके पर भी विचार किया जाता है और उस विशेष क्षेत्र में कार्य कर रहे डाकघरों की पूरी स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

नारियल के तेल के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता

*1. श्री के० मोहनदास : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नारियल के तेल के प्रयोग को केरल राज्य से बाहर लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों की सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) केरल सरकार ने नारियल, खोपरे तथा नारियल के तेल की अधिप्राप्ति, संसाधन तथा विपणन के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को एक परियोजना प्रस्तुत की है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने परियोजना का अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के लिए समर्थन किया है।

आंध्र प्रदेश में गैस पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए कृष्णा-गोदावरी बेसिन से पाइप लाइन बिछाना

*5. श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने कृष्णा-गोदावरी गैस बेसिन से अमोनिया बनाने वाले एक संयंत्र तक 70 किलोमीटर लम्बी पाइपलाइन बिछाने का निर्णय किया है ; और

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में गैस पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) । (क) जी नहीं ।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कृष्णा-गोदावरी बेसिन से उपलब्ध प्राकृतिक गैस के लिए उपयुक्त उपभोक्ताओं ने खो जाने की कार्यवाही कर रहा है ।

टिन और मेटल कन्टेनर उद्योग की कठिनाइयां

*6. श्री विजय एन० पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत टिन और मेटल कन्टेनर उद्योगों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार को प्लास्टिक कन्टेनर निर्माताओं की तुलना में टिन कन्टेनर बनाने वालों के लिए अपेक्षित आदानों की अनुपलब्धता के कारण मेटल कन्टेनर एककों को होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है ;

(ग) क्या सरकार को टिन कन्टेनर एकक की तुलना में प्लास्टिक उद्योग को होने वाले अधिक मूल्य-लाभ की जानकारी है ; और

(घ) टिन कन्टेनर बनाने वाले एककों के लिए प्रतिकूल स्थिति को दूर करने के लिए सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव : (क) मझौले और बड़े क्षेत्रों में टिन और मेटल कन्टेनर औद्योगिक एककों की संख्या 54 तथा लघु क्षेत्र में 3000 है ।

(ख) टिन प्लेटों के लिए मेटल कन्टेनर उद्योग की आवश्यकता प्लास्टिक कन्टेनर उद्योग की तरह देशीय और आयातित दोनों ही स्रोतों से पूरी की जाती है ।

(ग) टिन कन्टेनरों और प्लास्टिक कन्टेनरों के मूल्य का समान होना आवश्यक नहीं है

क्योंकि ये दोनों उद्योग उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाएं और भिन्न-भिन्न कच्चे माल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, निर्धारित परिसम्पत्तियों और निवेशों की लागत दोनों ही उद्योगों में भिन्न-भिन्न है। एक एकक की लाभप्रदता कई कारकों जैसे आकार और कार्य संचालन की क्षमता, उत्पाद की मांग का स्वरूप, प्रौद्योगिकी के स्तर आदि पर निर्भर करती है और इस प्रकार इन दोनों उद्योगों के कार्य संचालन सम्बन्धी परिणाम तुलनीय नहीं है

(घ) टिन कन्टेनर उद्योग को कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार पहले से ही प्रयास कर रही है।

रुग्ण और औद्योगिक एककों के अध्ययन सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

* 7. श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी
श्री आर० एम० भोये
: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण औद्योगिक एककों के कार्यकरण का अध्ययन करने और उनकी कार्यक्षमता में सुधार लाने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देश पद क्या हैं; और

(ग) इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जायेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) रुग्ण एककों के कार्य-संचालन का अध्ययन करने और उनकी क्षमताओं मे सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने किसी समिति का गठन नहीं किया है। फिर भी लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों की पुनर्स्थापना सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 1986 में एक समिति नियुक्त की थी।

(ख) इस समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार थे :—

1. रुग्ण लघु उद्योग एककों की परिभाषा देना ;

2. लघु उद्योग इकाइयों में प्रारंभिक रुग्णता का पता लगाना ;

3. रुग्णता का पता लगाने के लिए उपयुक्त कार्य-प्रणाली बनाना, सम्भवतः जीव्य एककों के मामले में पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करना और इनके कार्यान्वयन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई और मानीटरिंग करना ; और

4. सम्भवतः जीव्य समझे गए रुग्ण लघु एककों के लिए तैयार किए गए पुनर्स्थापना पैकेजों के अधीन वाणिज्यिक बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों, राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली राहतों/रियायतों के प्रावधान के लिए मानदण्डों का निरूपण करना।

(ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को अक्तूबर, 1986 में प्रस्तुत कर दी थी।

डाकघरों की संख्या और जनसंख्या
के बीच अनुपात

*10. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघरों की संख्या और जनसंख्या के बीच निकाला गया आदर्श अनुपात क्या हैं;

(ख) क्या इसमें हाल ही में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) डाकघरों की संख्या और जनसंख्या के बीच ऐसा कोई "आइडियल रेशो" निर्धारित नहीं है। फिर भी, दूसरे राष्ट्र संघ विकास दशक में जो लक्ष्य रखा गया है वह औसतन 3000 से 5000 की जनसंख्या को एक डाकघर द्वारा सेवा प्रदान करने का था। इसकी तुलना में, भारत में एक डाकघर द्वारा औसतन 4745 की जनसंख्या को सेवा प्रदान की जाती है। वस्तुत:, डाकघर विभिन्न मानदंडों के आधार पर मंजूर किए जाते हैं जिसमें केवल जनसंख्या का पहलु ही नहीं अपितु, निकटस्थ मौजूदा डाकघर से दूरी, भू-भाग, क्षेत्र में डाक परियात का मूल्यांकन और खर्च की जाने वाली संभावित राशि के अलावा संभावित अर्जित राजस्व भी शामिल है।

(ख) हाल ही में जो परिवर्तन हुआ है वह जनसंख्या के मानदंड से संबद्ध है, जिसको ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। पिछले मानदंडों के अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, डाकघर के लिए किसी ग्राम की न्यूनतम जनसंख्या 2000 होनी चाहिए। पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में किसी ग्राम की जनसंख्या अपने पुरवाओं के साथ 1000 या उससे अधिक होनी चाहिए।

संशोधित मानदंडों में, उन ग्रामों के एक ग्रुप के लिए डाकघर की योजना बनाई जाएगी जिनकी संयुक्त जनसंख्या सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 और पहाड़ी, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में 2500 होगी। डाकघर का स्थान निर्धारित करने के लिए ग्रामों के ग्रुप में से एक उपयुक्त ग्राम का चयन किया जाएगा।

(ग) इस परिवर्तन का मुख्य कारण यह है कि, कुल मिलाकर, बड़े ग्रामों में डाकघर पहले ही खोले जा चुके हैं। डाक सेवाओं का आगे विस्तार करना छोटे ग्रामों के ग्रुप पर आधारित है। इसके अलावा, ग्रुप की परिकल्पना में अत्यन्त उपयुक्त ग्राम में ही डाकघर खोलने जैसी बात भी शामिल है।

दूरसंचार उद्योगों सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन

* 12. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में दूरसंचार उद्योगों सम्बन्धी एक द्विदिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कौन से अनुवर्ती उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी हां। दूरसंचार मिशन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन 3 और 4 फरवरी, 1987 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में प्रमुख रूप से मंत्री, राजनैतिक नेता, उपभोक्ता आन्दोलन के प्रतिनिधि, विशिष्ट नागरिक, तकनीकी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नियोजनक, प्रशासक, दूरसंचार प्रबन्धक, प्रबन्ध विशेषज्ञ, पत्रकार, श्रमिक नेता और उद्योग एवं व्यापार, सरकारी और बड़े सार्वजनिक उपक्रम प्रयोक्ता वाले विभाग, संचार माध्यम और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे।

(ख) इस सम्मेलन का आयोजन दूरसंचार विभाग द्वारा किया गया था जिसका उद्देश्य समुदाय के सभी वर्गों को बेहतर संचार के लिए अपने मिशन में सहयोग की भावना जागृत करना था। इस सम्मेलन में दिए गए सभी सुझावों को नोट कर लिया गया है और उन पर आवश्यक विचार किया जा रहा है।

(ग) दूरसंचार के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपायों में से एक टेलीमैटिक्स के विकास के लिए एक केन्द्र की स्थापना (सी०डी०ओ०टी०) है जिसे दूरसंचार की आवश्यकताओं के लिए डिजिटल प्रणालियों के समेकित विकास का कार्य सौंपा गया है। सी०डी०ओ०टी० के डिजाइन की ई—एस०एस० का विनिर्माण आई०टी०आई० के अधीन करने पर विचार किया जा रहा है। टेलीफोन सेट, पी०ए०बी०एक्स० आदि जैसे कुछ दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण करने के लिए निजी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है ताकि देश इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर हो सके। सम्मेलन में भाग लेने वालों द्वारा दिए गए अन्य सुझावों पर सरकार विचार कर रही है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में "इंडियन एक्सप्रेस" द्वारा सरकारी रिकार्डों से उद्धरणों का प्रकाशन

* 13. डा० ए० के० पटेल }
श्री एच० एन० नन्जे गौडा } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) क्या सरकार ने रिलायेंस इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में प्रकाशित लेखों में सरकारी रिकार्डों से कुछ अंश उद्धृत किए जाने के बारे में जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच-परिणाम क्या हैं तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) जांच कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है, जो कि प्रगति पर है ।

[हिन्दी]

स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्धि

*14. श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वरोजगार योजना की उपलब्धियां क्या हैं -

(ख) उक्त योजना के कार्यान्वियन में राजस्थान सरकार की कार्य-निष्पत्ति क्या रही है ;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों के गलत चयन के कारण असन्तोष है ;

(घ) क्या इस योजना के अन्तर्गत चुने गए बेरोजगार युवक अपने व्यवसाय में सफल नहीं हुए हैं क्योंकि उन्हें समय पर ऋण और बिजली के कनैक्शन नहीं मिलते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए कौन से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) देश में स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियां नीचे दी जाती हैं :—

वर्ष	लक्ष्य	बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये मामलों की संख्या
1983-84	2.5 लाख	2.42 लाख
1984-85	2.5 लाख	2.29 लाख
1985-86	2.5 लाख	2.21 लाख

(ख) इस योजना को कार्यान्वित करने में राजस्थान राज्य का कार्य निम्न प्रकार है :—

वर्ष	लक्ष्य	बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गये मामलों की संख्या	उपलब्धियों की प्रतिशत
1983-84	10,000	15,054	150.50
1984-85	15,000	15,382	102.55
1985-86	10,300	10,986	106.66

(ग) से (ङ) इस योजना को जिला उद्योग केन्द्रों के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है जो राज्य-सरकारों के नियंत्रणाधीन हैं। डी०आई०सी० कार्य बल बैंकों को सिफारिश करने के लिए आवेदन-पत्रों की छानबीन करती हैं, जिनकी जिम्मेदारी ऋण मंजूर करने की है। योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर उचित कार्यवाई करने के लिए राज्य-सरकारें जिम्मेदार हैं।

ऐसा समझा गया है कि राजस्थान सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सरकार ने पहले ही इन शिकायतों के सम्बन्ध में उचित कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है।

इस योजना के अन्तर्गत एककों को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए आवश्यक अवस्थापन तथा अन्य सुविधायें प्रदान करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस बात की ओर ध्यान न देते हुए कि किस योजना के अन्तर्गत उन्हें स्थापित किया गया था, बिजली की कमी का असर सभी एककों पर पड़ता है।

1983-84 के दौरान स्वीकृत किए गए ऋणों के बारे में इस योजना के 1985 में किए गए एक मूल्यांकन-अध्ययन से पता चलता है कि योजना के अन्तर्गत देश में लाभग्राहियों द्वारा स्थापित किए गए 76 प्रतिशत एकक सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। मूल्यांकन दल द्वारा देखी गई कुछ कमियों को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 1986-87 के लिए इस योजना में कुछ संशोधन किए गए हैं। संशोधित योजना में आवेदक द्वारा एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की परिकल्पना है जिसमें यह बताना होगा कि प्रति परिवार उसकी कुल वार्षिक आय 10,000/- रुपए से अधिक नहीं है।

[अनुवाद]

विशेष डाक टिकटें जारी किया जाना

*15. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष के दौरान महान विभूतियों के सम्मान में विशेष टिकटें जारी किये जाने की सूची को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन विभूतियों के नाम क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वर्ष 1986 के दौरान डाक टिकट जारी करने का कार्यक्रम विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वनस्पति के मूल्य में वृद्धि

* 16. श्री अमर सिंह राठवा
श्री बिलास मुत्तेमवार } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1986 और 1 जनवरी, 1987 को वनस्पति का क्षेत्रवार मूल्य क्या-क्या था ;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में वनस्पति के मूल्य में प्रति किलो कितनी वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वनस्पति के मूल्य में बार-बार हो रही वृद्धि को रोकने के लिए वनस्पति की बिक्री पर नियंत्रण लागू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो वनस्पति के मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अन्य कौन से उपाय करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच०के० एल० भगत) : (क) और (ख) विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख शहरों में वनस्पति के मूल्य इस प्रकार थे : प्रति 15 कि० ग्रा० टीन का उपभोक्ता मूल्य—

(रुपयों में)

	उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली)	दक्षिणी क्षेत्र (मद्रास)	पूर्वी क्षेत्र (कलकत्ता)	पश्चिमी क्षेत्र (बम्बई)
जनवरी, 86	262-265	298-305	284	286
जनवरी, 87	338-345	348-365	348-365	360-365
वृद्धि	76-80	50-60	66-84	74-79
वृद्धि/कि०ग्रा०	5.06-5.33	3.33-4.00	4.40-5.60	4.93-5 26

यह वृद्धि वनस्पति उद्योग को आयातित तेल के आवंटन में की गई कटौती तथा अनुमत देशीय तेलों के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण हुई कही जा सकती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) आयातित खाद्य तेलों के कारगर आपूर्ति-प्रतिबन्ध से इसके मूल्यों में गिरावट आई है। इसे जारी रखा जाएगा। वनस्पति एककों की जांच के कार्य में तेजी लाई गई है।

[हिन्दी]

बिहार में खाना पकाने की गैस के सिलेंडर बनाने का कारखाना

*17. **प्रो० चन्द्र भानु देवी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अगले एक या दो वर्षों के दौरान बिहार में खाना पकाने की गैस के सिलेंडर बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसे कारखाने स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) एल०पी०जी० (खाना पकाने की गैस) सिलेण्डरों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है। बिहार राज्य में एल०पी०जी० सिलेण्डर बनाने के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास 14 एकक पंजीकृत हैं। आगामी एक या दो वर्षों के दौरान एल०पी०जी० सिलेंडर बनाने के लिए बिहार में एकक स्थापित करने के बारे में केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

*18. **श्री आरिफ मोहम्मद खां**
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में "स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (गोल्डन हैंडशेक)" योजना लागू करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने वाले सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986 के दौरान सेवानिवृत हुए कर्मचारियों की उद्योग-बार संख्या कितनी है और 1987 के दौरान कितने कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) सरकार क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में अपने कर्मचारियों के मुक्तिकरण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए विविध अनुभवों से समय-समय पर स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के प्रयोजनार्थ योजनायें चालू की हैं। ऐसी योजनाओं के अधीन 1986 दौरान सेवा-निवृत्ति के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और 1987 के ऐसे आंकड़ों का अनुमान लगाना भी सम्भव नहीं है। फालतू कर्मचारियों की छटनी पर सांविधिक देय राशि के अतिरिक्त अनुग्रह राशियों के भुगतान के प्रस्तावों पर उद्यम प्रतिउद्यम के आधार पर कार्रवाई की जायेगी।

दूरसंचार व्यवस्था के प्रसार और उसमें सुधार के लिए कार्यवाही योजना

* 19. **श्री श्रीहरि राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार व्यवस्था के प्रसार और उसके कार्यकरण में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही योजना तैयार की है ;

(ख) इस कार्यवाही योजना पर कितनी लागत आएगी और उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस योजना के लिए धन की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी ?

संचार मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वर्ष 1987-88 के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है और यह अन्तिम चरण में है।

(ख) इनका आंकलन किया जा रहा है।

(ग) आन्तरिक संसाधनों, बजट सहायता और बांडों के जरिए स्वदेशी मार्किटों के माध्यम से निधि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में ताप विद्युत केन्द्र

* 20. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने रायलसीमा क्षेत्र में एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना और इस प्रस्ताव को सातवीं योजना में शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने राज्य के रायलसीमा क्षेत्र में एक ताप विद्युत केन्द्र

स्थापित करने के लिये एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रस्ताव सब तरह से परिपूर्ण नहीं था तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को अभी पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति भेजनी है। परियोजना के लिए कोयला लिंक भी अभी सुनिश्चित नहीं किये गये हैं।

[अनुवाद]

बिहार शरीफ में खाना पकाने की गैस की सप्लाई में विलम्ब

1. **श्री विजयकुमार यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार शरीफ, जिला नालन्दा, बिहार में खाना पकाने की गैस की बहुत मांग है ;

(ख) क्या यह सच है कि सैंकड़ों उपभोक्ताओं को पिछले एक महीने से अधिक समय से गैस सिलेंडर नहीं मिल सके हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस समस्या को हल करने और उपभोक्ताओं को गैस की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या ठोस उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) बिहार शरीफ में एल०पी०जी० रिफिलों की सप्लाई में बैकलाग बरौनी रिफाइनरी में सितम्बर 1986 में औद्योगिक सम्बन्ध की समस्याओं और जनवरी, 1987 में बिहार के वाहकों (ट्रांसपोर्टर्स) द्वारा हड़ताल करने के कारण आया है।

(ग) तेल विपणन कम्पनियों द्वारा बिहार शरीफ सहित बिहार में हल्दिया और कल्याणी स्थित बाटलिंग संयंत्रों से सप्लाई देकर सप्लाई को बढ़ाकर बेकलाग को समाप्त करने का प्रयास किए जा रहे हैं। दीर्घावधिक समाधान के रूप में एल०पी०जी० चरण-111 परियोजना के अधीन इस क्षेत्र में एक अतिरिक्त एल०पी०जी० बाटलिंग क्षमता की स्थापना की जा रही है।

पेंसिलीन का उत्पादन और मांग

2. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कार्य कर रहे पेंसिलिन यूनिटों का ब्यौरा क्या है और उन यूनिटों में प्रतिवर्ष पेंसिलीन का कितना उत्पादन होता है ;

(ख) देश में पेंसिलीन की वार्षिक मांग कितनी है ;

(ग) क्या पेंसिलीन की मांग को पूरा करने के लिए निकट भविष्य में देश में पैंसिलीन का निर्माण करने हेतु एक संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है तथा इस संयंत्र के कहां पर और कब तक लगाए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

पैंसलिन का उत्पादन (एम०एम०यू०)

	कंपनी का नाम		वर्ष 1985-86
1.	आई०डी०पी०एल०	—	32.40
2.	एच०ए०एल०	—	73.81
3.	अलेम्बा	—	91.47
4.	स्टैंडर्ड फार्मा	—	71.43
		योग	269·11

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये औषध एवं भेषज सम्बन्धी कार्य दल में वर्ष 1986-87 में 1520 एम०एम०यू० और वर्ष 1989-90 में 2470 एम०एम०यू० पैंसिलीन की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

(ग) और (घ) हाल ही में घोषित नीति के अनुसार, उत्पादन में वृद्धि करने के लिये ध्येय से पैंसिलिन को सार्वजनिक क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप देश में पैंसिलिन परियोजनायें स्थापित करने हेतु आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

कम ईंधन खपत प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए कार निर्माताओं के लिए प्रक्रिया

3. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राजकोषीय रियायतें प्राप्त करने हेतु कार निर्माताओं द्वारा कम ईंधन खपत प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

ईंधन क्षमता प्रमाणीकरणप्रक्रिया भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा 24 दिसम्बर 1986 को जारी की गई अधिसूचनाओं में इनके अन्तर्गत की गई वित्तीय रियायतें प्राप्त करने के लिए ईंधन-क्षम मोटर कारों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों का उल्लेख किया गया है। इन अधिसूचनाओं के अधीन ईंधन क्षमता विषयक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है :—

(1) निर्माता औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र में वाहन का माडल और पूरी तकनीकी विशिष्टियों को बताते हुए दो प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) निर्माता इसके साथ ही आवेदन और प्रपत्र की एक प्रति निदेशक वाहन अनुसंधान और विकास संस्थान (वा० अ० वि० सं०) अहमदनगर-414002 को भेजेगा ।

(3) उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग वाहन अनुसंधान और विकास संस्थान को कम ईंधन क्षमता संबंधित परीक्षा पूरा करने के लिए परामर्श देगा ।

(4) ऐसा अनुरोध मिलने पर, वाहन अनुसंधान और विकास संस्थान निर्माता को नोटिस देने के बाद निर्माता के उत्पादन में से यत्र तत्र 5 वाहनों का चयन करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करेगा ।

(5) इस प्रकार का यत्रतत्र चयन निर्माता के संयंत्र में चालू उत्पादन में से कम से कम 20 वाहनों में से किया जाएगा । वाहन अनुसंधान और विकास संस्थान, अहमदनगर द्वारा चुने हुए वाहनों का इंजन नम्बर, चैसिस नम्बर और रंग नोट किया जाएगा ।

(6) वाहन अनुसंधान और विकास संस्थान, अहमदनगर के परिसर में चयन के 2 सप्ताह के भीतर 5 चुने हुए पूर्ण वाहनों को भेजना निर्माता की जिम्मेदारी होगी ।

(7) निर्माता यदि वह चाहे तो वाहन अनुसंधान और विकास संस्थान में ईंधन क्षमता से सम्बन्धित परीक्षण को देखने के लिए अपना एक प्रतिनिधि भेज सकता है। तथापि यह आवश्यक होगा कि निर्माता वाहन अनुसंधान और विकास संस्थान में परीक्षण के समय वाहनों की मरम्मत के लिए एक कुशल मकेनिक भेजे ।

(8) वाहन अनुसंधान और विकास संस्थान इसके लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार 5 वाहनों का ईंधन दक्षता सम्बन्धित परीक्षण करेगा । इसकी एक प्रति वा० अ० वि० संस्थान, अहमदनगर से अनुरोध करके प्राप्त की जा सकती है ।

(9) वाहन और अनुसंधान विकास संस्थान की ईंधन क्षमता से सम्बन्धित परीक्षण रिपोर्टों पर उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास विभाग ईंधन क्षमता सम्बन्धी समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करेगी और प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में अपनी सिफारिशें देगी।

(10) समिति की सिफारिशों के आधार पर ईंधन क्षमता प्रमाण-पत्र उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास विभाग के, जिसका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा एक ऐसे अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

(11) ईंधन क्षमता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र तभी जारी किया जाएगा, यदि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा उक्त अधिसूचनाओं के अधीन निर्धारित ईंधन क्षमता सम्बन्धी मानदण्डों को पाँचों परीक्षित वाहनों ने प्राप्त कर लिया हो। यदि एक भी परीक्षित वाहन ईंधन क्षमता सम्बन्धी निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पूर्ण न पाया गया हो तो, समिति ईंधन क्षमता सम्बन्धित प्रमाण-पत्र जारी करने की सिफारिश नहीं करेगी।

(12) ईंधन क्षमता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 6 महीने तक वैध होगा।

(13) ईंधन क्षमता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के नवीकरण हेतु निर्माता को वर्तमान प्रमाण-पत्र की समाप्ति की तारीख से कम से कम 2 मास पहले अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(14) वाहन अनुसंधान और विकास संस्थान द्वारा ईंधन क्षमता परीक्षण किए जाने से पहले निर्माता मांग ड्राफ्ट द्वारा 10,000 रुपये प्रति वाहन परीक्षण प्रभार वाहन अनुसंधान और विकास संस्थान को अदा करेगा।

(15) वाहन अनुसंधान और विकास संस्थान द्वारा ईंधन क्षमता परीक्षण पूरा कर लिए जाने के बाद निर्माता द्वारा संस्थान के अहमदनगर परिसर से परीक्षित वाहन मंगा लिए जायेंगे।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानें

4. **श्री के० रामभूर्ति** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1985 की स्थिति अनुसार कुल 3.15 लाख उचित मूल्य की दुकानों में से, राज्यवार, ग्रामीण और शहरों की उचित मूल्य की दुकानों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत देश के जिन क्षेत्रों को अभी तक शामिल नहीं किया गया है, उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) देश के सुदूर क्षेत्रों में चलाई जा रही चलती-फिरती उचित मूल्य की दुकानों का ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 1-1- 1985 को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही उचित दर की दुकानों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार सम्पूर्ण देश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ला दिया गया है ।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में 153 चलती-फिरती उचित दर की दुकानें कार्य कर रही हैं ।

विवरण

1-1-85 को देश में राज्यवार उचित दर दुकानों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उचित दर दुकानों की संख्या: शहरी सहकारी समितियां	शहरी अन्य	ग्रामीण सहकारी समितियां	ग्रामीण अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	933	5780	2024	23711	32448
2.	असम	145	1919	1363	17852	21279
3.	बिहार	552	6718	2686	29072	39028
4.	गुजरात	653	2204	3157	4428	10442
5.	हरियाणा	124	1395	1539	2898	5956
6.	हिमाचल प्रदेश	101	93	2140	470	2804
7.	जम्मू तथा कश्मीर	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	2264
8.	कर्नाटक	2290	2778	5059	5692	15819
9.	केरल (1/10/84)	——1505——		——10861——		12366

1	2	3	4	5	6	7
10.	मध्य प्रदेश	2024	2716	10404	3612	18756
11.	महाराष्ट्र शहरी+ग्रामीण	1960		5949	24200	32109
12.	मणिपुर	11	143	19	1214	1387
13.	मेघालय	20	378	54	1823	2275
14.	नागालैंड	9	104	शून्य	48	161
15.	उड़ीसा	530	2455	4349	12269	19603
16.	पंजाब	197	1776	2591	5992	10556
17.	राजस्थान	874	2398	5124	4447	13091@
18.	सिक्किम (1/4/84)	27	550	43	445	1065
19.	तमिलनाडु	2362	656	12990	4488	20496
20.	त्रिपुरा	30	65	294	572	961
21.	उत्तर प्रदेश	2188	6962	9442	8945	27537
22.	पश्चिम बंगाल	578	4705	560	13275	19118
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	11	36	60	109	216
24.	अरुणाचल प्रदेश	48	279	327		654
25.	चण्डीगढ़	28	197	28		253
26.	दादरा तथा नगर हवेली	—	—	34	15	49
27.	दिल्ली	111	2639	38	300	3088
28.	गोवा दमन और दीव	59	46	152	204	461
29.	लक्षद्वीप	11	—	14	—	25
30.	मिजोरम	2	151	30	571	754
31	पांडिचेरी	95	46	103	25	269
						3,15,290

@ इसमें 84-85 में खोली गई 248 दुकानें शामिल हैं जिनकी राज्यवार संख्या उपलब्ध नहीं है।

दूरसंचार व्यवस्था में परिवर्तन

5. **चौधरी रामप्रकाश** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, दूरसंचार व्यवस्था में भारी परिवर्तन करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों के सम्बन्ध में क्या योजनायें हैं , और

(ग) नयी व्यवस्था पर कितनी लागत आयेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) कार्य क्षमता में सुधार लाने की दृष्टि से विभिन्न संगठनों के ढांचे की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है। यह दूरसंचार संगठनों पर भी लागू होती है।

(ख) और (ग) अभी निश्चित प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

उत्तर बंगाल में सरकारी क्षेत्र की इकाइयां स्थापित करना

6. **श्री आनन्द पाठक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर बंगाल के पांच पिछड़े जिलों में सरकारी क्षेत्र की कम से कम दो इकाइयां स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा उसे सभापटल पर रख दिया जायेगा।

उचित मूल्य की दुकानें

7. **डा० सुधीर राय** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी तक उचित मूल्य की कितनी दुकानें खोली गई हैं ; और

(ख) उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) 30-9-86 को देश में उचित दर की दुकानों की कुल संख्या लगभग 3.30 लाख थी उचित दर की दुकानों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	30-9-86 को उचित दर की दुकानों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	34030
2.	असम	22968
3.	बिहार	39028
4.	गुजरात	10843
5.	हरियाणा	6355
6.	हिमाचल प्रदेश	2873
7.	जम्मू व कश्मीर	2325
8.	कर्नाटक	16023
9.	केरल	12717
10.	मध्य प्रदेश	18875
11.	महाराष्ट्र	33190
12.	मणिपुर	1485
13.	मेघालय	2480
14.	नागालैण्ड	185
15.	उड़ीसा	19066
16.	पंजाब	10801
17.	राजस्थान	13445
18.	सिक्किम	1119
19.	तमिलनाडु	20723
20.	त्रिपुरा	1042
21.	उत्तर प्रदेश	35080

1	2	3
22.	पश्चिम बंगाल	19852
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	228
24.	अरुणाचल प्रदेश	384
25.	चंडीगढ़	286
26.	दादरा व नगर हवेली	53
27.	दिल्ली	3118
28.	गोआ, दमण व द्वीव	502
29.	लक्षद्वीप	25
30.	मिजोरम	718
31.	पाण्डिचेरी	293
		3,30,712

विधान सभाओं के चुनाव कराया जाना

8. श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री चिरंजी लाल शर्मा
श्री परस राम भरद्वाज } : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनमें चालू वर्ष में विधान सभाओं के चुनाव कराए जाने हैं और प्रत्येक राज्य में ये कब -कब कराए जाने हैं ;

(ख) क्या इनमें से कुछ राज्य सरकारों ने चुनाव कराने के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग को कुछ तारीखों के सुझाव दिए थे ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और निर्वाचन आयोग द्वारा इन प्रस्तावित तारीखों के अनुसार चुनाव न कराने के क्या कारण बताये हैं ;

(घ) क्या उन विधान सभाओं के चुनावों के तारीखों की घोषणा कर दी गई है जिनमें इस वर्ष मई से पहले चुनाव कराए जाने की सम्भावना है , और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर भारद्वाज) : (क) पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, केरल और नागालैंड ऐसे राज्य हैं जिनमें इस वर्ष विधान सभाओं के निर्वाचन

होने हैं । पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, केरल और नागालैंड राज्यों के मामलों में साधारण निर्वाचन वहां विद्यमान विधान सभाओं के कार्यकाल की समाप्ति पर नई विधान सभाएं गठित करने के प्रयोजन के लिए आयोजित किए जाने हैं, जब कि जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में, वहां की विधान सभा नवम्बर, 1986 में विघटित कर दी गई थी और अपेक्षित वित्तीय-कार्य पूरा किए जाने के लिए वहां निर्वाचन, मार्च, 1987 से पूर्व आयोजित हो जाने चाहिए । जिन तारीखों को इन राज्यों की विधान सभाओं का कार्यकाल समाप्त होना है, इस प्रकार है—

1.	पश्चिमी बंगाल	13-6-1987
2.	हरियाणा	23-6-1987
3.	केरल	23-6-1987
4.	नागालैंड	28-11-1987

(ख) से (घ) पश्चिमी बंगाल राज्य की सरकार ने निर्वाचन आयोग से राज्य विधान सभा के निर्वाचन 22 फरवरी, 1987 को कराए जाने का निवेदन किया था । केरल सरकार से भी यह निवेदन प्राप्त हुआ था कि राज्य विधान सभा के निर्वाचन मार्च, 1987 में कराए जाने चाहिए । चूंकि निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 45 दिन लगते हैं, जिसमें अग्रिम-सूचना की अवधि और वह अवधि भी शामिल है जो मतदान की तारीख के पश्चात् अप्रत्याशित आकस्मिकताओं की व्यवस्था के लिए आवश्यक होती है । अत: पश्चिमी बंगाल के मामले में साधारण निर्वाचन की प्रक्रिया अप्रैल, 1987 के अन्तिम सप्ताह में, हरियाणा और केरल के मामले में मई, 1987 के प्रथम सप्ताह में और नागालैंड के मामले में अक्टूबर, 1987 के प्रारम्भ में आरम्भ कर दी जानी चाहिए, निर्वाचन आयोग पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार द्वारा सुझाई गई तारीख को साधारण निर्वाचन कराने के पक्ष में नहीं था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के बारे में समय-समय पर प्राप्त शिकायतों को देखते हुए अपीलों के प्राप्त होने और उनका निपटारा करने के लिए और मतदाता सूचियों में अभ्यावेशन के लिए नए आवेदन प्राप्त करने के लिए कुछ समय अनुज्ञात किया जाना चाहिए । निर्वाचन आयोग, एक ही समय के आस-पास कराए जाने योग्य साधारण निर्वाचनों को, यथा सम्भव एक सामान्य कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किए जाने की परम्परा का अनुसरण करने के लिए उत्सुक था । इन विचारणाओं की दृष्टि में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर, पश्चिमी बंगाल और केरल की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचनों के कार्यक्रम की घोषणा इस प्रकार से की है कि मतदान 23 मार्च, 1987 को हो सके । इस प्रक्रिया से पश्चिमी बंगाल सरकार का निवेदन काफी कुछ पूरा हो गया है और केरल सरकार का निवेदन तो पूरी तरह से स्वीकार ही हो गया ।

(ङ) पश्चिमी बंगाल, केरल और जम्मू-कश्मीर की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचनों का कार्यक्रम, जिसकी घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है, इस प्रकार है :—

(1) अधिसूचना जारी करने की तारीख 16-2-1987

(2)	निर्वाचन के लिए नामांकन फाइल करने की तारीख	23-2-1987
(3)	नामांकनों की संमीक्षा की तारीख	24-2-1987
(4)	जम्मू-कश्मीर और केरल के मामले में उम्मीदवारी वापस लेने की तारीख	27-2-1987
	और पश्चिमी बंगाल के मामले में	26-2-1987
(5)	मतदान की तारीख	23-3-1987

सिन्धु दुर्ग और रत्नागिरि जिलों में टेलीफोन व्यवस्था में सुधार

9. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के कारण महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र के सिन्धु दुर्ग और रत्नागिरी जिलों में टेलीफोन संचार के बारे में बराबर शिकायतें आ रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन त्रुटियों को समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत दूर करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी नहीं। कोंकण क्षेत्र के सिंधु दुर्ग तथा रत्नागिरी जिलों से आवर्ती शिकायतें नहीं प्राप्त हुई हैं। जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं उनमें सुधार की दृष्टि से तत्परता से कार्रवाई की जाती है।

विदेशी सहयोग की स्वीकृति का विकेन्द्रीयकरण

10. **श्री परस राम भारद्वाज** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशी सहयोग की स्वीकृति को और विकेन्द्रीत किया है और सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों को स्वीकृतियां जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नये विनियमन के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 16 जनवरी, 1987 को एक प्रेस नोट जारी करके विदेशी सहयोग प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिये प्रशासनिक मंत्रालयों की प्रत्योजित शक्तियों को बढ़ा दिया है। नई नीति की मुख्य विशेषता यह है कि प्रशासनिक मंत्रालय अब उन विदेशी सहयोग के

प्रस्तावों के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकेंगे जिनमें जानकारी और रायल्टी के रूप में एक करोड़ रुपए तक कुल विदेशी मुद्रा निहित है। इस प्रेस नोट की प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेज दी गई हैं।

आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट के कारखाने

11. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में विद्यमान सीमेन्ट कारखानों की स्थिति और उनकी लाइसेंस क्षमता का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन सीमेंट संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिनको आन्ध्र प्रदेश के तकनीकी विकास महा-निदेशालय द्वारा औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र दिए गये हैं और जिनका पंजीकरण किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में उत्पादन रत सीमेंट एककों के ब्यौरे

लाइसेंसीकृत/पंजीकृत

क्रम सं०	कंपनी का नाम	स्थापना स्थल	क्षमता (प्रति वर्ष लाख मी०टन)
1	2	3	4
बड़े			
1.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया (सरकारी क्षेत्र-उपक्रम)	येरगुंटला कुड्डापेह	4.00
2.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया	आदिलाबाद	4.00
3.	प्रियदर्शिनी सीमेंट्स	कोडाड, नलगोंडा	4.00
4.	आन्ध्र सीमेंट्स लिमिटेड	विजयवाड़ा	2.40
5.	—वही—	विशाखापट्टनम्	2.50
6.	—वही—	नादीकुडी, आदिलाबाद	2.60

1	2	3	4
7.	रामकृष्ण सीमेंट (के०सी०पी)	मछेरला, गुंटूर	2.54
8.	ओरिएंट पेपर मिल्स (प्रावस्था)-1)	आसिफाबाद, आदिलाबाद	4.50
9.	श्री विष्णु सीमेंट्स (प्रावस्था-2)	कोडाड, नलगोंडा	6.00
10.	रासी सीमेंट्स	वेदापल्ली, नलगोंडा	3.00
11.	एसोसिएटिड सीमेंट कं० लि०	किसना, गुंटूर	2.14
12.	—वही—	मबेरियल, आदिलाबाद	3.55
13.	पण्यम सीमेंट्स एन्ड मिनरल्स इंडस्ट्रीज	बंगनापल्ली	5.31
14.	केसोराम सीमेंट्स	पोडूपल्ली	9.00
15.	कोरोमण्डल फर्टीलाइजर्स	चिलमकुर, कलमाल्ला	10.00
16.	टैक्समैको	येरागुंतला	5.00
मिनी और पंजीकृत			
1.	दकन सीमेंट लिमिटेड	हुजूरनगर, नलगोंडा	0.99
2.	काकेतिया सीमेंट	कोडाड, नलगोंडा	0.66
3.	सोमेश्वर सीमेंट्स	आसिफाबाद, आदिलाबाद	0.66
4.	नागार्जुन सीमेंट लिमिटेड	हुजूरनगर, नलगोंडा	0.26
5.	श्री विजय कृष्ण सीमेंट	जग्गायापेट	0.20
6.	हिमादरी सीमेंट्स	बवरी, कृष्ण	0.66
7.	पार्थसारथी सीमेंट्स	करमपुडी, गुंटूर	0.66
8.	सागर सीमेंट लिमिटेड	हुजूरनगर, नलगोंडा	0.95
9.	अन्नपूर्णा सीमेंट लिमिटेड	आसिफाबाद	0.66
10.	अमरेश्वरी सीमेंट्स	पेडावीडू	0.33
11.	एम०वी० सीमेंट लि०	कनकाद्रीपल्ली	0.33
12.	सुवर्ण सीमेंट्स लिमिटेड	मेलाचेरुव, नलगोंडा	0.66

आन्ध्र प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन सीमेंट एककों के ब्यौरे

क्र० सं०	कंपनी का नाम	स्थापना स्थल	लाइसेंसीकृत/पंजीकृत क्षमता (प्रतिवर्ष लाख मी० टन)
1	2	3	4
1.	बड़े—		
	(क) औद्योगिक लाइसेंस		
1.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया	तंदूर के०वी०रंगारेड्डी	10.00
2.	आन्ध्र सीमेंट कम्पनी लिमिटेड	नादीकुडी विजाग (एस०ई०)	5.00
3.	श्री कृष्ण सीमेंट्स	यादिकी ताडपत्री	4.00
4.	ओरिएंट पेपर मिल्स	आसिफाबाद, आदिलाबाद (प्रावस्था-2)	4.50
5.	श्री विष्णु सीमेंट्स	कोडाड, नलगोंडा (प्रावस्था-2)	4.00
6.	मद्रास सीमेंट्स	जग्गायापेड, कृष्ण	7 50
7.	रासी सीमेंट्स	वेदापल्ली, नलगोंडा	8.00
	(ख) आशय पत्र		
1.	सीमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया	येरागुटला (एस०ई०) कुड्डापेह	11.20
2.	प्रियदर्शिनी सीमेंट्स	कोडाड, नलगोंडा (एस०ई०)	6.00
3.	आन्ध्र सीमेंट लिमिटेड	जयंतीपुरम, कृष्ण	3.00
4.	के०सी०पी० लिमिटेड	मछेरला गुंटूर (एस०ई०)	1.46
5.	वालचन्द इंडस्ट्रीज लिमिटेड	तंदूर, रंगारेड्डी	7.00
6.	जेनिथ स्टील पाईप्स लिमिटेड	यापालगुडम, आदिलाबाद	5.00
7.	एसोसिएटिड सीमेंट कं० लिमिटेड	मचेरियल, आदिलाबाद (एस०ई०)	4 65
2.	मिनी इकाइयां		
	(क) औद्योगिक लाइसेंस		
1.	योगेश्वर सीमेंट मिनरल्स	कुरनूल	0.66
2.	कोरोमंडल सीमेंट्स	नलगोंडा	0.66

1	2	3	4
	(ख) आशय पत्र		
1.	श्री ए० बाबा० वर्धनराव	कृष्ण	0.66
2.	चाणक्य सीमेंट्स लिमिटेड	कोडाड	0.66
3.	देवी सीमेंट लिमिटेड	,,	0.66
4.	पी०आर० सीमेंट लिमिटेड	,,	0.66
5.	पी०आर०के० राजू	,,	0.66
6.	मेसर्स शेंज सीमेंट्स लिमिटेड	,,	0.66
7.	भाग्य लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड	,,	0.66
8.	पी०वी० लक्ष्मीनारायण रेड्डी	हुजूर नगर	0.66
9.	गौतम सीमेंट लिमिटेड	गुंटूर	0.66
	(ग) तकनीकी विकास का महानिदेशालय		
1.	विशम्बर सीमेंट	नलगोंडा	0.33
2.	सीताराम सीमेंट्स लिमिटेड	महबूब नगर	0.33
3.	इस्सर सीमेंट्स	नलगोंडा	0.15
4.	जिन्देन्दर रेड्डा	कोडाड	0.33
5.	पी०आर० कोटेश्वर राव	नलगोंडा	0.33
6.	श्री कोटागिरी पांडु	,,	0.33
7.	पी० सुब्बू राजू	,,	0.33
8.	मे० राकलैंड मिनरल्स एण्ड केमिकल्स	,,	0.30
9.	सी०एन० रेड्डी	आदिलाबाद	0.27
10.	एम०ए० मुनीर	नलगोंडा	0.33
11.	श्री व० पुष्पमाल	,,	0.33
12.	वी० नरेन्द्र रेड्डी	,,	0.33
13.	पण्डारंगाया	,,	0.33

1	2	3	4
14.	श्री मेदारामैया	कुरनूल	0.33
15.	वी० गोपालकृष्ण रेड्डी	महबूब नगर	0.33
16.	शेख अबदुल्ला	,,	0.33
17.	माइकेल वत्स	आनन्दपुर	0.33
18.	विजय कुमार	महबूब नगर	0.33
19.	के० राजेश्वर राव	रंगारेड्डी	0.33
20.	पी० हनुमंत राव	आदिलाबाद	0.33
21.	एस० वी० मद्राप्पा	आनन्दपुर	0.33
22.	पदमावती सीमेंट	कृष्ण	0.33
23.	नैलारी सुरेश	आनन्दपुर	0.33
24.	एस० गौसुन्दर राजन	कुरनूल	0.33
25.	एम० नागेश्वर राव	नलगोंडा	0.33
26.	रामभद्र राजू	,,	0.33
27.	ए० वेंकटेश्वर राव	,,	0.33
28.	आर० रंगाया	,,	0.33
29.	अप्रावपल्ली एस० राव	,,	0.33
30.	डी० श्रीनाथ रेड्डी	,,	0.33
31.	डी० सत्यवती	आनन्दपुर	0.33

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में गोदामों का निर्माण

12. श्री कमलाप्रसाद रावत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के भंडारण की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उत्तरप्रदेश में और गोदामों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ;

(ग) वहां कितने गोदामों का निर्माण किया जायेगा ;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भी एक गोदाम का निर्माण करने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर प्रदेश में स्थित 15 केन्द्रों में 65,930 मीटरी टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का कार्य शुरू किया है ।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) बाराबंकी जिले में वर्तमान भण्डारण क्षमता को पर्याप्त समझा जाता है ।

[अनुवाद]

देश में टेलीफोन एक्सचेंज

13. **श्री सैयद मसूदल हुसैन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं ; तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) देश में अब तक कितने स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं ; तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) देश में 31-3-1986 तक की स्थिति के अनुसार मैनुअल एवं स्वचल टेलीफोन एक्सचेंजों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	मैनुअल एक्सचेंजों की संख्या	स्वचल एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	159	1702
2.	बिहार	71	313
3.	गुजरात	166	662
4.	जम्मू और कश्मीर	20	70
5.	कर्नाटक	142	1000
6.	केरल	19	574
7.	मध्यप्रदेश	115	622
8.	महाराष्ट्र	248	990
9.	उत्तर पूर्व (सात राज्यों सहित)	32	268
10.	उत्तर पश्चिम (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ सहित)	160	646
11.	उड़ीसा	44	262
12.	राजस्थान	136	480
13.	तमिलनाडु	63	1086
14.	उत्तर प्रदेश	136	792
15.	प० बंगाल	58	390
16.	दिल्ली	—	52
		1569	9909

कम बिजली पैदा करने वाले राज्य विद्युत बोर्डों का अधिग्रहण

14. **श्री बल्लभ पाणिग्रही :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षमता से 50 प्रतिशत से भी कम बिजली उत्पादन करने वाले और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के निर्देशों का अनुपालन न करने वाले विद्युत बोर्डों का अधिग्रहण करने हेतु विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 में संशोधन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

उर्वरक मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

षडभुज प्रणाली (हैक्सागोन) के अन्तर्गत सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

15. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री षडभुज प्रणाली (हैक्सागोन) के अन्तर्गत सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के बारे में 18 नवम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2207 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष अर्थात 1985-86, 1986-87 और 1987-88 में प्रत्येक सर्किल के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य में षडभुज प्रणाली के अन्तर्गत लगे लंबी दूरी वाले टेलीफोनों की वास्तविक संख्या कितनी है और प्रत्येक मामले में कितनी कमी है ;

(ग) क्या सातवीं योजना के अन्त तक सभी 7125 स्थापित षडभुज प्रणालियों में सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयास किये जायेंगे और वे किस प्रकार के होंगें ; और

(घ) यदि हां, तो योजना के शेष दो वर्षों में इस प्रयोजन के लिये कितने वित्तीय आवंटन की आवश्यकता होगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उपर्युक्त (ग) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

1985-86, 1986-87, 1987-88 के लिए लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों (एल० डी० पी० टी०) का लक्ष्य तथा अभिनिर्धारित किए गए घटकोणीय क्षेत्र तथा जिनमें टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है :

क्रम सं०	सर्किल का नाम	एल० डी० पी० टी० के लिए लक्ष्य			अभिनिर्धारित घटकोण	31-12-1986 की स्थिति के अनुसार घटकोण जहां टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई।
		1985-86	1986-87	1987-88		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	150	40	1987-88 के	4991	4867
2.	बिहार	250	100	लिए लक्ष्य वित्तीय	4740	1303
3.	गुजरात	100	100	स्रोत और भंडार	2387	1215
4.	जम्मू व कश्मीर	30	75	उपलब्ध होने पर	885	269
5.	करनाटक	200	75	पूर्व के प्रारंभ में	3648	2290
6.	केरल	10	—	निर्धारित किए	546	546
7.	मध्य प्रदेश	200	100	जायेंगे।	6103	3158
8.	महाराष्ट्र	200	100		4842	2189
9.	उत्तर पूर्व (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणीपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा सहित)	50	50		3308	747

1	2	3	4	5	6	7
10.	उत्तर पश्चिम (पंजाब, हरियाणा, और हिमाचल सहित)	120	70		2023	6069
11.	उड़ीसा	100	100		2110	871
12.	राजस्थान	200	150		6193	1633
13.	तमिलनाडु	50	30		1672	1657
14.	उत्तर प्रदेश	200	70		4055	2241
15.	पूर्वी बंगाल (सिक्किम सहित)	120	60		2777	848
	कुल योग :	2,000	1,120	.	50280	2,4903

गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक केन्द्र

17. श्री जैनुल बशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक केन्द्र के निर्माण कार्य के पूरा होने में कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : गाजीपुर में, 1987-88 की अन्तिम तिमाही में भवन का कार्य पूरा हो जाने पर एक 400 लाइन इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज के खोले जाने की संभावना है। एक्सचेंज के लिए उपकरण प्राप्त हो चुके हैं।

बिजली परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता

18. श्री अरुण नेहरू : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में विभिन्न बिजली परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस क्षमता का कितना उपयोग किया गया है ;

(ख) यदि क्षमता का कम उपयोग किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण I, II, और III में दी गई है।

(ख) ताप विद्युत केन्द्रों के क्षमता समुपयोजन में कमी के कारणों में ये शामिल हैं ; प्रणाली में भार सम्बन्धी परिस्थितियां, उपस्कर में कमियाँ, कोयले की गुणवत्ता में गिरावट, प्रचालन और अनुरक्षण में कमियाँ, राज्य बिजली बोर्डों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी तथा औद्योगिक सम्बन्धों सम्बन्धी समस्याएं।

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए किए गये उपायों में ये शामिल हैं ; जब विद्युत केन्द्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए विद्युत केंद्रों की सहायता करने के लिए विशिष्ट कार्यवाही योजनाएं तैयार की जाती हैं तो भ्रमणशील दलों और कृतिक बलों द्वारा क्षेत्रों का दौरा किया जाता है, जिसमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के इंजीनियर शामिल होते हैं। देश के 32 ताप विद्युत केन्द्रों में केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम शुरू की गई है, जिससे उनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाया जा सके। विद्युत क्षेत्र के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने, विदेशी तथा स्वदेशी स्रोतों से फुटकर पुर्जे प्राप्त करने तथा अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा में कोयले की सप्लाई जैसे मामलों में भी राज्य बिजली बोर्डों को सहायता प्रदान की जा रही है।

विवरण I

वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों की राज्यवार, वर्षवार, तथा संयंत्रवार विद्युत उत्पादन क्षमता, वास्तविक विद्युत उत्पादन तथा संयंत्र भार अनुपात

राज्य/संघ शासित क्षेत्र/केन्द्र	1983-84			1984-85			1985-86		
	क्षमता (मे० वा०)	उत्पादन (मेगा० आवर)	संयंत्र भार अनु%	क्षमता (मे०वा०)	उत्पादन (मेगा० आवर	संयंत्र भार अनु(%)	क्षमता (मे०वा०)	उत्पादन (मेगा० आवर)	संयंत्र भार अनु(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिल्ली									
बदरपुर	720	3078	48.7	720	3014	47.8	720	2901	46.0
इन्द्रप्रस्थ केन्द्र	282.5	1245	50.2	282.5	1516	61.70	282.5	1579	63.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा									
फरीदाबाद									
विस्तार	180	441	27.9	180	440	27.9	180	397	25.18
पानीपत	220	630	32.6	220	766	39.7	330	750	38.97
पंजाब									
भटिण्डा	440	2204	57	440	2385	61.9	440	2330	60.45
रोपड़	—	—	—	210	557	59.10	420	1946	56.98
राजस्थान									
कोटा	—	—	—	220	1106	57.2	220	1109	57.54
उत्तर प्रदेश									
ओबरा	1550	4855	35.70	1550	4038	29.70	1550	4885	41.62
हरदुआगंज "क"	90	162	20.5	90	252	32.0	90	185	23.47
हरदुआगंज "ख"	450	1424	36	450	1164	29.6	450	1204	34.32
पनकी	249	1024	46.80	252	1091	49.70	284	851	34.21
परीछा	—	—	—	110	27	2.8	220	469	28.22
सिंगरौली	1050	3245	55.7	1050	5326	59.3	1050	6332	68.84
गुजरात									
धुवारन	534	3241	69.1	534	3096	66.2	534	2700	57.72
	640	2791	49.65	640	2233	50.57	850	3362	49.93
गांधीनगर	240	1330	63.1	240	838	39.8	240	1450	68.97
वाणकबोरी	630	1374	37.26	630	2768	59.2	840	2613	47.33
अहमदाबाद									
इले० कं०	161	1093	77.3	161	1005	71.3	161	916	64.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
साबरमती	110	707	73.2	220	732	71.4	220	1298	67.35
मध्य प्रदेश									
सतपुड़ा	932.5	4170	50.97	1142.5	4549	45.57	1142.5	5176	51.72
कोरबा (i)	100	486	55.3	100	483	55.1	100	481	54.91
कोरबा-(ii)	200	1136	64.7	200	777	44.3	240	1215	57.79
कोरबा-(iii)	240	755	35.8	240	1181	56.2	240	1215	57.79
अमरकंटक कोरबा	300	1559	59.12	300	1729	65.82	300	1658	63.09
सु.ता.बी.के.	630	1323	62.1	630	2849	52.2	630	4105	74.38
कोरबा पश्चिम	420	318	22.12	420	1070	47.2	840	1843	45.74
महाराष्ट्र									
नासिक	910	4083	51	910	4141	52	910	5094	63.9
कोराडी	1100	3450	36	1100	3403	35	1100	4028	61.99
खापरखेड़ा	90	223	28.2	90	147	18.6	90	252	31.96
पारस	92.5	357	43.9	92.5	279	34.4	92.5	372	45.91
भुसावल	482.5	1992	47	482.5	1932	46	482.5	2522	59.67
पारली	270	1658	70	270	1754	74	480	2030	55.98
ट्राम्बे	830	2009	75.1	830	4680	65.7	830	3982	54.77
चन्द्रपुर	—	—	—	420	735	23.2	840	1735	44.71
आंध्र प्रदेश									
कोठागुडम 'ख'	220	467	24.2	220	617	32.1	220	693	35.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कोठागुडम 'क'	240	1227	58.2	240	1237	58.9	240	1135	53.99
कोठागुडम 'ग'	220	551	28.5	220	735	38.20	220	1058	54.09
नेल्लोर	30	146	55.4	30	117	44.4	30	119	45.28
विजयवाड़ा	420	3106	84.2	420	2047	77.4	420	3272	88.93
रामगुंडन सु० ता० वि० के०	200	205	—	600	1491	57.4	600	3789	72.09
तमिलनाडु									
नेवेली	600	3910	74.2	600	4057	77.2	810	3937	74.9
एन्नोर	450	1103	27.9	450	1426	36.2	450	2056	52.2
बेसिन ब्रिज	70	87	14.1	70	87	14.2	70	22	3.59
तुतीकोरिन	630	2795	50.5	630	3421	62.0	630	3616	65.50
कर्नाटक									
रायचूर		—	—	—	—	—	210	207	33.5
दामोदर घाटी निगम									
चन्द्रपुरा	780	3718	54.3	780	3606	52.8	780	3218	47.10
दुर्गापुर	460	1413	35.0	460	1625	40.3	460	1910	52.60
बोकारो	205.5	977	54.10	205	915	51.0	415	931	51.84
बिहार									
पतरातु	730	1866	34.3	730	1984	33.0	840	2559	40.0
बरौनी	210	280	15.57	255	508	21.30	365	408	16.97
उड़ीसा									
तलचेर	470	1270	33.3	470	1326	32.2	470	1305	31.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिम बंगाल									
संथालडीह	480	1156	27.4	480	1039	24.7	480	1208	28.61
बन्देल	530	2089	44.9	4430	2248	48.4	530	2381	51.28
कोलाघाट	—	—	—	210	227	17.7	420	942	50.28
दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड	280	746	30.3	280	705	28.7	390	677	26.30
कलकत्ता इले. सप्लाई कारपोरेशन	328	1446	50.2	328	1309	45.6	319	1212	49.77
टीटागढ़	180	545	60.9	240	1005	71.3	240	1222	62.33
असम									
नामरूप	111.5	377	38.5	111.5	373	38.2	111.5	455	40.33
चन्द्रपुर	30	131	49.7	30	92	35.0	30	106	40.33
बोंगाईगांव	120	206	19	120	167	16	180	74	1.90

टिप्पणी :—इसमें 20 मेगावाट से कम क्षमता वाले लघु केन्द्र शामिल नहीं हैं।

विवरण II

वर्ष 1983—84 से 1985—86 तक के दौरान न्यूक्लीय केन्द्रों की राज्यवार, वर्षवार और संयंत्रवार क्षमता, वास्तविक विद्युत उत्पादन और संयंत्र भार अनुपात

केन्द्र	1983—84			1984—85			1985—86		
	क्षमता (मेगा०)	उत्पादन (मेगा० आवर)	संयंत्र भार अनुपात (%)	क्षमता (मेगा०)	उत्पादन (मेगा० आवर)	संयंत्र भार अनुपात (%)	क्षमता (मेगा०	उत्पादन (मेगा० आवर)	संयंत्र भार अनु० (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्थान									
1. आर.ए.पी.एस.	440	1192	30.8	440	1078	28.0	440	1292	33.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र									
2. तारापुर	420	1857	50.3	420	1930	52.5	320	1962	63.4
तमिलनाडु									
3. कलपक्कम	235	445	—	235	1070	52.0	470	1731	60.8

विवरण III

1983-84 से 1985-86 तक के दौरान जल विद्युत केन्द्रों का वर्षवार, राज्य-वार तथा संयंत्रवार क्षमता तथा वास्तविक विद्युत उत्पादन

केन्द्र	1983-84		1984-85		1985-86	
	क्षमता (मे० वा०)	उत्पादन (गेगावाट आवर)	क्षमता (मे० गा०)	उत्पादन (गेगावाट आवर)	क्षमता (मे० वा०)	उत्पादन (गेगावाट आवर)
1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश						
बस्सी	60	295	60	272	60	292
गिरी बाटा	60	272	60	198	60	253
बिनवा	—	—	6	6	6	31
जम्मू व कश्मीर						
लोअर जेहलम	105	578	105	565	105	574
चेनानी						
अपर सिंध						
अन्य	70	316	69	207	69	289
पंजाब						
यू० बी० डी० सी०	45	272	45	264	45	259
शानन	110	551	110	472	110	522

1	2	3	4	5	6	7
आनंदपुर साहिब	—	—	—	—	134	485
मुकेरियां	45	93	45	232	45	223
राजस्थान						
आर० पी० सागर	172	3881	172	473	172	491
जवाहर सागर 6	99	287	99	374	99	392
माही बजाज	—	—	—	—	50	40
उत्तर प्रदेश						
रिहन्द	300	520	300	623	300	703
यमुना चरण-11 (छिबरो)	240	987	240	775	240	894
खोदरी	120	50	120	380	120	424
चरण एक और चार	114.8	592	114.8	523	114.8	571
ओबरा	99	198	99	332	99	252
गंगा नहर	45.2	190	45.2	208	45.2	176
माटीटीला	30	37	30	—	30	87
रामगंगा	198	236	198	355	198	266
खातीमा	41.4	250	41.4	240	41.4	244
चिल्ला	144	850	144	708	144	787
मनेरी भाली	—	—	90	113	90	178
गुजरात						
उकई	300	1091	300	626	300	291
मध्य प्रदेश						
गांधी सागर	115	271	115	438	115	415

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र						
कोयना बांध	920	4478	920	4073	920	3838
वेतरना	60	116	60	159	60	83
पैथान	—	—	12	—	12	2
अन्य	47.5	117	47.5	124	47.5	87
भंडारधारा	—	—	—	—		0
आंध्रप्रदेश						
मछकुंड	114.7	655	114.7	831	114.7	679
तुंगभद्रा बांध	72	214	72	259	72	210
अपर सलेरू	120	422	120	487	120	302
लोअर सलेरू	400	1095	400	1266	400	823
नागार्जुन सागर	510	2081	710	1958	810	1513
नागार्जुन सागर (दायां तट नहर)	60	122	60	122	60	40
निजाम सागर	10	37	10	30	10	10
श्रीसैलम	330	650	440	2007	550	2116
डोनकराई	25	50	25	77	25	51
कर्नाटक						
शरावती	891	4695	891	4851	891	3917
जोग	120	554	120	511	120	309
भद्रा	33.2	49	33.2	65	33.2	37
शिवासमुद्रम	30	131	30	138	30	129
शिमसापुरा	16	123	16	138	16	134
मुनीराबाद	27	100	27	95	27	82
लिगनामक्की	55	249	55	216	55	149

1	2	3	4	5	6	7
कालीनदी	810	1880	810	2350	810	2328
कालीनदी (सूपा बांध)	—	—	—	—	100	225
केरल						
इदुक्की	390	1435	390	1936	650	2511
साबरगिरी	300	849	300	1377	300	1402
ठियाडी	75	252	75	272	75	239
शोलायार	54	220	54	270	54	235
सेनगुलाम	48	131	48	149	48	118
नेरीयामनंगलम	45	255	45	291	45	293
पालीवासल	37.5	209	37.5	237	37.5	218
पोरींगलकुट्टु	32	216	32	235	32	212
पेनियार	30	76	30	111	30	129
तमिलनाडु						
कुंडा 1-5	535	858	535	1665	535	939
मैत्तूर बांध	240	426	240	680	240	215
पेरियार	140	441	140	567	140	662
कोडायार	100	210	100	245	100	238
शोडायार	95	276	95	215	95	298
पिकारा	70	219	70	393	70	241
अलियार	60	132	60	145	60	136
सरकारपाथी	30	97	30	144	30	124
मोयर	36	91	36	170	36	103
पापनसम	28	85	28	125	28	104
सुरुलियार	35	107	35	103	35	84

1	2	3	4	5	6	7
सेवालियार	—	—	—	—	20	—
बिहार						
कोसी	20	18	20	11	20	14
सुवर्ण रेखा	130	170	130	263	130	221
उड़ीसा						
बालीमेला	360	1310	360	1166	360	872
हीराकुंड	270	1082	270	1103	270	1099
रेंगाली	—	—	—	—	100	198
पश्चिमी बंगाल						
लघु केन्द्र (पश्चिमी बंगाल)	41	116	41	122	41	121
सिक्किम						
लोअर लेग्यप	12	23	12	16	12	30
मेघालय						
खरदमकुलई	60	181	60	155	60	162
मणिपुर						
उमयम उमत्रु	65.2	229	65.2	238	65.2	192
त्रिपुरा						
गुमती	15	59	15	60	15	65
केन्द्रीय क्षेत्र						
बेरा स्यूल	180	846	180	656	180	678
लोकतक	105	49	105	259	105	413
भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड						
भाखड़ा गंगुवाल कोटा	1205	7007	1337	5931	1337	5995

1	2	3	4	5	6	7
देहर	990	2733	990	2935	990	3085
पोंग	300	1521	360	1190	360	1490
दामोदर घाटी निगम						
मैथोन	60	117	60	201	60	210
पंचेत हिल	40	112	40	140	40	174
तिलैया	4	4	4	21	4	21
मेघालय						
खिरदमकुलई	60	181	60	155	60	162
खोंडोंल	25	1	50	99	50	166
महाराष्ट्र						
टाटा (जल विद्युत)						
टाटा (निजी)	276	1453	276	1370	176	1235

सीमेंट उद्योग के लिए लेवी कोटे में कमी

19. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान हाल ही में सीमेन्ट के लेवी कोटे में कुछ कमी करने की घोषणा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी की गई है ; और

(ग) सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग को अन्य क्या सुविधायें दी गई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सीमेंट एकक जिन्होंने 1-1-82 के बाद उत्पादन शुरू किया था और जिन्हें रुग्ण घोषित किया जा चुका है, उन्हें अपने उत्पादन का 40% लेवी कोटे के रूप में देना होता है जबकि इसकी तुलना में जिन एककों ने 1-1-82 से पहले उत्पादन शुरू कर दिया था उन्हें अपने वास्तविक उत्पादन का 60% देना होता है। सभी सीमेंट एककों के लेवी कोटे में 15 दिसम्बर, 1986 से 10% की कमी करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग को दी गई अन्य सुविधाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

(1) लेवी सीमेंट का रिटेंशन मूल्य (सीमेंट उत्पादकों को दिया जाने वाला 15-12-86 से 24.50 रु० प्रति मी० टन बढ़ा दिया गया है।

(2) सीमेंट एककों द्वारा सीमेंट विनियमन खाते में गैर-लेवी सीमेंट के उत्पादन का 9 रु० प्रति मी० टन की दर से अंशदान 15 दिसम्बर, 1986 से समाप्त कर दिया गया है।

(3) तेजी से अतिरिक्त क्षमता अधिष्ठापन सुनिश्चित करने के विचार से विस्तार तथा आधुनिकीकरण की योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(4) विद्यमान अधिष्ठापित क्षमताओं में से अधिकतम उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये, लायसेंस प्राप्त क्षमता के 100% से अधिक तथा 125% तक के उत्पादन के सम्बन्ध में लेवी दायित्व के स्तर को कम कर दिया गया है।

(5) 28-2-82 के पश्चात लगाये गये डी० जी० सेटों से बिजली के जनित्रण हेतु सीधी उच्च लागत के लिये सीमेंट उद्योग की क्षतिपूर्ति करने हेतु उनके सामान्य लेवी दायित्व को कम करके उपयुक्त राहत प्रदान की गई है।

(6) आमतौर पर सामान्य रूप से सीमेंट एककों में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देने के लिये तथा विशेषकर वेट प्रोसेस किल्बों को ड्राई प्रोसेस किल्बों में पुरानी किल्बों को रद्द करके संशोधन करके परिवर्तित करने के लिये, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे आधुनिक संयंत्रों से होने वाले सीमेंट के उत्पादन को लेवी कोटे के निर्धारण के उद्देश्य से कुछ शर्तें पूरी करने पर नये संयंत्रों में किया उत्पादन माना जायेगा।

खाद्यान्नों के लाने-लेजाने पर से नियंत्रण हटाना

20. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को खाद्यान्नों के लाने-लेजाने पर से नियंत्रण हटाने के अनुदेश दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को सलाह दी गई थी कि वे यह सुनिश्चित करें कि गेहूं, धान, लेवी-मुक्त चावल और मोटे अनाजों के संचलन पर कोई अन्तर्राज्यीय प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। यदि ऐसे प्रतिबंध लगाने के कोई विशेष कारण हैं तो उस दशा में उन्हें सलाह दी गई है कि वे इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करें।

बम्बई-पुणे पाईप लाईन में लगी आग

21. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 जनवरी, 1987 को मनखुर्द रेल फाटक के समीप हिन्दुस्तान पेट्रोलियम की बम्बई-पुणे पाईप लाइन में जो आग लगी, उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इसके कारण हुई हानि का मूल्यांकन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ,

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 2 जनवरी, 1987 को मनखुर्द रेलवे क्रासिंग के पास बम्बई-पुणे पाइपलाइन की पाइपों में से एक में वैल्ड किए हुए लोंगिल्यूडिनल सीमा में दरार होने के कारण हाई-स्पीड डीजल का रिसाव हुआ। निकला हुआ डीजल एक पानी की नली के द्वारा लगभग आधे किलोमीटर दूर एक खड्डे में चला गया और वहां उसमें आग लग गई।

(ख) और (ग) आग के कारण हुई हानि का बम्बई नगर निगम द्वारा अनुमान लगाया गया है लगभग 150 झुग्गियां जल गईं और उनके अन्दर के सामान सहित कुल मिलाकर लगभग 1.50 लाख रुपये का नुकसान हुआ। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई।

पिछड़े जिले में उद्योग स्थापित करने के लिये सुविधायें/रियायतें

22. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को दी गई सुविधाओं रियायतों का वर्षवार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्यमंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : औद्योगिक रूप से पिछड़े हुये क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को अनेक प्रोत्साहन/रियायतें जैसे केन्द्रीय निवेश राजसहायता, परिवहन राजसहायता, आय-कर प्रोत्साहन, लघु एककों के लिए किराया-खरीद के आधार पर मशीन खरीदने के लिए सुविधा, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्शदात्री सेवायें आदि दी जा रही हैं। "इंसेंटिव्स फार इंडस्ट्रीज इन बेकवर्ड एरियास" की पुस्तिका में सभी प्रोत्साहनों का ब्यौरा दिया गया है, इसका अद्यतन 20.10.86 तक हो चुका है और इसकी प्रतियां संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान 235.37 करोड़ रु० तथा 684.05 लाख रु० की धनराशि विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को क्रमश: केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना तथा परिवहन

राजसहायता योजना के अन्तंगत वापस की गई है। वर्ष-वार तथा राज्य-वार वापसी के विवरण संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

मानव चालित टेलीफोन, एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदलना

23. **श्रीमती लाल हंसवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) सभी जिला मुख्यालयों के सभी मैनुअल एक्सचेंजों को 7वीं योजना के दौरान वरीयता के आधार पर स्वचल बनाने का प्रस्ताव है। शेष स्थानों पर मैनुअल एक्सचेंजों को 7वीं और आगामी योजनाओं में उत्तरोत्तर स्वचल बनाया जाएगा बशर्ते कि आटोमेटिक स्विचिंग उपस्कर उपलब्ध हों।

(ग) (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निश्चित मूल्य ढांचे के लिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का प्रस्ताव

24. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन तेल के मुक्त विपणन मूल्य निर्धारित करने पर विचार कर रहा है तथा उत्पादन में कटौती करके 18 डालर प्रति बैरल का एक निश्चित मूल्य ढांचा बनाना चाहता है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव का भारतीय अर्थ व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन किया है ;

(ग) क्या तेल निर्यातक देशों के संगठन के सदस्यों द्वारा किया जा रहा चालू तेल उत्पादन समग्र उत्पादन सीमा से कम होने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का किस प्रकार स्थिति से निपटने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) : जी, हाँ।

(ग) और (घ) : सरकार बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है ताकि अपनी खरीदारी से इष्टतम लाभ उठाया जा सके।

पश्चिम बंगाल में बक्रेश्वर ताप बिजली परियोजना के संबंध में सोवियत संघ द्वारा पेशकश

25. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित बक्रेश्वर ताप बिजली परियोजना के संबंध में सोवियत संघ की संशोधित पेशकश पर निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान स्थिति क्या है और सोवियत पेशकश पर निर्णय करने में कितना और समय लगेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री : (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) : बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना का "टर्न की" आधार पर क्रियान्वयन करने के लिए मैसर्ज टेकनो-प्रोमएक्पोर्ट (यू० एस० एस० आर०) के नेतृत्व में एक कन्सोर्टियम से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सोवियत पक्ष ने एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अपना आशय व्यक्त किया है जो अभी प्राप्त नहीं हुआ।

त्रिचूर, केरल में टेलीफोन कनेक्शन हेतु लंबित आवेदन

26. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के त्रिचुर जिले में टेलीफोन कनेक्शन हेतु कितने आवेदन लंबित पड़े हैं ;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान इस जिले में कितने कनेक्शन दिए गये; और

(ग) इस वर्ष के दौरान कितने कनेक्शन दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 31-1-1987 को केरल के त्रिचूर जिले में टेलीफोन कनेक्शन के लिए लंबित आवेदकों की संख्या 9195 है।

(ख) पिछले वर्ष (1985-86) के दौरान दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 1217 है।

(ग) वर्ष (1986-87) के दौरान 1985 टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की संभावना है। इसमें से 1672 कनेक्शन पहले ही दिए जा चुके हैं।

उड़ीसा में नारियल जटा बोर्ड की स्थापना

27. **श्री प्रनादि चरण दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में नारियल जटा बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचल) : (क) और (ख) : कयर उद्योग अधिनियम 1953 के अधीन कयर बोर्ड की स्थापना पहले ही की जा चुकी है जिसका कार्यक्षेत्र समूचा देश है। कयर उद्योग का विकास करने के लिए कयर बोर्ड का भुवनेश्वर (उड़ीसा) सहित कयर का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में क्षेत्रीय कयर प्रशिक्षण और विकास केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के अधीन चल रही कोयला खनन परियोजनाओं के लिए पूंजीगत निवेश

28. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की तीन निर्माणाधीन कोयला खनन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि का पूंजीगत निवेश स्वीकृत किया है ;

(ख) निर्माणाधीन कोयला खनन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन कोयला खनन परियोजनाओं को किस वर्ष तक चालू किए जाने की संभावना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में रु० 100 करोड़ और इससे अधिक की लागत वाली जो तीन प्रमुख परियोजनाएँ चल रही हैं उनके लिए स्वीकृत पूंजी निवेश रु० 594.78 करोड़ है।

(ख) से (घ) : इन तीनों परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है :—

क्र०सं० परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	क्षमता (मि०टन/प्रतिवर्ष	स्वीकृति लागत (रु० करोड़)	पूरा होने की संभावित ता०
1. झांझरा भूमिगत	दिस० 1982	3.50	184.55	मार्च, 1994
2. राजमहल ओपेनकास्ट (संशोधित लागत अनुमान)	अगस्त, 1980 मई, 1985	5.00	217.27	मार्च, 1991
3. सोनपुर बाजारी "ए" ओपेनकास्ट	जुलाई, 1985	3.00	192.96	मार्च, 1991

[हिन्दी]

टेलीफोन बांड

29. **श्री शांति धारीवाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम ने ऋणपत्रों के द्वारा धन एकत्र किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिनमें सरकार का विचार टेलीफोन बांडों के माध्यम से एकत्र पूंजी को लगाने का है और उनसे कितने प्रयोक्ताओं का लाभ होगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां, टेलीफोन बाण्डों के जरिए।

(ख) यह निधि महानगर टेलीफोन निगम लि० और दूरसंचार विभाग दोनों की विकास परियोजनाओं के लिए है। चूंकि यह स्वीकृत नेटवर्क है इसलिए इससे सभी मौजूदा उपभोक्ताओं के साथ-साथ भविष्य में नेटवर्क से सम्बद्ध होने वाले उपभोक्ताओं को भी इससे लाभ मिलने की संभावना है।

राष्ट्रीय डाक सेवा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस पत्रों के लिए प्रभार

30. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डाक सेवा के अन्तर्गत 10 ग्राम भाव के अन्तर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस पत्र के लिए कितना प्रभार हैं ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके लिए यह सेवा उपलब्ध है ; और

(ग) एक्सप्रेस पत्र काउंटरों पर पत्रों के प्राप्त होने के पश्चात जापान, आस्ट्रेलिया, अमरीका और ब्रिटेन में प्राप्तकर्ताओं के पतों पर ऐसे पत्रों को पहुंचाने में कितना समय लगता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय डाक सेवा में "एक्सप्रेस लेटर सर्विस" नहीं है। तथापि, कुछ देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय द्रुत डाक सेवा है।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रुत डाक सेवा के जरिए यू० के०, संघीय जनवादी जर्मनी, और हांगकांग को भेजी जाने वाली स्पीड पोस्ट मद का 500 ग्राम तक का शुल्क 250/- रु० है तथा अमरीका के लिए यह शुल्क 300/- रु० है।

(ख) देश में दिल्ली, बंबई कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलूर, इंदौर, पुणे, वदोदरा, कोचीन, कानपुर, जयपुर और गुवाहाटी से हांगकांग, जापान यू० के०, अमरीका और संघीय जनवादी जर्मनी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय द्रुत डाक सेवा सुलभ है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय द्रुत डाक सेवा द्वारा इन काउंटरों पर भेजी जाने वाली मदों का वितरण अगले दिन से सात दिन के बीच किया जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उक्त मदें कहां बुक की गई और उनका वितरण किस स्थान पर किया जाना है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन और बेंगलूर से बुक की गई मदें इन पांच देशों के प्रमुख शहरों में एक से तीन दिन के भीतर वितरित कर दी जाती है।

फिलहाल आस्ट्रेलिया के लिए अन्तर्राष्ट्रीय द्रुत डाक सेवा सुलभ नहीं है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० की विस्तार योजना

31. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का घड़ियों का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तार योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार और टाटा उद्योग गृह की संयुक्त क्षेत्र की एक परियोजना "टाइटन वाच", भी भारत में केसिओ घड़ियों के उत्पादन के लिए सहयोग करार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) में उल्लिखित परियोजनाएं एक-दूसरे की पूरक है और मांग से अधिक उत्पादन नहीं होगा ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) 1985-86 में 45.34 लाख घड़ियों के उत्पादन की तुलना में एच० एम० टी० की योजना अपनी घड़ियों का उत्पादन निम्न प्रकार बढ़ाने की है :—

वर्ष	अनुमानित वार्षिक उत्पादन (लाख संख्या में)
1986-87	50.00
1987-88	60 00
1988-89	61.80
1989-90	61.80

(ग) भारत में कैसिओ घड़ियों को बनाने के लिए सहयोग करार करने के बारे में मेसर्स टिटान वाचेज लिमिटेड से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते ।

गुजरात में गैस एजेंसियों का आबंटन

32. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य के विभिन्न जिलों में कितनी गैस एजेंसियां आबंटित की गई हैं ; और

(ख) इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं, अपंग व्यक्तियों, अन्धे व्यक्तियों और अल्पसंख्यक समुदायों को कितनी एजेंसियां आबंटित की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) तेल उद्योग ने गुजरात राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले तीन वर्ष अर्थात् 1984-86 के दौरान 63 एल०पी०जी० वितरणशिपें दी हैं । इनमें से 21 वितरणशिपें "अनुसूचित जाति/जनजाति" श्रेणी में तथा 13 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में दी गई है । महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं, नेत्रहीन व्यक्तियों और अल्प संख्यक समुदायों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है इसलिए इनका अलग से कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता ।

मंगलोर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन की
तेलशोधक परियोजना

33. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राव वाडियर
श्री वी० कृष्ण राव
डा० वी० वेंकटेश
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया
श्री एच० एन० नन्जे गौडा
श्री जी० एस० बसवराजू
श्री एस० एम० गुरड्डी
श्रीमती गीता मुखर्जी
: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पुट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने कर्नाटक में मंगलोर में एक तेल शोधक परियोजना स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां तो परियोजना की क्षमता कितनी है तथा इस पर कितनी लागत आयेगी और इस परियोजना में कौन सी प्रौद्योगिकी अपनाए जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) तेल शोधक संयंत्र एवं टाउनशिप के स्थान के लिए कुल कितनी भूमि ली गई है ;

(घ) इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) इसके कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ङ) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को एक प्राइवेट सह-प्रवर्तक (को-प्रमोटर) के साथ मिलकर मंगलूर में 3 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता की एक पेट्रो-रसायन रिफाइनरी लगाने के सम्बन्ध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की अनुमति दी गई है। एच०पी०सी०एल० ने इस कार्य के लिए आरम्भ में लगभग 1800 एकड़ भूमि को चुना है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तैयार होने के बाद ही लागत का विवरण, अपनायी जाने वाली प्रौद्योगिकी तथा इसे चालू करने की संभावित तारीख का पता चल सकेगा तथा उस पर निर्णय लिया जाएगा।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

34. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने बंगाल की खाड़ी में विशेष रूप से अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य—क्षेत्र के "ई" जोन में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की हैं ; और

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा की गई खोज के अद्यतन परिणाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने बंगाल, कृष्णा-गोदावरी, कावेरी और अण्डमान थालों के अपतटीय क्षेत्रों में भूकम्पीय आंकड़े प्राप्त करने और अन्वेषी खुदाई का काम आरम्भ कर दिया है ।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को कृष्णा-गोदावरी अपतट में जी-1, जी-2, जी एस-8 संरचनाओं, कावेरी अपतट में पी० च-9, पी वाई-1 और वी०वाई-3 संरचनाओं और अण्डमान अपतट में ए० एन-1 संरचना में हाइड्रोकार्बन मिले हैं ।

बम्बई में कंटेनर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज का अप्रयुक्त रहना

35. **श्री शरद दिघे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में कुछ कंटेनर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज पिछले महीने से अप्रयुक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एक्सचेंज के नाम क्या हैं, ये कितने समय से अप्रयुक्त पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को कितनी हानि हुई है और सरकार का इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नए डाक घर खोलने पर प्रतिबन्ध

37. **श्री मुरली देवरा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई जैसे शहरों में नए डाकघर खोलने पर प्रतिबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ; और

(ग) सरकार भविष्य में शहरी जनता की बढ़ती हुई डाक सम्बन्धी जरूरतों को किस प्रकार पूरा करने की आशा करती है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी नहीं । नए डाकघर खोलने पर इस प्रकार की कोई रोक नहीं है । तथापि, वित्त मंत्रालय ने, नए पदों के सृजन पर

रोक लगा रखी है। यदि किसी स्थान पर नए डाकघर खोलने का स्पष्ट रूप से औचित्य सिद्ध होता है तथा उनसे समुचित आय होने की उम्मीद होने पर इस प्रकार के प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय के साथ अनुमति प्राप्त करने के लिए उठाया जाता है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पुनरीक्षा करने पर पता चला है कि शहरी क्षेत्रों में मौजूदा डाकघर आवश्यकताओं के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में, अनेक लाइसेंस-शुदा डाक एजेंटों की नियुक्तियां की हैं। ऐसे एजेंट डाक टिकटों तथा स्टेशनरी की बिक्री करने के साथ-साथ रजिस्टर्ड पत्र भी स्वीकार करेंगे।

ताप विद्युत क्षेत्र के नवीकरण और आधुनिकीकरण का केन्द्रीय कार्यक्रम

38. प्रो० रामकृष्ण मोरे
श्री मुकुल वासनिक
श्री काली प्रसाद पाण्डेय
श्री जी० एस० बसवराजू
श्री एस० एम० गुरड्डी
डा० गौरी शंकर राजहंस
श्री छीतू भाई गामित
: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ताप विद्युत क्षेत्र में नवीकरण और आधुनिकीकरण का केन्द्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया था ;

(ख) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार कितने ताप विद्युत संयंत्रों को सम्मिलित किया गया है और नवीकरण आधुनिकीकरण कार्यक्रम कितने समय में पूरा किया जाना है;

(ग) राज्यवार अब तक उपलब्धि क्या है और संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण पर राज्यवार कितनी धनराशि व्यय करने का अनुमान था और अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) कौन-कौन से राज्य इस कार्यक्रम में पिछड़ रहे हैं और उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) यह कार्यक्रम 1984-85 में शुरू किया गया।

(ख) से (घ) इस कार्यक्रम में 32 ताप विद्युत केन्द्र शामिल हैं तथा इसके 3-4 वर्ष में पूरा हो जाने की सम्भावना है। अपेक्षित सूचना का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कुछ राज्यों में इस कार्यक्रम में प्रगति धीमी रहने के कारणों में ये शामिल हैं; प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने तथा सप्लाई आर्डर देने में विलम्ब और विभिन्न नवीकरण और आधुनिकीकरण सम्बन्धी क्रियाकलापों के वास्तविक रूप से क्रियान्वयन में विलम्ब।

विवरण

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम
के अन्तर्गत शामिल ताप विद्युत संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र का नाम	स्वीकृत अनुमानित लागत*	19-2-87तक किया गया व्यय*
1	2	3	4
	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम		
1.	बदरपुर	2870.60	411.43
	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान		
2.	इन्द्रप्रस्थ	4402.85	2921.84
	हरियाणा		
3.	फरीदाबाद	4001.64	985.41
4	पानीपत	1869.65	482.35
	पंजाब		
5.	भटिण्डा	4173.70	3239.85
	उत्तर प्रदेश		
6.	पनकी	3703.11	1308.72
7.	ओबरा	5030.00	940.76
8.	हरदुआगंज	6947.42	2229.70
	मध्य प्रदेश		
9.	कोबरा	1714.06	305.79
10.	अमरकंटक	1044.98	21.47
11.	सतपुड़ा	2390.70	1569.76
	गुजरात		
12.	गांधीनगर	1921.47	1205.78
13.	धुवारण	1948.69	783.37

0	2	3	4
14.	उकई	3387.82	379.27
	महाराष्ट्र		
15.	कोराडी	3329.80	494.50
16.	नासिक	847.00	258.10
17.	भुसावल	88.50	34.72
18.	पारस	259.75	16.01
	आन्ध्र प्रदेश		
19.	कोठागुडम	4688.35	2111.70
	तमिलनाडु		
20.	तूतीकोरिन	712.76	497.40
21.	एन्नोर	9081.48	4904.62
22.	नेवेली लिग्नाइट निगम	4970.78	74.81
	उड़ीसा		
23.	तलचेर	3572.50	653.77
	बिहार		
24.	पतरातू	3845.00	728.49
25.	बरौनी	1946.00	292.10
26.	कारबीग्रेया	518.00	273.42
	पश्चिम बंगाल		
27.	संथालडीह	2192.00	733.33
28.	बन्देल	3581.00	402.44
29.	दुर्गापुर (दुर्गापुर परियोजना लि०)	2380.00	569.95
	दामोदर घाटी निगम		
30.	चन्द्रपुरा	3212.60	795.91
31.	बोकारो	1002.00	289.32
32.	दुर्गापुर	835.20	501.06

* टिप्पणी :—उपर्युक्त सूचना में राज्य योजनाओं की नियंत्रण स्कीम के अन्तर्गत व्यय की लागत शामिल है।

गांवों और पम्पसेटों का विद्युतीकरण

39. श्री यशवंत राव गडाख पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और कितने पम्पसेटों को बिजली दी गई ;

(ख) इसमें कमियों के, यदि कोई हों, क्या कारण हैं ; और

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) पिछले दो वर्ष के दौरान गांवों के विद्युतीकरण और पम्पसेटों के वर्धन और उपलब्धियों का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

	गांव		पम्पसेट	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1985-86	20,648	20,058	3,89,783	7,43,412
1986-87 (12/86 तक)	11,011	9,496	2,23,406	2,78,009

(ख) गांवों के विद्युतीकरण के लक्ष्यों को पूरा करने में मामूली कमी के मुख्य कारण ये हैं; कुछ निर्माण सामग्रियों की कम सप्लाई, विद्युत की अपर्याप्त सप्लाई और पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में दुर्गम तराइयां होना आदि ।

(ग) विद्युतीकरण कार्यक्रम की गति में तेजी लाने और लक्ष्यों को पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों/बिजली बोर्डों/ग्राम विद्युतीकरण निगम के साथ समीक्षा बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती हैं ।

खाद्य तेलों का आयात

40. श्री बृज मोहन महन्ती
श्री शान्ति धारीवाल } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 और और 1986-87 के दौरान कितनी मात्रा में खाद्य तेल का आयात किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में तिलहनों के उत्पादन में कमी होने के कारण खाद्य तेलों की मांग और पूर्ति में अन्तर बढ़ गया है और इस समय मांग की तुलना में बारह लाख टन खाद्य तेलों की कमी है ;

(ग) देश की मांग के अनुसार खाद्य तेलों का आयात करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) खाद्य तेल में कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) :

(क) तेल वर्ष 1985-86 और 1986-87 (जनवरी, 1987 तक) के दौरान आयात की गई खाद्य तेलों की मात्रा नीचे दी गई है :—

तेल वर्ष (नव०-अक्तू०)	आयात की गई मात्रा (लाख मी० टन में)
1985-86	11.79
1986-87 जन० 1987 तक	3.28

(ख) देशी खाद्य तेलों की मांग और उनकी आपूर्ति के बीच अन्तर बना हुआ है ।

(ग) खाद्य तेलों की कितनी मात्रा का आयात किया जाना है इसके बारे में निर्णय सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है, जैसे मांग व आपूर्ति के बीच अन्तर किसानों को प्रोत्साहन, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य आदि ।

(घ) इस बारे में एक निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है, परन्तु सरकार ने तिलहनों और तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई प्रभावी और अत्यन्त महत्वपूर्ण उपाय किए हैं, ताकि इनमें शीघ्र आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके ।

कर्नाटक में नये विद्युत केन्द्रों में सोलिड स्टेट रिले उपकरण लगाना

41. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में सभी नये विद्युत केन्द्र में खराबियों के प्रति रक्षोपाय के रूप में सॉलिड स्टेट रिले उपकरण लगाए गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये सोलिड स्टेट उपकरण लगाने से खराबियों का पता लगाने में कहां तक सहायता मिली है ; और

(ग) क्या ये उपकरण अन्य राज्यों को भी उपलब्ध कराये जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

खाना पकाने की गैस के सिलेन्डर भरने के नये संयंत्रों की स्थापना

42. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में और कर्नाटक राज्य में खाना पकाने की गैस के सिलेन्डर भरने के कितने संयंत्र हैं ;

(ख) क्या वर्ष 1987-88 के दौरान कर्नाटक राज्य में खाना पकाने की गैस के सिलेन्डर भरने के नये संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) देश में इस समय 46 एल० पी० जी० बाटलिंग संयंत्र हैं, जिसमें कर्नाटक राज्य के भी 4 संयंत्र शामिल हैं।

(ख) और (ग) एच० पी० सी० एल० द्वारा कर्नाटक राज्य में हुबली नामक स्थान पर 12,500 मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता के एल० पी० जी० बाटलिंग संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है और यह 1987-88 के दौरान चालू हो जायेगा।

विदेशी स्रोतों से हाइड्रो सेटों का आयात

43. **श्री अजितकुमार साहा**
श्री सैफुद्दीन चौधरी
श्री अनिल बसु
श्री वाई० एस० महाजन } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी स्रोतों से विभिन्न प्रकार के हाइड्रो सेटों का आयात करने की अनुमति दे रही है, जबकि ऐसे सेटों का भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विनिर्माण किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो इन सेटों के आयात का ब्यौरा क्या है और इस निर्णय के क्या-क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या ऐसा करके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी नीति से विचलन किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) जल विद्युत सेटों सहित विद्युत उत्पादन उपस्कर प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से स्वदेशी निर्माताओं पर निर्भर किया जा रहा है। आयात का सहारा केवल चुने हुए मामलों में तथा गुण अवगुण के आधार पर किया जाता है, जो समग्र परिस्थिति पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

कम कीमत की कारों का निर्माण

44. **श्री मदन पांडे :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम कीमतों की कारों के निर्माण के लिये भारत और सोवियत संघ के बीच एक समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन कारों का निर्माण कब तक शुरू हो जाने की आशा है और प्रस्तावित कीमत कितना है ; और

(ग) प्रस्तावित कार में स्वदेशी तथा आयातित पुर्जों के प्रयोग सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) रूसी संगठनों के सहयोग से सवारी कारें बनाने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा घोषित की जाने वाली नई आटोमोबिल नीति के अनुसार विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

45. **श्री मुकुल वासनिक**
डा० गौरीशंकर राजहंस } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टेलीफोन कनेक्शनों के लिये दस लाख से अधिक लोग प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में संचार सुविधाओं में सुधार करने के लिए हाल ही में एक योजना तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो नई योजना का ब्यौरा क्या है ये कब तक लागू की जाएगी और दे॰ के विभिन्न भागों में नए टेलीफोन कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची के किस सीमा तक कम किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सातवीं योजना अवधि के आरंभ में योजना प्रस्ताव तैयार किए गए थे। सातवीं योजना अवधि के दौरान प्राप्त किए जाने वाले प्रस्तावित वास्तविक लक्ष्यों में निम्नलिखित सुविधाओं को भी शामिल किया जाता है।

(i) लगभग 11 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें ;

(ii) लगभग 9,000 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन ;

(iii) लगभग 13,000 रूट किलोमीटर माइक्रोवेव प्रणालियां और 4000 किलोमीटर रूट की फाइबर आप्टीकल प्रणाली।

(iv) लगभग 30,000 टेलेक्स लाइनें।

(v) 15 सैकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्रों में (एक या अधिक राजस्व जिलों के साथ को-टर्मिनस) ग्रामीण एकीकृत डिजिटल नेटवर्क ;

इससे पूरी होने वाली मांग इस प्रकार हैं :—

यूनिट	निम्नलिखित अवधि तक पूरी की जाने वाली औसत मांग
महानगर	1-4-1984
बड़े	1-4-1984
छोटे	1-4-1985
सर्किल	
एम० ए० एक्स०-(i)	1-4-1986
एम० ए० एक्स-०(ii)	1-4-1987
एम० ए० एक्स०-(iii) और मैनुअल	1-4-1990

इन उद्देश्यों में दूरसंचार यूनिट की औसत मांग को शामिल किया गया है और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की वास्तविक तारीखों में भिन्नता होगी।

पैसंजर कारों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस

46. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय निर्माण की जाने वाली कारों के नाम तथा उनका मुख्य ब्योरा क्या है ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक माडल को कितनी कारों का निर्माण किए जाने की सम्भावना है और अगले तीन वर्षों के लिए उत्पादन अनुमान क्या है ;

(ग) प्रत्येक माडल की स्टैंडर्ड कार का फैक्ट्री बाह्य मूल्य क्या है ;

(घ) क्या अतिरिक्त माडलों की कारों के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि हां तो प्रस्तावों का संक्षिप्त ब्योरा क्या हैं और यदि कोई विदेशी सहयोगी हैं तो उनके नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) :

(क) से (ग) विवरण I संलग्न है।

(घ) और (ङ) विवरण II संलग्न है।

विवरण I

कार का माडल	अनुमानित उत्पादन 1986—87	निर्माताओं द्वारा परिकल्पित उत्पादन			कारखाने से निकलते समय का मूल्य
		1987—88	1988—89	1989—90	
1	2	3	4	5	6
मारुति—800	52,000	68,000	निर्माताओं द्वारा अभी तय किया जाना है।	निर्माताओं द्वारा अभी तय किया जाना है।	63,900/- रु० उत्पादन शुल्क तथा डीलरों के कमीशन सहित
मारुति—डी० एक्स०	5,920 (दिसम्बर 86)	निर्माताओं द्वारा अभी तय किया जाना है।	"	"	93,800/- रुपये उत्पादन शुल्क तथा डीलरों के कमीशन सहित
अम्बेस्डर (पेट्रोल)	22.000	18,000	18,000	20,000	59,547/- रु०
अम्बेस्डर—(डीजल)					74,962/- रु०
कन्टेसा क्लासिक	5,00	12,000	14,000	15,000	91,000/- रु०
प्रीमियर पद्मिनी	24,675	22,000	20,000	17,000	57,193/- रु०

1	2	3	4	5	6
प्रीमियर—118 एन.ई.	2600	14,000	21,000,	25,009	83,950/- रु०
स्टैंडर्ड—2000	1700	3,000	निर्माताओं द्वारा अभी तय किया जाना है।	निर्माता द्वारा अभी तय किया जाना है।	1,49,346/- रु०
* मोन्टाना 2—डी	5 (जनवरी 87 के दौरान)	—	—	—	44,953.15
मोन्टाना 4—डी	—	—	—	—	52,029.13

* मै० सिपानी आटोमोबाइल लि०, बंगलौर ने डाल्फिन माडल का निर्माण करना छोड़कर इसकी जगह मोंटाना 2—डी तथा मोन्टाना 4—डी का निर्माण करना आरम्भ किया है।

विवरण II

यात्री कारों के अतिरिक्त माडलों के निर्माण प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र०सं	भारतीय पार्टी का नाम	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम	माडल का नाम
1	2	3	4
1.	प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि०, बम्बई	निशान मोटर कं०, जापान	तिन्नी बी-11
2.	एस्कॉर्टस लि० फरीदाबाद	सिट्रोयन इन्टरनेशनल, फ्रांस	सिट्रोयन 2 सी० बी०
3.	टेल्को, बम्बई	होन्डा मोटर कं०, जापान	एकॉर्ड
4.	हिन्दुस्तान मोटर्स लि०, कलकत्ता	इसुजु मोटर्स लि०, जापान	जैमिनी एफ० एफ०
5.	केरल कार्माशियल व्हीकल्स, त्रिवेन्द्रम	फिएट, इटली	500–700 सी० सी० छोटी कार
6.	गुजरात इन्स्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन, अहमदाबाद।	बिहनीएन एस० ए०, फ्रांस	माइक्रो–50 अथवा 125 सी० सी०
7.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि०, बम्बई	आटोमोबाइल पियूगोट, फ्रांस	पियूगोट–505
8.	के–दी मा आटोमोबाइल्स, बम्बई	उल्ले नहीं किया गया है	उल्लेख नहीं किया गया है
9.	श्रीमती निर्लेप कौर, नई दिल्ली	आटोएक्सपोर्टस, मास्को	लाज लाड नेवा

1	2	3	4
10.	श्री पी० के० अग्रवाल, बम्बई	आटोएक्सपोर्ट/प्रोमाशएक्सपोर्ट, मास्को	वाज–2121
11.	वामा मोटर वैनम्स, हैदराबाद	वोल्वो कार, हालैंड	वोल्वो–300
12.	श्री टी० वेंकटराम रेड्डी, हैदराबाद	फिएट आटो, इटली	प्रीमियो–1300
13.	एशियन व्हीकल्स इन्डस्ट्रीज, नई दिल्ली	आटोएक्सपोर्ट एंड वोल्गा आटो, मास्को	नीवा समारा–2121–2108
14.	सिक्किम लाडा लि०, गंगटोक	आटोएक्सपोर्ट एंड प्रोमाशएक्सपोर्ट,	लाडा–2121
15.	अकुवा मैरीन लि०, मद्रास	सूचित नहीं किया गया है	अंडर 400 सी० सी० डीजल कार
16.	श्री एन० एल० कर, हावड़ा	सूचित नहीं किया गया है	500–सी० सी० बेबी कार
17.	बजाज टैम्पो लि०, पूना	डाइहात्सु, जापान	1000 सी० सी० चाराडे

सेवानिवृत्ति के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों का पता लगाना

47. श्री मुरली धर माने
श्री गुरुदास कामत } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने ऐसे कर्मचारियों का पता लगाने के लिए कहा है जिन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कहा जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु कर्मचारियों का पता लगाने के लिए उपक्रमों द्वारा क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के०के० तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

संचार के बारे में सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिया जाना

48. डा० वी० विजय रामा राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार के बारे में सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या योजना में मौजूदा घटिया टेलीफोन सेवाओं में सुधार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) सातवीं योजना के लिए दूरसंचार विभाग ने प्रस्ताव विभाग को आवंटित निधि के आधार पर पहले ही निर्धारित कर लिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

महानगर टेलीफोन निगम द्वारा संचार लाइनों में सुधार करना

49. श्री राम प्यारे पनिका : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम ने कब से कार्य करना प्रारम्भ किया है;

(ख) इसके बाद अब तक निगम ने क्या-क्या सुधार किये हैं;

(ग) निगम की स्थापना के समय टेलीफोन कनेक्शन हेतु कितने आवेदन लम्बित पड़े थे; और

(घ) उनमें से वर्ष 1986 के अन्त तक कितने आवेदनों पर स्वीकृति प्रदान की गई थी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) महानगर टेलीफोन निगम ने 1 अप्रैल, 1986 से कार्य करना शुरू किया था।

(ख) निम्नलिखित के लिए उपाय किए गये हैं :—

1. लाइनों पर दोषों को कम करना।

2. काल पूरी होने की दर में सुधार।

3. प्रमुख परियोजनाओं में तेजी लाना।

4 वित्तीय प्रणाली को कारगर बनाना।

5. विस्तार के लिए लक्ष्य निर्धारित करना तथा अल्पकालिक और दीर्घकालिक आधार पर प्रयोक्ताओं की सेवा में सुधार।

6. निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्रवाई योजनाएं तैयार करना।

7. सेवाओं के कंप्यूटरीकरण पर विशेष बल देना।

8. उपभोक्ताओं के साथ संपर्क में सुधार।

(ग) निगम के गठन के समय लगभग 3.4 लाख आवेदक टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में थे।

(घ) 1-4-1986 से वर्ष के अन्त तक लगभग 84,500 नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये गये हैं।

विद्युत और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सोवियत संघ वार्ता

50. श्री सोमनाथ रथ
श्री जगन्नाथ पटनायक } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्च स्तरीय सोवियत प्रतिनिधिमण्डल ने विद्युत और ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग पर वार्ता करने के लिए जनवरी, 1987 में भारत का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो वार्ता की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सोवियत प्रतिनिधि मंडल के साथ हुए विचार-विमर्श मुख्य रूप से टेहरी जल विद्युत कम्पलेक्स के क्रियान्वयन संबंधी उपायों, विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना तथा इससे सम्बद्ध पारेषण प्रणाली की प्रगति की समीक्षा और कहलगांव सुपर ताप परियोजना से सम्बन्धित था। विद्युत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच और सहायता संभाव्यताओं तथा दुलहस्ती श्रीनगर 400 के० वी० पारेषण लाइन के निर्माण पर भी विस्तार से बातचीत हुई थी।

कर्नाटक में बिजली की कमी

51. **डा० बी० वेंकटेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक बिजली की कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कर्नाटक सरकार को कोई सहायता दी है; और

(ग) कर्नाटक राज्य को सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बिजली क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कर्नाटक के लिए सातवीं योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र का अनुमोदित परिव्यय 800 करोड़ रुपए है।

आंध्र प्रदेश में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना

52. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में कृष्णा नदी बेसिन में उपलब्ध प्राकृतिक गैस पर आधारित कोई पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) इस उद्योग समूह की स्थापना कब तक किये जाने की आशा है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल के लिए वैकल्पिक पन-बिजली परियोजना

53. **श्री वी०एस० विजयराघवन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शांत घाटी परियोजना छोड़ने के समय केरल को उसके स्थान पर एक वैकल्पिक पन-बिजली परियोजना का आश्वासन दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने केरल के प्राधिकारियों को सलाह दी है कि उत्तरी केरल में विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार करने के सम्बन्ध में विचार करें। राज्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावित मनन्थवाड़ी जल विद्युत परियोजना पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं पाई गई है तथा कावेरी की एक सहायक नदी भवानी के जल के उपयोग से सम्बन्धित अन्तर्राज्यीय पहलू भी इसमें निहित हैं, जिन्हें अभी हल किया जाना है।

बिजली परियोजनाओं की स्वीकृति

54. **श्री अमल दत्त** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 22000 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो अब तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि केन्द्रीय सरकार के पास कोई परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं; तो उनका परियोजना-वार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी):(क) से (ग) सातवीं योजनावधि के दौरान 22,245 मेगावाट क्षमता के कार्यान्वयन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे है। उपर्युक्त क्षमता के बारे में परियोजना-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है, जिसमें मुकेरियां, आनन्दपुर साहेब तथा बारगी जल-विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं जिन्हें अभी स्वीकृति नहीं दी गई है।

विवरण

सातवीं योजना में प्रतिष्ठापित की जाने वाली विद्युत उत्पादन क्षमता

क्रम सं०	क्षेत्र/स्कीम	लाभ (मेगावाट)
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		6649
1.	पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत स्कीम (हरियाणा)	48
2.	दादुपुर जल विद्युत स्कीम (हरियाणा)	10
3.	पानीपत ताप विद्युत केन्द्र चरण-2 (हरियाणा)	220
4.	पानीपत ताप विद्युत केन्द्र चरण-3 (हरियाणा)	210
5.	आन्ध्रा जल विद्युत स्कीम (हिमाचल प्रदेश)	17
6.	रोंगटोंग जल विद्युत स्कीम (हिमाचल प्रदेश)	2
7.	भाभा जल विद्युत स्कीम (हिमाचल प्रदेश)	120
8.	थिरोट जल विद्युत स्कीम (हिमाचल प्रदेश)	4 5
9.	अपर सिंध जल विद्युत स्कीम चरण-2 (जम्मू और कश्मीर)	70
10.	कारनाह जल विद्युत स्कीम (जम्मू और कश्मीर)	2
11.	सतकना जल विद्युत स्कीम (जम्मू और कश्मीर)	4
12.	मुकेरिया जल विद्युत स्कीम (पंजाब)	162
13.	अपर बारी दोआब नहर जल विद्युत स्कीम चरण-2 (पंजाब)	45
14.	दोधर मिनि जल विद्युत स्कीम (पंजाब)	1.6
15.	धारीवाल जल विद्युत स्कीम (पंजाब)	2.4
16.	थूही जल विद्युत स्कीम (पंजाब)	0.8
17.	रोहती जल विद्युत स्कीम (पंजाब)	0 8

1	2	3
18.	निघमपुर जल विद्युत स्कीम (पंजाब)	0.8
19.	रोपड़ ताप विद्युत केन्द्र चरण-2 (पंजाब)	420
20.	आनन्दपुर साहिब जल विद्युत स्कीम* (पंजाब)	134
21.	कोटा ताप विद्युत केन्द्र (राजस्थान)	210
22.	रामगढ़ गैस टर्बाइन केन्द्र (राजस्थान)	3
23.	माही जल विद्युत स्कीम (राजस्थान)	140
24.	मंगरोल जल विद्युत स्कीम (राजस्थान)	6
25.	चारणवाला जल विद्युत स्कीम (राजस्थान)	2
26.	सूरत गढ़ जल विद्युत स्कीम (राजस्थान)	4
27.	अनूप गढ़ नहर जल विद्युत स्कीम (राजस्थान)	9
28.	पुगल जल विद्युत स्कीम (राजस्थान)	2.1
29.	जाखल जल विद्युत स्कीम (राजस्थान)	9
30.	मनेरी भाली जल विद्युत स्कीम चरण-2 (उत्तर प्रदेश)	304
31.	अनपारा "क" ताप विद्युत केन्द्र (उत्तर प्रदेश)	630
32.	टांडा ताप विद्युत केन्द्र (उत्तर प्रदेश)	440
33.	ऊंचाहार ताप विद्युत केन्द्र (उत्तर प्रदेश)	420
34.	सलाल जल विद्युत स्कीम (केन्द्रीय क्षेत्र)	345
35.	चमेरा जल विद्युत स्कीम (केन्द्रीय क्षेत्र)	180
36.	सिंघरोली सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-1 फेज-2 (केन्द्रीय क्षेत्र)	1000
37.	रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र (केन्द्रीय क्षेत्र)	1000
38.	नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना (केन्द्रीय क्षेत्र)	470

1	2	3
पश्चिमी क्षेत्र		6831.5
39.	उकई बांया तट नहर जल विद्युत स्कीम (गुजरात)	5
40.	कडाना पम्पड़ स्टोरेज जल विद्युत स्कीम (गुजरात)	120
41.	वानक बोरी ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (गुजरात)	630
42.	सिक्का ताप विद्युत केन्द्र (गुजरात)	120
43.	गांधीनगर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (गुजरात)	210
44.	हसदेव जल विद्युत स्कीम (मध्य प्रदेश)	120
45.	बारगो जल विद्युत स्कीम (मध्य प्रदेश)	90
46.	कोरबा पश्चिम ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (मध्य प्रदेश)	210
47.	संजय गांधी (बीरसिंह पुर) ताप विद्युत केन्द्र (मध्य प्रदेश)	210
48.	बांध सागर जल विद्युत स्कीम (मध्य प्रदेश)	210
49.	भीरा टेलरेस जल विद्युत स्कीम (महाराष्ट्र)	80
50.	तिल्लारी जल विद्युत स्कीम (महाराष्ट्र)	60
5..	पावना जल विद्युत स्कीम (महाराष्ट्र)	10
52.	भण्डारधारा जल विद्युत स्कीम (महाराष्ट्र)	10
53.	खडगवासला जल विद्युत स्कीम (महाराष्ट्र)	16
54.	भटसा जल विद्युत स्कीम (महाराष्ट्र)	15
55.	चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (महाराष्ट्र)	420
56.	उरण गैस केन्द्र विस्तार (महाराष्ट्र)	324
57.	खापरखेडा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (महाराष्ट्र)	420
58.	पारली ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (महाराष्ट्र)	210

1	2	3
59.	उज्जनी पम्प स्टोरेज जल विद्युत स्कीम (महाराष्ट्र)	12
60.	उरण गैस टर्बाइन केन्द्र यूनिट संख्या-8 (महाराष्ट्र)	108
61.	वैतरणा जल विद्युत स्कीम (महाराष्ट्र)	1.5
62.	पैंच जल विद्युत केन्द्र (मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र)	160
63.	कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (केन्द्रीय क्षेत्र)	500
64.	कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (केन्द्रीय क्षेत्र)	1000
65.	विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र (केन्द्रीय क्षेत्र)	1260
दक्षिणी क्षेत्र		5452.75
66.	बली मेला जल विद्युत स्कीम (आंध्र प्रदेश)	60
67.	नागार्जुन सागर जल विद्युत स्कीम चरण-2 (आंध्र प्रदेश)	100
68.	श्रीसेलम जल विद्युत स्कीम चरण-2 (आंध्र प्रदेश)	330
69.	पेना अहोविलम जल विद्युत स्कीम (आंध्र प्रदेश)	20
70.	नागार्जुन सागर बांया तट नहर जल विद्युत स्कीम (आंध्र प्रदेश)	60
71.	नागार्जुन सागर दांया तट नहर जल विद्युत स्कीम (आंध्र प्रदेश)	30
72.	पोचम्पद जल विद्युत स्कीम (आंध्र प्रदेश)	27
73.	विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (आंध्र प्रदेश)	210
74.	ककतिया नहर जल विद्युत स्कीम (आंध्र प्रदेश)	1.5
75.	वराही नहर जल विद्युत स्कीम (कर्नाटक)	239
76.	सुपा बांध जल विद्युत स्कीम (कर्नाटक)	100
77.	घठा प्रभा जल विद्युत स्कीम (कर्नाटक)	32
78.	रायचूर ताप विद्युत केन्द्र (कर्नाटक)	210
79.	मल्लापुर जल विद्युत स्कीम (कर्नाटक)	9

1	2	3
80.	कलमलायगनेकल जल विद्युत स्कीम* (कर्नाटक)	0.75
81.	सिरवाड जल विद्युत स्कीम (कर्नाटक)	1
82.	मधुर शाखा जल विद्युत स्कीम और अन्य मिनी/माइक्रो* (कर्नाटक)	75
83.	इद्यामलियार जल विद्युत स्कीम (केरल)	75
84.	ककड़ जल विद्युत स्कीम (केरल)	50
85.	इडुक्की जल विद्युत स्कीम चरण-2 (केरल)	390
86.	कल्लड़ा जल विद्युत स्कीम (केरल)	15
87.	सरवालार जल विद्युत स्कीम (तमिलनाडु)	20
88.	कदमपराई जल विद्युत स्कीम (तमिलनाडु)	400
89.	कुण्डा जल विद्युत स्कीम चरण-5 (तमिलनाडु)	20
90.	लोर मेथूर जल विद्युत स्कीम (तमिलनाडु)	120
91.	वगई माइक्रो जल विद्युत स्कीम (तमिलनाडु)	6
92.	पिकारा माइक्रो जल विद्युत स्कीम (तमिलनाडु)	2
93.	लोअर भवानी जल विद्युत स्मीम (तमिलनाडु)	8
94.	मैतूर ताप विद्युत केन्द्र (तमिलनाडु)	420
95.	मैतूर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (तमिलनाडु)	210
96.	तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (तमिलनाडु)	210
97.	रामगुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (केन्द्रीय क्षेत्र)	1000
98.	नेवेली दूसरा माइन कट ताप विद्युत केन्द्र (केन्द्रीय क्षेत्र)	630
99.	नेवेली दूसरा माइन कट ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (केन्द्रीय क्षेत्र)	210
100.	कलपक्कम परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-2 (केन्द्रीय क्षेत्र)	235

1	2	3
	पूर्वी क्षेत्र	3182.60
101.	पतरातू ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-10 (बिहार)	110
102.	उत्तरी कोयला जल विद्युत स्कीम (बिहार)	24
103.	सोन पश्चिमी लिंकनहर जल विद्युत स्कीम (बिहार)	6.6
104.	पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत स्कीम (बिहार)	15
105.	मुजफ्फर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-2 (बिहार)	110
106.	तेनूघाट ताप विद्युत केन्द्र (बिहार)	210
107.	सोन पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत स्कीम (बिहार)	3.3
108.	अपर कोलाब जल विद्युत स्कीम (उड़ीसा)	240
109.	हीराकुण्ड जल विद्युत स्कीम चरण-3 (उड़ीसा)	37.5
110.	रेंगाली जल विद्युत स्कीम (उड़ीसा)	100
111.	पोतेरू जल विद्युत स्कीम (उड़ीसा)	6
112.	रेंगाली जल विद्युत स्कीम विस्तार (उड़ीसा)	100
113.	रोंगनिछू जल विद्युत स्कीम चरण-2 (सिक्किम)	2.5
114.	रिमबी जल विद्युत स्कीम (सिक्किम)	1
115.	रामन जल विद्युत स्कीम (प० बंगाल)	50
116.	कोलाघाट ताप विद्युत केन्द्र (प० बंगाल)	420
117.	कोलाघाट ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (प० बंगाल)	210
118.	दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (प० बंगाल)	110
119.	तीसता नहर जल विद्युत केन्द्र (प० बंगाल)	22.5
120.	रिछिंगटन जल विद्युत केन्द्र विस्तार (प० बंगाल)	1
121.	फाणी जल विद्युत स्कीम विस्तार (प० बंगाल)	1.2

1	2	3
122.	पंचेर हिल जल विद्युत परियोजना (दामोदर घाटी निगम)	40
123.	बोकारो "ख" ताप विद्युत केन्द्र (दामोदर घाटी निगम)	210
124.	बोकारो "ख" ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (दामोदर घाटी निगम)	420
125.	गैस टर्बाइन (दामोदर घाटी निगम)	90
126.	फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-1 (केन्द्रीय (क्षेत्र)	630
127.	अण्डमान और निकोबार द्विप समूह में डीजल स्कीम*	12
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		429.40
128.	लोर बोर पानी जल विद्युत स्कीम (असम)	100
129.	लकवा गैस केन्द्र विस्तार (असम)	15
130.	चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (असम)	30
131.	बोगईगांव ताप विद्युत केन्द्र (असम)	60
132.	लकवा ताप विद्युत केन्द्र फेज-2 (असम)	60
133.	धानसेरी जल विद्युत स्कीम (असम)	20
134.	लोकेछो जल विद्युत स्कीम (मणिपुर)	0.4
135.	कथलमानवी जल विद्युत स्कीम (मणिपुर)	0.6
136.	लेमाखोंग जल विद्युत स्कीम (मणिपुर)	1
137.	नांगसुंगखण्ड जल विद्युत स्कीम (मणिपुर)	1.5
138.	गलनेल माइक्रो जल विद्युत स्कीम (मणिपुर)	0.4
139.	बूनिंग जल विद्युत स्कीम (मणिपुर)	1
140.	डीजल सैट (मणिपुर)	2
141.	विबकू जल विद्युत स्कीम (नागालैंड)	1
142.	महारानी जल विद्युत स्कीम (त्रिपुरा)	1

1	2	3
143.	तारामूर गैस ताप विद्युत केन्द्र (त्रिपुरा)	10
144.	बायोगैस टर्बाइन* (त्रिपुरा)	10
145.	टागों जल विद्युत स्कीम* (अरुणाचल प्रदेश)	4.5
146.	सेसा जल विद्युत स्कीम* (अरुणाचल प्रदेश)	1.5
147.	लघु जल विद्युत* (अरुणाचल प्रदेश)	3.60
148.	कोपीली जल विद्युत स्कीम (एन०इ०सी०)	100
149.	लघु जल विद्युत* (मिजोरम)	0.9
150.	लघु डीजल* (मिजोरम)	5
	जोड़ (यूटिलीटीज)	22245.25

गोवा, दमण और दीव में दूरसंचार सुविधाओं में विस्तार

55. **श्री शांताराम नायक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमण और दीव में दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार करने संबंधी कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने नए टेलीफोन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है और ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे और ये टेलीफोन केन्द्र कब तक चालू कर दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गए हैं।

विवरण-I

7वीं योजना के दौरान गोवा, दमन और दीव में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के लिए अस्थाई ब्यौरे।

गोवा, दमन, दीव

1. बम्बई-पंजिम-मंगलोर-बेंगलूर मद्रास 6 जी० एच० जेड० 140 एम० बी०/एस० डिजिटल माइक्रोवेव योजना।

2. मौजूदा एनालोग प्रणाली को बदलने के लिए पंजिम-मारगो 7 जी० एच० जेड० डिजिटल योजना ।

3. पंजिम-कारवार नैरो बैंकड माइक्रोवेव योजना ।

4. मौजूदा नैरो बैंक योजना को बदलने के लिए बेलगांव-जिपंजिम वाइड बैंड माइक्रोवेव योजना ।

5. पंजिम-पोंडा यू० एच० एफ० ।

6. पंजिम-कुडाल यू० एच० एफ० ।

7. दमन दिव में दो भू-केन्द्रों की व्यवस्था ।

8. दो ओपन वायर 3 चैनल कैरियर प्रणाली और छः एफ० एम० वी० एफ० टी० प्रणलियों की व्यवस्था ।

9. (क) मापुरा में 20 लाइन टेलेक्स एक्सचेंज ।

(ख) मारगो टेलेक्स एक्सचेंज का 60 से 100 लाइनों में विस्तार ।

10. पणजी एक्सचेंज का (3300 से 4800) लाइनों में विस्तार ।

11. मारगो एक्सचेंज का (3000 से 4000) लाइनों में विस्तार।

12. मापुसा में राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा की व्यवस्था ।

13. वास्को एम० ए० एक्स० II एक्सचेंज का (1500-1700) विस्तार

14. मापुसा एम० ए० एक्स०-II एक्सचेंज का (800-1000) विस्तार

15. पोंडा एक्सचेंज को स्वचल बनाना ।

16. दमन एम० ए० एक्स० II एक्सचज का (500-600) विस्तार ।

विवरण-II

नए एक्सचेंजों के प्रस्ताव

एक्सचेंज के नाम और स्थान		चालू होने का संभावित वर्ष
1. मंजूरे	50 लाइन	1986-87
2. मजरोदा	—वही—	1987-88
3. कर्तारिम	—वही—	1988-89 मांग और वित्तीय व्यव-
4. चान्दोर	—वही—	1988-89 हार्यता होने पर
5. बेतुल	—वही—	1989-90

केरल में खराब किस्म के चावल का निपटान

56. श्री तम्पन थामस : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में वर्ष 1984, 1985 और 1986 में चावल की कितनी मात्रा खराब हो गई;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई के लिये अनुपयुक्त होने के कारण चावल की कितनी मात्रा की नीलामी की गई; और

(ग) केरल राज्य को खराब किस्म का चावल सप्लाई करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) भारतीय खाद्य निगम के केरल स्थित गोदामों में 1984, 1985 तथा 1986 में चावल की कोई मात्रा खराब नहीं हुई थी।

(ख) चावल का कोई भी स्टाक नीलामी द्वारा नहीं बेचा गया है। तथापि केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जारी करने के लिये अनुपयुक्त पाई गई चावल की 46232 मीटरी टन मात्रा टेंडरों के जरिये भेजी जा रही है।

(ग) केरल में प्राप्त हुये सारे चावल की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है। राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण करने के पश्चात्, खाद्य अपमिश्रण निवारण सीमाओं के अनुरूप चावल को ही सार्वजनिक प्रणाली के जरिये वितरित करने के लिये अनुपयुक्त पाये गये स्टाक को अन्यथा बेचा जाता है। अत: केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये उपभोक्ताओं को खराब किस्म का कोई चावल सप्लाई नहीं किया जाता है।

तारों का वितरण

57. श्री मूलचन्द डागा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि कम से कम अट्ठानवें प्रतिशत तारों का वितरण 12 घंटे के भीतर हो, वर्ष 1985 में कार व्यवस्था आधुनिकीकरण योजना का त्रिवर्षीय कार्यक्रम शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब और कहां शुरू किया गया था;

(ग) क्या अब इसे अन्य स्थानों पर भी शुरू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि इस बारे में लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं और उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां । दूरसंचार विभाग ने टेलीग्राफ नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिये तीन वर्षीय कार्रवाई योजना शुरू की गई है ताकि 98 प्रतिशत तार 12 घंटे के भीतर वितरित किए जा सकें ।

(ख) कार्रवाई योजना में देश के लिये एक तार संदेश स्विचन नेटवर्क योजना तैयार करना, स्टोर एंड फारवर्ड मैसेज स्विचन प्रणालियों जैसे नेटवर्क के लिए तथा इलेक्ट्रॉनिक की-बोर्ड और इलेट्रानिक की-बोर्ड कन्सेन्ट्रेटर्स जैसे टर्मिनल यन्त्रों के लिए बिल्डिंग ब्लाकों का करना विकास शामिल है । यह कार्रवाई योजना नवम्बर, 1985 से शुरू हुई है और समूचे देश के लिये लागू है ।

(ग) से (ङ) कार्रवाई योजना में देश के सम्पूर्ण तार नेटवर्क को आधुनिक बनाने का कार्य शामिल है । देश के लिए टेलीग्राफ मैसेस स्विचिंग नेटवर्क प्लान को पहले ही तैयार कर ली गयी है । बिल्डिंग ब्लाकों का निर्धारण करने के पश्चात प्रोटोटाइप 138 लाइन स्टोर एण्ड फारवर्ड मैसेज स्विच, 64 लाइन स्टोर एण्ड फारवर्ड मैनेज स्विचल इलेक्ट्रानिक की बोर्ड कन्सनट्रेटर्स का विकास कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है ।

(च) प्राप्त किये गये लक्ष्य की स्थिति संतोषजनक है ।

करनाल में तेल शोधक कारखाना स्थापित करना

58. श्री विष्णु मोदी
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया
चौधरी राम प्रकाश
श्रीमती गीता मुखर्जी
: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

करनाल तेल शोधक परियोजना के बारे में 11.1 1986 के तारांकित प्रश्न संख्या 116 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल में संयुक्त क्षेत्र में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए विभिन्न पार्टियों के प्रस्तावों की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) परियोजना पर कार्य कब शुरू होने की संभावना है तथा इस पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) सरकार ने सिद्धांत रूप में करनाल में 6 मिलियन मी० टन

प्रति वर्ष क्षमता की एक रिफाइनरी लगाने का निर्णय ले लिया है। परियोजना को आरम्भ करने से पूर्व इसके वित्त पोषण आदि का विवरण तैयार किया जाना है। परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत लगभग 1500 करोड़ रुपये की है।

सुपर बाजार नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

59 **श्री. कमला प्रसाद सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3.2.1987 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सुपर बाजार स्ट्राइक हिट्स मारनिंग सप्लाइज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार सुपर बाजार के 700 कर्मचारियों ने दो घंटे की हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या है और उन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) दि कोआपरेटिव स्टोर लि०: नई दिल्ली (सुपर बाजार के नाम से लोकप्रिय) ने सूचित किया है कि कर्मचारियों की मांगें निम्न प्रकार हैं :—

1. नई भर्ती रोकी जाए और 20-1-87 तक नियुक्त अस्थाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए।

2. सभी कर्मचारियों को 1-1-1985 से 500 रुपये प्रतिमाह की अन्तरिम सहायता देना।

3. सुपर बाजार के कर्मचारियों को चौथे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार 1-1-1986 से सभी लाभ देना।

4. श्री सुभाष शंकर दुबे को बिना किसी पूर्व शर्त के तत्काल बहाल करना। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि कर्मचारियों की मांगों की जांच की जा रही है और उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत प्रगति पर है।

[हिन्दी]

1987 के दौरान डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा प्रदान किए जाने वाले शहर

60. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ऐसे शहरों की संख्या कितनी है जहां जनवरी, 1987 से दिसम्बर, 1986 तक डायल घुमाकर सीधे टेलीफन करने की सुविधा प्रदान करने का विचार है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के कितने शहरों को यह सुविधा दिए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 31- 12-1987 की स्थिति के अनुसार देश के 451 शहरों में एस० टी० डी० सुविधा सुलभ है। जनवरी, 1987 से दिसम्बर 1987 तक देश के अतिरिक्त 60 शहरों में यह सुविधा सुलभ कराने का प्रस्ताव है।

(ख) 31-12- 86 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश के 17 शहरों में एस० टी० डी० की सुविधाएं सुलभ थी। जनवरी, 1987 से दिसम्बर, 1987 तक मध्य प्रदेश में 8 और शहरों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की योजना है I

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय सिगरेट कम्पनियों द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन

61. **श्री राम भगत पासवान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों ने 1986 के दौरान मंजूर क्षमता से दुगना उत्पादन करके उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो भारत में सभी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा 1986 में किए गए उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) तकनीकी विकास महानिदेशालय को कम्पनियों द्वारा भेजी गई विवरणियों के अनुसार 1986 के लिए उनके उत्पादन की रिपोर्ट तथा अनुमोदित क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रमांक	कम्पनी/एकक का नाम	अनुमोदित क्षमता	1986 के दौरान उत्पादन (अनंतिम)
		(लाख नगों में)	
1	2	3	4
1.	मे० आई० टी० सी० लिमिटेड, बम्बई	7,7000	3,4470
2.	मे० आई० टी० सी लिमिटेड, कलकत्ता	4,8000	3,5460

1	2	3	4
3.	मे० आई० टी० सी० लिमिटेड, बंगलौर	19,0000	13,0020
4.	मे० आई० टी० सी० लिमिटेड, मुंगेर	6,8000	6,2770
5.	मे० आई० टी० सी० लिमिटेड, सहारनपुर	13,7000	7,6150
6.	मे० गोडफे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड, बम्बई	8,0000	3,3550
7.	मे० वी० एस० टी० इण्डस्ट्रीज, हैदराबाद	25,6000	13,6000

तेल की कम खपत करने वाली मोटर-कारों के माडल

62. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मोटर-कारों की कुल संख्या कितनी है उनका वार्षिक उत्पादन कितना है और उनकी मांग कितनी है;

(ख) मोटर-कारों की दिल्ली और बम्बई में क्रमश: कितनी संख्या है;

(ग) भारत में तेल की कम खपत करने वाली मोटर-कारों के माडलों में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) भारत में प्रतिवर्ष कितनी कारों का आयात किया जाता है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) आटोमोटिव कम्पोनेंट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया की "फैक्ट्स एण्ड फिगर्स 1986" प्रकाशन के अनुसार मार्च, 1986 को देश में पंजीकृत मोटर कारों की अनुमानित संख्या 14,14,300 थी। वर्ष 1985-86 के दौरान कुल 1,02,904 मोटर कारों का उत्पादन हुआ था। सरकार द्वारा नियुक्त किए गये एक उप-दल ने देश में 1989-90 तक 1,40,000 यात्री कारों की मांग होने का अनुमान लगाया था।

(ख) जनवरी, 1987 में पंजीकृत मोटर कारों की संख्या दिल्ली में 2,05,893 और बम्बई में 2,13,671 थी।

(ग) हाल ही के वर्षों में, देश में ईंधन बचाने वाली मोटर कारों के नये मॉडल निकाले गये हैं।

(घ) आटोमोबील और उसके हिस्सों सहित विभिन्न वस्तुओं की मात्रा और आयात मूल्य "मन्थली स्टेटस्टेटिस्टिक्स आफ द फोरेन ट्रेड आफ इन्डिया, वालियम-2-इम्पोर्ट्स' में प्रकाशित किए जाते हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

पश्चिम बंगाल में खड़गपुर में टेलीफोन प्रभाग की स्थापना

63. **श्री नारायण चौबे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में खड़गपुर में एक टेलीफोन प्रभाग स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का बेहतर कार्यकरण हेतु कलकत्ता के पश्चिम प्रभाग को खड़गपुर स्थानांतरित करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने रेलवे से इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित भूमि प्राप्त कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो खड़गपुर के उक्त प्रभाव से अब तक स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सेकेंडरी स्विचन क्षेत्रों पर आधारित नई प्रबन्ध प्रणाली के अन्तर्गत खड़गपुर एस० एस० ए० के लिये एक दूरसंचार जिला होगा जिसमें मौजूदा कलकत्ता पश्चिम मंडल का कुछ हिस्सा जो खड़गपुर एस० एस० ए० के अन्तर्गत पड़ता है, भी शामिल है। मंडल इन्जीनियर तार, कलकत्ता पश्चिम डिवीजन के पदनाम दूरसंचार जिला इन्जीनियर, खड़गपुर होगा।

(ग) जी हां। दूरसंचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थान सुलभ कराने के लिये भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।

(घ) उपर्युक्त (क) और (ख) में दिए गये कारणों से ही खड़गपुर में डिवीजन का गठन नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र में शाखा डाकघर खोलना

64. **श्री उत्तम राठोड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 और 83-84 के दौरान महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में कितने शाखा डाकघर खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई थी; और

(ख) इनमें से कितने शाखा डाकघर खोले जा चुके हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत

65. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन के रूप में स्रोत-वाद ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों का कहां तक उपयोग किया जा रहा है;

(ख) अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के सहित, देश भर में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की खोज (अनुसंधान) के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान समय में विद्युत के बारे में, दूर-दराज के ग्रामों का प्रारम्भिक विद्युतीकरण तथा सौर प्रकाश वोल्टीय सड़क बत्तियों की प्रणाली के द्वारा मध्य प्रदेश के लगभग 50 ग्रामों का विद्युतीकरण प्रारम्भ किया गया है। मध्य प्रदेश के बेतुल जिले के कुकरू नामक स्थान पर एक 50 किलोवाट पवन विद्युत जनित्र कार्यचालन की स्थिति में है। बायोमास पर आधारित, बायोमास गैसीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विद्युत एवं यांत्रिकी विद्युत उत्पादन प्रणालियां मध्य प्रदेश में प्रारम्भ की गई हैं, जहां कि अब तक 80 एककों से 950 किलोवाट विद्युत प्राप्त की गई। देश भर में लगभग 500 ग्रामों में प्रकाश वोल्टीय सड़क बत्ती प्रणालियों के बावजूद अन्य राज्यों एवं संघ शासित राज्यों में मुख्य परियोजनाएं गुजरात में पवन फार्म (1.75 मेगावाट) तमिलनाडु में (0.88 मेगावाट) महाराष्ट्र में (0.55 मेगावाट) उड़ीसा में (0.55 मेगावाट) गोवा में (55 किलोवाट) और दिल्ली में शहरी कूड़ा-करकट विद्युत के लिये 3.75 मेगावाट भस्मीकरण संयंत्र है। सातवीं योजना अवधि के दौरान, आशा की जाती है कि इस प्रकार की कई परियोजनाएं प्रारम्भ की जाएंगी। फिर भी संस्थापित क्षमता और प्राप्त किए गए अन्तिम लक्ष्य, वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेंगे।

भारतीय तेल निगम द्वारा "स्लेक वेक्स" की कीमतों में वृद्धि

66. **श्री कमल नाथ :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम द्वारा हाल ही में "स्लैक वेक्स" की कीमतें बढ़ा दिए जाने के कारण पैरेफिन मोम का उत्पादन करने वाले लघु एककों को बन्द होने का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारत मोम उत्पादन संघ ने इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) स्लैक वैक्स के उपभोक्ताओं से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार

करने के पश्चात् इण्डियन आयल कारपोरेशन ने 1.2.1987 से स्लैक वैक्स के विक्रय मूल्य को बरौनी में 4800 रुपये प्रति मी० टन से घटाकर 4500 रुपये प्रति मी० टन० और हल्दिया में 3970 रुपये प्रति मी० टन से घटाकर 3735 रुपये प्रति मी० टन कर दिया है।

सहकारी क्षेत्र में चीनी कारखाने की स्थापना

67. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल में घोषित नीति के अनुसार सहकारी क्षेत्र में 2500 टी० सी० डी० की आरम्भिक क्षमता का चीनी कारखाना स्थापित किया जा सकेगा जबकि सरकार की अब तक नीति के अनसार इस क्षेत्र में 1250 टी० सी० डी० की आरम्भिक क्षमता का ही चीनी कारखाना स्थापित किया जा सकता था; और

(ख) यदि हां, तो 2500 टी० सी० डी० क्षमता के नए सहकारी चीनी कारखानों की स्थापना में सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी हां। चूंकि लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व किसी परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यावहार्यता पर विचार किया जाता है, इसलिए नई सहकारी चीनी फैक्ट्रियों को अलग से सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयले का गैसीकरण

68. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु बिजली की तुलना में कोयला गैस ऊर्जा का सस्ता स्रोत होगा;

(ख) क्या गहराई स्तरों पर कोई क्षेत्र भू-तल कोयला गैसीकरण परीक्षण किए गए हैं अथवा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आर्थिक मूल्यांकन करने और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए ऐसे परीक्षण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) चूंकि देश में बिजली के उत्पादन हेतु कोयले का गैसीकरण अभी प्रयोगात्मक चरण में ही है अतः इस तरह के बिजली उत्पादन और परमाणु बिजली के उत्पादन के लागत खर्च के संबंध में अभी तक कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) गुजरात राज्य के मेहसाना में, 1000 से 1700 मीटर की गहराई में कोयले का भण्डार उपलब्ध है। यहां तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने यथा-स्थान भूमिगत

कोयला गैसीकरण पर एक अनुसंधान तथा विकास परियोजना शुरू की है। सभी 14 क्षेत्रों के उत्पादन परीक्षण का कार्य यू० सी० जी०—1 कूप में पूरा कर लिया गया है। कूप के कोयला नमूनों का विस्तृत रासायनिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के एककों को राज सहायता देना बन्द करने का प्रस्ताव

69. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एककों को राज्य सहायता देना बन्द करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्य का आशय खाद्य एवं उर्वरक संबंधी राज-सहायता से है। यह राज-सहायता बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात बिल

70. **डा० दत्ता सामन्त :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1987 के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात बिल कितना है और वर्ष 1986-87 के दौरान किए गए आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1987-88 के लिये पेट्रोलियम उत्पादों की मांग क्या है ; और

(ग) वर्ष 1984, 1985 और 1986 में प्रत्येक वर्ष देश में पेट्रोलियम उत्पादों का कितना उत्पादन हुआ ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) (क) 1987 के आयात बिल का इस समय अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वर्ष 1986-87 के दौरान लगभग 3050 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 15.6 मिलियन मी० टन कच्चे तेल तथा लगभग 3.7 मिलियन मी० टन पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की संभावना है।

(ख) आशा है, 1987-88 के दौरान लगभग 47.17 मिलियन मी० टन पेट्रोलियम उत्पादों की मांग होगी।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश मे पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

	मात्रा (मिलियन मी० टन)
1984	33.22
1985	38.61
1986	43.20 (अनंतिम)

मध्य प्रदेश में बायोगैस के स्रोत

71. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में बायोगैस के स्रोतों का कितना उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये लक्षित आंकड़ों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना "बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना" के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य में तथा अन्य राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में भी बायोगैस साधनों की खोज की जा रही है। सातवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 5.5 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का विचार किया गया था। राज्यवार लक्ष्य वार्षिक आधार पर निश्चित किए जाते हैं। 1985-86 के दौरान 1.50 लाख संयंत्रों के लक्ष्य की तुलना में 1.95 लाख से अधिक बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। 1986-87 के लिए, 1.50 लाख संयंत्रों का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकारों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि अप्रैल, 1986 से जनवरी, 1987 के दौरान 92,500 से अधिक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दर्शायी गई है। मध्य प्रदेश में 1985-86 तथा 1986-87 (दिसम्बर, 1986) तक क्रमशः 4028 तथा 1138 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

विवरण

बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना 1985-86 तथा 1986-87 (जनवरी, 1987 तक) की अवधि के लिए लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/एजेंसी	1985-86 लक्ष्य	1985-86 उपलब्धि	1986-87 लक्ष्य	1986-87 उपलब्धि (अप्रैल, 1986 से जनवरी, 1987)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	20,000	21,137	20,000	5574
2.	असम	1,000	108	1,000	370

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	6,400	8,600	6,400	3005
4.	गुजरात	4,800	8,592	5,000	5799
5.	हरियाणा	2,200	2,251	2,200	1623
6.	जम्मू एवं कश्मीर	120	140	120	56
7.	कर्नाटक	7,000	7,756	7,000	3794
8.	केरल	2,400	2,[illegible]05	2,400	968
9.	महाराष्ट्र	35,100	58,232	40,000	23852
10.	मध्य प्रदेश	3,000	4,028	3,000	1138*
11.	उड़ीसा	2,500	5,347	2,500	2202
12.	पंजाब	1,600	1,752	1,600	1880
13.	राजस्थान	5,000	5,304	5,000	3019
14.	तमिलनाडु	13,000	18,059	13,120	13063
15.	उत्तर प्रदेश	20,000	27,295	20,000	11711*
16.	पश्चिम बंगाल	2,800	2,830	2,800	2937
17.	हिमाचल प्रदेश	2,500	2,650	2,500	2605*
18.	त्रिपुरा	10	—	10	—
19.	पांडिचेरी	100	65	100	22
20.	गोवा, दमन एवं दीव	100	101	100	85
21.	मणीपुर	25	—	25	—
22.	मेघालय	100	---	30	—
23.	नागालैंड	10	----	10	--
24.	अंडमान एवं निकोबार	10	5	5	3
25.	चंडीगढ़	5	5	5	—
26.	दिल्ली	100	80	60	—

1	2	3	4	5	6
27.	दादरा एवं नगर हवेली	7	7	10	—
28.	मिजोरम	100	68	150	97
29.	सिक्किम	10	—	5	16
30.	लक्षद्वीप	1	—	—	—
31.	अरूणाचल प्रदेश	2	—	—	—
32.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	20,000	18,252	15,000	8726
	योग	1,50,000	1,95,069	1,50,150	92,547

*दिसम्बर, 86 तक प्राप्त रिपोर्ट

केरल को खाद्यान्न की सप्लाई

72. श्री के० कुन्जम्बू : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों के दौरान, केरल द्वारा मांगी गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा सप्लाई की गई खाद्यान्नों की मात्रा का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त राज्य को उसके द्वारा मांगी गई पूरी मात्रा सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें पिछले छः महीनों के दौरान केरल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूं की मांग, उनके आवंटन और उठान का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आवंटन खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुपूरक होते हैं। तथापि, कुल मिलाकर राज्य सरकार की मांग को आवंटनों में यथासम्भव वृद्धि कर पूरा किया जा रहा है।

विवरण

अगस्त, 1986 से जनवरी, 1987 के दौरान केरल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल और गेहूं की मांग, उनको किये गए आवंटन और उनका उठान

(हजार मीटरी टन में)

मास	मांग		आवंटन		उठान (अ)	
1986	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
अगस्त	150.0	35.0	150.0*	35.0	157.1	11.4
सितम्बर	200.0	35.0	165.0@	35.0	155.9	8.0
अक्तूबर	150.0	35.0	150.0*	35.0	127.8	8.9
नवम्बर	150.0	20.0	125.0	35.0	124.6	9.2
दिसम्बर	150.0	20.0	140.0**	35.0	131.1	9.2
1987						
जनवरी	150.0	20.0	125.0	35.0	121.7	8.0

(*) इसमें 25,000 मीटरी टन का विशेष अतिरिक्त आवंटन शामिल है।

(@) इसमें 40,000 मीटरी टन का विशेष अतिरिक्त आवंटन शामिल है।

(**) इसमें 15,000 मीटरी टन का विशेष अतिरिक्त आवंटन शामिल है।

(अ) अनन्तिम

राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की रामगुण्डम स्थित यूनिटों को चालू करने में विलम्ब

73. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की रामगुण्डम स्थित यूनिटों को चालू करने में विलम्ब हुआ है ;

(ख) विलम्ब के कारण क्या हैं और क्या विलम्बकारी कारणों को दूर कर लिया गया है;

(ग) इन यूनिटों को सामान्यतः कब तक चालू किये जाने की योजना थी;

(घ) इन यूनिटों को कब तक चालू किये जाने की संभावना है; और

(ङ) इन यूनिटों के चालू होने में हुये विलम्ब के कारण तथा लागत वृद्धि के कारण कितना अतिरिक्त व्यय होने की संभावना हैं।

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जा, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) रामगुण्डम सुपर ताप विद्युत परियोजना की विभिन्न यूनिटों को चालू करने का कार्यक्रम नीचे दिए गए अनुसार हैं :—

यूनिट	चालू करने का कार्यक्रम	चालू करने की वास्तविक तारीख
1. (200 मेगा०)	फरवरी, 1984	अक्तूबर, 1983
2. (200 मेगा०)	अगस्त, 1984	मई, 1984
3. (200 मेगा०)	फरवरी, 1985	दिसम्बर, 1984
4. (500 मेगा०)	जुलाई, 1988	
5. (500 मेगा०)	जुलाई, 1989	
6. (500 मेगा०)	जुलाई, 1990	

(ङ) सम्बद्ध पारेषण लाइनों सहित परियोजना (2100 मेगा०) की अनुमोदित लागत अनुमानों में लगभग 274.88 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है, जिसका मुख्य कारण कीमतों में वृद्धि होना है।

कागज का आयात

74. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कागज का आयात करने का विचार है जबकि छोटी कागज मिलों की केवल 58 प्रतिशत प्रतिष्ठापित क्षमता ही प्रयोग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देश में छोटी कागज मिलों की पूरी क्षमता प्रयोग करने तथा देश की आवश्यकताओं को देश में ही उत्पादन से पूरा करने हेतु उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) पेपर तथा पेपर बोर्ड का आयात नगण्य है फिर भी, कागज की कुछ खास किस्में जो देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, के आयात करने की अनुमति दी जाती है। कागज की सामान्य किस्मों के आयात के लिये इस समय केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उत्पादन बढ़ाने तथा क्षमता उपयोगिता एवं वित्तीय जीव्यता में सुधार करने के लिये, कागज उद्योग को निम्नलिखित राहतें और रियायतें दी गई हैं :—

1. लुग्दी, रद्दी कागज तथा वुड चिप्स के आयात को ओ० जी० एल० के अंतर्गत रख कर सीमा-शुल्कों से मुक्त कर दिया गया है।

2. लकड़ी के लट्ठों के आयात को ओ० जी० एल० के अंतर्गत कर दिया गया है और रियायती सीमा-शुल्क लगाया है।

3. लिखने और मुद्रण करने वाला कागज जिसमें खोई से बनी हुई लुग्दी का वजन के रूप में 75% से कम न हो, के विनिर्माण को उत्पादन-शुल्क से छूट दे दी गई है।

4. गैर-परम्परागत कच्चे-माल के प्रयोग से तैयार किये गये कागज और पेपर बोर्ड पर रियायती दरों पर उत्पादन-शुल्क लिया जाता है।

5. अनुक्रमिक स्लैबों के लिये संवृद्धि के आधार पर उत्पादन-शुल्क अदा करने की सुविधा 1-4-1986 से छोटी कागज मिलों को भी दे दी गई है।

6. सम्पूर्ण लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अन्तर्गत इस उद्योग को सभी किस्मों के कागज और पेपर ग्रेड लुग्दी जिसमें पेपर बोर्ड/स्ट्रा-बोर्ड शामिल हैं, के निर्माण की छूट प्रदान कर दी गई है।

7. कृषि अवशेषों, रद्दी तथा खोई से तैयार किये गये लिखने, मुद्रण तथा लपेटने वाले कागज के लिये औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

8. 1.4.79 तथा 31.3.87 के बीच चालू किये गये नये एककों को पांच वर्षों के लिये उत्पादन शुल्क से 50% तक की छूट दी गई है।

सिलिंडरों में कम गैस भरना

75. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रसोई गैस सिलिंडरों में कम गैस भरे जाने के बारे में सरकार का ध्यान बराबर आकृष्ट किये जाने के बावजूद इस संबंध में शिकायतों में वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जबकि तेल विपणन कम्पनियों को सामान्य कार्य व्यापार के दौरान ऐसे कुछ मामले बताये जा रहे हैं, ये बहुत थोड़े हैं। एल०पी० जी० बाटलिंग संयंत्रों में और एल० पी० जी० वितरकों के पास संस्थानगत प्रबन्ध होते हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एल० पी० जी० सिलिंडरों में एल० पी०जी० का वजन सही भरा गया है और सही वजन वाले सिलेण्डर ही सप्लाई किये गये हैं। तेल विपणन कम्पनियाँ बढ़िया किस्म की सिलिण्डर सीलों के उपयोग को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही हैं ताकि सिलिण्डरों को लाने-ले जाते समय होने वाली उत्पाद की चोरी/क्षति को रोका जा सके। तेल कम्पनियों के फील्ड स्टाफ वितरकों के शो-रूमों/गोदामों का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और सिलिंडरों का सही वजन देखने के लिए अचानक जांच भी करते हैं।

भांडागारों की भंडारण क्षमता में वृद्धि करना

76. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने भांडागारों में खाद्यान्न का भंडारण किया गया तथा इन भांडागारों में 31 जनवरी 1985, 31 मार्च, 1986 और 31 दिसम्बर, 1986 को रखे खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस अवधि के दौरान, राज्यवार, भांडागारों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये तथा किन स्थानों पर नये भांडागारों का निर्माण किया गया और उन पर अलग-अलग राज्यवार कितना व्यय किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि इन भांडागारों में रखा गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों के रक्षित भंडार का अधिकांश भाग भंडारण के 6 महीने की अवधि के पश्चात् नियमित रूप से सड़ा हुआ घोषित कर दिया गया ; और

(घ) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान खाद्यान्नों की कितनी मात्रा सड़ी हुई घोषित की गई तथा इसके कारण कितनी अनुमानित हानि हुई ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 31.1.1985, 31.3.1986 और 31.12.1986 को भांडागारों की राज्यवार संख्या और उनमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारित किए गए खाद्यान्नों का ब्यौरा दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 3735/87]

(ख) अतिरिक्त क्षमता का निर्माण कर और विभिन्न स्रोतों से क्षमता को किराये पर लेकर भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए पग उठाए गए थे। एक विवरण संलग्न है जिसमें अप्रैल, 1985 से जनवरी, 1987 के दौरान निगम द्वारा निर्मित भंडारण क्षमता और इस समय निर्माणाधीन क्षमता का राज्यवार ब्योरा दिया गया है एक अन्य विवरण संलग्न है जिसमें इस अवधि के दौरान जिन केन्द्रों में भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया है और जिन केन्द्रों में इस समय क्षमता निर्माणाधीन है, का ब्योरा दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3735/87]

इन भाण्डागारों के निर्माण पर हुए खर्च के राज्यवार अलग-अलग ब्योरे निगम के पास तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) 1985-86 के दौरान 11.44 करोड़ रुपये के मूल्य के 0.87 लाख मीटरी टन खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुए थे।

[अनुवाद]

विभागेतर कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना

77. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संचार विभाग में इस समय काम कर रहे विभागेतर कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनकी सेवाओं को नियमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या उनके भत्ते में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 31-3-86 को संख्या : 2,99,042।

(ख) जी नहीं, अतिरिक्त विभागीय एजेंट, कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित घंटो के लिए केवल कुछ समय तक काम करते हैं तथा उन्हें समेकित माहवार भत्ता दिया जाता है। इस प्रकार उन्हें पूर्णकालिक, सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता। अत: नियमित विभागीय पदों पर अतिरिक्त विभागीय एजेंट के रूप में उनकी सेवाएं नियमित नहीं की जा सकती। तथापि, वरिष्ठता के आधार पर, उन्हें पोस्टमैन के संवर्ग में श्रेणी 'घ' के पदों पर चुना जा सकता है बशर्ते कि विशेष शर्तों के आधार पर इस उद्देश्य से आयोजित लिखित परीक्षा में वह अर्हता प्राप्त कर सकें।

(ग) मूल्य वृद्धि को देखते हुए अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के पारिश्रमिक में वर्ष में एक बार संशोधित किया जाता है। संलग्न विवरण के अनुसार 1-9-1986 से इसमें संशोधन किया गया है।

विवरण

एजेंसी की श्रेणी	संशोधित वेतनमान न्यूनतम	अधिकतम
(क) अतिरिक्त विभागीय उप पोस्टमास्टर/ अतिरिक्त विभागीय छंटाईकार/अतिरिक्त विभागीय रिकार्ड क्लर्क	292	360
(ख) अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर	202	254
(ग) अतिरिक्त विभागीय स्टैंप वेंडर	202	254
(घ) अन्य अतिरिक्त विभागीय एजेंट		
(एक) 2 घंटे तक अथवा अधिक समय तक कार्य के लिए	199	242
(दो) दो घंटे से कम समय तक कार्य के लिए	174 (निर्धारित)	

प्राकृतिक गैस को जलने से बचाने के उपाय

78. श्री पी० एम० सईद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में विभिन्न स्थानों पर जलाई जा रही प्राकृतिक गैस की मात्रा के बारे में अनुमान लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा गैस को जलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि सातवीं योजना के अन्त तक प्राकृतिक गैस का उत्पादन वर्तमान उत्पादन से दुगना हो जायेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं के लिए प्राकृतिक गैस का मूल्य कम करने का है और यदि हां, तो कब ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) 1985-86 में करीब 3120 मि० घन मी० टन गैस की अनुमानित मात्रा जलायी गई थी। विभिन्न कारणों से गैस जलायी जाती है और कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

— पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में अतिरिक्त कम्प्रैशन सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

— गुजरात क्षेत्र में दूर-दराज के क्षेत्रों में जलाई जा रही सम्बद्ध गैस की छोटी-छोटी मात्राओं को एकत्र करने की योजनायें बनाई जा रही हैं।

— पूर्वी क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड ने नये उपभोक्ताओं को गैस देने की वचनबद्धता की है।

— गैस अथारिटी आफ इंडिया ने भी असम के विभिन्न तेल क्षेत्रों को पाइपलाइनों के ग्रिड के जरिए जोड़ने के लिए अध्ययन किया है।

— जब नियमित उपभोक्ता गैस की बचनबद्ध मात्राओं को उठाने में असमर्थ रहें तो उस गैस का उपयोग करने के लिए "फॉल बैंक" उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(ग) आशा है कि सातवीं योजना के अन्त तक प्राकृतिक गैस का उत्पादन प्रतिदिन करीब 40 मि० घन मी० होगी।

(घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

पंजाब में चीनी मिलें चलाने में कठिनाई

79. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में चावल मिल-मालिकों की एसोसिएशन ने अपनी मिलें चलाने में असमर्थता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) पंजाब राइस मिलर्स एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने

बताया है कि धान मिलिंग और ड्रायेज की कम दरें होने के कारण उन्हें हानियां हो रही हैं और वे अपने परिचालनों को बन्द कर देने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

(ग) धान को कस्टम मिलिंग और ड्रायेज की दरें भारतीय खाद्य निगम सहित सरकारी वसूली एजेन्सियों द्वारा स्वयं की उत्तम वाणिज्यिक सूझ-बूझ के अनुसार मिल-मालिकों के साथ सीधे तय की जाती हैं।

[अनुवाद]

50 प्रतिशत से कम क्षमता का उपयोग करने वाले उद्योग

80. **चौधरी अख्तर हसन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जारी किये गये आशय-पत्रों तथा उनको औद्योगिक लाइसेन्स में बदलने की संख्या में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विस्तार और निवेश में इस बढ़ती हुई प्रवृति के बावजूद भी अनेक महत्वपूर्ण उद्योग अपनी क्षमता का 50 प्रतिशत से भी कम उपयोग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रवृति को अनुमति देने में हमारी औद्योगिक नीति का क्या उद्देश्य है जबकि देश में मांग में मंदी व्याप्त है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1985 की तुलना में 1986 के दौरान लाइसेन्स मुक्त उद्योगों से संबंधित आशय-पत्रों और पंजीकरण पत्रों के रूप में स्वीकृत औद्योगिक स्वीकृतियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय द्वारा 1986 के दौरान 1130 आशय-पत्र और 2387 पंजीकरण पत्र जारी किए गए जबकि 1985 के दौरान 1457 आशत्र-पत्र और 1167 पजीकरण पत्र जारी किये गये थे। पिछले वर्ष की तुलना में 1986 में औद्योगिक लाइसेन्सों में परिवर्तित आशय-पत्रों में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 1986 में 506 आशय-पत्र औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित किए गए जबकि 1985 के दौरान इनकी संख्या 432 थी।

(ख) और (ग) कुछ उद्योगों, में अवस्थापनात्मक और कच्ची सामग्री सम्बन्धी बाधाओं, मांग संबंधी अड़चनों विपरीत औद्योगिक संबंधों, अपर्याप्त प्रौद्योगिकीय-उन्नयन, आदि जैसे कारकों के कारण क्षमता उपयोग कम रहा। क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए सरकार आधुनिकीकरण, संतुलन उपकरण में निवेश एवम् प्रौद्योगिकीय उन्नयन पर बल दे रही है। औद्योगिक लाइसेन्सीकरण और आयात नीतियों के साथ-साथ आर्थिक एवम् राजकोषीय उपायों तथा अवस्थापना सुविधाओं में सुधार करके भी उच्चतर क्षमता उपयोग प्राप्त किया जा रहा है। ऐसा कोई प्रमाण देखने में नहीं आया है कि देश में कोई सामान्य मांग की मंदी व्याप्त है।

सीमेंट एककों का कार्यकरण

81. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
श्री सनत कुमार मंडल } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्ष 1982 से स्थापित किये गये सीमेंट एककों के असंतोषजनक कार्यकरण की ओर दिलाया गया है जिसके कारण वे और क्षमता के लिए और पूंजी भी जुटाने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां तो क्या इस स्थिति के लिए उत्तरदायी कारणों का कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) उनके क्या परिणाम निकले हैं और क्या-क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सीमेंट मन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन तथा कई अलग-अलग एककों से उन वित्तीय समस्याओं के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो इस प्रकार के एककों के सम्मुख आ रही हैं। किन्तु इस प्रकार के एककों द्वारा भविष्य में क्षमताओं के लिए नई पूंजी इकट्ठी करने में असमर्थता के बारे में कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा इस स्थिति की जांच की गई है और निम्नलिखित राहतें पहले ही दी जा चुकी हैं :—

(1) 5 दिसम्बर, 1986 से सभी नए एककों का लेवी दायित्व उनके वास्तविक उत्पादन के 40 प्रतिशत से घटा कर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे गैर-लेवी श्रेणी में अधिक सीमेंट बेचकर अतिरिक्त धनोपार्जन में सहायता मिलेगी।

(2) 15 दिसम्बर, 1986 से लेवी सीमेंट के संधारण मूल्य में 24.50 रुपये प्रति मी० टन की वृद्धि की गई है।

(3) सीमेंट कारखानों द्वारा गैर लेवी सीमेंट के उत्पादन पर सीमेंट नियमन लेखे में 9 रुपये प्रति मी० टन के हिसाब से जो भुगतान किया जाता था, वह 15-12-1986 से समाप्त कर दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में हो रहा घाटा

82. श्री जी०एस० बसवराजू
श्री एस०एम० गुरड्डी
श्री शांति धारीवाल } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनमें लगातार घाटा हो रहा है, इन उद्योगों में कितना धन लगाया गया है तथा अभी तक कुल कितनी हानि हुई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के रुग्ण उद्योगों को बन्द करने अथवा इन्हें गैर-सरकारी क्षेत्रों को सौंपने का है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के०के० तिवारी) : (क) 31-3-1985 को समाप्त गत पांच वर्ष के दौरान लगातार घाटा उठा रहे केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के नामों का विवरण संलग्न है। इन उद्यमों में किये गये पूंजी-निवेश की राशि तथा संचित घाटे का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1984-85 में दिया गया है।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

विवरण

31-3-1985 को समाप्त गत पांच वर्ष के दौरान लगातार घाटा उठा रहे केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के नाम

1. भारतीय चाय व्यापार निगम लि०
2. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०
3. गार्डेनरीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०
4. भारत कोकिंग कोल लि०
5. ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि०
6. भारतीय उर्वरक निगम लि०
7. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि०
8. ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि०
9. भारी इंजीनियरी निगम लि०
10. जेसप एण्ड कम्पनी लि०
11. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०
12. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०
13. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि०

14. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि०
15. स्कूटर्स इंडिया लि०
16. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि०
17. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०
18. भारत आफ्थेल्मिक ग्लास लि०
19. मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०
20. टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन लि०
21. मिम टी० कम्पनी लि०
22. बीको लारी लि०
23. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०
24. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०
25. दिल्ली परिवहन निगम
26. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०
27. भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि०
28. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०
29. भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि०
30. हिन्दुस्तान कापर लि०
31. उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०
32. सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि०
33. आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफक्चरिंग कारपो० आफ इण्डिया
34. उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि०
35. ने०टे०का० (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और माहे) लि०

36. ने०टे०का० (दिल्ली, पंजाब और राजस्थान) लि०

37. ने०टे०का० (उत्तर प्रदेश) लि०

38. ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि०

बम्बई तथा गुजरात में गैस का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन

83. **श्री एस०एम० गुरड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तथा गुजरात में गैस का बहुत अधिक उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या असम तेल शोधक कारखाना हाल ही में कुछ समय तक बन्द रहा था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) बम्बई हाई से प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भारी वृद्धि तथा गुजरात से उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है । इसके साथ-साथ इसकी खपत में भी वृद्धि हुइ है ।

(ख) और (ग) विभिन्न मांगों के लिए कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने के कारण गोवाहाटी रिफाइनरी को 27-1-87 से बंद करना पड़ा । उनकी मांगों को निपटा दिया गया है तथा 9-2-87 से हड़ताल समाप्त कर दी गई है ।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन तथा रोजगार

84 **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों का उत्पादन कितना था;

(ख) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में आज तक की रोजगार की स्थिति क्या है;

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार बढ़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में वर्ष 1985-86 और 1986-87 के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, कारखाना क्षेत्र सहित उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के नवीनतम को वर्षों 1981-82 तथा 1982-83 के कुल उत्पादन के उपलब्ध आंकड़े निम्नलिखित थे :—

कुल उत्पादन (करोड़ रु० में)

क्षेत्र	1981-82	1982-83
सरकारी क्षेत्र (केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारें)	20,531	24,927
पूर्णतः गैर सरकारी क्षेत्र	47,418	54,076

(ख) से (घ) श्रम मंत्रालय को 1983-84 की वार्षिक रोजगार समीक्षा के नवीनतम सारांश के अनुसार 1983 और 1984 की 31 मार्च को सरकारी और गैर सरकारी उद्योग क्षेत्रों (उत्पादन, खनन और उत्खनन, बिजली, गैस एवम् जल) में रोजगार के आंकड़े निम्नलिखित थे :

(लाखों में)

	1983	1984
सरकारी क्षेत्र	32.39	33.77
गैर सरकार क्षेत्र	47.83	46.25

हरियाणा में टेलीफोन कनेक्शन

85. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को हरियाणा के विभिन्न नगरों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं; और

(ग) हरियाणा राज्य के प्रत्येक नगर में अभी कितने आवेदक प्रतीक्षा-सूची में हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण के क्रमशः 3, 4 एवं 5 में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	शहर का नाम	गत 3 वर्षों (1984-85, 85-86 31-1-87 तक) के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्र	गत 3 वर्षों के दौरान उपलब्ध कराए गए कनेक्शन	प्रतीक्षा-सूची
1	2	3	4	5
1.	अम्बाला कैंट	874	940	521
2.	अम्बाला शहर	1163	1010	1014
3.	बदरपुर	105	144	163
4.	बहादुरगढ़	39[illegible]	9	381
5.	बल्लभगढ़	1192	1092	664
6.	भिवानी	506	320	186
7.	डबवाली	215	191	86
8.	फरीदाबाद	5353	1220	5148
9.	फतेहाबाद	177	71	88
10.	गुड़गांव	2258	1268	2423
11.	हांसी	222	189	34
12.	हिसार	1296	763	1164
13.	जीन्द	198	255	187
14.	कैथल	669	398	352
15.	कालका	202	93	73
16.	करनाल	1082	149	1473
17.	कुरुक्षेत्र	646	396	206
18.	नारनौल	151	149	39

1	2	3	4	5
19.	नरवाना	147	198	30
20.	पलवल	246	202	90
21.	पानीपत	1802	1[illegible]2	2300
22.	रिवाड़ी	280	340	175
23.	रोहतक	1826	1099	727
24.	शाहबाद	236	175	29
25	सिरसा	1065	599	817
26.	सोनीपत	826	615	211
27.	टोहाना	212	171	85
28.	यमुनानगर	1669	1129	787
अन्य शेष सभी एक्सचेंज (500 लाइनों से कम क्षमता)		7860	6148	1518

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा टरबाइनों की प्रतिष्ठापना

86. **डा० गौरी शंकर राजहंस :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने छोटे आकार के टरबाइन स्थापित किए हैं और विशेषज्ञों की सलाह नहीं मानी है;

(ख) यदि हां, तो क्या छोटे आकार के टरबाइन राजधानी की बिजली की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकते हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान जिसने विशेषज्ञों की सलाह की अवहेलना की है के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की प्रणाली में गैस टर्बाइनों के लिए यूनिट (30 मेगावाट) के आकार के बारे में निर्णय इन यूनिटों के कार्य निष्पादन को मद्देनजर रखते हुए लिया गया था।

इसमें ब्लैक स्टार्ट और वोल्टता प्रणाली में सुधार करने के लिए प्रचालन की सुविधा भी शामिल है। इस प्रकार की सुविधाएं बड़े आकार के यूनिटों में उपलब्ध नहीं होती हैं।

(ख) गैस टर्बाइनों को प्रतिष्ठापति करने का उद्देश्य दिल्ली की व्यस्ततम कालीन आवश्यकता को पूरा करना और जब कभी भी अपेक्षित हो प्रणाली वोल्टता में सुधार करना था। गैस टर्बाइनें इन आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं।

(ग) और (घ) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तरों को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बक्रेश्वर ताप बिजली परियोजना के लिए बाण्ड

87. **श्री गदाधर साहा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बक्रेश्वर बिजली परियोजना के लिए बांड जारी करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां तो इन्कार करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई बाण्ड जारी करने की वर्तमान स्कीम प्रमुख रूप से आधारभूत क्षेत्रों में केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तक ही सीमित है। इसी प्रकार के क्षेत्रों में वित्तीय दृष्टि से जीवनक्षम राज्य सरकार के उपक्रमों को यह सुविधा प्रदान करने के बारे में सरकार द्वारा निर्णय स्कीम के प्रचालन में पर्याप्त अनुभव हो जाने तथा केन्द्र सरकार की वचनबद्धता के परिप्रेक्ष्य में सरकार की संसाधनों की समग्र स्थिति का ध्यान रखते हुए लिया जाएगा।

ऊर्जा का परिरक्षण

88. **श्री श्रीभट्टम राम मूर्ति**
श्री के० राम मूर्ति } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऊर्जा के परिरक्षण के लिए किन उपायों पर विचार किया गया है; और

(ख) उनसे अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) देश में ऊर्जा के संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

—औद्योगिक यूनिटों में ऊर्जा संरक्षण की स्थिति का पता लगाने हेतु ऊर्जा संबंधी लेखा-

परीक्षा किया जाना, उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां ऊर्जा उत्पादन में सुधार किया जा सकता है और इस सुधार को प्राप्त करने के लिए उपाय सुझाना।

—औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा की खपत के आंकड़ों संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना और उद्योग-वार/संयंत्र-वार मानदंड निर्धारित किया जाना।

—ऊर्जा प्रबंधकों तथा ऊर्जा लेखा परीक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

—वित्तीय प्रोत्साहन आदि के माध्यम से ऊर्जा की बचत करने वाले उपायों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना।

—ऊर्जा से चलने वाले विभिन्न उपकरणों से संबंधित भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित विशिष्टियों में संशोधन करना ताकि ऊर्जा दक्षता के न्यूनतम स्तर निर्दिष्ट किए जा सकें।

—मानक विशिष्टियों वाले उपकरण और मशीनरी के उपयोग को बढ़ावा देना।

—अकुशल कृषि पम्पसैटों में सुधार करना।

—उपभोक्ताओं को शिक्षित करने तथा उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए जानकारी प्रदान करने संबंधी अभियान चलाना।

—पारेषण और वितरण हानियों में कमी लाना।

—इंधन की दृष्टि से कुशल परिवहन वाहनों के निर्माण को प्रोत्साहन देना।

—सुधरे हुए चूल्हों (वुड स्टोव) का कार्यक्रम।

—सौर, वायु तथा बायो-मॉस ऊर्जा पर आधारित प्रणालियों का प्रसार करना।

—ऊर्जा संरक्षण तकनीकों में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना।

(ख) सरकार द्वारा वित्त-पोषित कृषि पम्पसैटों के सुधार से संबंधित प्रदर्शन कार्यक्रम के बारे में यह पाया गया है कि सुधरे हुए पम्पसैट की ऊर्जा संबंधी क्षमता औसत रूप से लगभग 25% बढ़ गई है। इसी प्रकार, पैट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा किए गए संरक्षण संबंधी कार्यकलापों के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थों में 150 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हुई है। तथापि, उपयोग करने वाले सभी क्षेत्रों द्वारा आरंभ किए गए/अपनाए गए ऊर्जा संरक्षण उपायों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली ऊर्जा बचतों का समग्र रूप से निर्धारण करना संभव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लाभ/हानि।

89. डा० चिन्ता मोहन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की इकाइयों ने वर्ष 1986-87 के पूर्वार्द्ध में लाभ कमाया है और यदि हां, तो उपक्रम-वार लाभ का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक में तदनुरूप कुल निवेश (संचयी) कितना किया गया है और अब तक इनमें से किसी को कोई हानि हुई है तो वह कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार रूग्ण इकाइयों का गैर-सरकारीकरण करने या इन्हें बन्द करने या इनकी प्रौद्योगिकी अथवा उत्पादकता को उन्नत करने का है; और

(ग) क्या हानि उठाने वाली सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का, जो इस समय नौकरशाहों द्वारा चलाई जा रही है, इसके पश्चात् पूरी तरह से व्यवसायीकरण कर दिया जायेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) 1986-87 की पहली छमाही के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वित्तीय कार्य-निष्पादन संबंधी सुनिश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु, 1986-87 की पहली छमाही के दौरान केवल 170 उद्यमों से प्राप्त अनन्तिम अनुमानों पर आधारित समग्र कार्यचालन परिणामों के फलस्वरूप 232.96 करोड़ रु० का निवल लाभ दिखाया गया है। उपक्रम वार लाभ, तदनुरूप कुल पूंजी निवेश (संचयी) और 1984-85 तक उठाए गये घाटे का उपक्रम वार ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1984-85 में उपलब्ध है जिसे 27.2.1986 को सभा-पटल पर रखा गया था। इसके अलावा, 1985-86 तक के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं और इस विवरणयुक्त लोक उद्यम सर्वेक्षण 1985-86 को बहुत शीघ्र ही सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

(ख) सरकार ने अभी तक सरकारी क्षेत्र के किसी रूग्ण एकक का गैर-सरकारीकरण करने या बन्द करने का कोई निर्णय नहीं किया है। सरकार उनकी प्रौद्योगिकी अथवा उत्पादकता को समुन्नत बनाने के लिए विभिन्न उपाय करती रही है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है—संयंत्र और उपस्कर का, जहां आवश्यक समझा गया, आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन करना, उत्पादों का विविधीकरण करना, संतोलक सुविधाओं की व्यवस्था करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण एवं पुर्नप्रशिक्षण दिलाना, लागत नियंत्रण एवं लागत में कमी करने पर जोर देना और प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहन प्रदान करना।

(ग) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के व्यवसायीकरण की आवश्यकता पर सदा ही बल दिया है। सरकार ने यह निर्णय भी किया है कि भविष्य में सरकारी क्षेत्र को अन्तरित करने की इच्छुक नौकरशाही सामान्यतः केवल तात्कालिक संविलयन के आधार पर ऐसा कर सकती हैं।

अतिरिक्त विद्युत क्षमता का लक्ष्य

90. **डा० दत्ता सामंत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के प्रथम सात महीनों के दौरान अतिरिक्त विद्युत क्षमता में वृद्धि का लक्ष्य क्या था;

(ख) इस अवधि के दौरान कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ; और

(ग) इस लक्ष्य में कमी होने के विभिन्न कारण क्या हैं और देश में विद्युत पैदा करने की क्षमता में सुधार के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 के पहले सात महीनों के दौरान 1505 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता चालू करने के लक्ष्य की तुलना में 749 मेगावाट क्षमता चालू की गई थी ।

(ग) उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब, और जल विद्युत परियोजना में भू-वैज्ञानिक खराबियों और भूकम्पीय क्षेत्रों का पता लगाना ऐसे प्रमुख पहलू थे जिनकी वजह से लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका । उपस्कर की सप्लाई शीघ्र कराने के लिए विद्युत विभाग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी कार्यस्थलों का दौरा भी करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं ।

[हिन्दी]

औद्योगिक एककों के लिए आशय-पत्र

91. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान कितने आशय-पत्र जारी किये गये और उनमें से कितने आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में बदला गया; और

(ख) उपयोग न किये जाने के कारण राज्य-वार कितने आशय-पत्रों को रद्द किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) वर्ष 1986 के दौरान जारी किए गए आशय-पत्रों की राज्य-वार संख्या तथा उनके कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष 1986 के दौरान जारी किए गए आशय-पत्रों की राज्य-वार संख्या तथा उनके कार्यान्वयन की स्थिति

क्रमांक	राज्य/संघ क्षेत्र	जारी किए गए आशय-पत्रों की कुल संख्या	कालम 3 में दिए गए आशय-पत्रों के कार्यान्वयन की स्थिति (31.1.87 को)		
			औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित किए गए आशय-पत्रों की संख्या	व्ययगत माने गए आशय-पत्रों की संख्या	औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित होने के लिए लम्बित पड़े आशय-पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	111	1	—	110
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	—	—	1
3.	असम	20	—	—	20
4.	बिहार	18	—	—	18
5.	चण्डीगढ़	2	1	—	1
6.	दादर और नगर हवेली	8	—	—	8
7.	दिल्ली	17	2	2	13
8.	गोआ, दमन और दीव	23	1	—	22
9.	गुजरात	105	5	—	100
10.	हरियाणा	57	4	—	53
11.	हिमाचल प्रदेश	18	—	—	18

1	2	3	4	5	6
12.	जम्मू तथा काश्मीर	5	—	—	5
13.	कर्नाटक	76	6	1	69
14.	केरल	17	—	—	17
15.	मध्य प्रदेश	55	1	—	54
16.	महाराष्ट्र	173	4	—	169
17.	मणिपुर	1	—	—	1
18.	मेघालय	1	—	—	1
19.	नागालैंड	4	—	—	4
20.	उड़ीसा	17	—	—	17
21.	पाण्डिचेरी	12	—	—	12
22.	पंजाब	47	2	—	45
23.	राजस्थान	54	1	1	52
24.	तमिल नाडु	104	5	—	99
25.	उत्तर प्रदेश	135	5	2	128
26.	पश्चिम बंगाल	42	—	—	42
27.	राज्य नहीं दर्शाया गया/एकाधिक राज्य	7	—	—	7
	योग :	1130	38	6	1086

[अनुवाद]

समान सिविल संहिता का प्रस्ताव

92. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या विधि और न्याय मंत्री स्वैच्छिक सिविल संहिता के बारे में 4-11-1986 के अतारांकित प्रश्न सं० 20 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समान सिविल संहिता के प्रश्न पर विचार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के दल ने समान सिविल संहिता संबंधी किसी प्रारूप पर फैसला कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रारूप पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है और क्या सरकार का इस संबंध में कोई विधेयक लाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार समान सिविल संहिता लाने के विचार को छोड़ देने पर भी विचार कर रही है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली विस्तारित लाल डोरा क्षेत्र के गांवो को बिजली के कनेक्शन

93. श्री भरत सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983 से पहले दिल्ली के गांवों के विस्तारित लाल डोरा क्षेत्र के लिए बिजली के कनेक्शन प्रदान किए गए थे;

(ख) क्या बिजली के कनेक्शन देने अब बंद कर दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन गांवों को बिजली के कनेक्शन देने के मामले पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

वनस्पति तेल पर से स्वैच्छिक मूल्य नियन्त्रण हटाना

94. श्री रामकुमार राय : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति तेल उत्पादों पर से स्वैच्छिक मूल्य नियन्त्रण हटा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वनस्पति तेलों के बिक्री मूल्य में बार-बार वृद्धि किए जाने को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) नियंत्रण को कम से कम करने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अंग के रूप में तथा वनस्पति की संतोषजनक उपलब्धता और उचित मूल्यों को देखते हुए स्वैच्छिक मूल्य समझौता, जनवरी, 1986 में वापिस ले लिया गया था।

(ग) आयातित खाद्य तेलों का आपूर्ति प्रबंध निरन्तर कारगर ढंग से किया जा रहा है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में रेंगाली पन-बिजली परियोजना

95. **श्री राधा कांत डिगाल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में रेंगाली पन-बिजली परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत क्या है;

(ख) उक्त परियोजना पर 31 दिसम्बर, 1986 तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी थी ;

(ग) क्या उक्त परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कब से और अब तक कुल कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) रेंगाली जल विद्युत परियोजना (2×50 मेगावाट) की अद्यतन अनुमानित लागत 205.87 करोड़ रुपये है, जिसमें से 125.52 करोड़ रुपये विद्युत के भाग पर खर्च किए जाने हैं।

(ख) अक्तूबर, 1986 तक विद्युत के भाग पर किया गया व्यय लगभग 118 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) यूनिट-एक अगस्त, 1985 में और यूनिट-दो मार्च, 1986 में वाणिज्यिक प्रचालन में आ गई थी। वर्ष 1985-86 के दौरान 198 मिलियन यूनिट और अप्रैल 1986 से जनवरी, 1987 तक 510 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया गया था।

[हिन्दी]

गुजरात को गेहूं और चावल का आबंटन

96. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने अकाल पीडितों को वितरण के लिए गेहूं और चावल की अधिक मात्रा सप्लाई किये जाने की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार ने इनकी कितनी मात्रा का आबंटन किया था और वास्तव में अब तक कितनी मात्रा सप्लाई की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) (क) : जी हां। गुजरात सरकार ने केन्द्रीय दल को दिए गए अपने ज्ञापन में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के पैटर्न पर जनवरी, 1987 से जून, 1987 की अवधि के लिए 4.82 लाख मीटरी टन गेहूं का विशेष आवंटन करने के लिए अनुरोध किया है। 1 जनवरी, 1987 से जुलाई, 1987 के दौरान 20,000 मीटरी टन मोटे अनाजों के मासिक आबंटन के अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सामान्य मासिक आवंटन के अलावा 15,000 मीटरी टन चावल का अतिरिक्त आवंटन करने के लिए अनुरोध किया गया था।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गुजरात को 60,000 मीटरी टन गेहूं और 20,000 मीटरी टन चावल का मासिक आवंटन किया जा रहा है। फरवरी, 1987 के लिए 15,000 मीटरी टन चावल का अतिरिक्त आवंटन भी कर दिया गया है।

[अनुवाद]

विदेशी कम्पनियों के सहयोग से समुद्र तट से दूर तेल की खोज

97. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1987 में समुद्र तट से दूर तेल की खोज के लिए विदेशी तेल कम्पनियों के साथ बातचीत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का स्वरूप क्या है; और

(ग) इसका क्या निष्कर्ष निकला ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) जी, हां। विदेशी तेल कम्पनियों के साथ अपतटीय अन्वेषण के लिए दी गई उनकी बोलियों के संबंध में आरम्भिक बातचीत चल रही है।

निर्धारित कार्यक्रम से पिछड़ी हुई विद्युत परियोजनायें

98. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अठाइस में से बाइस विद्युत परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से पीछे हैं और दो परियोजनाओं को छोड़कर अन्य सभी परियोजनाओं की लागत बहुत बढ़ गई है; और

(ख) इस संबंध में प्रत्येक मामले का ब्योरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की पुनरीक्षित समय सूची और लागत क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्नाटक में और बिजली संयंत्रों की स्थापना

99. श्री एच० बी० पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक राज्य में बिजली उत्पादन की स्थिति तथा वहां और बिजली संयंत्र स्थापित करने की संभावना के संबंध में उस राज्य से कोई रिपोर्ट मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं। कर्नाटक में विद्युत की कमी है तथा राज्य क्षेत्र में और अधिक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की सम्भावना की जांच करना राज्य प्राधिकारियों का दायित्व है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्वजनिक उद्यमों के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस

100. श्री के० रामर्मूति : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में सार्वजनिक उद्यमों के 20 जनवरी, 1987 से 22 जनवरी, 1987 तक हुए तीन दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या सिफारिशें की थीं, और

(ख) उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) 20 से 22 जनवरी, 1987 को नई दिल्ली में आयोजित सरकारी उद्यमों संबंधी तीन दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस की सिफारिशें सरकारी उद्यमों के स्थायी सम्मेलन द्वारा निर्विष्ट रूप में अभी तैयार की जानी हैं। इन सिफारिशों के प्राप्त होने पर सरकार इन पर कार्यवाई करने के बारे में विचार करेगी।

उत्तर बंगाल में भारी उद्योगों की स्थापना

101. **श्री आनन्द पाठक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार उत्तर बंगाल में कुछ भारी उद्योग स्थापित करने का विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक क्या पहल की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) । (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

भूटान में चूखा पनबिजली परियोजना

102. **श्री आनन्द पाठक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान में भारत की सहायता से बनाई जा रही चूखा पन-बिजली परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इससे उत्तरी बंगाल के जिलों को कितनी मात्रा में बिजली दी जायेगी और कब से ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)। : (क) भूटान में चूखा जल विद्युत परियोजना की 84-84 मेगावाट की चार यूनिटों में से दो यूनिटों ने विद्युत का उत्पादन शुरू कर दिया है। शेष दो यूनिटें निर्माणाधीन हैं।

(ख) भूटान में चूखा जल विद्युत परियोजना (4×84 मेगावाट) से समस्त फालतू विद्युत राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी क्षेत्र में वितरण हेतु खरीद ली जाएगी। भारत में प्राप्त विद्युत का 29·10% भाग पश्चिम

बंगाल के लिए आवंटित किया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य में विद्युत का वितरण पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया जाता है।

कोयला खानों में सुरक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए मजदूर संघों के साथ बैठक

103. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोयला खानों में सुरक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए कोयला क्षेत्र के मजदूर संघों की कोल इंडिया लि० के प्रबंध मंडल के साथ एक बैठक बुलाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) कोयला खानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति की बैठक हाल ही में 4 फरवरी, 1987 को हुई है। इस बैठक में अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ यह भी उपस्थित थे — ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि, कोयला कंपनियों के प्रबंध-मंडल और खान सुरक्षा महानिदेशक। कोल इंडिया ग्रुप की कोयला कंपनियों और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० में सुरक्षा की स्थिति की पुनरीक्षा की गई और यह पाया गया कि कोल इंडिया लि० ग्रुप की कोयला कंपनियों में सुरक्षा की स्थिति में कुल मिलाकर सुधार हुआ है। प्रति मिलियन टन उत्पादन पर मृत्यु-दर 1986 में घटकर 1·03 हो गई है जबकि इसकी तुलना में यह दर 1973 में 2·37 और 1985 में 1·16 थी। इसी प्रकार, गंभीर चोटों की दर वर्ष 1973 की 19·49 से घटकर 1985 में 4·07 और 1986 में 3·65 रह गई।

सुरक्षा की स्थिति में अधिक सुधार करने के लिए अनेक अन्य निर्णय भी लिए गए थे। वे निर्णय हैं :

(क) आने-जाने के रास्तों में सुधार के लिए विशेष अभियान चलाना।

(ख) आने-जाने के रास्तों पर रोशनी की बेहतर व्यवस्था करना ताकि ढुलाई-दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके क्योंकि छत गिरने के बाद, घातक दुर्घटनाओं का दूसरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण कारण ढुलाई दुर्घटनाएं ही हैं।

(ग) प्रत्येक खान के लिए छत-सपोर्ट योजना को "खान सुरक्षा महानिदेशक" और "खान-मुहाना सुरक्षा समिति" के परामर्श से तैयार करना।

(घ) खानों को निर्दिष्ट करने का विशेष अभियान चलाना जिनमें दुर्घटनाओं की अधिक संभावना रहती है ताकि दुर्घटनाएं न्यूनतम करने और सुरक्षा-खतरों को कम करने की दृष्टि से उन पर अधिक ध्यान दिया जा सके।

(ङ) जहां कहीं भी संभव और साध्य हो, इलेक्ट्रानिकीकरण और स्वचालन लागू करना दुर्घटना के लिए अक्सर जिम्मेवार मानवीय भूलों को बचाया जा सके।

(च) भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनों के संचलन में लगे ड्राइवरों और अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर अधिक जोर देना ताकि उन्हें सुरक्षा के प्रति सतर्क बनाया जा सके। भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनों को ओपेनकास्ट खानों में दुर्घटनाओं के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार पाया गया है।

(छ) आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा की जाने वाली उन सभी दुर्घटना जांचों में कामगारों के प्रतिनिधियों को शामिल करना जिनमें तीन अथवा इससे अधिक मौतें हुई हों ताकि कामगारों में विश्वास पैदा हो सके और ऐसी जांचों के बारे में उन्हें इत्मीनान रहे।

भारत-इटली दूरसंचार संधि

104. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-इटली दूरसंचार संधि की जनवरी, 1987 के अंतिम सप्ताह में पुनरीक्षा की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं। सरकार ने दूरसंचार के क्षेत्र में इटली के साथ सहयोग के संबंध में किसी भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिजली की वितरण प्रणाली

105. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय बिजली की वितरण प्रणाली सन्तोषजनक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का नई प्रणाली आरम्भ करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) देश के कुछ भागों में विद्युत वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। पारेषण और वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। यह सुनिश्चित

करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि इस कार्य के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाएं और कारगर मानीटरिंग के जरिए इसे समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जाए।

शांतिदेव की स्मृति में डाक टिकट जारी करना

106. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसिद्ध संस्कृत कवि और महायान, सम्प्रदाय के विद्वान शांतिदेव की 1300वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मृति डाक टिकट जारी करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर क्या निर्णय लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो किस तारीख तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है और डाक टिकट किस तारीख को जारी किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विशेष/स्मारक डाक टिकटें जारी करने तथा फिलैटली से संबंधित अन्य मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए विभाग में एक फिलैटली सलाहकार समिति कार्य कर रही है। यह प्रस्ताव फिलैटली सलाहकार समिति की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा, जिसकी तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में खाना पकाने की गैस की एजेंसियों का आबंटन

107. **श्री जैनुल बशर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बीस हजार से अधिक जनसंख्या वाले कितने कस्बे खाना पकाने की गैस की एजेंसियों के आबंटन के लिए चुने गये हैं ;

(ख) इनमें से कितने कस्बों में खाना पकाने की गैस की एजेंसियों का आबंटन कर दिया गया है और कितनों में अभी इनका आबंटन किया जाना है ;

(ग) शेष कस्बों में खाना पकाने की गैस की एजेंसियों का कब तक आबंटन कर दिया जायेगा, और

(घ) चालू पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ऐसे कस्बों में खाना पकाने की गैस की एजेंसियों का आबंटन करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) तेल उद्योग इस समय 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के 101 शहरों में एल० पी० जी० का विपणन कर रहा है। एल० पी० जी० उपलब्धता, बाटलिंग क्षमता तथा आधार भूत सुविधाओं में वृद्धि होने पर अन्य 46 ऐसे शहरों में चरणबद्ध रूप में एल० पी० जी० वितरणशिपें खोली जाएंगी। इन 46 शहरों को कवर करने की आशा है सातवीं योजना की अवधि में एल० पी० जी० वितरणशिपें खोली जाएंगी फिर भी इसके लिए नियत तारीखें बताना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन लक्ष्य

108. श्री आर० एम० भोये : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा की गई उच्च स्तरीय पुनरीक्षा से यह पता लगा है कि चालू वित्त वर्ष में निर्धारित लक्ष्य और अतिरिक्त स्थापित क्षमता से बिजली उत्पादन कम होगा ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान बिजली के निर्धारित लक्ष्य और निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वास्तव में होने वाले सम्भावित उत्पादन और उत्पादन की कमी की मात्रा का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1986-87 के दौरान 190 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में सम्भावित विद्युत उत्पादन 186·5 बिलियन यूनिट है। जल विद्युत जलाशयों में जल स्तर नीचा रहने के कारण यह कमी मुख्य रूप से जल विद्युत के उत्पादन में होगी।

दिल्ली स्थित लघु उद्योग एककों के लिए बिजली की दरों में वृद्धि

109. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लघु उद्योग एककों के लिए, जो कुल औद्योगिक एककों का 90 प्रतिशत हैं, बिजली की दर 35 पैसे से बढ़ाकर 75 पैसे कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बिजली की दर में इतनी अधिक वृद्धि होने के कारण कई लघु एकक बन्द हो जायेंगे ;

(ग) क्या सरकार को लघु उद्योगों संबंधी संस्था से इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि वह बिजली की दर में की गई वृद्धि पर पुनः विचार करे और इसे कम करें ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) लघु यूनिटों के लिए विद्युत दरें 35 पैसे से बढ़ाकर 75 पैसे 9 अप्रैल, 1985 से की गई।

(ख) जबकि टैरिफ दर में, वृद्धि से विद्युत के सभी उपभोक्ता प्रभावित होते हैं, लघु यूनिटों के लिए विद्युत सप्लाई दरें अभी भी गैर-घरेलू (वाणिज्यिक) उपभोक्ताओं के लिए दरों से कम हैं।

(ग) और (घ) अप्रैल, 1985 में लागू किए गए संशोधित टैरिफ के विरूद्ध दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को कुछ औद्योगिक एसोसिएशनों, चेम्बर ऑफ कामर्स आदि से प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। विद्युत उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में विद्युत दरों में कमी करना व्यवहार्य नहीं समझा गया है।

'बार' (वकीलों में) से न्यायधीशों की नियुक्ति

110. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'बार' (वकीलों में) से सर्वोत्तम प्रतिभावान व्यक्तियों के न्यायधीश बनने में संकोच करने के कारण उत्पन्न समस्या का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। किन्तु, सरकार उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभावान वकीलों को उच्च न्यायालय में न्यायधीशों के रूप में नियुक्त करने का हर सम्भव प्रयास करती है। श्रेष्ठ प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने संसद् द्वारा संविधान (चौवनवां संशोधन) विधेयक, 19 6 पारित करवा कर न्यायधीशों के वेतन को सारतः बढ़ाने का भी विनिश्चय किया है। सरकार ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें संशोधन) अधिनियम, 1986 को, जो 1·11·1986 से प्रवृत्त हुआ है, अधिनियमित करके उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों की सेवा शर्तों में भी सारतः सुधार किया हैं।

एर्नाकुलम और पालाघाट (केरल) में इलैक्ट्रानिक टेलेक्स आदि चालू करना

111. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्णाकुलम (केरल) में इलेक्ट्रानिक टैलेक्स और डिजिटल इलैक्ट्रानिक ट्रंक आटोमेटिक (स्वचालित) एक्सचेंज चालू किए जाने के लिए तैयार है ;

(ख) यदि नहीं तो उसके कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) पालघाट में इलैक्ट्रानिक टैलेक्स कब तक चालू हो जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) एर्नाकुलम में 1987 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू होने की सम्भावना है। एर्नाकुलम में 1988 के दौरान इलेक्ट्रानिक डिजिटल टेलेक्स चालू होने की सम्भावना है।

(ग) पालघाट में इलेक्ट्रानिक टेलेक्स का परीक्षण किया जा रहा है और इसके 31.3.87 तक चालू किए जाने की संभावना है।

केरल को औद्योगिक लाईसेंस जारी करना

112. **श्री के० मोहन दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान केरल को जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें कुल कितना केन्द्रीय निवेश हुआ है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जुलाई-दिसम्बर, 1986 की अवधि में केरल में उद्योगों की स्थापना करने के लिए कुल 4 औद्योगिक लाइसेंस स्वीकार किए गए थे। इनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

एकक का नाम और स्थापना स्थल	निर्माण की मद और क्षमता तथा प्रकार	क्षेत्र	स्थाई परिसम्पति में प्रस्तावित निवेश जैसा कि औद्योगिक लाइसेंस आवेदन में बताया गया (लाख रु० में)
1	2	3	4
1. ओ० ई० एन० माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड कोचीन (जिला एर्नाकुलम त्रिपुनीथुरा)	वीडियो टर्मीनल्स —1000 नग (पर्याप्त विस्तार)	सरकारी क्षेत्र	20

1	2	3	4
2. केल्ट्रॉन टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्श लि० त्रिवेंद्रम (जिला पालघाट)	टेलीफोन इंस्ट्रमेंट्स =5 लाख नग (नया उपक्रम)	राज्य सरकारी क्षेत्र	324
3. थॉम्पसन ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि० भालापुरम (नीलाम्बर, माला पुरम)	क्लोरोक्वीन डी-फास्फेट=50 टन (नया उपक्रम)	राज्य सरकारी क्षेत्र	57
4. हिंदुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०, महाराष्ट्र (कोचीन के निकट)	प्रोपीलीन कैमिकल ग्रेड)= 7,000 टिन (नई वस्तु)	केन्द्रीय सरकार क्षेत्र	325

बिहार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को रसोई गैस की डीलरशिप तथा पेट्रोल पम्पों का आबंटन

113. श्री राम स्वरूप राम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में आरक्षित कोटा के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों को आबंटित की गई रसोई गैस की डीलरशिप तथा पेट्रोल पम्पों की संख्या क्या है; और

(ख) क्या सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अलाटियों का ब्यौरा सभा पटल पर रखेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के अंतर्गत बिहार में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को अलाट की गई एल० पी० जी० वितरण-शिपों तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) की डीलर शिपों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
एल० पी० जी०	15	9
खुदरा बिक्री केन्द्र	28	9

(ख) एल० पी० जी० और खुदरा बिक्री केन्द्रों के संबंध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

विवरण-I

बिहार राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी में दी गई एल० पी० जी० की वितरणशिपें

क्रम संख्या	स्थान	श्रेणी	नाम
1	2	3	4
1.	पुरनिया	एस० सी०	श्री युगल किशोर शाह
2.	जमशेदपुर	एस० टी०	श्री रोशन डिंग डिंग
3.	नवाडा	एस० सी०	श्री सुखादृयो मत्था
4.	रांची	एस० सी०	श्री राजेन्द्र कुमार
5.	जमशेदपुर	एस० टी०	श्री सुरेन्द्र दृयोगम
6.	जमशेदपुर	एस० सी०	श्री सुदेश चन्द्र प्रसाद
7.	हजारीबाग	एस० टी०	श्री एम० सोलंकी नाग
8.	डुमका	एस० टी०	श्री राजेन्द्र कुमार भगत
9.	रांची	एस० टी०	श्री इगनेश कच्चाप
10.	चक्रधर पुर	एस० टी०	श्री अदियाल मिंज
11.	साहिबगंज	एस० टी०	श्री विष्णुदृयो सिंह
12.	मधुपुर	एस० टी०	श्री आनन्द खुराऊ
13.	लोहारडागा	एस० टी०	श्री सुखदृयो औरन
14.	पुरनियां	एस० सी०	श्री हरी प्रसाद बैशयान्ती
15.	पटना	एस० सी०	श्री अरुण कुमार चौधरी
16.	पटना	एस० सी०	श्री सोबराय राम
17.	गया	एस० सी०	श्री शालीग्राम राम
18.	बोकारो	एस० सी०	श्री विक्रम जेय किशोर
19.	चास	एस० सी०	श्री लक्ष्मी दास
20.	धनबाद	एस० सी०	श्री विजय कुमार चौधरी
21.	हाजीपुर	एस० सी०	श्री कपिलेश्वर राम केशरी

1	2	3	4
22.	दियोघर	एस० सी०	श्री राम प्रवेश राम
23.	खगरिया	एस० सी०	श्रीमती ऊषा कुमारी
24.	बेघा	एस० सी०	श्री चन्द्र भान भाटिया

विवरण-II

बिहार राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी में दी गई खुदरा
बिक्री केन्द्रों की डीलरशिपें

क्रम संख्या	स्थान	श्रेणी	नाम
1	2	3	4
1.	गर्भा	एस० सी०	श्री रंजी चौधरी
2.	हमूं कालोनी	एस० टी०	सर्व श्री विजय कुमार खाखा, भारती खाखा, दियोनाथ औरन और जी० एस० औरन
3.	बिहार शरीफ	एस० सी०	श्री प्रेम चन्द कुमार
4.	भगवान पुर	एस० सी०	श्री अशोक कुमार भगत
5.	जिकपानी	एस० टी०	श्री देवेन्द्र नाथ चैमपिया
6.	नौबतपुर	एस० सी०	राम साहवान सिंह
7.	कंकरबाग	एस० सी०	श्री अरुण कुमार
8.	भोरे	एस० सी०	श्री नंदलाल राम
9.	घटवा चौक	एस० सी०	श्री कृष्ण मुरारी
10.	नागरी	एस० टी०	श्री बरनात मिंज
11.	नमकुम	एस० टी०	श्री हेमंत कैश्प
12.	महेंदिया	एस० सी०	श्री बालकृष्ण राम
13.	धमीवान	एस० सी०	श्री राजेश कुमार चौधरी
14.	फतवाह	एस० सी०	श्री अर्जुन प्रसाद

1	2	3	4
15.	खिजर	एस० सी०	श्री राम वालीराम
16.	मुसरी घरेरी चौक	एस० सी०	श्री ज्योतिन्द्रा कुमार राजक
17.	हिनू रोड़	एस० सी०	श्री सूर्यमोहन टान्टी
18.	लखमामिया	एस० सी०	श्री विजय कुमार
19.	चौसा	एस० सी०	श्री नन्द किशोर प्रसाद
20.	गंगा ब्रिज एप्रोच	एस० टी०	श्री राकेश एका
21.	लितीपाड़ा	एस० टी०	श्री मारग्रेल टुडू
22.	गोपालगंज	एस० सी०	सर्व श्री/जवाहर राम, चन्द्रा राम, रामलाल और जगत राम
23.	महारगंज	एस० सी०	श्री प्रकाश एस०/एस०—
24.	रसूलपुर	एस० टी०	श्री बुद्धू मुंडा
25.	मांझी	एस० सी०	श्री इन्द्रजीत राम
26.	इटकीमोर	एस० टी०	श्री दिवाकर मिंज
27.	टोरपा	एस० टी०	श्री गलाद्वानी कैंचप
28.	लक्सो	एस० सी०	श्री अरुण कुमार पासवान
29.	कुद्रू	एस० सी०	श्री गंगा विष्णू राम
30.	ढाकां	एस० सी०	श्री ब्रह्म दृयो राम शास्त्री
31.	खेजसराए	एस० सी०	श्री लखन चौधरी
32.	जनदेहा	एस०सी०	श्री राम दियो राम
33.	वजीरगंज	एस० सी०	श्री राम विख्या राजबंशी
34.	पकरीबरवान	एस० सी०	श्री राजेद्र प्रसाद ज्योती
35.	महुआ	एस० सी०	श्री बालेश्वर पासवान
36.	हाजीपुर	एस० सी०	श्री देसाई बेतहा
37.	पुन पुन	एस० सी०	श्री बिहारी प्रसाद

सीमेंट के मूल्य में वृद्धि

114 **श्री राम स्वरूप राम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान लेवी सीमेंट का प्रति टन मूल्य क्या था;

(ख) क्या हाल ही में इसके मूल्य में वृद्धि की गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान लेवी सीमेंट का रेल भाड़ा मुक्त (बिक्री) मूल्य साधारण पोर्टलैंड सीमेंट/स्लम सीमेंट तथा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के सम्बन्ध में क्रमशः 532 रु० प्रति टन तथा 517 रुपये प्रति टन उत्पादन शुल्क तथा पैकिंग प्रभार को छोड़कर) बना रहा।

(ख) और (ग) अभी हाल में लेवी सीमेंट के रेल भाड़ा मुक्त (बिक्री) मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। तथापि उत्पादन की लागत में वृद्धि होने के कारण सीमेंट के रेल भाड़ा मुक्त (बिक्री) में वृद्धि किये बिना उद्योग की क्षतिपूर्ति करने के लिये सीमेंट के संधारण मूल्य (सीमेंट निर्माताओं को देय) में 15-12-36 से 24.50 रुपये प्रति टन की दर से वृद्धि की गई है।

रास्ते में कोयले का गायब हो जाना

115. **श्री राम स्वरूप राम**
श्री राम प्यारे पनिका } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि कोयला खानों से गन्तव्य स्थानों तक भेजे जाने के दौरान लाखों टन कोयला रास्ते में गायब हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन परिस्थितियों की जांच-पड़ताल की गई है जिनके कारण कोयला गायब अथवा चोरी हो जाता है; और

(ग) इन हानियों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री श्री बसंत साठे : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोयला कम्पनियां कोयले की बिक्री एफ० ओ० आर० कोलियरी आधार पर करती हैं। रेलवे को एक बार कोयला सौंप देने के बाद कोयला कम्पनियों के लिए यह सम्भव नहीं होता कि वे रास्ते में कोयले पर कोई नियंत्रण रख सकें अथवा उसमें रास्ते में हो जाने वाली कमी का हिसाब रख सकें। परन्तु रेल संचलन के दौरान कोयले में कमी को रोकने के

लिए रेलवे ने कई उपाय किये हैं। ये उपाय है :—

(1) जहां तक सम्भव होता है अपराध ग्रस्त क्षेत्रों/अनुभागों में कोयले से लदे कोयला वैगनों को सुरक्षित ले जाने हेतु रेलवे सुरक्षा बल कार्मिकों को साथ भेजा जाता है।

(2) चोरी की सम्भावना वाले और प्रभावित स्थलों में भी रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र लोग तथा "डॉग एस्क्वायड" गश्त लगाते हैं ताकि कोयले की चोरी में संलग्न अपराधियों को पकड़ा जा सके।

(3) चलती ट्रेन से कोयले की चोरी रोकने के लिए अपराध की सम्भावना वाले अनुभागों/अपराध ग्रस्त घोषित स्थलों में नियत आरक्षी टुकड़ियां नियुक्त/तैनात की जाती हैं।

(4) रेलवे के अपराध आसूचना कर्मचारियों को तथा रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारियों को इस बात के लिए तैनात किया जाता है कि वे कोयला चोरों और चोरी का कोयला प्राप्त करने वालों की गतिविधियों के बारे में अपराध आसूचनाएं एकत्र करें तथा चोरी गये कोयले को बरामद करने और अपराधियों/चोरी का कोयला लेने वालों को गिरफ्तार करने के लिये छापे मारें।

भर्ती शुल्क टिकटों का प्रयोग आरम्भ करना

116. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भर्ती शुल्क टिकटों की कुल कितनी मांग है; और

(ख) क्या नासिक स्थित सिक्योरिटी प्रेस इस मांग को पूरा करने में समर्थ है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) देश में भर्ती शुल्क टिकटों की वार्षिक मांग लगभग 30,00,000 टिकटों की है।

(ख) जी, हां।

मेकेदातु विद्युत परियोजना

117. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी नदी पर बने मेकेदातु परियोजना से बिजली पैदा करने के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है;

(ख) मेकेदातु परियोजना के चालू हो जाने से कर्नाटक की बिजली सम्बन्धी समस्याओं के किस सीमा तक हल होने की सम्भावना है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया था और इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी; और

(घ) क्या तमिलनाडु के साथ पानी के बटवारे के मामले को संबद्ध किये बिना क्या सरकार का विचार देश के सम्पूर्ण विकास के लिए, मेकेदातु परियोजना को अपने हाथ में लेने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) कर्नाटक के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि प्रस्तावित मेकेदातु जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्रस्तावित परियोजना में 350 मेगावाट क्षमता स्थापित करने और प्रतिवर्ष 722 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करने की संकल्पना की गई है। प्रस्ताव के सम्बन्ध में आगे तभी विचार किया जा सकेगा, जब इसकी तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाएगी और सम्बन्धित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाएंगी।

कर्नाटक में चीनी की मिलें खोलने के लिए लाइसेंस

118. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में चीनी की मिलें खोलने के औद्योगिक लाइसेंस हेतु कितने आवेदन पत्र पिछले दो वर्ष से विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) इन्हें अब तक औद्योगिक लाइसेंस न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सभी विचाराधीन मामलों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) फिलहाल कर्नाटक राज्य में कोई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए खाद्य विभाग के पास आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं पड़ा हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्राकृतिक गैस के लिए मूल्य-निर्धारण सूत्र

119. **श्री बनवारी लाल पुरोहित**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
श्री प्रकाश वी० पाटिल } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक गैस के लिए मूल्य-निर्धारण सूत्र के बारे में निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या इसमें तेल उत्पादक कंपनियों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां ।

(ख) निर्धारित मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

1. लैंडफाल पाइन्टों पर गैस और तटीय गैस के लिए प्रति 1000 घन मीटर गैस के लिये 1400 रुपये; और

(2) एच० बी० जे० पाइप लाइन के साथ सप्लाई की जाने वाली गैस के लिए 1000 घनमीटर के लिए 2250 रुपये ।

2. ये मूल्य निम्नलिखित रियायतों के अधीन होंगे :—

(1) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में बेची जाने वाली गैस का मूल्य 1000 रुपये प्रति 1000 घन मीटर होगा परन्तु शर्त है कि सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने पर प्रति 1000 घन मीटर गैस के लिए 500 रुपये तक की छूट अलग-अलग मामलों में उनके गुण दोष के आधार कर दी जायेगी ।

(2) जिन उपभोक्ताओं को फौल बैंक आधार पर गैस की बिक्री की जायेगी उन्हें 15 प्रतिशत छूट दी जायेगी ।

(3) गैस क्षेत्रों के विकास के प्रारम्भिक वर्षों में, कोई गैस थोड़ी मात्रा में उपलब्ध हो सकती है जिसे रियायती मूल्य पर बेचा जा सकेगा और यह सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

3. उपर्युक्त मूल्यों में रायल्टी कर, शुल्क और अन्य सांविधिक कर शामिल नहीं होंगे । उपर्युक्त मूल्य 30-1-1987 से प्रभावी होंगे और 31-3- 1989 तक प्रवृत्त रहेंगे ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पर्यावरण को और प्रदूषण के खतरों को रोकने के लिये नई औद्योगिक नीति

120. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण को और प्रदूषण के खतरों को रोकने हेतु देश के औद्योगिक एककों के लिए शीघ्र ही नई औद्योगिक नीति घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई नीति कब तक घोषित कर दी जायेगी; और

(घ) नई नीति के उद्योगों के विकास की गति में कहां तक तेजी आयेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) विद्मान औद्योगिक तथा पर्यावरण नीतियों में पर्यावरण और प्रदूषण के खतरों से बचाव की व्यवस्था है। इन नीतियों की निरन्तर समीक्षा की जाती है और इनमें समय-समय पर सुधार/संशोधन किए जाते हैं।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन

121. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परिवर्तनों से उद्योगों पर अधिक प्रभावी नियंत्रण कायम करने में कितनी सफलता मिलेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) और (ग) सरकार ने इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

गैर-परम्परागत ऊर्जा पर प्रदर्शनियां

122. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत देश में अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं तथा ऊर्जा के पुनः प्रयोज्य संसाधनों के प्रति अधिक लोगों को आकृष्ट करने की सरकार की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा देश के विभिन्न भागों में कितनी प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रदर्शनियों जैसे अनेक प्रचार-प्रसार के कार्यक्रमों के कारण देश में नवीकरणीय तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की लोकप्रियता बढ़ रही है। ऊर्जा के नए तथा नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित प्रणालियों तथा युक्तियों के प्रयोगकर्ताओं तथा उत्पादकों को सरकार अनेक कर सम्बन्धी तथा वित्त-पोषण सम्बन्धी प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस प्रोत्साहनों में कुछ मामलों में सीमा शुल्क में छूट, कुछ मामलों में केन्द्रीय उत्पाद प्रोत्साहनों में छूट, बायोगैस प्रणालियों, सौर तापीय प्रणालियों उन्नत चूल्हों इत्यादि के सम्बन्ध में व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताओं और संस्थाओं को बैंकों से रियायती दरों पर ऋण तथा वित्तीय सहायता देना शामिल है। राज्य सरकारों ने भी नवीकरणीय तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित प्रणालियों तथा युक्तियों को कुछ मामलों में राज्य बिक्री कर तथा केन्द्रीय बिक्री-करों में छूट दी है। कुछ राज्य सरकारें सौर कुकर इत्यादि के प्रयोगकर्ताओं को वित्तीय सहायता तथा अन्य इसी प्रकार की सहायता भी प्रदान कर रही है।

(ग) इस विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में विभिन्न प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाता है। यह कार्यक्रम जल पम्पन, पवन चक्कियों तथा सौर प्रकाशवोल्टीय युक्तियों के बड़े पैमाने के प्रदर्शन कार्यक्रम के अतिरिक्त है। इस विभाग द्वारा 1982-83 से 1986-87 तक देश में आयोजित प्रदर्शनियों की संख्या नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	**प्रदर्शनियों की संख्या**
1982-83	8
1983-84	12
1984-85	17
1985-86	27
1986-87	28 (15-2-87 तक)

दूरसंचार प्रणाली में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

123. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार प्रणाली और सेवाओं में सुधार करने के लिए दूरसंचार विभाग में एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस प्रौद्योगिकी मिशन ने विभिन्न परियोजनाओं के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां । मिशन का नाम "बेहतर संचार एक अभियान" है ।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

"बेहतर संचार एक अभियान"

दूरसंचार अभियान, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा निर्धारित पांच राष्ट्रीय अभियानों में से एक है । निम्नलिखित परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता हुई :

(1) मौजूदा ग्राहकों को अपेक्षाकृत सेवा की असंतोषजनक गुणता; और

(2) टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में अधिक विलम्ब तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में सेवाओं का अपर्याप्त विस्तार ।

2. प्रस्तावित अभियान को मूलरूप से निम्नलिखित निदेश दिए गए हैं :—

(1) मौजूदा सेवाओं की गुणता में पर्याप्त सुधार लाना, और

(2) दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रतीक्षा अवधि में कमी करना तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार करना ।

3. ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करना इसलिए सम्भव नहीं था क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधि आवंटित नहीं की गई । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त वित्तीय वचनबद्धता की दृष्टि से योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया जायेगा ।

4. फिलहाल अभियान के मुख्य संघटनों को इस प्रकार निर्धारित किया गया है :—

(1) मौजूदा ग्राहकों के लिए सेवा की गुणता में सुधार लाना ।

(2) मौजूदा नेटवर्क के भीतर संचार सुलभता में सुधार लाना ।

(3) कुछेक चुनिन्दा प्रौद्योगिकियों तथा उत्पादों के स्वदेशी विकास पर ध्यान केन्द्रित करना ।

5. दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के सामान्य असन्तोष के निम्नलिखित कारण हैं ।

(1) उपभोक्ताओं की समस्याओं पर स्टाफ द्वारा अपर्याप्त ध्यान देना ।

(2) तारों के वितरण में विलम्ब होना ।

(3) टेलीफोन तथा टेलेक्स कनेक्शनों की दोष दरें अधिक होना ।

(4) कालों, विशेषकर एस० टी० डी० तथा ट्रंककालों के मिलने में कठिनाइयां आना ।

(5) आपरेटर संचालित सेवाओं के सुलभ होने में कठिनाइयां तथा उनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवा की गुणता ।

(6) टेलीफोन बिलों की विश्वसनीयता में कमी विशेषकर एस० टी० डी० कालों के टेलीफोन बिल ।

6. उपर्युक्त समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित कारंवाई की गई है : —

(1) उपभोक्ताओं, उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर ऊपर से नीचे हर स्तर के कर्मचारियों का ध्यान केन्द्रित करने के लिये तुरन्त कारंवाई करना ।

(2) ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए जहां तक हो सेवा की गुणता की स्थिनि का मूल्यांकन करना तथा निम्नलिखित के बारे में खामियों का पता लगाना :—

(क) घटिया कारीगरी

(ख) घटिया उपस्कर तथा सामग्री

(ग) परियात संचालन की अपर्याप्त व्यवस्था ।

(3) विशिष्ट लक्ष्यों सहित खामियों को दूर करने के लिए योजना तैयार की गई है ताकि इसके परिणाम प्राप्त किए जा सकें ।

(4) निम्नलिखित स्तर पर मशीन सम्बन्धी स्थिति को मानीटर करने का काम निर्धारित किया गया है :—

(क) अखिल भारतीय स्तर पर

(ख) सर्किल स्तर पर

(ग) प्रत्येक शहर, नगर और ग्रामीण स्तर ।

7. वर्ष 1986-87 की कार्यवाही योजना की प्रगति की सूचना प्रत्येक तिमाही को प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमण्डल सचिवालय को भेजी जा रही है ।

8. सेवा की गुणता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित मिनि मिशन तैयार किये गये हैं :

(1) प्रत्येक स्तर पर स्टाफ को ग्राहकोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करना तथा ग्राहकों के अनुरूप सभी कार्यों की देखभाल करने के लिए स्टाफ को प्रोत्साहित करना।

(2) तारों के वितरण में हो रहे विलम्ब को कम करना।

(3) दोष दरों में कमी करना।

(4) सफल काल दरों में सुधार लाना।

(5) डाइरेक्टरी पूछताछ सेवा में सुधार लाना।

(6) मैनुअल ट्रंक सेवाओं में सुधार लाना।

(7) बिलों की विश्वसनीयता में सुधार लाना।

(8) प्रत्येक बड़े टेलीफोन एक्सचेंज में सिंगल प्वाइंट उपभोक्ता कक्ष की स्थापना करना तथा कंप्यूटरीकृत उपकरणों की व्यवस्था करना।

नई आटोमोबाइल नीति

124. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दो पहिया वाहनों तथा हल्के व्यापारिक वाहनों के लिए नई आटोमोबाइल नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) यह मामला अब भी सरकार के पास विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में "ऊर्जा ग्राम"

125. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में "ऊर्जा ग्राम" के रूप में विकास करने के लिए कितने गांवों को चुना है;

(ख) उन गांवों के नाम क्या हैं और उनमें अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या कुछ शैक्षिक संस्थाओं ने भी मध्य प्रदेश में इन परियोजनाओं के लिए कुछ सहायता देने के लिए गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) चालू वित्त-वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के निम्नलिखित गांवों में ऊर्जा ग्राम परियोजनायें शुरू की गई हैं :

1. उकावला, जिला शिवपुरी

2. रामनगर, जिला मंडला

3. आडची, जिला सुरगुजा

4. नारायणपुर आश्रम, जिला बस्तर

सभी परियोजनायें कार्यान्वियन के अधीन हैं तथा अनेक अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत प्रणालियों तथा युक्तियों के संग्रह का समन्वय है। कुछ और गांवों का पता लगाया गया है तथा ऊर्जा ग्राम परियोजना प्रस्तावों को तैयार किया जा जा रहा है।

(ग) और (घ) यद्यपि ऊर्जा ग्राम के प्रस्ताव अनेक संगठनों से प्राप्त होते हैं, तथापि इन परियोजनाओं को राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से जिसमें, जहां उचित हो शिक्षण संस्थाओं सहित अन्य संगठनों के सहयोग से कुल मिलाकर प्रारम्भ किया जाता है।

समेकित दूरसंचार कार्यक्रम का विस्तार

126. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री समेकित दूरसंचार व्यवस्था कार्यक्रम के बारे में 18 नवम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2228 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित कार्यक्रम के विस्तार और विकास में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस कार्यक्रम में संबंधित केन्द्रों के निर्माण कार्य में विशेषकर राजस्थान के बाड़मेर जिले में, अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) बाड़मेर के लिए एक्सचेंज के उपकरण प्राप्त और इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज को चालू करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) देश में एक्सचेंज उपकरण का उत्पादन करने के लिए कारखाने स्थापित करने की दृष्टि से कार्रवाई की जा रही है। फिर भी संगठित कार्यक्रम को तैयार करना मितव्ययिता संबंधी माध्यम सुलभ होने पर निर्भर करता है;

(ख) संभरी सिवाना में विद्युत निर्माण कार्य सहित भवन निर्माण कार्य मार्च 1987 तक

तथा बैतु, पंचपाडरा, सिन्दरी, बालोतरा तथा अन्य स्थानों में अगस्त, 1987 तक पूरा होने की संभावना है।

(ग) एक्सचेंज उपस्कर अभी हाल में ही प्राप्त हुआ है। संस्थापना कार्य 1987-88 की दूसरी तिमाही तक संस्थापना कार्य पूरा हो जाएगा।

[हिन्दी]

रामगढ़ (जैसलमेर) बिजली संयंत्र को सप्लाई की जाने वाली गैस का मूल्य निर्धारण

127. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बीच रामगढ़ (जैसलमेर) बिजली संयंत्र को सप्लाई की जाने वाली गैस के मूल्य निर्धारण के बारे में चल रही बातचीत में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : सरकार ने लैंडफाल पाइंट पर प्राकृतिक गैस की कीमत 1400 रुपए प्रति एक हजार मीटर तथा एच०बी०जे० पाइप लाइन के पास 2250 रुपए प्रति हजार घन मीटर नियत की है। सरकार मूल्य नीति के अन्तर्गत विकास के आरम्भिक वर्षों में कम मात्रा में उपलब्ध गैस के लिए रियायती कीमतें निर्धारित कर सकती हैं।

[अनुवाद]

भारतीय न्यायिक सेवा

128. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में भारतीय न्यायिक सेवा शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) यह विषय सरकार के समीक्षाधीन है और इस प्रक्रम पर ब्यौरा देना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

बेगुसराय हस्तचालित टेलीफोन केन्द्र को स्वचालित टेलीफोन केन्द्र में परिवर्तित करना

129. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछले अनेक वर्षों से बेगुसराय स्थित हस्तचालित टेलीफोन केन्द्र को स्वचालित केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र को स्वचालित टेलीफोन केन्द्र में परिवर्तित करने की अड़चन आने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) बेगुसराय के लिए आटोमेटिक स्विचिंग 1983-84 उपस्कर में आबंटित किया गया था।

(ख) स्टोर पूर्ण रूप से प्राप्त न होने के कारण बेगुसराय एक्सचेंज की आटोमेटिक एक्सचेंज में परिवर्तित नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों में मजूरी समझौतों का नवीकरण

131. **श्री आरिफ मोहम्मद खां** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस आशय के मार्ग-निर्देश जारी किये हैं कि वे श्रमिक के साथ अपने मजूरी समझौतों का नवीकरण करें; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी उपक्रमों द्वारा अब तक इस मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, हां। सरकारी उपक्रमों में भावी दीर्घावधिक मजूरी समझौतों को शासित करने वाले कुछ व्यापक प्राचलों को सूचित किया जा चुका है।

(ख) उपक्रमों ने सम्बद्ध यूनियनों के साथ बातचीत शुरू अथवा फिर से शुरू कर दी है या ऐसा किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में तेल की खोज

132. **श्री श्रीहरि राव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गोदावरी में तट से दूर गैस मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में अन्य किन स्थानों पर तेल की खोज के लिए भू-छिद्रण कार्य किया जा रहा है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जी, हां। कूप जी०एस०बी०-1 में प्रारम्भिक परीक्षण के दौरान 1/4 चोक के जरिए प्रतिदिन करीब 98,000 घन मीटर की दर पर गैस निकली।

(ग) निम्नलिखित स्थानों में अन्वेषी खुदाई चल रही है :—

1. रजोल
2. कोमगुड्म
3. कोनूकोलू
4. टाटीपाका
5. सुरलानीएनम

आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर खुदाई करने का प्रस्ताव है।

1. वेटलापालम
2. वड्डेली
3. पैलीटिकुरु
4. विनतलापल्ली

रामचन्द्रपुरम (पूर्व गोदावरी जिला) में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

133. श्री श्रीहरि राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व गोदावरी जिले में रामचन्द्र पुरम में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या भवन का निर्माण-कार्य पूरा कर लिया गया है तथा उपकरण लगा दिये गये हैं;

(ग) केन्द्र को चालू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र में कब तक काम शुरू होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। एक्सचेंज के लिए भवन तैयार है। एक्सचेंज संस्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

(ग) संस्थापन कार्य समयानुसार चल रहा है ।

(घ) 400 लाइनों का इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज जुलाई 87 तक चालू होने की संभावना है ।

डाक द्वारा भेजी गई वस्तुएं घर पहुंचाने की व्यवस्था समाप्त करने का प्रस्ताव

134. **श्री श्रीहरि राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्र और डाक द्वारा भेजी गई वस्तुएं संबंधित व्यक्तियों को घर पर पहुंचाने की व्यवस्था समाप्त करने तथा ऐसे बूथ बनाने का प्रस्ताव है, जहां से लोगों को अपने पत्र तथा डाक द्वारा भेजी गई अन्य वस्तुएं स्वयं जाकर लेनी होगी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसके कारण लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं में कमी और डाक कर्मचारियों की संभावित छंटनी के प्रस्तावों को ध्यान में रखा गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : जी, नहीं । इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य विधान सभाओं की अवधि और आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरना

135. **श्री डी० बाल गौड़** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य विधान सभाओं के नाम क्या हैं जिनकी अवधि इस वर्ष समाप्त हो जाएगी;

(ख) क्या सरकार ने निरन्तर आरक्षित रखे जाने वाले स्थानों को चक्रानुक्रम से भरने की निर्वाचन आयोग की सिफारिश को क्रियान्वित करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) उन राज्य विधान सभाओं के नाम और उनके अवसान की तारीख, जिनकी अवधि सामान्य अनुक्रम में इस वर्ष समाप्त हो रही है, निम्नानुसार है ।

नाम	अवसान की तारीख
(i) हरियाणा	23-6-1987
(ii) केरल	23-6-1987
(iii) नागालैंड	?8-11-1987
(iv) पश्चिमी बंगाल	13-6-1987

(ख) और (ग) किसी राज्य के एक जिले में किसी अन्य उचित प्रशासनिक यूनिट में आरक्षित स्थानों के चक्रानुक्रम के बारे में निर्वाचन आयोग की सिफारिश, जिससे कि वे स्थान लगातार नियत वर्षों से अधिक समय तक आरक्षित न रहें और साथ ही संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन का प्रस्ताव विचाराधीन है। ये प्रस्ताव निर्वाचन सुधारों से संबंधित प्रस्तावों का एक भाग है और सरकार ने इन प्रस्तावों पर काफी हद तक विचार कर लिया है तथा कोई अन्तिम विनिश्चय करने से पूर्व राजनैतिक दलों से परामर्श किए जाने का प्रस्ताव है।

आन्ध्र प्रदेश के जिलों में टेलेक्स कनेक्शन

136. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आदिलाबाद, नालगोंडा, महबूबनगर, वारंगल और ओंगल जिलों में टेलेक्स कनेक्शन लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां अदीलाबाद और ओंगल में टेलेक्स कनेक्शन पहले ही दे दिए गए हैं। वारंगल में टेलेक्स एक्सचेंज संस्थापित किया जा रहा है और इसके चालू होने पर कनेक्शन दे दिए जाएंगे। जहां तक नालगोंडा के टेलेक्स दिये जाने का संबंध है, आवश्यक उपस्कर संस्थापित किये जा रहे हैं तथा अदायगी की औपचारिकताएं पूरी होने पर कनेक्शन दिये जा सकेंगे। महबूबनगर के संबंध में हैदराबाद दूरसंचार जिले को औपचारिक आवेदन-पत्र अभी प्राप्त होना है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की कोयला खानों का बन्द होना

137. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की कुछ कोयला खानों को बन्द करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की किन-किन कोयला खानों को बन्द करने का विचार है; और

(ग) इस निर्णय के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) सरकार द्वारा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के कार्य-कलाप का अध्ययन करने हेतु गठित चारी समिति ने 22 ऐसी कोयला खानों को निर्दिष्ट किया है जो अधिक उत्पादन लागत और प्रति व्यक्ति प्रतिपाली बहुत कम उत्पादन होने के कारण अलाभकर हो गई है। समिति की रिपोर्ट की जांच करने के बाद, सरकार ने कोल इण्डिया लि०/ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को निदेश दिया है कि वे 10 खानों के सम्बन्ध में पुनर्निर्माण और विकास योजनाएं अन्तिम रूप से तैयार करें। शेष 12 खानों के लिए कोल इण्डिया लि०/ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को जनशक्ति की पुनर्नियुक्ति/युक्तिकरण की एक योजना बनाने के लिए निदेश दिया गया है ताकि अन्ततः इन खानों को बन्द किया जा सके। यह 12 खानें निम्नलिखित हैं :—

1. काली पहाड़ी	7. शामपुर "ए"
2. ऐडजोय-II	8. बारमोण्डिया
3. रानीपुर	9. सिमलांग
4. तारा	10. अल्कुसे/गोपालपुर
5. सेल फटका	11. बेनाली
6. जमुरिया	6. कांकरताला

कृष्णा-गोदावरी की घाटी में पाई गई गैस का उपयोग

139. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कृष्णा-गोदावरी की घाटी में अब तक किए गये खोज कार्य के परिणाम क्या हैं;

(ख) खोज कार्य के फलस्वरूप पाई गई गैस के वाणिज्यिक उपयोग करने सम्बन्धी प्रस्ताव क्या है;

(ग) क्या गैस के बिजली तैयार किये जाने की संभावना का अध्ययन किया गया है; और

(घ) क्या इस गैस का काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) स्थित उर्वरक संयंत्र में तत्काल उपयोग किये जाने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) बेसिन की भू भाग पर 21 कुएं खोदे गये हैं तथा निम्नलिखित कुओं में तेल/गैस मिली है :—

कुएं का नाम	तेल/गैस
नरसापुर-3	गैस
नरसापुर-5	गैस
राजोल-1 और 2	गैस
टाटीपाका-1	गैस
भिमनापल्ली-1	गैस
केकलूर-1	गैस
पसरलापुडी	गैस
काजा-1	गैस
केकलूर-3	तेल

अपतटीय क्षेत्र में खोदे गए 32 कुओं में से निम्नलिखित कुओं में तेल/गैस मिली है :—

कुएं का नाम	तेल/गैस
जी०-1—1	तेल और गैस
जी०-1—6	—वही—
जी०-1—7	—वही—
जी०-2—2	—वही—
जी०-2—4	—वही—
जी०-1—5	गैस
जी०एस०-8—1	गैस

(ख) से (घ) नरसापुर तथा राजोल कुओं से बढ़ाई गई उत्पादन परीक्षण की अवधि के दौरान 1.5 लाख घन मीटर गैस उपलब्ध हुई है। इसके अतिरिक्त तीन वर्ष की नोटिस अवधि में

लगभग एक एम०एम०सी०एम०डी० और अधिक गैस उपलब्ध होने की सम्भावना है। बिजली, उर्वरक तथा अन्य उद्योगों में इस गैस के प्रयोग किये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

वर्ष 1986 के दौरान दिये गए टेलीफोन कनेक्शन

140. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग, दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतिशतता क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 1-4-86 से 31-1-87 की अवधि के दौरान उपलब्ध कराये गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 1,83,047 है।

(ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराये गये टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतिशतता क्रमशः 15 तथा 85 प्रतिशत के लगभग है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

141. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री बी०बी० रमैया
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री नारायण चौबे
श्री सुभाष यादव

: क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों ने 21 जनवरी, 1987 को एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल का समग्र रूप से उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है और इससे अन्य प्रकार की कितनी हानि हुई;

(ग) उनकी मांगें क्या थी; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के०के० तिवारी) : (क) 21 जनवरी, 1987 को कुछ कामगारों ने हड़ताल की थी।

(ख) इस हड़ताल का समग्र रूप से उत्पादन एवं अन्य घाटे पर पड़े हुए असर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।

(ग) उनकी मांगो की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) कामगारों की आशंकायें निराधार हैं और मांगों में कोई वास्तविकता नहीं है।

विवरण

1. सरकारी क्षेत्र के गैर-सरकारीकरण की नीति समाप्त करना।

2. सरकारी क्षेत्रों के कार्यकलापों के दायरे में बहु-राष्ट्रजनों तथा एकाधिकार वालों के प्रवेश का विरोध करना।

3. स्वदेशी माल के विकास में हानिकारक प्रौद्योगिकी एवं माल के आयात का विरोध करना।

4. मजदूर यूनियनों की पूर्व स्वीकृति के बिना आधुनिकीकरण, संगणकीकरण लागू करने का विरोध करना।

5. नियमित कामगारों के कार्य गैर-सरकारी ठेकेदारों को न फैलाना या सौंपना।

6. सरकारी क्षेत्र द्वारा किए गए कार्यों में समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक देना।

7. सरकारी क्षेत्र में मजूरी समझौते तत्काल शुरू किए जाए, जहां कहीं ये पिछले समझौतों के अनुसार किए जाने समयोचित हों।

8. मजूरी को उत्पादकता से न जोड़ना।

9 महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि करना ताकि सभी स्तरों पर निर्वाह लागत में वृद्धि का पूरा निष्प्रभावीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

10. स्थायी आदेशों में संशोधन तथा कार्यकलापों पर कानूनी रोक लगाने के जरिए मजदूर यूनियनों तथा लोकतांत्रिक अधिकारों में कोई कटौती न करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) को रद्द करना।

11. सरकारी क्षेत्र उद्यमों को बन्द न करना, कामबन्दी न करना तथा कामगारों की छटनी न करना तथा अनधिसूचित करना।

12. संविधान में मूल अधिकार के रूप में काम करने का अधिकार शामिल करना जब तक कि यह न हो, तब तक बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना।

13. सरकारी उद्यम कार्यालय के मनमाने हस्तक्षेप तथा सरकारी उद्यमों की अफसरशाही को समाप्त करना।

14. प्रबन्ध में असली कामगारों की भागीदारी लागू करना।

नई दिल्ली में राज्यों के मन्त्रियों की बैठक

142. श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री विजय कुमार यादव
: क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में राज्यों के बिजली मंत्रियों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या राज्य बिजली बोर्डों की समस्याओं से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनेक उपायों की घोषणा की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सम्मेलन की कार्यसूची की मदों में विद्युत कार्यक्रम (1986-87) की समीक्षा करना, विद्युत टैरिफ को तर्कसंगत बनाना, ऊर्जा का संरक्षण और पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी लाना शामिल थे। सम्मेलन में लिए गए मुख्य निर्णय निम्नलिखित विषयों से संबंधित थे :— नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तेजी से कार्यान्वयन द्वारा ताप-विद्युत केन्द्रों के विद्युत उत्पादन तथा संयंत्र भार अनुपात में सुधार लाने के लिए उपाय करना, तकनीकी तथा प्रशासनिक उपायों को अपनाकर पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी लाना, विद्युत परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति में शीघ्रता लाने के लिए एक ही संगठन से स्वीकृति, विद्युत परियोजनाओं को समय पर उपस्कर सप्लाई करना, ताप विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किये जाने वाले कोयले की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करना तथा बिजली बोर्डों को सुदृढ़ करने के लिए उपाय करना।

खाद्य तेलों के छोटे पैक

143. श्री परसराम भारद्वाज
श्री जगन्नाथ पटनायक
श्री कमल नाथ
क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेलों की कुछ मात्रा छोटे पैकों में उचित दर दुकानों से सप्लाई करने का हाल ही में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों को, राज्यवार कितना कोटा आवंटित किया गया है;

(ग) क्या इनका समुचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई मार्ग-निदश भी जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम दि हिंदुस्तान वैजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, पहले से ही आयातित खाद्य तेलों का विपणन छोटे पैकों में, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित अभिकरणों को सौंप दिए जाते हैं, कर रहा है। राज्य सरकारें इन्हें उचित दर की दुकानों के माध्यम से अथवा सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से छोटे पैकों में आयातित खाद्य तेलों की अधिकतम संभव मात्रा की आपूर्ति करने का निर्णय किया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें छोटे पैकों की योजना के अंतर्गत फरवरी, 1987 के दौरान आयातित खाद्य तेलों का राज्य-वार आवंटन दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 कि०ग्राम०, 2 कि०ग्रा० तथा 5 कि०ग्रा० के छोटे पैकों में तेल का वितरण करने हेतु आवश्यक प्रारम्भिक उदम उठाएं।

विवरण

छोटे पैकों की योजना के अंतर्गत फरवरी, 1987 माह में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन

क०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ नगर	पामोलीन	ताड़ का तेल	रेपसीड तेल	योग
			(मात्रा मीटरी टनों में)		
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र बम्बई, नागपुर, पूना तथा अन्य नगर जिन्हें राज्य सरकार इसके अंतर्गत लेना चाहे	4500	—	—	4500

1	2	3	4	5	6
2.	गुजरात अहमदाबाद, सूरत और अन्य नगर जिन्हें राज्य सरकार इसके अंतर्गत लेना चाहे	1000	—	—	1000
3.	मध्य प्रदेश भोपाल, इन्दौर तथा अन्य नगर जिन्हें राज्य सरकार इसके अंतर्गत लेना चाहे	20	—	—	20
4.	पश्चिम बंगाल कलकत्ता, दुर्गापुर तथा अन्य नगर जिन्हें राज्य सरकार इसके अंतर्गत लेना चाहे	—	—	1500	1500
5.	तमिलनाडु कोयम्बतूर, मद्रास, त्रिची तथा अन्य नगर जिन्हें राज्य सरकार इसके अंतर्गत लेना चाहे	2000	—	—	2000
6.	आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद, विजाग, वारंगल तथा अन्य नगर जिन्हें राज्य सरकार इसके अंतर्गत लेना चाहे	2000	—	—	2000
7.	कर्नाटक बंगलौर, मंगलूर तथा अन्य नगर जिन्हें राज्य सरकार इसके अंतर्गत लेना चाहे	1000	—	—	1000
8.	केरल कालीकट. कोचीन, त्रिवेंद्रम तथा अन्य नगर जिन्हें राज्य सरकार इसके अंतर्गत लेना चाहे	1000	—	—	1000
9.	उत्तर प्रदेश कानपुर नगर तथा अन्य नगर जिन्हें राज्य सरकार इसके अन्तर्गत लेना चाहे	700	—	—	700

1	2	3	4	5	6
10.	**राजस्थान** जयपुर तथा अन्य नगर जिन्हें राज्य सरकार इसके अंतर्गत लेना चाहे	100	—	—	100
11.	**उड़ीसा** भुवनेश्वर, कटक तथा अन्य नगर जिन्हें राज्य सरकार इसके अन्तर्गत लेना चाहे	50	—	—	50
12.	**हरियाणा (फरीदाबाद)**	200	—	—	200
13.	**दिल्ली**	450	—	300	750
14.	**चण्डीगढ़ प्रशासन**	10	—	—	10
15.	**पंजाब**	50	—	—	50
16.	**सिक्किम**	—	—	30	30
	योग :	13,080	—	1,830	14,910

[हिन्दी]

खाना पकाने की गैस के छोटे सिलेंडर सप्लाई करना

144. **श्री परसराम भारद्वाज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार की देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, खाना पकाने की गैस के छोटे सिलेण्डर सप्लाई करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) हांलाकि कुछ क्षेत्रों में तेल उद्योग द्वारा एल०पी०जी० के छोटे सिलिण्डरों का परीक्षण विपणन किया जा रहा है फिर भी अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में ऐसे सिलिण्डरों में एल०पी०जी० सप्लाई करने के बारे में सामान्य तौर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों पर राजसहायता में कटौती

145. श्री शरद दिघे : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले खाद्यान्नों पर मौजूदा राजसहायता में कटौती करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर व्यय

146. श्री शरद दिघे, श्री मुरली देवरा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान सरकार द्वारा कच्चे तेल की कितनी मात्रा आयात की जायेगी और यह स्वदेशी उत्पादन की तुलना में कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि आगामी वर्ष के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर व्यय में 1300 करोड़ रुपये से अधिक की भारी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) 1987-88 के लिए क्रूड के आयात की योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए वर्ष के दौरान आयात के बिल के बारे में बताना सम्भव नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक-संबंधी सुविधाएं

147. श्री शरद दिघे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सबूर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में डाक-संबंधी सुविधाओं की बहुत ही निराशा-जनक छवि प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है।

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं। इसके विपरीत समिति ने यह पाया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं में हुई प्रगति विश्व में अद्वितीय है तथा प्रशंसा करते हुए यह कहा है कि इस प्रक्रिया में पर्याप्त चिन्तन और परिश्रम लगाया जाता है।

तथापि, समिति ने यह महसूस किया है कि सेवाओं का विस्तार, आयोजकों द्वारा अपेक्षित से कहीं अधिक हुआ है और यह प्रतीत होता है कि कुछ हद तक विषय से संबंधित नियमों और अनुदेशों को भी ध्यान में नहीं रखा गया। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निश्चित संसाधनों के अधिकतम उपयोग की दृष्टि से युक्तिसंगत/पुर्ननियोजित करने के लिए समिति ने अनेक उपाय सुझाए हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

1. विभिन्न प्रकार के कार्यों को मिलाकर एक ही कर्मचारी को सौंपकर कम से कम कर्मचारियों की नियुक्त की जाए।

2. जो शाखा डाकघर 3 कि०मी० की न्यूनतम दूरी की शर्त पूरी नहीं करते, विशेषरूप से प्राधिकृत मामलों को छोड़कर, उन्हें बंद कर दिया जाए।

3. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों को बनाए रखने का निर्णय वार्षिक पुनरीक्षण के आधार पर किया जाए।

(ख) ग्रामीण जनता और अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के हितों को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न सिफारिशों को लागू करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार सुविधाओं का विकास

149. श्री विजय कुमार यादव
श्री नारायण चौबे } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार की सुविधाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य से तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके कार्यान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां। केवल उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए।

(ख) योजना प्रस्तावों में अन्य मदों के साथ-साथ लगभग 26000 लाइनों की स्विचिंग क्षमता को बढ़ाने पर विचार।

: लगभग 17000 मैनुअल लाइनों को आटोमेटिक बनाना।

: लगभग 7000 लाइनों का बदलना।

: गुवाहाटी और जोरहाट में नए डिजिटल ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज (टी० ए० एक्स०) खोलना।

: लगभग 8 नए टेलेक्स एक्सचेंजों को खोलना और गुवाहाटी टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रोनिक टैलेक्स एक्सचेंज में बदलना।

: तर्कसंगत प्रमुख शहरों में कम कीमत के उपग्रह भू-केन्द्रों की स्थापना।

: लगभग 2600 रूट किलोमीटर का माइक्रोवेव और अल्टरा हाई-फ्रिक्वेंसी सिस्टम चालू करना।

(ग) अभी तक संतोषजनक प्रगति हुई है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई किए गए विद्युत उपकरणों की अधिक लागत

150. **श्री विजय कुमार यादव**
श्री नारायण चौबे : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई किए गए विद्युत उपकरणों की लागत आयातित उपकरणों की लागत की तुलना में अधिक है तथा इसकी सुपुर्दगी में विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय द्वारा इस मामले को सम्बद्ध मंत्रालय के साथ उठाया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को क्रयादेश देने के बजाय इन संयंत्रों का आयात करने का निर्णय किया है?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जिला मुख्यालयों में टेलीफोन एक्सचेंज

151. श्री विजय कुमार यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक जिला मुख्यालयों में अभी तक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) देश में सभी जिला मुख्यालयों में आटोमैटिक एक्सचेंजों को संस्थापित न करने का कारण है, आटोमैटिक स्विचिंग उपस्कर की अपर्याप्त उपलब्धता।

[अनुवाद]

दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों में रासायनिक कारखानों द्वारा प्रदूषण

152. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एच/13-ए तथा जी-24 शककरपुर आवासीय क्षेत्र, दिल्ली में लाइसेंस की शर्तों तथा प्रदूषण नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करके रासायनिक कारखाने चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है क्या उन परिस्थितियों की जांच की गई है जिनके अन्तर्गत इन फैक्टरियों को लाइसेंस दिये गये हैं ताकि लाइसेंस देने के लिए उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सके ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार कपूर की टिकियां बनाने वाले दो औद्योगिक एकक हैं जिनमें से एक एच-13 ए, शकरपुर, दिल्ली में और दूसरा जी-24, शकरपुर दिल्ली स्थित है। जो एकक एच-13 ए शकरपुर, दिल्ली में है उसे दिल्ली नगर निगम द्वारा लाइसेंस दिया गया है और वह लाइसेंस की शर्तों के अनुसार कार्य कर रहा है। जी-_4 शकरपुर दिल्ली स्थित दूसरा एकक दिल्ली नगर निगम से लाइसेंस लिए बगैर चलाया जा रहा था और इस एकक पर उन्होंने पहले से ही मुकदमा कर दिया है।

[अनुवाद]

खाना पकाने की गैस की एजेंसियों का आबंटन

153. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 से अब तक देश में खाना पकाने की गैस की कितनी एजेंसियों का आबंटन किया गया है और खाना पकाने की गैस की कितनी एजेंसियों के सम्बन्ध में अभी तक यह निर्णय नहीं लिया गया है कि ये एजेंसियां किन्हें आबंटित की जानी चाहिए;

(ख) एजेंसियों के आबंटन में विलम्ब के कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : 1985 से 31.1.87 तक तेल कम्पनियों द्वारा अलाट की गई एल०पी०जी० वितरणशिपों की संख्या 1028 है तथा 534 वितरणशिपो के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

(ख) से (घ) तेल चयन बोर्ड एस०के०ओ०/एल०डी०ओ० तथा मोटर स्प्रिट/एच०एस० डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिपों के अतिरिक्त एल०पी०जी० की वितरणशिपों के लिए भी चयन करते हैं। चूंकि यह चयन प्रक्रिया लगातार चलती रहती है इसलिए कुछ कार्य का बकाया रहना स्वाभाविक है। पेनल के उम्मीदवारों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने की आवश्यकता न्यायालयों से स्थगन आदेश, उपयुक्त उम्मीदवारों का न मिलना आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे चयन को अंतिम रूप देने में देरी होती है चूंकि इन बोर्डों का पुनंगठन अभी किया जाना है इसलिए भी हाल ही में कुछ देरी हुई है। शीघ्र ही बोर्डों के पुनंगठन किए जाने की संभावना है।

रियायती दरों पर अच्छे किस्म का कच्चा माल उपलब्ध कराना

154. **श्री कमला प्रसाद रावत**
चौधरी राम प्रकाश } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे उद्यमियों को रियायती दरों पर अच्छे किस्म का कच्चा माल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) भारत सरकार की यह नीति रही है कि जहां तक संभव हो सके लघु उद्योगों को उचित दरों पर अच्छी किस्म का दुर्लभ कच्चा माल उपलब्ध कराया जाये।

[अनुवाद]

चीनी के नए कारखाने खोलना

155. श्री मोहन भाई पटेल :
प्रो० राम कृष्ण मोरे :
श्री बालासाहेब विखे पाटिल
श्री चिन्तामणि जेना
} : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी, गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में चीनी के नए कारखाने खोलने के सम्बंध में सरकार की नीति क्या है ;

(ख) चीनी के नए कारखाने खोलने और मौजूदा यूनिटों के विस्तार करने के संबंध में सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान, क्षेत्र-वार कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने आवेदन-पत्रों पर स्वीकृति प्रदान की गई और राज्य-वार और वर्ष-वार उनकी संख्या का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) संलग्न प्रति के अनुसार औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी किए गए दिनांक 2 जनवरी, 1987 के प्रेस नोट के अधीन चीनी उद्योग के लिए लाइसेंसिंग नीति अधिसूचित की गई है । [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० 3736/87]

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण-I संलग्न है ।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण-II संलग्न है ।

विवरण-I

नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और वर्तमान यूनिटों में विस्तार करने के लिए पिछले तीन वर्षों (1983-84, 1984-85 और 1985-86) के दौरान प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या बताने वाला विवरण क्षेत्रवार

क्षेत्र	प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या	
	नयी	विस्तार
निजी	12	16
सरकारी	3	4
सहकारी	38	42

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों (1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार प्रदान किए गए लाइसेन्सों को बताने वाला विवरण-II

क्रम सं०	राज्य	नयी				विस्तार			
		1983-84	1984-85	1985-86	जोड़	1983-84	1984-85	1985-86	जोड़
1.	उत्तर प्रदेश	1	—	—	1	3	2	—	5
2.	मध्य प्रदेश	1	1	—	2	—	—	—	—
3.	महाराष्ट्र	8	1	—	9	17	1	—	18
4.	पंजाब	1	—	—	1	2	—	—	2
5.	तमिलनाडु	2	—	—	2	3	—	—	3
6.	गुजरात	1	—	—	1	—	—	—	—
7.	कर्नाटक	2	—	—	2	—	—	—	—
8.	आंध्र प्रदेश	2	—	—	2	—	—	—	—
9.	बिहार	—	—	—	—	1	—	—	1
10.	उड़ीसा	—	—	—	—	1	—	—	1
	जोड़	18	2	—	20*	27	3	—	30**

* 2 आशय पत्र (एक महाराष्ट्र से और एक मध्य प्रदेश से) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए आवेदन पत्रों से सम्बन्धित हैं।

** 13 आशय पत्र (11 महाराष्ट्र से, 1 उत्तर प्रदेश से और 1 पंजाब से) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए आवेदन पत्रों से सम्बन्धित हैं।

विद्युत संयंत्रों को अच्छे किस्म के कोयले की सप्लाई

156. श्री मोहन भाई पटेल
श्री चिन्तामणि जेना
: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत संयंत्रों को अच्छी किस्म का कोयला सप्लाई नहीं किया जाता है और यह उनकी मांग की पूर्ति के अनुसार पर्याप्त भी नहीं है ;

(ख) क्या इस सम्बंध में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ग) विद्युत संयंत्रों की समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) क्या समस्या को सुलझाने के लिए उच्च अधिकारियों की हाल ही में कोई बैठक हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें क्या निर्णत किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) ताप बिजली घरों को कोयले का संयोजन, स्थायी संयोजन समिति [लघु अवधि] तिमाही आधार पर करती है। स्थायी संयोजन समिति में जिन संगठनों के प्रतिनिधि हैं वे हैं : कोयला विभाग, विद्युत बिभाग, रेल मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कोयला कंपनिया, आदि। स्थायी संयोजन समिति प्रत्येक बिजली घर की कोयले की जरूरतों पर अलग-अलग विचार करती है और तद्नुसार संयोजन किया जाता है।

तकनीकी विशेषज्ञों [केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिनिधियों सहित] द्वारा निर्धारित गुणात्मक परिमापों के अनुसार सभी बिजलीघर, कोयले की सप्लाई के लिए विभिन्न कोयला-स्रोतों से संयुजित हैं। जहां तक संभव होता है, स्थायी संयोजन समिति द्वारा ताप बिजली-घरों को कोयले की सप्लाई के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही और समिति द्वारा निर्धारित स्रोतों से ही बिजलीघरों को कोयले की सप्लाई की जाती है। फिर भी, इन बारे में उपभोक्ताओं से कुछ मुद्दों पर कुछ शिकायतें मिली हैं। यह मुद्दे हैं कोयले के आकार, कम उष्मा मूल्य, कोयले में फालतू पदार्थों का पाया जाना और कभी-कभी अपर्याप्त सप्लाई भी।

(ख) और (ग) बिजली घरों को कोयले की सप्लाई की समस्याओं के समाधान के लिए श्री मोहम्मद फजल की अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। उस समिति ने बिजलीघरों को कोयले की सप्लाई के विभिन्न पहलुओं पर अपनी सिफारिशें दी थी, जैसे— विशिष्ट कोलियारियों से बिजलीघरों को संयोजन दिया जाना, बिजली घरों को कोयले का परिवहन, कोल इंडिया लि० और राज्य बिजली बोर्डों के बीच करारों पर हस्ताक्षर, आदि। समिति की सिफारिशों की जांच की गई और उनमें से अधिकांश को सरकार ने मान लिया। कोयला कंपनियों, रेलवे और अन्य एजेंसियों से कहा है कि वे समिति की सिफारिशों पर उचित कार्यवाई करें।

कोयले को सही आकार देना और कोयले से फालतू सामग्री निकालना सुनिश्चित करने के लिए, कोलियरियों में कोयला रख-रखाव संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त किस्म में सुधार के लिए अनेक अन्य कदम उठाए गए है जिनमें यह बातें शामिल हैं :

(1) प्रत्येक कोयला कंपनी में एक स्वतंत्र किस्म नियंत्रण संगठन की स्थापना।

(2) जहां कोयला रख-रखाव संयंत्र नहीं हैं वहां आदमी लगाकर बड़े आकार के कोयले की तुड़ाई और फालतू सामग्री की छंटाई।

(3) कोयला नियंत्रकों एक स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में, खानों में कोयले की सीमों के ग्रेड-निर्धारण और उपभोक्ताओं को सप्लाई किए गए कोयले का भी ग्रेड-निर्धारण

करने की शक्ति दी गई है। उन्हें यह शक्ति दी गई है कि वे अपने आप ही अथवा किसी उपभोक्ता की शिकायत पर कोयले के नमूने ले सकते हैं और उनकी जांच करवा सकते हैं। इस मामले में कोयला नियंत्रक का निर्णय अंतिम होता है।

(घ) जी, हां। अधिकारी-स्तर पर होने वाली बैठकों के अलावा, दिनांक 22·12·1986 को मन्त्रालय में उच्चतम स्तर पर एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक की चर्चा का विषय था— ताप बिजलीघरों को कोयले की सप्लाई से सम्बंधित लंबित मामले। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमें यह बातें शामिल हैं —कोयले की सप्लाई के लिए कोल इंडिया लि० और राज्य विद्युत बोर्डों के बीच समझौता पर हस्ताक्षर, एक स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा केलियरी में संयुक्त रूप से नमूने लेना, कोयला कंपनियों की बकाया राशि का भुगतान, आदि।

अधिष्ठापित क्षमता से कम पर काम कर रहे चीनी कारखाने

157. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के कितने प्रतिशत चीनी कारखाने गन्ना उपलब्ध न होने के कारण अपनी अधिष्ठापित क्षमता से कम पर काम कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप उन्हें सीजन में औसतन कितनी उत्पादन हानि हो रही है; और

(ख) नये चीनी कारखानों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने हेतु उन्हें गन्ने की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) चीनी फैक्ट्री का क्षमता उपयोग गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता, प्लांट और मशीनरी की हालत, जन-शक्ति की गुणवत्ता, प्रबन्ध की कार्यक्षमता, गन्ने के मूल्य के समय पर भुगतान, आदि जैसी विभिन्न बातों पर निर्भर करता है। इसलिए गन्ने की अनुपलब्धता के कारण क्षमता के कम उपयोग का परिमाण लगाना कठिन है।

(ख) निम्नलिखित पग उठाए गए हैं :—

(1) वर्तमान क्षमता तथा भावी विस्तार के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ने की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्तमान यूनिट के 40 किलोमीटर के दायरे में नयी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए सामान्यतया कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

(2) राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक वर्तमान चीनी फैक्ट्री और प्रस्तावित नयी चीनी फैक्ट्री के लिए आरक्षित क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से निर्धारण करें।

नई सीरा और अलकोहल नीति

158. श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल
डा० चिन्ता मोहन
श्री छीतू भाई गामित } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई सीरा और अल्कोहल नीति की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्लास्टिक के बुने हुए बोरे बनाने वाले छोटे एककों में संकट की स्थिति

159. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्लास्टिक के बुने हुए बोरे बनाने वाले छोटे एककों को लघु उद्योगों को सामान्यत: दी जा रही रियायतें न दिये जाने, कच्चे माल का मूल्य अधिक होने और उत्पादन-शुल्क में वृद्धि के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं । फ्लैट लूम पर प्लास्टिक के बुने हुए बोरों का निर्माण केवल लघु क्षेत्र में विकास के लिये आरक्षित है । अधिकांश लघु उद्योग एकक इस वस्तु पर फ्लैट लूम पर निर्माण करते हैं, जिसे 20 नवम्बर, 1986 से उत्पादन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है ।

प्लास्टिक के बुने हुए बोरे बनाने वाले एकक अन्य लघु उद्योगों को उपलब्ध सभी प्रोत्साहनों तथा रियायतों को पाने के हकदार हैं । कच्चे माल की कीमतों में भी कोई भेदभाव नहीं है ।

दूरसंचार क्वालिटी सर्किलों की स्थापना

160. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरसंचार क्वालिटी सर्किलों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इनकी स्थापना किन उद्देश्यों को ध्यान में रख कर की जा रही है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) दूरसंचार में गुणवत्ता सर्किल स्थापित करने के लिए 24-12-86 को आदेश कर दिए गए हैं।

(ख) कर्मचारियों द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेकर ग्राहकों के लिए सेवा की उच्च गुणता पर ध्यान केन्द्रित करने तथा प्राप्त करने और स्टाफ के बीच अधिक कार्य सन्तुष्टि को बढ़ाना इसके उद्देश्य हैं। ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विषय :—**गुणवत्ता सर्किलों का गठन** :

सभी कार्यालयों या राजपत्रित वर्ग (ख) में किसी अधिकारी या उच्च स्तर उदाहरणार्थ किसी इंजीनियर, किसी उप मंडलीय अधिकारी, किसी तार परियात अधीक्षक, किसी लेखा अधिकारी के अधीन कार्य कर रहे कार्यालयों के समूह में एक गुणवत्ता सर्किल होगा। इसमें सभी शाखाओं के कार्यालय अर्थात् तार परियात, टेलीफोन एक्सचेंज, ट्रंक एक्सचेंज, टेलेक्स एक्सचेंज, ट्रांस मिशन स्टेशन प्रशासनिक कार्यालय तथा दूरसंचार विभाग में ऐसी ही अन्य यूनिटें शामिल होंगी।

बाद में गुणवत्ता सर्किलों को वर्ग 'ग' के सुपरवाइजरी ग्रेड अर्थात् जूनियर इंजीनियर, सहायक अधीक्षक तार परियात, कनिष्ठ लेखा अधिकारियों के अधीन छोटी यूनिटों में भी गठित किया जाएगा।

2. **गुणवत्ता सर्किलों के उद्देश्य**

गुणवत्ता सर्किलों का मुख्य उद्देश्य होगा, कर्मचारियों द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेकर ग्राहकों के लिए सेवा की गुणता पर ध्यान केन्द्रित करने तथा प्राप्त करने और स्टाफ के बीच अधिक कार्य संतुष्टि को बढ़ाना है।

3. **गुणवत्ता सर्किलों के कार्य** :

गुणवत्ता सर्किलों के मुख्य कार्य इस प्रकार होंगे :

(1) सभी पहलुओं में ग्राहकों की प्रदान की गई सेवा की समीक्षा करना अर्थात्

—दोष दरें

—सफल काल दरें

—खराबी ठीक करने का समय

—ट्रंक कालों में विलम्ब

—विभिन्न भागों पर ट्रंक प्रभावी प्रतिशतता

—आटो मैनुअल सेवाओं पर उत्तर देने का समय

—बिलिंग में विलंब

—बिल सम्बन्धी शिकायतें आदि

—और गुणता में सुधार लाने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करना।

(2) जन शिकायतों की समीक्षा और विश्लेषण तथा उन्हें दूर करने के लिए यांत्रिक समाधान।

(3) यूनिटों के वित्तीय कार्य की समीक्षा तथा राजस्व वाले परियात में वृद्धि करके और लागत में कमी करके सुधार लाने के लिए कार्यवाही योजना तैयार करना।

(4) उच्च उत्पादकता की समीक्षा करना तथा प्रोत्साहन देना, अनुपस्थिति को कम करना तथा मानव शक्ति का अधिकतम उपयोग करना।

(5) प्रबन्ध और कर्मचारियों के बीच दो मार्गीय संचार और विशेषता निवेश के लक्ष्य और कार्य की गुणता निर्धारित करना।

(6) प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष की सक्षमता को बढ़ाने वाले क्षेत्रों का पता लगाना।

(7) उन अन्य मामलों पर विचार-विमर्श करना जो कार्य निष्पादन में सुधार लाने तथा बेहतर ग्राहक संतुष्टि का आश्वासन वाले हों।

(8) गुणवत्ता सर्किल अलग-अलग कर्मचारियों की शिकायतों का निपटान करने का मंच नहीं होगा न ही ये सर्किल स्टाफ/प्रबन्ध समस्याओं को स्थापित करने के लिए निर्धारित आवधिक यूनियन जैसी एम बैठकों का कार्य करेंगे।

4. गुणवत्ता सर्किलों में प्रतिनिधियों का नामांकन :

प्रत्येक गुणवत्ता सर्किल में दस सदस्य होंगे। यूनिट के प्रधान सहित तीन सदस्य प्रबंध से तथा सात कर्मचारियों में से होंगे।

5. प्रबंध के प्रतिनिधियों को यूनिट के प्रधान द्वारा नामित किया जाएगा। कर्मचारियों के प्रतिनिधि विभिन्न ग्रुपों अर्थात् इन्डोर तकनीशियन और आउटडोर तकनीशियन, प्रचालन/परियात, प्रशासनिक, लेखे आदि में से लिए जाएंगे जो यूनिट के कार्य तथा विभिन्न श्रेणियों में

नियुक्त स्टाफ पर निर्भर होगा। प्रतिनिधियों को वर्ग 'ग' और 'घ' में सुपरवाइजरी और प्रचालन ग्रेडों के बीच उपयुक्त रूप से बाँट दिया जाएगा।

6. विभिन्न श्रेणियों से लिए गए स्टाफ के प्रतिनिधियों के बंटवारे को सेकण्डरी स्वीचन क्षेत्रों के प्रधान द्वारा सम्बन्धित यूनिट के प्रधान के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जाएगा।

7. कर्मचारियों के प्रतिनिधि यूनिट और सम्बन्धित ग्रुपों के प्रधान के बीच परस्पर सहमति की प्रक्रिया के माध्यम से सम्बन्धित श्रेणियों के स्वयं सेवकों में से लिए जाएंगे। परस्पर सहमति के अभाव में, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का चयन स्टाफ की सम्बन्धित श्रेणियों के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा।

8. यूनिट का प्रधान पदेन अध्यक्ष होगा।

9. कर्मचारियों के प्रतिनिधियों में से एक उपाध्यक्ष होगा जिसका चयन स्टाफ के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा।

10. यूनिट के प्रधान को छोड़कर, प्रबंध के प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि का नामांकन सचिव के रूप में किया जाएगा जो बैठकें आयोजित करेगा तथा आवश्यक रिकार्ड तैयार करेगा।

11. **सदस्यता की अवधि :**

एक बार गठित यूनिट परिषद् दो वर्ष की अवधि के लिए होगी। गुणवत्ता सर्किल में आकस्मिक रिक्ति को पूरा करने के लिए नामित या पंचयन कोई सदस्य सर्किल के कार्य की शेष अवधि के लिए सदस्य होगा।

12. **बैठकें और निर्णय :**

1. गुणवत्ता सर्किल की बैठकें निरन्तर होंगी और महीने में एक बार होनी आवश्यक है।
2. सभी निर्णय सहमति पर आधारित होंगे और न कि मतदान की प्रक्रिया ही से।
3. प्रत्येक निर्णय को एक महीने के भीतर सम्बन्धित पक्षों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा बशर्ते कि निर्णय में अन्यथा उल्लेख न हो।
4. प्रबन्ध बैठक के कार्यवृत्त की रिकार्डिंग और उसको तैयार करने की उपयुक्त व्यवस्था करेगा और अपने प्रतिनिधियों में से एक को सचिव नियुक्ति करेगा जो गुणवत्ता सर्किल की अगली बैठकों में निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देगा।

5. गुणवत्ता सर्किलों की बैठकों की कार्रवाई पर तैयार रिपोर्टें सम्बन्धित दूरसंचार जिले के अध्यक्ष, (जिला दूरसंचार इंजीनियर, जिला प्रबंधक या महाप्रबंधक, जैसा भी मामला हो) प्रस्तुत की जाएंगी जहां कहीं असहमति हो या जहां अन्य यूनिटों में लाभकारी सुझाव लागू करने की सम्भावना हो।

6. सर्किल अध्यक्ष निदेशालय को भेजी जाने वाली अपनी मासिक रिपोर्टों में एक पैराग्राफ जोड़ेंगे जिसमें गुणवत्ता सर्किलों में अपनी कार्यक्षेत्र के भीतर लिए गए लाभप्रद या महत्वपूर्ण निर्णयों, का उल्लेख करेंगे बशर्ते कि इससे अखिल भारतीय उपयोगिता या प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

"आयल इंडिया" द्वारा विश्व बैंक के साथ किया गया करार

161. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया ने ऋण सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ एक करार को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सम्बन्धित परियोजनाएं कौन सी हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

162. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री प्रकाश चन्द्र
श्री सुभाष यादव
: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति में काफी विलंब होता है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया में कोई संशोधन करने पर विचार कर रही है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) तारीख 1-2-1987 को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 56 पद रिक्त थे। उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तारीख 1-2-1987 को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के 12 पद भरे जाने थे (जिनमें 8 नए पद भी सम्मिलित हैं)।

(ख) से (घ) न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में जिन सांविधिक कृत्यकारियों से परामर्श अपेक्षित है, उनसे परामर्श करने की प्रक्रिया में कुछ समय अवश्य लग जाता है। सरकार ने हाल ही में समय-सूची विहित करने वाले उन अनुदेशों को दोहराया है जिनके अनुसार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा राज्यपालों को, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों को भरे जाने के लिए अपनी सिफारिशें भेजनी होती हैं तथा उनसे इसका अनुसरण करने का निवेदन किया है ताकि रिक्तियां शीघ्रता से भरी जा सकें। न्यायाधीशों की नियुक्ति से सम्बन्धित विद्यमान प्रक्रिया को पुनरीक्षित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्र०सं०	उच्च न्यायालय	तारीख 1-2-87 को रिक्तयों की संख्या
1	2	4
1.	इलाहाबाद	11
2.	आंध्र प्रदेश	3
3.	मुंबई	4
4.	कलकत्ता	—
5.	दिल्ली	2
6.	*गुवाहाटी	2
7.	गुजरात	5
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू-कश्मीर	—

1	2	3
10.	कर्नाटक	4
11.	केरल	—
12.	मध्य प्रदेश	1
13.	मद्रास	6
14.	उड़ीसा	3
15.	पटना	5
16.	पंजाब और हरियाणा	7
17.	राजस्थान	1
18.	सिक्किम	1
	योग :	56

हाजिरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाईप लाइन पर कार्य

163. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री मानिक रेड्डी
: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजिरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाईपलाइन पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य चल रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसको कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ; और

(ग) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) सभी क्षेत्रों में एच० बी० जे० परियोजना का काम प्रगति पर है तथा निर्धारित तारीख अर्थात् जुलाई, 89 तक काम पूरा कर लिया जाएगा ।

(ग) जनवरी, 87 के अन्त तक 737.74 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं ।

खाना पकाने की गैस के नकली सिलिंडर

164. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री मानिक रेड्डी
श्री प्रकाशचन्द्र
श्री सुभाष यादव
: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जनवरी, 1987 के "हिन्दुस्तान (हिन्दी) में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि राजधानी में और उसके आस-पास खाना पकाने की गैस के नकली सिलिंडर बहुत बड़ी संख्या में सप्लाई किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले दो वर्षों के दौरान राजधानी में खाना पकाने की गैस के सिलिंडरों के फटने के कारण अनेक व्यक्तियों की मौत हुई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कारंवाई की गई करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हालांकि परिचालन में कुछ नकली सिलिंडरों के होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता फिर भी इनके फटने की सूचना शायद ही कभी मिली हो। सूचित दुर्घटनाओं का कारण निकली हुई एल० पी० जी० का प्रज्ज्वलित होना है तथा ऐसी घटनाएं आमतौर पर उपभोक्ताओं द्वारा अपने घरों में लापरवाही से या रबड़ होल, स्टोव की नाब, एल० पी० जी० रेगुलेटर आदि उपकरणों के गलत ढंग से प्रयोग करने से होती है।

(घ) तेल उद्योग द्वारा एल० पी० जी० सिलिंडर, सिलिंडर विनिर्माताओं द्वारा आई० एस० आई० प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद उनसे सीधे ही प्राप्त किये जाते हैं। तेल कम्पनियों द्वारा प्राप्त इन्हीं सिलिंडरों में उपभोक्ताओं को एल० पी० जी० सप्लाई की जाती है। प्रत्येक बार भरने से पहले बाटलिंग संयंत्रों में सभी सिलिंडरों की जांच की जाती है। तेल उद्योग द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सिलिंडरों की प्रत्येक पांच वर्ष के बाद सांविधिक जांच की जाती है। ऐसी सभी खराब/नकली सिलिंडरों को जिनका पता विनिर्माताओं के पास या बाटलिंग संयंत्रों पर चलता है स्क्रैप के रूप में बिकने से पहले इन्हें दबाकर चपटी चद्दरों की तरह बना दिया जाता है ताकि इनको दोबारा बाजार में न लाया जा सके।

विश्व बैंक एजेंसी से स्वीकृति के लिए पड़ी हुई विद्युत परियोजनाएं

165. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन सम्बन्धी कोई परियोजना विश्व बैंक एजेंसी से वित्तीय सहायता की स्वीकृति हेतु रुकी हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जी हां । परियोजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(एक) राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत परियोजना (840 मेगावाट)

(दो) तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट)

(तीन) कर्नाटक विद्युत परियोजना (कालीनदी जल विद्युत परियोजना चरण-दो 270 मेगावाट)

दक्षिणी राज्यों में बिजली की कमी

166. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चारों दक्षिणी राज्यों में इस गर्मी में बिजली की कमी रहेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिणी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के प्रतिनिधियों की 7 जनवरी, 1987 को मद्रास में बैठक हुई और बिजली में कमी को पूरा करने सम्बन्धी तरीकों तथा उपायों पर विचार-विमर्श किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन दक्षिणी राज्यों को आगामी गर्मी के दौरान बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सहायता देने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) : दक्षिणी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड द्वारा लगाए गए अनन्तिम अनुमान के अनुसार, आगामी गरमी के महीनों के दौरान सम्भवतः सभी दक्षिणी राज्य भिन्न-भिन्न मात्रा में विद्युत की कमी का सामना करेंगे ।

(ख) जी, हां ।

(ग) दक्षिणी क्षेत्रों में विद्युत की कमी को दूर करने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं ; अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना ; चालू की गई नई यूनिटों को शीघ्र

सुस्थिर करना ; पड़ोसी क्षेत्रों/राज्यों से फालतू विद्युत का अन्तरण ; विद्यमान ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना आदि ।

डाक वितरण में कमियों पर निगरानी रखना

167. **श्रीमती बसवराजेश्वरी**
श्री के० राममूर्ति : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक वितरण में आने वाली कमियों पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किये गये हैं :

(ख) यदि हां, तो इन उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस मामले पर विचार करने के लिये दिसम्बर 1986 में महाडाकपालों का एक सम्मेलन बुलाया गया था ;

(घ) यदि हां तो, सम्मेलन के निष्कर्ष क्या हैं और इस बारे में क्या उपाय किये गये हैं; और

(ङ) क्या सभी मण्डलों के प्रधान डाकघरों को नई दिल्ली स्थित निदेशालय से जोड़ने का राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित कर लिया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां ।

(ख) (i) प्रधान डाकघरों एवं उप डाकघरों में वितरण के लिए प्राप्त डाक का नमूना सर्वेक्षण निर्धारित अवधि पर किया जाता है । इस कम उद्देश्य डाक पत्र-पेटी में डाले जाने के दूसरे, तीसरे और चौथे दिन तथा उसके बाद वितरित डाक की प्रतिशतता मालूम करना और चौथे दिन और इसके बाद वितरित होने वाली डाक की प्रतिशतता कम करना है ।

(ii) डाक कार्यालयों तथा एअरपोर्ट सर्टिंग कार्यालयों में डाक एकत्र होने अथवा रोकने की स्थिति की पुनरीक्षा सर्किल स्तर पर की जाती है और जहां कहीं आवश्यकता होती है डाक व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता है ।

(iii) निदेशालय सर्किलों और डिवीजनों के अधिकारी डाक वितरण कार्य को मानीटर करने के लिए डाकघरों का आकस्मिक एवं नियमित रूप से दौरा करते हैं ।

(iv) छंटाई और वितरण कार्य में विलंब का पता लगाने तथा कार्यकुशलता की जांच करने के लिए सर्विस टैस्ट पत्र एवं भुगतान के साथ टैस्ट-पत्र पर्याप्त मात्रा में डाक में डाले जाते हैं । इनकी पुनरीक्षा डिविजन, सर्किल और निदेशालय स्तर पर की जाती है ।

(ग) जी हां । सर्किल अध्यक्षों के वार्षिक सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा की गई उनमें डाक संचारण को मानीटर करना भी शामिल था ।

(घ) सम्मेलन के निष्कर्ष के रूप में यह निर्णय लिया गया कि मानीटरिंग कार्य में तेजी लाई जाए जिसके लिए (1) छंटाई कार्य की कुशलता की जांच करने के लिए डाक कार्यालयों का निरन्तर आकस्मिक दौरा करना।

(2) भारी संख्या मे "टेस्ट पत्र" डाक में डाले जाएं तथा परिणामों का विश्लेषण किया जाए और जहां आवश्यक हो उचित उपचारी उपाय किए जाएं।

(ङ) जी नहीं।

विद्युत उत्पादन की लागत सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

168. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिजली उत्पादन की अधिक लागत में कमी करने के उपाय खोजने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय टेलीफोन उद्योग में फालतू कर्मचारी

169. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार विभाग द्वारा पुराने क्रासबार उपकरणों स्थान पर लगाये जाने वाले उपकरणों के निर्माण हेतु आर्डर देना बन्द कर दिये जाने के कारण भारतीय टेलीफोन उद्योग के बंगलौर रायबरेली स्थित यूनिटों के 13,000 कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है ;

(ग) यदि हां तो ऐसे कितने फालतू कर्मचारियों की छंटनी की गई है और कितनों की छंटनी की जानी है ;

(घ) क्या छंटनी किये गये इन कर्मचारियों को अन्य उद्योगों में खपाने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और सरकार द्वारा इन फालतू कर्मचारियों को भारतीय टेलीफोन उद्योग में किस प्रकार खपाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) आई० टी० आई के रायबरेली और बंगलौर कारखानों में इलेक्ट्रोन-मकेनिकल्स स्विचिंग उपस्कर के उत्पादन को धीरे-धीरे बन्द करने का अनंतिम कार्यक्रम नीचे दिया है :-

उत्पादन की मद	नियुक्त कर्मचारी	उत्पादन को बन्द करने की संभावित तारीख शुरुआत	समाप्ति
(क) बंगलौर			
1. क्रासबार	2773	1987-88	1990
2. स्ट्रोजर	4450	1989-90	1991*
(ख) रायबरेली			
1. स्ट्रोजर	4222	1989-90	1991
2. क्रासबार (आईसीपी)	2024	1994-95	1996*

* टिप्पणी : कुछ का उत्पादन अतिरिक्त पुर्जों आदि की आपूर्ति के लिए जारी रहेगा।

अभी तक किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है। जिन कर्मचारियों के फालतू होने की संभावना हैं, उन्हें उत्पादन की अन्य मदों पर यथासंभव समाविष्ट करने के प्रस्ताव हैं। इन मदों में बंगलौर में डिजिटल इलेक्ट्रानिक स्विचिंग कारखाने की स्थापना शामिल है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाना

170. श्री वी० कृष्णराव
डा० जी० विजय रामाराव
श्री मानिक रेड्डी
डा० वी० एल० शैलेश
: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत सरकार द्वारा नियम कब तक बना दिये जायेंगे ;

(ख) अधिनियम को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों का प्रचार करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) उपभोक्ता संरक्षण की अधिनियम, 1986 के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाये जाने हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम बनाये गये हैं, जो अधिनियम के लागू होने के पश्चात प्रवर्तित होंगे राज्यों को उनके द्वारा नियम बनाये जाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं।

(ख) यह अधिनियम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श के बाद प्रवर्तित किया जाएगा।

(ग) सरकार उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए दूरदर्शन/आकाशवाणी तथा समाचार माध्यमों का उपयोग कर रही है। उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय/क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

प्राकृतिक गैस का उत्पादन

171. श्री वी० कृष्ण राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय प्राकृतिक गैस का कुल कितना उत्पादन होता है ;

(ख) वर्ष 1989-90 के अन्त तक प्राकृतिक गैस का अनुमानतः कितना उत्पादन होने लगेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैस के मूल्य में रियायत दी जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) 1985-86 के दौरान देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 22.50 एम० एम० सी० एम० डी० हुआ।

(ख) इस समय लगाये गए अनुमान के अनुसार 1989-90 के अन्त तक लगभग 40 एम० एम० सी० एम० डी० प्राकृतिक गैस के उत्पादन होने की संभावना है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 30-1-87 से तट क्षेत्र में और लैण्डफाल पाइंट पर गैस की कीमत 1400 रुपए प्रति एक हजार घन मीटर तथा एच० बी० जे० पाइप लाइन के पास सप्लाई की जाने वाली गैस की कीमत 2250 रुपए प्रति एक हजार घन मीटर

होगी। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में बेची जाने वाली गैस की कीमत 1000 रुपए प्रति एक हजार घन मीटर होगी परन्तु शर्त है कि छूट प्रत्येक मामले में 500 रुपए प्रति एक हजार घन मीटर से अधिक न हो। इन कीमतों में रायल्टी कर शुल्क तथा अन्य सांविधिक शुल्क शामिल होंगे।

खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों के लिए जमानत जमा राशि

172. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक उपभोक्ता को खाना पकाने की गैस के सिलेंडर के लिये स्थानीय वितरक एजेंसी के पास कुछ सौ रुपये जमा कराने पड़ते हैं ;

(ख) क्या सरकार उपभोक्ताओं को जमानत जमा राशि पर ब्याज दिलाने के सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी हां

(ख) जी नहीं।

(ग) नये उपभोक्ताओं का नामांकन करते समय नये सिलेण्डरों/रेग्यूलेटरों पर किए गये निवेश के अतिरिक्त तेल उद्योग को पर्याप्त उपकरणों के लिए योजना तैयार करने प्राप्त करना उनकी सूची रखने का कार्य करना पड़ता है। इसमें निरीक्षण, परीक्षण, मरम्मत रद्द करने और प्रतिस्थापन, डिजाइन, अनुसन्धान और विकास पर आवर्ती व्यय के अतिरिक्त अधिक पूंजी परिव्यय निहित होता है। इसके अतिरिक्त तेल कम्पनियां उपभोक्ता द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले एल० पी० जी० उपकरणों के लिए कोई किराया नहीं लेती है।

आन्ध्र प्रदेश में डाकघरों की संख्या में कटौती और उसका दर्जा कम किया जाना

173. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश राज्य में दिनांक 1-1-85 और 1-1-1987 को विभिन्न श्रेणी के जैसे मुख्य डाकघर, उप डाकघर, विभागेतर उप डाकघर, शाखा डाकघर इत्यादि की जिलावार कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) डाकघरों की संख्या कम करने और उनका दर्जा घटाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विजयवाड़ा शहर की टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

175. श्री वा० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान विजयवाड़ा शहर की दूरसंचार प्रणाली को आधुनिक बनाने की योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) 1 जनवरी, 1987 को उन व्यक्तियों की संख्या कितनी थी जिन्होंने टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन किया था और उनके नाम प्रतीक्षा सूची में थे ; प्रयोक्ताओं को कनेक्शन देने में औसतन कितना समय लगता है ; और

(ग) विजयवाड़ा शहर को प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन देने के संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) सातवीं योजनावधि के दौरान ट्रंक एक्सचेंज बिल्डिंग से पतमाता तक 7 कि० मी० केबिल डक्टिंग का कार्य प्रारंभ करने तथा 4000 लाइनों का डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना है।

(ख) 1ली जनवरी 87 को शहर (मुख्य और इंडस्ट्रियल इस्टेट टेलीफोन एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची में क्रमश: 4665 और 929 व्यक्ति थे।

विभिन्न श्रेणियों में उपभोक्ता को टेलीफोन कनेक्शन देने में लिया गया औसत समय नीचे दिया गया है :—

श्रेणी	लिया गया औसत समय (लगभग)
(i) ओ० वाई० टी०	1-1/2 वर्ष
(ii) विशेष	2 वर्ष
(iii) सामान्य	6 वर्ष

(ग) विजयवाड़ा शहर की प्रतीक्षा सूची समाप्त करने के लिए टेलीफोन प्रणाली के निम्नानुसार विस्तार की योजना है :—

(i) 1987-88 के दौरान सिटी (मुख्य) एक्सचेंज का 2100 लाइनों द्वारा विस्तार।

(ii) 1988-89 के दौरान दूरवाणी काम्पलेक्स के डिजिटल इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की 400 लाइनों को चालू करना।

(iii) 1988-89 के दौरान इंडस्ट्रियल एस्टेट एक्सचेंज का 500 लाइनों द्वारा विस्तार।

खाद्य तेल के मूल्य में वृद्धि होना

176. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री कमल नाथ
श्री शान्ति धारीवाल
श्री इन्द्रजीत गुप्त
}: **क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तेल स्वदेशी और आयातित के मूल्यों में, हाल ही के कुछ महीनों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1986 और जनवरी, 1987 के दौरान खाद्य तेल के मूल्यों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) खाद्य तेल का मूल्य नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) हाल के महीनों में देशीय खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित करने के लिए आयातित खाद्य तेल पूर्व निर्धारित निर्गम मूल्य पर दिया जाता है। इन निर्गम मूल्यों में 15-11-1985 से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) जनवरी 1986 से जनवरी, 1987 के बीच खाद्य तेलों के थोक मूल्य सूचकांक तथा उनमें आए उतार-चढ़ाव का प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

समूह	थोक मूल्य सूचकांक		उतार-चढ़ाव का प्रतिशत
	जनवरी, 86	जनवरी, 87	जनवरी, 87 / जनवरी, 86
1	2	3	4
खाद्य तेल	299.6	408.2	+36.2
वनस्पति	322.4	369.8	+14.7
मूंगफली का तेल	325.2	421.8	+29.7

1	2	3	4
सरसों का तेल	248.4	386.2	+55.5
नारियल का तेल	237.2	426.8	+79.9
जिंजली का तेल	285.9	428.4	+49.8
करडी का तेल	309.9	560.6	+80.9
बिनौले का तेल	278.0	416.1	+49.7
चावल की भूसी का तेल	226.8	298.9	+31.8

खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि के कारणों में से कुछ कारण हैं तिलहनों के उत्पादन में कमी का आना तथा कमी की अवधि के दौरान पड़ने वाला प्रभाव।

(ग) खुले बाजार में खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि के रुख को रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेलों का अधिक आबंटन किया जा रहा है। हाल में, वनस्पति उद्योग को किए जाने वाले आयातित तेलों के आबंटन में भी वृद्धि की गई है।

[हिन्दी]

देश में तेल के भण्डार

177. श्री मदन पांडे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में तेल के नये भंडारों का हाल ही में पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में तेल के इन क्षेत्रों का विदोहन करने की व्यवस्था करने जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और किन स्थानों पर ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी हां।

(ख) अप्रैल, 1986 के बाद निम्नलिखित क्षेत्रों में तेल निकला है :—

तटवर्ती

केकालूर	—आन्ध्र प्रदेश
नामती	
शालमारी	असम

अपतट

सी० डी०	
सी० ए०	
बी-42	पश्चिमी तट
आर-7 ए	
बी-131	

(ग) और (घ) इन खोजे गये स्थानों से वाणिज्यिक उत्पादन और आगे किये जाने वाले डिलिनिएशन ड्रिलिंग पर निर्भर करेगा।

गोरखपुर के बोकता गांव में गैस के जलने तथा भूमि के नीचे से गड़गड़ाहट की आवाज आने की जांच करना

178. **श्री मदन पांडे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जिला गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के बोकता गांव में गैस के जलने तथा भूमि के नीचे से गड़गड़ाहट की आवाज आने के समाचार मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए अब तक कोई कारगर कदम उठाये हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) बोकता गांव में गैस देखे जाने के सम्बन्ध में की गई रिपोर्ट के बारे में ओ० एन० जी० सी० ने जांच की थी। कुएं से निकली गैस को जमा किया गया और केशवदेव मालवीय

पेट्रोलियम अन्वेषण संस्थान में उसका विश्लेषण किया गया। जिओ केमिकल विश्लेषण से पता चला है कि ये गैस के सैम्पल बायोजैनिक नेचर (मार्श गैश) के थे।

स्वरोजगार योजना

179. **श्री मदन पांडे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वरोजगार योजना से सम्बन्धित कार्य में प्रगति मन्थर गति से हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें तेजी लाई जाए, कोई ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है ;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियो ने आवेदन दिए हैं और उनमें से कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया है ; और

(घ) कितने आवेदनकर्ताओं को न तो ऋण दिए गये हैं और न ही उनके आवेदनों पर कोई कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान क्रमशः 97%, 91% तथा 88% उपलब्धियां थीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जिलावार जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, वर्ष 1985-86 के दौरान राज्य के 31,300 के लक्ष्य की तुलना में उत्तर प्रदेश में जिला उद्योग केन्द्रों में 97,706 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। बैंकों ने 26,264 लाभ-प्राप्तकर्ताओं को ऋणों की स्वकृति दी।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी जानकारी नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

सीमेंट और निर्माण सामग्री उद्योग का आधुनिकीकरण

180. **श्री मुकुल वासनिक**
डा० गौरीशंकर राजहंस } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने देश में सीमेंट और निर्माण सामग्री उद्योग का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शनों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का आधुनिकीकरण के लिए इस उद्योग को कोई सहायता देने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार सीमेंट उद्योग पर पुराने सीमेंट कारखानों का आधुनिकीकरण करने ऊर्जा संरक्षण पद्धतियों को अपनाने तथा प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को अधिष्ठापित करने के लिए कारगर अभ्युपाय करने की आवश्यकता पर समय-समय पर जोर देती रही है। वर्ष 1986 के दौरान 7 सीमेंट एककों को नम से शुष्क प्रक्रिया में बदलने और सीमेन्ट उद्योग को उप क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण तकनीकी सहायता देने हेतु विश्व बैंक से 2000 लाख डालर के ऋण की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) सीमेंट उद्योग को उसके आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित निर्णय किए गये हैं :—

(1) रुग्ण घोषित किए गये पुराने सीमेंट संयंत्र से एककों की तुलना में कम लेवी दायित्व लिया जाता है ताकि वे अपनी अतिरिक्त आय का आधुनिकीकरण प्रयोजनों के लिए निवेश कर सकें।

(2) उन कारखानों को जो विद्यमान पुरानी नम प्रक्रिया वाले भट्ठों को हटा कर नई शुष्क प्रक्रिया वाले भट्ठे स्थापित करते हैं अथवा विद्यमान पुराने नम प्रक्रिया वाले भट्ठों को शुष्क प्रक्रिया वाले भट्ठों में इस प्रकार परिवर्तित करते हैं कि अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता पुराने भट्ठों की क्षमता के बराबर रहती है अथवा पुराने भट्ठों की क्षमता से अधिक हो जाती है, तो उन्हें लेवी कोटा निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए नए एककों के रूप में माना जाएगा।

कच्चे तेल का आयात

181. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान अनुमानतः कितनी मात्रा में कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया जायेगा ;

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान इसका अनुमानतः कितना आयात किया जायेगा ;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष और अगले वर्ष कुल कितने मूल्य का आयात करने का अनुमान है ;

(घ) क्या विदेशी सप्लायरों के साथ वर्ष 1987-88 के लिए किन्हीं दीर्घकालीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं ; और

(ङ) समझौते के अन्तर्गत आयातित मात्रा की तुलना में स्थल पर बिक्री किए गये आयातित तेल की प्रतिशतता कितनी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) वर्ष 1986-87 के दौरान आयातित कये जाने वाले कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमति मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	(मात्रा मिलियन मी० टन)
कच्चा तेल	15.6
पेट्रोलियम उत्पादन	3.7

(ख) 1987-88 की आयात योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) 1986-87 के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की अनुमानित लागत लगभग 3050 करोड़ रुपए की होगी । 1987-88 के लिए अभी तक कोई अनुमान तैयार नहीं किए गए हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बम्बई हाई में आई० सी० प्रोसेस काम्प्लेक्स के लिए अनुबंध

182. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई में आई० सी० प्रोसेस के लिए अनुबन्ध करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां ।

(ख) यह परियोजना 166,084,330 अमरीकी डालर तथा 24,880,710 फ्रांसीसी फ्रैंक की लागत पर साउथ कोरिया के मैसर्स हागुण्डायी हैवी इंडस्ट्रीज को दी गई है।

नई औषध नीति पर निगरानी रखने के लिए व्यवस्था

184. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औषध नीति पर निगरानी रखने और फार्मस्यूटिकल्स क्षेत्रों में स्वास्थ्य तथा औद्योगिक नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कोई व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) औषध एवं भेषज उद्योग में सुव्यवस्थीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं विकास हेतु हाल ही में घोषित उपायों के अनुसरण में, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग ने औषध क्षेत्र में स्वास्थ्य नीतियों एवं औद्योगिक नीतियों में बेहतर समन्वय लाने व उनके कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए एक अंतर्-मंत्रालय समन्वय समिति का गठन किया है।

औद्योगिक अल्कोहल पर लेवी तथा शुल्क को युक्तिसंगत बनाना

185. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक अल्कोहल पर लगाई गई जाने वाली लेवी तथा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) औद्योगिक यूनिटों को औद्योगिक अल्कोहल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या औद्योगिक अल्कोहल की सप्लाई बढ़ाने के लिए खांडसारी सीरे का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) समय-समय पर राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे अल्कोहल पर आधारित रसायनों के उत्पादन के लिए प्रयोग किये जाने वाले अल्कोहल पर शुल्क को ऐसे स्तर पर बनाये रखना सुनिश्चित करें कि अल्कोहल पर आधारित उद्योग इसे वहन

कर सके तथा इस प्रकार इनके द्वारा उत्पादित मदें, पैट्रोकैमिकल को फीड स्टाक के रूप में प्रयोग करके उत्पादित की गई मदों के समतुल्य हो सके।

(ग) हालांकि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार चालू अल्कोहल वर्ष के दौरान औद्योगिक प्रयोग के लिए स्वदेशी अल्कोहल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने की आशा है, तथापि कमी की हालत में आयात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(घ) शीरे और अल्कोहल की उपलब्धता में सुधार के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे खाण्डसारी सीरे पर नियंत्रण रखें।

"डबल कोला" शीतल पेय

186. श्रीमती किशोरी सिंह
डा० जी० विजय रामाराव
: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीतल पेय बनाने वाली एक कम्पनी "डबल कोला" को भारत में अपने उत्पादन बनाने की अनुमति दी गई है, जैसा कि 1 फरवरी, 1987 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप तकनीकी जानकारी अथवा किसी अन्य सामग्री के आयात पर कोई विदेशी मुद्रा व्यय होगी ;

(ग) शीतल पेयों के कंसेन्ट्रेट" के आयात की अनुमति देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ;

(घ) क्या शीतल पेय बच्चों के स्वास्थ्य के लिये भी अनेक समस्यायें पैदा कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में शामिल पेयों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मृदु पेय सान्द्रण बनाना अनुसूचित उद्योग के अन्तर्गत नहीं आता इसलिए औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के अधीन इसके वास्ते औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है। किन्तु डबल कोला मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ने जनवरी 1987 में हमें सूचित किया था कि उन्होंने मृदु पेय सान्द्रण बनाने के लिए महाराष्ट्र के नासिक नामक स्थान में एक एकक की स्थापना की है।

(ख) इस परियोजना की समूची इक्विटी पूंजी प्रवर्तकों द्वारा विदेशी मुद्रा के रूप में इस

आधार पर लाई गई है कि वह पूंजी और लाभांश दोनों रूपों में प्रत्यावर्तनीय नहीं होगी। आयातित तकनीकी जानकारी के आधार पर भी विदेशी मुद्रा बाहर नहीं जाएगी। किन्तु परियोजना में मृदु पेय सान्द्रण बनाने के लिए पूंजीगत उपकरण और कच्चे माल का आयात निहित है जो देश में उपलब्ध नहीं है।

(ग) मृदु पेय सान्द्रण बनाने के लिए समय-समय पर आयात नीति के अनुसार ऐसे कच्चे माल के आयात की अनुमति दी जाती है जो देश में उपलब्ध नहीं होते।

(घ) कार्बोनेटिड जल के मानक खाद्य अपमिश्रण निवारक नियमावली, 1955 की परिशिष्ट-बी की मद सं० ए० 01.0.1 अन्तर्गत निर्धारित किए गये हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारक नियमावली के अधीन निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप कार्बोनेटिड जल का उपभोग हानिकारक नहीं होता।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में बिजली की कमी

187. श्री एच० बी० पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में बिजली की अत्याधिक कमी की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार से राज्य को गैस आबंटित ऊर्जा का कुछ प्रतिशत आबंटित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा राज्य सरकार की मांग कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) कर्नाटक अपने निजी विद्युत उत्पादन से अपनी विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है तथा केन्द्र सरकार के विद्युत उत्पादन केन्द्रों से यथासम्भव राज्य के हिस्से से अधिक सहायता प्रदान की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के रिक्त पद

188. श्री मुरलीधर माने
श्री गुरुदास कामत } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1986 को सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में मुख्य अधिकारियों के पद काफी समय से रिक्त पड़े रहे हैं :

(ग) यदि हां, तो इन उपक्रमों के नाम क्या हैं और नये पदाधिकारियों की नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने चयन प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) 31-12-1986 को सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की संख्या 226 थी और सरकारी क्षेत्र के 28 उद्यमों में मुख्य अधिकारियों के पद रिक्त पड़े थे।

(ग) मुख्य अधिकारियों के पद जिन उद्यमों में रिक्त पड़े हैं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गये हैं। इसमें विलम्ब होने के कारण हैं—प्रशासनिक मंत्रालयों/सम्बद्ध विभागों द्वारा सरकारी उद्यम चयन मण्डल की सिफारिसों पर कार्रवाई करना तथा मंत्री मण्डल की नियुक्ति समिति की स्वीकृति प्राप्त करने में समय लगना। ये नियुक्तियां, केवल सतर्कता विभाग की स्वीकृति लेने, सम्बद्ध व्यक्ति की नियुक्ति से पहले उसके चरित्र एवं पूर्वकृत का सत्यापन करना तथा अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही की जा सकती हैं। कभी-कभी विलम्ब इसलिए भी हो जाता है, क्योंकि नियुक्त व्यक्ति कार्यभार ग्रहण नहीं करता है अथवा जहां विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्तियों को खोजना पड़े।

(घ) सरकार का यह सदा ही प्रयास रहा है कि चयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाया जाये। सरकार रिक्तियों की स्थिति पर निगरानी रखती है तथा चयन में तेजी लाने के लिये यथासम्भव कार्रवाई शुरू करती है। इस विषय में किए गये अन्य उपायों में सरकारी उद्यम चयन मण्डल द्वारा व्यवस्थित रूप से साक्षात्कार किये जाने का उल्लेख करना भी अप्रासंगिक नहीं होगा, जो सामान्यतः इसके प्रयोजनार्थ प्रत्येक सप्ताह में दो बैठक आयोजित करता है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम जिनमें मुख्य कार्यपालक नहीं थे

1. ग्राम विद्युतीकरण निगम
2. इण्डियन डेरी कारपो०
3. गैस अथारिटी आफ इण्डिया
4. टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो०
5. भारत यन्त्र निगम लि०
6. एअर इण्डिया
7. इलायची व्यापार निगम
8. हिन्दुस्तान सिपयार्ड लि०

9. भारत भारी उद्योग निगम लि०
10. ब्रिज एण्ड रूफ कं० लि०
11. भारत आफथेल्मिक ग्लास लि०
12. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसेल्स लि०
13. कोचीन शिपयार्ड लि०
14. हेलीकाप्टर कारपो० लि०
15. भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजी० लि०
16. भारत गोल्ड माइन्स लि०
17. ने० टे० का० (धारक कं०) लि०
18. हिन्दुस्तान पेपर कारपो०
19. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०
20. भारत बेटन एण्ड इंजी० कं० लि०
21. विदेश संचार निगम लि०
22. नेशनल टेक्सटाइल कारपो० (मध्य प्रदेश) लि०
23. ने० टे० का० (उ० प्र०) लि०
24. ने० टे० का० (महाराष्ट्र नार्थ) लि०
25. हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०
26. रिचर्डसन एण्ड कुडास लि०
27. स्कूटर इण्डिया लि०
28. भारत लेदर कारपो०

महाराष्ट्र को चावल का आबंटन

189. श्री मुरलीधर माने
श्री गुरुदास कामत } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के लिए चावल का मासिक कोटा जो 1982 में 75,000 मीटरी टन था, 1985 में घटाकर 40,00 मीटरी टन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) 1986 में महाराष्ट्र को माहवार कितना चावल आबंटित किया गया ;

(घ) क्या सरकार को उस राज्य के लिए चावल का कोटा बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) महाराष्ट्र को अप्रैल, 1982 में 75,000 मीटरी टन और मई, 1982 में 60,000 मीटरी टन चावल के किए जा रहे मासिक आवंटन को युक्तियुक्त कर जून, 1982 में 25,000 मीटरी टन कर दिया गया था। इसे बाद में बढ़ाकर जून, 1985 में 30,000 मीटरी टन कर दिया गया था और तब से यह प्रतिमास 30,000 मीटरी टन से 70,000 मीटरी टन के बीच के रेंज में है।

(ख) केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर समय-समय पर आवंटनों को युक्तियुक्त किया जाता है।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार से प्राप्त हुए अनुरोधों के प्रत्युत्तर में, आवंटनों में समय-समय पर वृद्धि की गई है। इस समय इस आवंटन की मात्रा 50,000 मीटरी टन प्रतिमास है।

विवरण

महाराष्ट्र को 1986 के दौरान चावल का मासिक आवंटन

			(हजार मीटरी टन में)
जनवरी	1986	...	40.0
फरवरी	1986	...	40.0
मार्च	1986	...	40.0
अप्रैल	1986	...	40.0
मई	1986	...	50.0
जून	1986	...	70.0
जुलाई	1986	...	70.0
अगस्त	1986	...	70.0
सितम्बर	1986	...	70.0
अक्तूबर	1686	...	70.0
नवम्बर	1986	...	50.0
दिसम्बर	1986	...	50.0

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अनुसंधान तथा विकास

190. डा० जी० विजय रामाराव, श्री मानिक रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अनुसंधान और विकास की कुछ कमियों तथा कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या किसी समय इसका कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और क्या-क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बी० एच० ई० एल० ने एक इंजीनियरी समिति और प्रौद्योगिकी नीति समिति गठित की है जो संगठन की अनुसंधान तथा विकास और इंजीनियरी क्षमताओं की नियमित रूप से समीक्षा करती है और निरन्तर सुधार करने के लिए नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करती है। निदेशक मण्डल भी समय-समय पर अनुसंधान तथा विकास कार्यों की समीक्षा करता है। समीक्षा के आधार पर बी० एच० ई० एल० अनेक उत्पादों, प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों जैसे फ्ल्यूडाइज्ड बेड बायलरों, पिसे हुए कोयले को सीधे ही प्रज्वलित करना आदि के विकास और वाणिज्यिकीकरण में समर्थ हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

191. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की कुल कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है ;

(ख) उपर्युक्त मात्रा में से वर्ष 1986 के दौरान देश में इसका कितना उत्पादन किया गया ;

(ग) देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1986 के दौरान तेल के आयातों पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ; और

(घ) भविष्य में तेल आयात पर खर्च को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) वर्ष 1986 में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग तथा उनकी देश में उपलब्धता का विवरण नीचे दिया गया है :—

	(मिलियन टन)	
	आवश्यकता मांग	देश में उपलब्धता
कच्चा तेल (प्रोसेसिंग)	44.94	30.35
पेट्रोलियम उत्पाद	42.89	42.30

(ग) वर्ष 1986 के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर 2519.97 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

(घ) वित्तीय उपायों के अतिरिक्त क्रूड और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को कम करने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) अन्वेषण कार्यों को तेज करना तथा कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करना।

(2) शोधन क्षमता को बढ़ाना और रिफाइनरियों में ईंधन की खपत को कम करने के लिए संरक्षण स्कीमें लागू करना।

(3) अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों यथा औद्योगिक, कृषि, परिवहन और घरेलू क्षेत्रों में पी०सी०आर०ए० द्वारा संरक्षण की गतिविधियों को बढ़ावा देना।

(4) वैकल्पिक ईंधनों के प्रयोग को बढ़ावा देना।

डाक सेवाओं पर व्यय

192. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार डाक सेवाओं पर वार्षिक व्यय कितना हुआ ;

(ख) उन वर्षों के दौरान डाक टिकटों, मनीआर्डर कमीशन आदि से कितनी आय हुई,

(ग) क्या इन वर्षों में आय व्यय से अधिक हुई है अथवा घाटा हुआ ; और

(घ) डाक की दरों में वर्तमान वृद्धि को देखते हुए चालू वर्ष के दौरान कितनी आय होने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) :

(क)	1984-85	—636.07 करोड़ रुपये
	1985-86	—728.19 करोड़ रुपये
(ख)	1984-85	—444.41 करोड़ रुपये
	1985-86	—476.84 करोड़ रुपये
(ग)	घाटा हुआ :	
	1984-85	—136.09 करोड़ रुपये
	1985-86	—163.55 करोड़ रुपए

(घ) 1986-87 के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 593.00 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के न्यायाधीश

193. **श्री के० कुञ्ञम्बु** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने न्यायाधीश हैं ; और

(ख) उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति का एक ही न्यायाधीश है। विभिन्न उच्च न्यायालयों से सम्बन्धित अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सरकार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को यह निवेदन करते हुए फिर से लिखा है कि वे वकीलों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों और महिला-वर्ग के ऐसे व्यक्तियों का पता लगाएं जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त हों ताकि इन वर्गों को उच्च न्यायालयों में वर्तमान प्रतिनिधित्व से बेहतर प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

विवरण

क्र० सं०	उच्च न्यायालय का नाम	तारीख 1-11-86 को पदासीन न्यायाधीशों की संख्या	न्यायाधीशों की संख्या	
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	50	1	—
2.	आंध्र प्रदेश	23	1	—
3.	मुंबई	38	1	—
4.	कलकत्ता	36	—	—
5.	दिल्ली	23	—	—
6.	गुवाहाटी	10	—	1
7.	गुजरात	16	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	5	—	—
9.	जम्मू-कश्मीर	7	—	—
10.	कर्नाटक	20	1	—
11.	केरल	20	1	—
12.	मध्य प्रदेश	25	—	—
13.	मद्रास	19	1	—
14.	उड़ीसा	9	—	—
15.	पटना	26	—	—
16.	पंजाब और हरियाणा	14	—	—
17.	राजस्थान	21	—	—
18.	सिक्किम	2	—	—
	योग	354	6	1

ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार सुविधाओं का विस्तार

194. श्री सोमनाथ रथ : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शहरी क्षेत्रों की अतिरिक्त राजस्व का उपयोग करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के लिए योजनाओं की वित्तीय पूर्ति आंशिक रूप से विभाग द्वारा जुटाए गए आंतरिक संसाधनों से तथा आंशिक रूप से बजट सहायता से की जाती है। विभाग अपनी विभिन्न यूनिटों से, जिसमें ग्रामीण और शहरी यूनिटें शामिल हैं, आंतरिक साधन जुटाता है। किसी क्षेत्र विशेष से जुटाई गई निधि का आबंटन एक विशेष ग्रामीण क्षेत्र में नहीं किया जाता है। ग्रामीण योजनाओं पर अक्सर हानि उठानी पड़ती है परन्तु इन प्रणालियों को पूरा करने के लिए कुछ मानदंडों के आधार पर विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सातवीं योजना में शामिल कुछ योजनाएँ इस प्रकार है, 9000 लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन (एल०डी०पी०टी०) प्रदान करना जिसमें मल्टी एक्सेस रेडियो रिले प्रणाली पर 3000 एल०डी०पी०टी० शामिल है। अनेक सेकेंडरी क्षेत्रों को इंटिग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क आदि में बदलना।

गंधार क्षेत्र में तेल का उत्पादन

195. डा० वी० वेंकटेश
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीघ्र उत्पादन प्रणाली (ई० पी० एस०) के माध्यम से गंधार क्षेत्र में तेल उत्पादन कार्य को तेज कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गंधार क्षेत्र से तेल और गैस दोनों के अधिक और नियमित उत्पादन के लिए तेल और गैस पाइपलाइनों को बिछाने की योजनाओं को अन्तिम रुप दिया जा रहा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) गंधार से प्रतिदिन 150 मी० टन की दर से तेल निकाला जा रहा है। 1987-88 के दौरान उत्पादन को बढ़ाकर 500 मीट्रिक टन करने की ओ०एन०जी०सी० की योजना है।

(ख) और (ग) : गंधार क्षेत्र से तेल और गैस ले जाने के लिए 12" डायमीटर वाली दो पाइप लाइनें बिछाने की ओ०एन०जी०सी० की योजना है।

इलैक्ट्रोनिक मतदान यंत्र

196. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने भविष्य में संसद् के उप-चुनावों में इलैकट्रोनिक मतदान यंत्रों के प्रयोग के संबंध में नई अधिसूचनाएँ जारी की हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ; और

(ग) क्या अपेक्षित उपकरणों के उपलब्ध न होने के कारण इलैक्ट्रोनिक मतदान यंत्रों का प्रयोग करने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) : जी नहीं। निर्वाचन विधि में निर्वाचनों में मतपत्रों द्वारा मतदान करने का उपबंध है। इसलिए इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों का प्रयोग तभी संभव हो सकता है जब कि इन मशीनों का प्रयोग करने के लिए विधियों में संशोधन कर दिया जाए।

(ग) जी नहीं। सरकार ने, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों में इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों के प्रयोग के लिए प्रारम्भिक विनिश्चय कर लिया है। इस विषय में अन्तिम विनिश्चय राजनीतिक दलों से परामर्श करके किया जाएगा।

तेल की खोज के लिए नई तकनीक

197. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तेल की खोज के लिए कोई नई तकनीक प्रयोग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जी हाँ, गुजरात के कैम्बे बेसिन में 30 भूकम्पीय सर्वेक्षण किए गए हैं। ये सर्वेक्षण जारी हैं। आंकड़ों के संसाधन/प्रतिपादन के बाद ही इसके परिणामों का पता लगेगा।

तालचेर, उड़ीसा में सुपर ताप बिजलीघर की स्थापना

198. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तालचेर में एक सुपर ताप बिजलीघर स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ;

(ख) उपर्युक्त ताप बिजलीघर की स्थापना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ग) नवीनतम अनुमान के अनुसार सुपर ताप बिजलीघर की आरम्भिक और वर्तमान लागत क्या है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तालचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक (2 × 500 मेगावाट) स्थापित करने के प्रस्ताव को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दिया है । कोयले तथा जल की आवश्यकताओं को सुनिश्चत कर दिया गया है ।

प्रस्तावित परियोजना तथा सम्बद्ध पारेषण प्रणाली की लागत अब लगभग 1291.46 करोड़ रुपये आने का अनुमान है ; जिसकी मूल अनुमानित लागत 1025.48 करोड़ रुपये थी (इसमें पारेषण प्रणाणी शामिल नहीं है) । वर्ष 1986-87 में 5.38 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है तथा वर्ष 1987-88 के लिए 45 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

दिल्ली टेलीफोन नेटवर्क में नई टेलीफोन लाइनें

199, **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान दिल्ली टेलीफोन नेटवर्क में कितनी नई टेलीफोन लाइनें जोड़ी गई हैं ;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1987-88 के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों में और वृद्धि करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 के लिये यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो क्या ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 1-4-1986 से 17 फरवरी, 1987 के दौरान दिल्ली टेलीफोन की क्षमता में 63,400 नई लाइनें जोड़ी गई हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1987-88 वर्ष के लिए दिल्ली टेलीफोन में 62,000 लाइन (क्षमता) जोड़ने का लक्ष्य है।

(घ)	1. किदवई भवन	पैंटेक्स	10,000
	2. करोल बाग	,,	10,000
	3. ईदगाह	,,	10,000
	4. ओखला (पूर्व)	एम० के० पी०	3,000
	5. शक्ति नगर	,,	5,000
	6. दिल्ली गेट	आर० एल० यू०	10,000
	7. लक्ष्मी नगर-II	,,	9,000
	8. लक्ष्मी नगर-I	,,	5,000
			62,000

दिल्ली और अन्य महानगरों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

200. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और अन्य महानगरों में 31-12-86 को टेलीफोन के लिये वर्तमान सूची में कितने लोगों के नाम थे ;

(ख) उक्त प्रतीक्षा सूची कौन से वर्ष तक समाप्त होने की संभावना है ;

(ग) दिल्ली और अन्य महानगरों में और अधिक टेलीलोन कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) दिल्ली तथा अन्य महानगरों में 31 दिसम्बर, 1986 के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची इस प्रकार है :—

बंबई	20,4,780
दिल्ली	1,73,918

कलकत्ता	35,629
मद्रास	29,091

(ख) उपर्युक्त सूची आठवीं योजना के मध्य तक निपटाए जाने की संभावना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) और (घ) दिल्ली तथा अन्य महानगरों में और अधिक टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए सातवीं योजना अवधि के लिए विकास योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। परन्तु ऐसा संसाधन उपलब्ध होने पर ही संभव हो पाएगा। 4010 करोड़ रुपए के परिव्यय के आधार पर सातवीं योजना के अन्तर्गत दिल्ली में 96000 लाइनों, बंबई में 1,32,000 लाइनों, कलकत्ता में 25,000 लाइनों तथा मद्रास में 27,000 लाइनों तक स्विचिंग क्षमता प्रदान करने की व्यवस्था है।

संचार प्रणाली में सुधार करने के लिए भारत और अमरीका के बीच करार

201. श्री बी० तुलसीराम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में संचार प्रणाली में सुधार करने के लिए भारत और अमरीका के बीच किये गये करार के अनुसार हैदराबाद महानगर की दूरसंचार प्रणाली को आधुनिक बनाने सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : भारत और यू० एस० ए० के बीच ऐसा कोई करार नहीं हुआ है।

दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने के लिए विदेशों से करार

202. श्री बी० तुलसीराम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने के लिए कुछ विदेशों से कुछ करार किए गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) इस सुविधा के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के कितने जिलों को लाया जायेगा और कब तक ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

रामम पन बिजली परियोजना, दार्जिलिंग की प्रगति

203. **श्री आनन्द पाठक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग जिले में स्थित रामम पन-बिजली परियोजना को स्वीकृति देने और इसे पूरा करने के लिए आवश्यक पुर्जों और उपकरणों के आयात के लिए धनराशि प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ख) रामम चरण-दो जल विद्युत परियोजना (50 मेगावाट) के लिए विद्युत उत्पादन उपस्कर के आयात हेतु पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के प्रस्ताव पर विचार किया गया था परन्तु स्वदेशी उपस्कर की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसे स्वीकार्य नहीं समझा गया। मैसर्ज भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को इस आशय का एक पत्र भेज दिया गया है।

मासिला, गोवा में टेलीफोन एक्सचेंज को चालू करना

204. **श्री शांता राम नायक** : : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मासिला गोवा में प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंज कब तक चालू किया जायेगा ; और

(ख) टेलीफोन एक्सचेंज को चालू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) मसिला में 1987-88 के दौरान 50 लाइनों का एक छोटा आटोमेटिक एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना है बशर्ते की प्रस्ताव के लिए भवन की उपलब्धता और वित्तीय व्यवहार्यता हो।

(ख) एक्सचेंज भवन उपलब्ध न होने के कारण देरी हुई है।

समान सिविल संहिता सम्बन्धी विधेयक

205. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समान सिविल संहिता के सम्बन्ध में विधेयक के पुरः स्थापित करने में विलंब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने विश्व के कुछ देशों में लागू इस प्रकार के अन्य विधानों से विधेयक का मसौदा तैयार करने मे सहायता ली है ; और

(ग) क्या गोवा, दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र में अभी भी लागू पुर्तगाली सिविल संहिता पर विचार किया गया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) समान सिविल संहिता विधेयक का प्रारूप सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है और प्रारूप तय करते समय संसार के कुछ देशों की संहिताओं और देश में प्रवृत्त विभिन्न स्वीय विधियों के उपबंधों को ध्यान में रखा गया है। सिविल संहिता को तैयार करने में अंतर्वलित कार्य की मात्रा और भारत में लगभग सभी समुदायों की स्वीय विधियों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस विधेयक को अन्तिम रूप देने में कोई विलंब नहीं हुआ है।

गोवा में हिंसक घटनाओं के कारण हानि

206. **श्री शांता राम नायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दिसम्बर में गोवा में हिंसक घटनाओं के कारण दूरसंचार विभाग को भारी हानि हुई ;

(ख) कुल कितने रुपये की हानि हुई ;

(ग) इस विभाग की सम्पत्ति और संचार व्यवस्था सामान्य रूप से किस प्रकार की हिंसक घटनाओं का शिकार हुई ; और

(घ) गोवा के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां दूर संचार व्यवस्था पर इन घटनाओं का प्रभाव पड़ा और इनमें से प्रत्येक स्थान में संचार व्यवस्था को बहाल करने में कितना समय लगेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 11,92000 रुपये तक हानि होने का अनुमान है।

(ग) निम्न प्रकार की क्षति हुई है :—

(i) 829 टेलीफोन ठप्प हो गए।

(ii) 554 टेलीफोन खंभे क्षतिग्रस्त हो गए।

(iii) 14 डी० पी० क्षतिग्रस्त हुई।

(iv) 3.8 कि० मी० केबिल चोरी किया गया।

(v) 26 ट्रंक लाइनों पर प्रभाव पड़ा।

(vi) 63 कि० मी० टेलीफोन संरेखण तथा 18 कि० मी० ट्रंक लाइनों पर प्रभाव पड़ा।

(घ) इससे निम्नलिखित क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा :—

(i) मरगांव

(ii) पणजी

(iii) वर्की

(iv) कनकोण

(v) कुनकोलिम

(vi) वास्को

(vii) वर्की

(viii) कुरचोरम

(ix) कलानगुटा

(x) शिरोडा

8-2-1987 तक सेवा पुन: स्थापित कर ली गई।

केरल में गोदामों का निर्माण

207. श्री तम्पन थामस : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा केरल में गोदामों के निर्माण का क्या कार्यक्रम है ;

(ख) क्या केरल में पाथानामपिट्टा जिले में भारतीय खाद्य निगम का कोई गोदाम है ; और

(ग) क्या प्रत्येक जिले में गोदामों के निर्माण करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) भारतीय खाद्य निगम निर्मित की जाने वाली अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का राज्यवार छितराव करने के बारे में विचार कर रहा है। यह कार्य पूरा हो जाने के बाद केरल में भण्डारण क्षमता के लिए कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियां

208. **श्री तम्पन थामस** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने का कोई कार्यक्रम है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) उपभोक्ता सहकारी समितियों को आवश्यक उपभोज्य वस्तुएं, जिनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाली वस्तुएं भी शामिल हैं, उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर बेचने हेतु प्रोत्साहन दि । जाता है। देश में उचित दर की दुकानों में से 31% सहकारी समितियों द्वारा चलाई जाती हैं । उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण करने के लिए नए खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने हेतु भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से उपभोक्ता सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता मुहैया करती है । ग्रामीण क्षेत्रों में, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को केन्द्रीय प्रयोजित योजना के अन्तर्गत सहायता मुहैया की जाती है ।

हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि० कालमसेरा का आधुनिकीकरण

209. **श्री तम्पन थामस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालमसेरा स्थित हिन्दुस्तान इंसेक्टासाइड्स, लि० में कुछ तकनीकी दोष पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस कंपनी का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या सरकार डी० डी० टी० के विपणन के लिए किसी नई योजना पर विचार कर रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) हिन्दुस्तानन इंसेक्टीसाइड्स लि० के उद्योगमण्डल (केरल) एकक के टैक्निकल बी० एच० सी० एवं एण्डोसल्फान संयंत्रों में कुछ तकनीकी खराबियां पाई गई थीं जिन्हें अब दूर किया जा चुका है ।

(ग) मै० हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड्स लि० द्वारा उत्पादित डी० डी० टी० की सम्पूर्ण मात्रा का उपयोग, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने की आशा है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में लेवी चीनी और आयोडीनयुक्त नमक का छोटे पैकेटों में वितरण

210. **श्री लक्ष्मण मलिक**
श्री मंगल नाथ : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को लेवी चीनी और आयोडीनयुक्त नमक छोटे पैकेटों में सप्लाई करने हेतु पूर्वोत्तर राज्यों की सहायता करने के लिए एक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार उचित दर की दुकानों के तंत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को छोटे पैकों में "आयोडाइज्ड" नमक और लेवी चीनी की आपूर्ति करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता मुहैया कर रही है। वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत अरुणाचल प्रदेश को 16.41 लाख रुपये तथा मिजोरम को 2.23 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई थी।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिये गठित की गई विशेषज्ञ समिति

211. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नये क्षेत्रों में लघु उद्योग शुरू करने के विचार से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति गठित की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) भारत सरकार ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा लघु उद्योगों के लिए अपनाई गई नीति की समीक्षा करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। विशेषज्ञ समिति, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के वर्तमान कार्यकलापों अर्थात् लघु क्षेत्रों को मशीनों की आपूर्ति करने के लिए किराया खरीद योजना विद्यमान कार्यक्रम, आद्यरूप विकास और प्रशिक्षणकेन्द्र, कच्ची सामग्री सहायता कार्यक्रम, एकल बिन्दु पंजीकरण योजना आदि की समीक्षा करेगी और कम से कम 10 वर्ष के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के लिए स्पष्ट और निश्चित कार्य-योजना की सिफारिश करेगी विशेषज्ञ समिति से लघु क्षेत्र में उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए विशेष रूप से कहा गया है।

शिकायतों के आधार पर केन्द्रीय तारघरों के मुख्य अधिकारियों का स्थानान्तरण

212. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान शिकायतों और तारघरों के अकुशल कार्य-करण के कारण केन्द्रीय तारघरों के कितने मुख्य अधिकारी स्थानांतरित किए गये ; और

(ख) क्या इससे उनके कार्यकरण में अपेक्षित सुधार हुआ ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसा केवल एक ही मामला प्राप्त हुआ है।

(ख) जी हां।

खाना पकाने की गैस की सप्लाई में वृद्धि करना

213. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाना पकाने की गैस की सप्लाई में वृद्धि किए जाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और किस सीमा तक उन्हें प्राप्त कर लिया गया है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की सप्लाई में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने के बावजूद उपभोक्ताओं के लिए खाना पकाने की गस के मूल्यों में कमी न किए जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऑयल इकानोमी बजट (ओ० ई० बी०) के अन्तर्गत एल० पी० जी० की उपलब्धता और निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

("000" मीट्रिक टन)

वर्ष	ओ० ई० बी० के अनुसार एल० पी० जी की उपलब्धता के अनुमान	वास्तविक रूप में उपलब्ध एल० पी० जी०
1983-84	840	737
1984-85	920	873
1985-86	1250	1230

(ख) पिछले तीन वर्षों में नामांकित किए गए नए एल० पी० जी० उपभोक्ताओं की संख्या इस प्रकार है :—

1983-84	—	16.10 लाख
1984-85	—	15.04 लाख
1985-86	—	17.26 लाख

(ग) घरेलू रसोई गैस की कीमत में पहले से ही आर्थिक सहायता दी जाती है, इस कारण एल० पी० जी० के बढ़े हुए उत्पादन से इसकी कीमत को कम करने का कोई औचित्य नहीं है।

राज्यों में लोक अदालतों द्वारा
निपटाए गए मामले

214. **श्री मूलचन्द डागा**
श्री दिलीप सिंह भूरिया
श्री जगन्नाथ प्रसाद : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान कितनी लोक अदालतों का आयोजन किया गया और राज्यवार कितने मामले निपटाए गये ;

(ख) क्या लोक अदालतों में लिए गये निर्णयों के बाद होने वाले विवादों की प्रतिशतता के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या लोक अदालतों को कानूनी दर्जा देने के बारे में निर्णय लिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में संसद में विधान कब तक लाए जाने की संभावना है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार।

(क) सन् 1986 के दौरान आयोजित लोक अदालतों की राज्यवार संख्या और उनके द्वारा निपटाए गये मामले इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	तारीख तक	आयोजित लोक अदालतों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	20-9-86	17	7,860
2.	बिहार	25-5-86	5	6,634

1	2	3	4	5
3.	गुजरात	23-11-86	32	5,845
4.	हरियाणा	24-8-86	22	5,857
5.	कर्नाटक	31-12-86	23	1,703
6.	मध्य प्रदेश	31-12-86	8	13,137
7.	महाराष्ट्र	31-12-86	88	3,512
8.	उड़ीसा	30-10-86	5	346
9.	राजस्थान	31-10-86	146	1,80,941
10.	तमिलनाडु	31-8-86	1	113
11.	दिल्ली	30-12-86	40	55,004
12.	दिल्ली	30-11-86	4	1,018
13.	पांडिचेरी	31-8-86	1	37

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति ने सरकार से विधिक सहायता के विषय पर एक विधान अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें लोक अदालतों को विधिक हैसियत प्रदान करना और इनके विनिश्चयों के ऐसे प्रवर्तन भी शामिल हैं, मानो कि ये विनिश्चय न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियां हों। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोयले की सप्लाई में गिरावट

215. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० के अनुसार इस्पात संयंत्रों को गत वर्ष सितम्बर के दौरान मुख्यत: भारी वर्षा और पूजा की छुट्टियों के कारण कोकिंग कोयले की सप्लाई में कमी आ गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) सितम्बर, 1986 के दौरान इस्पात संयंत्रों को प्रतिदिन 32,600 टन की दर से कोककर कोयले की सप्लाई करने का कार्यक्रम था। इसकी तुलना में वास्तविक सप्लाई केवल 29,760 टन प्रतिदिन रही। अत: सितम्बर, 1986 के दौरान

कोककर कोयले के उत्पादन/प्रेषण में मामूली कमी आई। इसके मुख्य कारण थे बिजली की कम तथा इस्पात संयंत्रों द्वारा प्रत्यक्ष फीड प्राइम कोककर कोयले का कम उठान। परन्तु उसके बाद से स्थिति में काफी सुधार हुआ है। कोयला नियंत्रक की अध्यक्षता में कोककर कोयले के आबंटन और वितरण पर दिनांक 22-1-1987 को आयोजित बैठक में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि चूंकि इस्पात संयंत्रों ने अपने यहां भारी भंडार बना लिया है अतः कोयला उत्पादक एककों को भी चाहिए कि वे फिलहाल 10-15 दिनों के उत्पादन का भंडार बना लें जिसे भविष्य में कम उत्पादन अवधि के दौरान उपयोग में लाया जाएगा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि जनवरी, 1987 तक इस्पात संयंत्रों में 6 लाख मिलियन टन से भी अधिक कोककर कोयले का स्टाक जमा हो गया है तथा वे, कोयला नियंत्रक द्वारा जनवरी, 1987 के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, कोयला कंपनियों से और कोयला लेने की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार जाहिर है कि इस समय इस्पात संयंत्रों में कोककर कोयला की कोई कमी नहीं है। उनसे तो बल्कि यह अनुरोध किया गया है कि वे कोयले का अपना उठान बढ़ाएं।

उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण गैस सिलेण्डरों की सप्लाई

216. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चांदनी चौक में स्थित एक दूध की दुकान को हाल ही में रिसने वाले गैस सिलेंडर की सप्लाई करने के बारे में कोई जांच की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आग लगने की दुर्घटना हुई ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) रसोई गैस उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन ने 5 जनवरी, 1987 को चांदनी चौक, दिल्ली में हलवाई की दुकान पर हुई दुर्घटना की जांच की है।

(ख) जांच से पता चला कि दुकान पर काम में लाया जा रहा एल०पी०जी० कनेक्शन अप्राधिकृत था, प्रयोग में लाये जाने वाले बर्नर आई० एस० आई० द्वारा प्रमाणित नहीं थे और रेग्यूलेटर भी मानक के अनुरूप नहीं थे। दुकान के सड़क स्तर से 4 फुट नीचे होने और अच्छी प्रकार से हवादार न होने के कारण यह वाणिज्यिक रूप से एल०पी०जी० कनेक्शन की संस्थापना के योग्य नहीं थी। दुर्घटना सिलेंडर वाल्व से गैस रिसने और दुकान से बर्नरों में से किसी एक की रिसाव के कारण आग लगने अथवा दुकान के नजदीक रखी किसी अंगीठी से जलते कोयले की चिनगारी पड़ने के कारण हुई थी।

दुर्घटना में अठारह व्यक्ति हताहत हुए जिसमें से तीन गम्भीर रूप से हताहत हुए, इसके अतिरिक्त सम्पति को भी क्षति पहुंची है।

(ग) सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) उपभोक्ताओं को एल०पी०जी० के उपकरण का सुरक्षात्मक रख-रखाव सम्बन्धी श्रव्य और दृश्य प्रचार द्वारा दैनिक पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर शिक्षण दिया जाना।

(2) नए गैस कनेक्शन देते समय सुरक्षात्मक साहित्य और अन्य अनुदेशों का विवरण।

(3) रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, महिला सेवा समाज आदि जैसे संगठनों की सहायता से उपभोक्ता संरक्षा क्लिनिकों का आयोजन।

(4) वितरकों के डिलिवरी देने वाले लड़कों और मैकेनिकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन।

(5) चुने हुए स्थानों पर आपात सेवा कक्षों की स्थापना करना जिससे छुट्टियों के दिनों अथवा एजेन्सियों के काम करने के घंटों के बाद एल०पी०जी० की रिसाव आदि से होने वाली आपात-स्थिति की निगरानी की जा सके।

(6) आयातित प्रौद्योगिकी द्वारा एल०पी०जी० के उपकरणों का मानकीकरण।

(7) बाटलिंग संयंत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा जांच की संस्थापना।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सप्लाई किए गए प्राकृतिक गैस का मूल्य

217. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों को 90 रुपये से 3,500 रुपए प्रति हजार घन मीटर की दर पर प्राकृतिक गैस सप्लाई की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में अत्यधिक अन्तर के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) : सरकार ने 30-1-87 से प्राकृतिक गैस की कीमतें निर्धारित की हैं। तदनुसार आन शोअर गैस तथा लैण्डफाल पाइंटों पर गैस की मूल्य कीमत 1400 रुपए प्रति 1000 घन मीटर होगी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में गैस एक हजार रुपए प्रति 1000 घन मीटर की दर से बेची जाएगी, परन्तु बशर्ते कि छूट प्रत्येक मामले में उसके गुण दोष के आधार पर 500 रु० प्रति एक हजार घन मीटर से अधिक न हो।

सावूर समिति की रिपोर्ट

218. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के बारे में सावूर समिति की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) समिति ने कुल 171 सिफारिशें की हैं। मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार है :—

(i) समिति ने "सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन" के सिद्धान्त का समर्थन किया है और विभागीय कर्मचारियों के वेतन के घंटों की दर के सामान दर की सिफारिश की है।

(ii) जब कभी नियमित कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता मंजूर किया जाए तो अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को भी मंहगाई भत्ता दिया जाए।

(iii) डाक के संरचनात्मक गठन में अतिरिक्त विभागीय प्रणाली केवल डाक कार्य निष्पादन के लिए ही रहे। (i) अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर (ii) अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट (iii) मेल कैरियर (iv) अतिरिक्त विभागीय पैकर और (v) अतिरिक्त विभागीय मेल मैन को छोड़कर अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के सभी वर्गों को समाप्त करने की सिफारिश की गई है।

(iv) अतिरिक्त विभागीय डाक-टिकट विक्रेता के संवर्ग को समाप्त करना।

(v) एक दूसरे से 3 कि०मी० की दूरी के भीतर कार्य कर रहे सभी अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों (12,662) को, जो मौजूदा मानदंडों का उल्लंघन करते हैं, बन्द कर दिया जाए।

(vi) उन सभी अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों (लगभग 35,374) को जो अपनी लागत के 20 प्रतिशत के बराबर आय अर्जित नहीं कर रहे हैं, बन्द कर दिया जाए और 50/- रु० की मासिक रिटेनर फीस पर एल०पी०ए० प्रणाली के जरिए डाक सेवाएं प्रदान की जाएं।

(vii) किसी अतिरिक्त विभागीय डाकघर को बनाए रखने के लिए उसके खोले जाने के पांच वर्ष के बाद प्रतिवर्ष घाटे की अनुमत सीमा को संभावित लागत की 25 प्रति-

शत की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 2400/- रु० कर दिया जाए। पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के मामले में इसे अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 4800/- रु० वार्षिक कर दिया जाए।

(viii) पांच वर्ष के बाद अतिरिक्त विभागीय डाकघर को बनाए रखने की अनुमति केवल तभी दी जाए यदि वह अपनी लागत का 50 प्रतिशत अर्जित करता हो और वह उपर्युक्त मद (vii) में निर्दिष्ट वार्षिक घाटे की सीमा के अन्तर्गत हो।

(ix) नए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के सातवीं योजना के लक्ष्यों की पुनरीक्षा की जाए।

(x-क) जहां व्यवहार्य हो, ई०डी०बी०पी०एम०, ई०डी०डी०ए०, ई०डी० पैकर का कार्य एक कर्मचारी से करवाना और कर्मचारी को उपर्युक्त (i) में उल्लिखित अलग-अलग घंटों की दर के आधार पर क्षतिपूर्ति देना।

(ख) कार्यभार का ध्यान न रखते हुए शाखा डाकघर को अनिवार्य तौर पर 3 घंटे खोलने के मौजूदा मानदंड में संशोधन करना।

(xi) उप मंडलीय डाकघर निरीक्षकों के लिए अर्दली प्रणाली समाप्त करना और इसकी एवज में एक मुश्त राशि का भुगतान करना।

(xii) मेल ओवरसियर संवर्ग समाप्त करना।

(xiii) सहायक उपमंडलीय निरीक्षक का संवर्ग बनाना।

(xiv) जैसा विभागीय डाकघरों में किया जाता है, उसी सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक शाखा डाकघर में कार्य-घंटे का मूल्यांकन करने के लिए टाइप टैस्ट शुरू करना।

(xv) ग्रेच्युटी प्राप्त करने की पात्रता के लिए न्यूनतम सेवा को 15 वर्षों से कम करके 5 वर्ष करना।

(xvi) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे महीने की परिलब्धियों की दर से ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान करना।

(xvii) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8 पास होगी। समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

मल्टी एसेस रूरल रेडियो प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

219. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मल्टी एसेस रूरल रेडियो प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का कार्य अभी तक बहुत धीमी गति से चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वास्तव में छठी और सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के क्रमशः कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की योजना थी ;

(ग) छठी योजना में और सातवीं योजना के दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष में अभी तक वास्तव में कितने टेलीफोन लगाए गए हैं ;

(घ) क्या शेष सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का कार्य सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान पूरा कर लिया जाएगा ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित संख्या में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन खोलने की योजना है :—

(i)	छठी पंचवर्षीय योजना	2500
(ii)	सातवीं पंचवर्षीय योजना	2973

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए सर्किल/राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में संस्थापित वास्तविक संख्या	—	595
सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-86	—	101
1986-87 (अभी तक)	—	16

(घ) जी हां।

(ङ) जहां तक पहले से ही आर्डर की गई एम०ए०आर०आर० प्रणालियों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) सर्वेक्षण कर लिया गया है।

(ii) परियोजना प्राक्कलन तैयार कर लिए गए हैं।

(iii) टावर और एंटीना आदि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

(iv) उपस्कर की शीघ्र सप्लाई के लिए विनिर्माताओं से अनुरोध किया गया है।

(v) इन उपस्करों की जांच के लिए एक जांच कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है।

(vi) कार्य शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से नियमित रूप से समन्वय बैठकें की जाती हैं।

विवरण

अनुबंध-1

क० सं०	राज्य/सर्किल	सातवीं योजना अवधि के दौरान खोले जाने वाली लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन
1.	आन्ध्र प्रदेश	100
2.	बिहार	340
3.	गुजरात	114
4.	जम्मू और कश्मीर	40
5.	करनाटक	59
6.	केरल	146
7.	मध्य प्रदेश	165
8.	महाराष्ट्र	150
9.	उत्तर पूर्व (असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा)	187
10.	राजस्थान	636
11.	तामिलनाडु	106
12.	उड़ीसा	250
13.	उत्तर पश्चिम (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल)	166
14.	उत्तर प्रदेश	457
15.	प० बंगाल	57
	कुल योग	2973

25 लाइनों वाले छोटे स्वचालित एक्सचेंज

220. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 लाइनों वाले छोटे स्वचालित एक्सचेंज की कमी है और इस कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे एक्सचेंज लगाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्ष 1986-87 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वास्तव में ऐसे कितने यूनिट आबंटित किए गए हैं ;

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ;

(घ) क्या वर्ष 1987-88 में ऐसे एक्सचेंज लगाने का कोई लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी नहीं ।

(ख) एक्सचेंज यूनिटों के आवंटन के सम्बन्ध में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) 1987-88 के लिए लक्ष्य पहली तिमाही में निर्धारित किए जाएंगे । इन एक्सचेंजों का खोलना मांग और वित्तीय व्यवहार्यता पर निर्भर करता है । तथापि 1987-88 में लगभग 35000 अतिरिक्त लाइनें जोड़ने का प्रस्ताव है ।

(ङ) (घ) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

अनुबंध-एक

क्र०सं०	सर्किल का नाम	वर्ष 1986-87 के दौरान 25 लाइन एक्सचेंज का आबंटन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	102
2.	बिहार	52
3.	गुजरात	34
4.	जम्मू व कश्मीर	शून्य

1	2	3
5.	कर्नाटक	100
6.	केरल	12
7.	मध्य प्रदेश	92
8.	महाराष्ट्र	68
9.	उत्तर-पूर्व	09
10.	उत्तर-पश्चिम	62
11.	उड़ीसा	30
12.	राजस्थान	28
13.	तमिलनाडु	80
14.	उत्तर प्रदेश	60
15.	पश्चिम बंगाल	06
	कुल योग	735

कलकत्ता टेलीफोन को निगम में बदलना

221. श्री नारायण चौबे
डा० चिन्तामोहन
श्रीमती गीता मुखर्जी } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता टेलीफोन को निगम में बदलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा और उद्देश्य क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी नहीं ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

मारुति कारों में क्लच प्लेटों के खराब होने के बारे में शिकायतें

222. श्री उत्तम राठौड़ : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1986 तक, वर्ष-वार विभिन्न प्रकार की कितनी मारुति कारों का निर्माण किया गया है ;

(ख) इन कारों में क्लच प्लेटों के खराब होने की अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) कार से इस त्रुटि को दूर करने के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) यद्यपि सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली थी फिर भी, मारुति उद्योग लिमिटेड, ने अब तक 72 क्लच प्लेटें गारन्टी की अवधि में बदल दी हैं । भारत में गाड़ी चलाने की आदत को ध्यान में रखते हुए मारुति उद्योग लिमिटेड ने क्लच की डिजाइन में नवम्बर, 1985 में सुधार किया है जिससे क्लच प्लेट की लाइफ काफी बढ़ गई है ।

विवरण

मारुति उद्योग लिमिटेड में दिसम्बर, 1986 तक कारों का उत्पादन

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	स्टैण्डर्ड	एयरकण्डीश्नर सहित स्टैण्डर्ड	डीलक्स	योग
1983–84	840	—	—	840
1984–85	14177	750	5429	20356
1985–86	23362	30	9870	33262
1986–87 (दिसम्बर 86 तक)	28613	1639	5920	36172
योग	66992	2419	21219	90630

मध्य प्रदेश में अतिरिक्त बिजली उत्पादन की क्षमता तैयार करने के लिए योजनाएं

223. श्री महेन्द्र सिंह
श्री कृष्ण सिंह
} : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में अतिरिक्त बिजली उत्पादन की

क्षमता तैयार करने और ग्रिड प्रणाली के अन्तर्गत इस राज्य को बिजली सप्लाई करने सम्बन्धी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) मध्य प्रदेश में तथा समस्त देश में प्रति व्यक्ति विद्युत की उपलब्धता क्या है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस राज्य तथा समस्त देश के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में लगभग 947 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित किए जाने की संभावना है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	स्कीम	लाभ (मेगावाट)
1.	हसदेव (जल विद्युत)	120
2.	बार्गी (जल विद्युत)	90
3.	बाणसागर (जल विद्युत)	210
4.	पेंच (जल विद्युत) (मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की साझा परियोजना)	107
5.	कोरबा पश्चिम यूनिट-4 (ताप विद्युत)	210
6.	संजयगांधी ताप विद्युत केन्द्र (ताप विद्युत)	210

इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश को कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना (2100 मेगावाट 610 मेगावाट का हिस्सा मिलेगा, जिसके सातवीं योजना में चालू होने की संभावना है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित किए जा रहे विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र और कवास संयुक्त साइकिल गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र से भी मध्य प्रदेश को उनका हिस्सा मिलेगा।

(ख) सातवीं योजना के अन्त तक मध्य प्रदेश और समस्त देश में विद्युत की उपलब्धता क्रमश: 17798 मिलियन यूनिट और 254966 मिलियन यूनिट होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 1984-85 के दौरान मध्य प्रदेश में विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्रमश: 156.57 यूनिट (अन्तिम) और 168.20 यूनिट (अनन्तिम) है। समस्त देश के तुलनात्मक आंकड़े क्रमश: 167.30 यूनिट (अनन्तिम) और 176.30 यूनिट (अनन्तिम) है।

जम्मू और कश्मीर, असम और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में नागरिक पूर्ति निगम की स्थापना

224. **श्री कमल नाथ :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर, असम और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में नागरिक पूर्ति निगमों की स्थापना करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ये निगम कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) जम्मू व कश्मीर तथा असम में नागरिक आपूर्ति निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर सम्बन्धित राज्य सरकारें विचार कर रही हैं। अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों के मामले में नागरिक आपूर्ति निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर केंद्रीय सरकार विचार कर रही है।

लेवी चीनी की क्षेत्र-वार कीमत

225. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 के दौरान क्षेत्रवार लेवी चीनी का प्रति क्विंटल यूनिट मूल्य क्या था ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : यह मामला विचाराधीन है।

चीनी का किस्म-वार उत्पादन

226. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान चीनी का किस्म-वार उत्पादन प्रतिशत क्या था ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : 1984-85 और 1985-86 मौसम के चीनी वर्षों के दौरान बोरियों में भरी गई किस्म-वार कुल चीनी की प्रतिशतता नीचे दी जाती है :

ग्रेड	1984-85	1985-86
एल०-30	4.0	1.2
एम०-30	32.5	34.6
एस०-30	60.8	61.8
एल०-29	0.1	नगण्य
एम०-29	1.2	0.7
एस०-29	0.8	1.1

चीनी प्रोत्साहन योजना की समीक्षा

227. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी उद्योग नवम्बर, 1980 में सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन योजना की समीक्षा के लिए पिछले तीन वर्षों से सरकार से अभ्यावेदन करता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले में निर्णय शीघ्र लिए जाने की संभावना है।

टिहरी पन-बिजली परियोजना के निर्माण में सोवियत संघ का योगदान

228. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी पन-बिजली परियोजना और बांध के निर्माण में सोवियत संघ के योगदान के बारे में विस्तार से विचार-विमर्श करने के लिए सोवियत संघ के दल ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो बांध के भूकम्प प्रवेश क्षेत्र में होने के बारे में की जा रही आशंकाओं के सम्बन्ध में किए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) सोवियत योगदान का स्वरूप क्या होगा ;

(घ) इस परियोजना के लिए मशीनों की सप्लाई में भारतीय उद्योगों की क्या भूमिका है ; और

(ङ) भारत-सोवियत दल अपना कार्य कब तक शुरू कर देगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) अन्य बातों के साथ-साथ टिहरी जल विद्युत कम्पलैक्स के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए, जिसके सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं की विस्तारपूर्वक जांच कर ली गई है, जनवरी, 1987 में यू० एस० आर० के विद्युत तथा विद्युतीकरण मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने भारत का दौरा किया था।

(ग) से (ङ) सोवियत सहयोग में राक-फिल बांध के निर्माण तथा विद्युत संयंत्र और सम्बन्ध पारेषण प्रणाली का टर्न की आधार पर क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता दिया जाना

शामिल है : संविदा के सम्बन्ध में निश्चय हो जाने तथ उपस्कर की सप्लाई और प्राप्ति के स्वरूप को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद भारतीय और सोवियत संगठन अपना कार्य शुरू करेंगे।

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को हानि

229. डा० दत्ता सामन्त : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984, 1985 और 1986 में स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को प्रतिवर्ष कितनी हानि हुई ;

(ख) हानि होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने इस एकक को गैर-सरकारी क्षेत्र को बेचने का निर्णय किया है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क)

वर्ष	हानि (लाख रुपये में)
1984-85	1380
1985-86	1642
1986-87 (अप्रैल-जनवरी)	1939

(ख) (1) क्षमता का निम्न उपयोग होने के कारण उत्पादन में कमी ;

(2) अन्य मेकों के स्कूटरों का उपभोक्ता द्वारा अधिक पसन्द किया जाना।

(3) अनवरत हानि होते रहने से नकदी हालत का खराब होना।

(ग) इसे एक जीव्य एकक बनाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा क्षमता का कम उपयोग किया जाना

230. डा० दत्ता सामन्त
श्री सी० जंगा रेड्डी
डा० ए० के० पटेल
: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड गत तीन वर्षों से क्षमता के कम उपयोग की समस्या का सामना कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, क्षमता के उपयोग से सम्बन्धित ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार क्षमता के कम उपयोग किये जाने के क्या कारण है तथा सरकार ने इस संयंत्र को पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या प्रयास किये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बी० एच० ई० एल० की क्षमता का कम उपयोग होने का मूल कारण नए संयंत्रों के स्थापित करने के लिए संसाधनों में रुकावट के कारण अपर्याप्त क्रयादेश होना है।

बी० एच० ई० एल० ने क्षमता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) नए उत्पादों का विविधीकरण करना ; और

(2) विद्युत क्षेत्र के लिए सेवाओं तथा हिस्से-पुर्जों को मजबूत करना। नई परियोजनाओं के संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बी० एच० ई० एल० को क्रयादेश देने के लिए विद्युत परियोजनाओं का पता लगाया गया है।

विवरण

बी० एच० ई० एल०, विद्युत तथा उद्योग जैसे दो व्यवसायिक क्षेत्रों से संगठित है। लगभग 70% व्यवसाय विद्युत से तथा शेष उद्योग से प्राप्त होता है। पिछले तीन वर्षों में विद्युत क्षेत्र की क्षमता का उपयोग इस प्रकार है :—

उत्पादन	क्षमता उपयोग का प्रतिशत		
	1983-84	1984-85	1985-86
थर्मल	61	32	41
हाइड्रो	45	40	12

2. उद्योग क्षेत्र के उत्पाद अल्पकालीन चक्र की वस्तुएं हैं और इन उत्पादों के क्रयादेश वर्षवार प्राप्त होते हैं इस अवधि में इन उत्पाद की क्षमता का उपयोग 50 से 100% के बीच रहा है।

12.00 म०प०

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : स्थगन प्रस्ताव को प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। महोदय विधेयक के विरुद्ध शक्तिशाली जनमत के बावजूद सरकार डाकघर (संशोधन) विधेयक की समीक्षा करने में असफल रही है। राष्ट्रपति महोदय ने भी इसे अपनी अनुमति नहीं दी है···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया हमारी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : आपकी कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : डाकघर विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिली है। समूचा प्रेस इसके विरुद्ध हैं। इसके बावजूद भी वे विधेयक की समीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

प्रो० मधु दण्डवते : यह गोपनीय रखे जाने के अधिकार का दमन है, मूल अधिकारों के अनुच्छेद 19 का दमन है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं···कुछ नहीं हो रहा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, यदि उसे मेरे पास भेजा जाए और यदि वह विधेयक वापस आता है तो मैं उसे इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, इसके लिए केवल एक व्यवस्था की गई है और वह संविधान में है। यदि राष्ट्रपति महोदय ऐसा अनुभव करते हैं तो इसे हमारे पास भेजा आयेगा। अब तक मैंने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस बारे में कुछ नहीं सुना है। लोगों की इच्छा इस सदन में निहित है और इस सदन ने यह कार्य किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जिस समय यह विधेयक मेरे पास आयेगा मैं इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। मैं एक क्षण के लिए भी इसे अपने पास नहीं रखूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह वास्तविकता है कि विधेयक के अभिग्रहण के बावजूद भी राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप हमें स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं विश्वस्त नहीं हूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप हमारी बात सुनेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अपनी कोई बात नहीं है। मैंने इसे पढ़ लिया है। मैं पूर्णतया सन्तुष्ट हूं। यदि राष्ट्रपति महोदय इसे मेरे पास भेजते हैं, तो मैं इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। इससे पहले इस बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सदन को उसकी समीक्षा करने का पूरा अधिकार है ···
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह विधेयक हमारे समक्ष आयेगा। यदि इसे अनुमति नहीं दी जाती तो इस विधेयक को हमारे सामने प्रस्तुत किया जायेगा। जिस दिन भी इसे मेरे सामने लाया जायेगा उसी दिन मैं इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा।

(व्यवधान)

12.04 म०प०

इस समय प्रो० मधु दण्डवते, श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) अध्यक्ष महोदय, हमारा दूसरा इशू है।

شری سلطان صلاالدین اویسی :- ادھیکش مہودیہ۔ ہمارا ایشو ہے

अध्यक्ष महोदय : आप खड़े कहां हैं, पहले यह देखिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप खड़े कहां है? यह एक न्यायिक प्रश्न है यह एक न्यायालय में विचाराधीन मामला है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : होम मिनिस्टर साहब इसका जवाब दें।

شری سلطان صلاالدین اویسی - ہوم منسٹر صاحب اس کا جواب دیں

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कर सकता। यह एक विचाराधीन मामला है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता। मैं इस बारे में कुछ नहीं करूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : उन्होंने वायदा किया था कि जवाब देंगे। हम चाहते हैं कि होम मिनिस्टर साहब इसका जवाब दें।

شری سلطان صلاالدین اویسی - انہوں نے وعدہ کیا تھا - جواب دیں گے۔ ہوم منسٹر صاحب اس کا جواب دیں۔

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? कोई प्रश्न नहीं है। कोई बात नहीं है।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : आप हमारी बात सुनते क्यों नहीं हैं ?

شری جی۔ ایم۔ بناتوالا پونانی ۔ آپ ہماری بات سنتے کیوں نہیں ہیں

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे बात कीजिए। आप भले आदमी हैं। आप समझते क्यों नहीं हैं कि यह केस सब जूडिस है और मैं इसको ले नहीं सकता। आप उनसे बात कीजिए।

[अनुवाद]

मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक न्यायालय में विचाराधीन मामला है। मैं ऐसा नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जी०एम० बनातवाला : बाबरी मस्जिद पर हमने क्वेश्चन दिया है…

شری جی۔ ایم۔ بناتوالا ۔ بابری مسجد پر ہم نے کوئسچن دئے ہیں ۔

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक न्यायालय में विचाराधीन मामला है। मैं ऐसा नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वे जाने, आप उनसे पूछिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक न्यायालय में विचाराधीन मामला है। मैं ऐसा नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मै अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

आप रूल क्यों तोड़ रहे हैं। मेरे पास ऐसा कोई रूल नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

मैंने किसी बात को रिकार्ड में दर्ज करने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता। यह बात उन पर हैं। आप प्रश्न पूछने के लिए स्वतन्त्र हैं।

[हिन्दी]

आप उनसे बात कर लीजिये, मुझे कोई एतराज नहीं है।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला : क्यों नहीं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय पिछले सत्र में पंजाब की स्थिति पर विस्तार-पूर्वक चर्चा की गई थी··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे पूछिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह : 30 नवम्बर 1986 को श्री गुरुचरण सिंह टोहरा···

(व्यवधान)

श्री जी०एम० बनातवाला : आप प्रश्न पूछने की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न न्यायालय में विचाराधीन है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता । यह एक न्यायालय में विचाराधीन मामला है । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । किसी बात को रिकार्ड नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह : पंथिक समिति ने निदेश दिया कि···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता । यह बात उन पर है ।

श्री जी०एम० बनातवाला : परन्तु प्रश्नों को तो गृहीत कीजिए । यह हमारा अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं गृहीत नहीं कर सकता ।

श्री जी०एम० बनातवाला : माननीय गृहमंत्री ने सदन में एक वक्तव्य दिया था कि वह एक समाधान ढूढ़ेंगे । हमें यह पूछने का अधिकार है कि उन्होंने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ? आप हमें इस मुद्दे को उठाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

तब हमें इस सभा से उठकर बाहर जाना पड़ेगा ।

12.08 म०प०

इस समय श्री जी०एम०बनातवाला और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

आर्थिक सर्वेक्षण 1986-87

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : मैं "आर्थिक सर्वेक्षण", 1986-87 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 3668/87]

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र (तमिलनाडु) सोसायटी के वर्ष 1984-85 और वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र (तमिलनाडु), सोसायटी के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र (तमिलनाडु), सोसायटी के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०** 3669/87]

(तीन) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र (तमिलनाडु), सोसायटी के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(चार) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र (तमिलनाडु), सोसायटी के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०** 3670/87]

(2) उपर्युक्त ( ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 3670/87]

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत अधिसूचना, तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) संशोधन नियम, 1986, जो 11 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1278(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3671/87]

(2) (एक) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3672/87]

चीनी (वर्ष 1986-87 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 1986

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (वर्ष 1986-87 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 1986, जो 12 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1282 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3673/87]

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम 1954,
के अधीन अधिसूचना

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) मैं उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 1986, जो 19 दिसम्बर 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1295 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3674/87]

साईकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली आदि के वर्ष 1985-86 के कार्य-करण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० के० तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3675/87]

(ख) (एक) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रति-वेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—3676/87]

(ग) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—3677/87]

(घ) (एक) एच० एम० टी० लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सर-कार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) एच० एम० टी० लिमिटेड, बंगलौर का 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—3678/87]

(ङ) (एक) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—3679-87]

(च) एक) भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—3680/87]

(छ) (एक) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रैसर्स लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रैसर्स लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रति-वेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—3681/87]

(ज) (एक) एक रिचर्डसन एण्ड क्रूडस लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) रिचर्डसन एण्ड क्रूडस लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—3682/87]

(2) उपर्युक्त (1) की मद (ङ) और (च) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल

[श्री के०के० तिवारी]

पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—3682/87]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा पेटेन्ट, डिजाइन और पण्य चिन्ह, महानियंत्रक का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : श्री एम० अरूणाचलम की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) लागत लेखा अभिलेख (दुग्ध आहार) नियम, 1986, जो 11 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 866 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लागत लेखापरीक्षा (प्रतिवेदन) संशोधन नियम, 1986, जो 1 नवम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 943 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3683/87]

(2) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अन्तर्गत पेटेन्ट, डिजाइन और पण्य चिन्ह, महानियंत्रक के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3684/87]

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण

ऊर्जा मन्त्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3685/87]

———

12.09 म० प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, 9 दिसम्बर, 1986 को सभा को सूचित करने के पश्चात मैं पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित आठ विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) डाक कर्मकार (सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण) विधेयक, 1986

(2) विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 1986

(3) दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 1986

(4) अशिष्ट स्त्री रूपण (प्रतिरोध) विधेयक, 1986

(5) बालक श्रम (प्रतिरोध और विनियमन) विधेयक, 1986

(6) सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 1986

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 1986

(8) भारतीय डाकघर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1986

2. महोदय, 9 दिसम्बर, 1986 को सभा को सूचित करने के पश्चात मैं पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित उन्नीस विधेयकों की, राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित, प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं।

(1) औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1986

(2) नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 1986

(3) किशोर न्याय विधेयक, 1986

(4) दिल्ली अग्नि निवारण तथा अग्नि सुरक्षा विधेयक, 1986

(5) कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधियां (संशोधन) विधेयक, 1986

(6) परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 1986

(7) सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क राजस्व अपील अधिकरण विधेयक, 1986

(8) भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 1986

(9) संविधान (पचपनवां संशोधन) विधेयक, 1986

(10) पोत परिवहन विकास निधि समिति (उत्पादन) विधेयक, 1986

(11) उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 1986

(12) अरुणाचल प्रदेश राज्य विधेयक, 1986

(13) खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1986

(14) औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 1986

(15) बाट और माप मानक (प्रवर्तन) संशोधन विधेयक, 1986

(16) आवश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1986

(17) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1986

(18) बाट एंव माप मानक संशोधन विधेयक, 1986

(19) कृषि उपज श्रेणीकरण और चिन्हांकन संशोधन विधेयक, 1986

———

रेल अभिसमय समिति

सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री राम धन (लालगंज) :— मैं "वर्ष 1987-88 के लिये लाभांश की दर तथा अन्य आनुषंगिक मामलों" से सम्बन्धित रेल अभिसमय समिति का सातवां प्रतिवेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

12.10 म०प०

पंजाब की स्थिति के संबंध में वक्तव्य

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय; पिछले सत्र में पंजाब की स्थिति पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया था। तब से कुछ गडबड़ की घटनाएं हुई। मैं नवम्बर, 1986 के अन्त से घटनाओं के क्रम के बारे में संक्षेप में स्मरण में कराना चाहूंगा। 30 नवम्बर, 1986 को श्री गुरुचरण सिंह टोहड़ा शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष चुने गये। इसके तुरन्त बाद शि०गु०प्र०क० ने स्वर्ण मन्दिर परिसर से आतंकवादियों को दूर रखने के लिए पहले गठित किए गए विशेष कार्य दल को समाप्त कर दिया। शि०गु०प्र०क० की कार्यकारिणी समिति की दिनांक 24.12.86 को अमृतसर में हुई बैठक में पदासीन मुख्य ग्रन्थियों से जबरदस्ती इस्तीफा दिलाया गया तथा अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार के रूप में प्रो० दर्शन सिंह रागी सहित नये मुख्य ग्रन्थियों को नियुक्त किया गया। फिर भी मुख्य ग्रन्थियों ने पन्थिक कमेटी नामक एक अन्य संस्था की कतिपय धमकियों के कारण पदभार नहीं सम्भाला। यह पन्थिक कमेटी आतंकवादियों द्वारा नियंत्रित एक स्वयं गठित संस्था है। पंथिक कमेटी ने निदेश दिया कि मुख्य ग्रन्थियों की नियुक्ति की अभिपुष्टि के लिए सर्बत खालसा बुलाया जाये जिससे यह अपनी स्थिति शि०गु०प्र० कमेटी और अकाल तख्त से श्रेष्ठ बना सके। दमदमी टकसाल के आह्वान के अनुसार पंथिक कमेटी तथा अखिल भारतीय सिख छात्र परिषद के एक वर्ग ने 26 जनवरी 1987 को तथाकथित सर्बत खालसा का आयोजन अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर में किया। सर्बत खालसा में शिरोमणी अकाली दल (जोगिन्द्र सिंह) तथा शिरोमणी अकाली दल (बादल) ने भाग लिया। सर्बत खालसा के दौरान परिसर में अलगाववादी नारे लगाये गये। "सर्बत खालसा" ने दिनांक 29 अप्रैल, 1986 को पन्थिक कमेटी द्वारा की गयी अलगाववादी घोषणा का अनुमोदन किया।

अगले दिन पंजाब की मंत्री परिषद ने तथाकथित सर्बत खालसा के आह्वान की निन्दा की तथा इसे देश को विघटित करने के उद्देश्य से विदेशी शक्तियों का षड्यन्त्र कहा। बाद में शिरोमणी अकाली दल (लोंगोवाल) की कार्य समिति ने राष्ट्र विरोधी तथा अलगाववादी तत्वों को सर्बत खालसा का आयोजन करने से रोकने में शि०गु०प्र०क० की असफलता पर चिन्ता व्यक्त की। भारत सरकार ने इन घटनाओं की ओर ध्यान दिया और स्पष्ट किया कि सरकार साम्प्रदायिक, पृथकतावादी तथा अलगाववादी तत्वों के बुरे कारनामों को सहन नहीं करेगी चाहे वे किसी भी रूप में कार्य कर रहे हों।

2. दिनांक 3 फरवरी, 1987 को मुख्य ग्रन्थियों द्वारा एक हुकमनामा जारी किया गया। जिसमें अकाली दल के विभिन्न वर्गों के अध्यक्षों तथा जत्थदारों को 5 फरवरी, 1987 की शाम तक अपने इस्तीफे देने का निदेश दिया गया था। स्त्री अकाली दल को, इस हुकमनामें के क्षेत्र में नहीं लाया गया।

[सरदार बूटा सिंह]

3. 5 फरवरी, 1987 को प्रो० दर्शन सिंह रागी ने नए अकाली दल के नेताओं की घोषणा की जिनमें से श्री सिमरनजीत सिंह मान को दल अध्यक्ष नामित किया गया।

4. 9 फरवरी, 1987 को मुख्य ग्रन्थियों ने, पंजाब के मुख्य मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला को तनखैया घोषित किया और उनसे अपने आचरण का स्पष्टीकरण देने के लिए 11 फरवरी 1987 को अकाल तख्त के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कहा उस दिन श्री बरनाला ने एक दूत के माध्यम से लिखित स्पष्टीकरण भेजा, लेकिन इसके बावजूद प्रो० दर्शन सिंह रागी ने, श्री बरनाला को सिख पंथ से निकालने के मुख्य ग्रन्थियों द्वारा हस्ताक्षरित हुकमनामे को पढ़ा।

5. ग्रन्थियों द्वारा लिए गए निर्णय पर देश में बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया गया। स्वयं विभिन्न वर्गों के सिखों ने राजनीति से उत्प्रेरित इस अशोभनीय उदाहरण पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट की। तख्त पटना साहब और तख्त हजूर साहब नानदेड़ के जत्थेदारों ने इस कार्यवाई पर अपनी असहमति प्रकट की। पंजाब और देश में अन्य स्थानों पर विभिन्न सिख सम्प्रदायों ने यह विचार प्रकट किया कि निर्णय पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। 20 फरवरी, 1987 को लोंगोवाल गांव में एक विशाल जन समूह ने, जिसमें देश के विभिन्न भागों से सिख सम्प्रदायों का प्रतिनिधित्व था, हुकमनामे को रद्द कर दिया। जनसमूह ने श्री बरनाला और उनकी सरकार को समर्थन देने की प्रतीज्ञा की।

6. पंजाब राज्य में संवैधानिक ढंग से निर्वाचित शिरोमणि अकाली दल (लोंगोवाल), की सरकार बनी हुई है। आतंकवादियों और अलगाववादी ताकतों का मुकाबला करने में श्री बरनाला और उनकी सरकार द्वारा दिखाए गए साहस के लिए वे सभी धर्म निरपेक्ष और देश भक्त लोगों के प्रशंसा के पात्र हैं। धर्म को राजनीति से अलग करने की पंजाब सरकार के प्रयत्नों की प्रशंसा और समर्थन किया जाना चाहिए। इसके अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि, पंजाब के सभी धर्मों के लोगों को भी प्रशंसा करनी होगी, जिन्होंने एकता और धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्तों में अपना विश्वास बनाये रखा है।

7. धर्म, शांति, प्यार और सच्चाई की खोज के लिए है जिसका अर्थ कट्टरता नहीं है। जो निर्दोष लोगों की सामूहिक हत्या का अनुमोदन करता है। यह बड़े खेद की बात है कि ग्रन्थी अलगाववादी और आतंकवादी ग्रुपों के दबाव में कार्य कर रहे हैं। यह भी बड़े खेद की बात है कि असन्तुष्ट अकाली दल के नेता भी इस प्रकार की ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। धर्म को राजनीति के साथ मिलाने और पूजा स्थलों के दुरुपयोग से धर्म निरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता की ताकतों को खतरा उत्पन्न हो गया है। निसन्देह कुछ अवांछनीय ताकतें धर्म को हमारे संविधान, हमारी राजनीतिक प्रणाली और हमारे प्रजातांत्रिक स्वरूप को चुनौती देने का मोहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

8. भारतीय शासन तंत्र के धर्म निरपेक्ष स्वरूप में पुनः विश्वास व्यक्त करना होगा। समस्त देश को यह दिखाना होगा कि धर्म निरपेक्षता और देश की एकता और अखण्डता पर ऐसा

हमला पूरी तरह असहनीय है। भारत सरकार पंजाब की सरकार को पूरी मदद देने का वचन देती है और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य श्री सुरजीत सिंह बरनाला को धार्मिक रूढ़िवाद और साम्प्रदायिक कट्टरता के विरुद्ध उनकी दृढ़ निश्चित लड़ाई और संविधान तथा भारत की एकता को बनाए रखने के उनके प्रयासों के लिए सारे सदन द्वारा उनकी मदद करने में एकमत होंगे।

9. भारत सरकार ने पंजाब सरकार के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखा है। पिछले दो महीनों में आतंकवादियों की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। उन्होंने राजनैतिक दलों के नेताओं, न्यायाधीशों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और उनके बच्चों को अपना लक्ष्य बनाया है। आतंकवादियों ने अर्ध सैनिक बल जो कठिन परिस्थितियों में अपने कर्त्तव्यों का पालन कर रहे हैं के विरूद्ध लोगों में घृणा उत्पन्न करने का भी प्रयत्न किया है। पंजाब नेशनल बैंक की लुधियाना शाखा में बैंक लूटने की भी घटना हुई थी। इस मामले को जांच पड़ताल के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया है। उग्रवादियों और अलगाववादी तत्वों द्वारा स्वर्ण मन्दिर परिसर का लगातार दुरुपयोग किया जाना एक अन्य विक्षोभकारी प्रवृत्ति रही है। भारत सरकार ने राज्य सरकार को आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए पूर्ण समर्थन दिया है तथा आगे भी देती रहेगी। राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से अनेक कुख्यात आतंकवादियों को पकड़ा गया या मार दिया गया। इस स्थिति के लिए असाधारण सतर्कता तथा लगातार कार्रवाई करने की आवश्यकता बनी रहेगी। हमें आशा है कि राज्य सरकार आतंकवाद को खत्म होने तक आतंकवादियों पर दबाव बनाए रखेगी।

10. सरकार पंजाब समझौते को कार्यान्वित करने लिए वचनबद्ध है। मैं माननीय सदस्यों को पुनः आश्वासन देना चाहता हूं कि क्षेत्रीय दावों तथा नदी जल के विवादास्पद मुद्दों को हल करने का प्रयास जारी रखा जाएगा।

11. पंजाब की स्थिति पूरे देश के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। पंजाब समस्या को केवल धैर्य तथा साहस से हल किया जा सकता है। आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और साम्प्रदायिक रूढ़िवाद और पंजाब में राजनैतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग के विरूद्ध दलगत स्वार्थों से ऊपर उठकर संयुक्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पंजाब के लोगों के दिलों से आतंकवाद के डर को हटाना आवश्यक है।

12. मैं विपक्षी दल के माननीय नेताओं को अलगाववादी तथा अप्रगतिशील ताकतों की चुनौती से निपटने के लिए पंजाब में एक संयुक्त अभियान चलाने पर सहमत होने के लिए धन्यवाद देता हूं। हमने विपक्षी दलों के नेताओं से परामर्श करके एक कार्य योजना तैयार की है जो आगामी महीनों में कार्यान्वित की जाएगी तथा इसमें किसानों, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों, भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सैनानियों, युवकों तथा विद्यार्थियों, महिलाओं, बुद्धिजीवियों, कवियों, लेखकों तथा कलाकारों समेत समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी होगी। महोदय, मुझे विश्वास है कि यह जन प्रेरणा राष्ट्र-विरोधी ताकतों के खतरनाक मनसूबों के प्रति लोगों को जाग-

[सरदार बूटा सिंह]

करने तथा आने वाले समय में उन्हें संघर्ष के लिए तैयार करने में सफल होगी। इससे देश की एकता तथा अखण्डता को कायम रखने के लिए हमारे संकल्प की भी पुष्टि होगी।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इस वक्तव्य के सन्दर्भ में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। आपने आज तीन बजे का समय इस वक्तव्य पर चर्चा के लिए निर्धारित कर दिया है। कल गृह मंत्री ने मिश्रा आयोग का एक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा था यह समान रूप से महत्वपूर्ण है और इस सदन के कुछ सदस्यों का इस विशेष आयोग के प्रतिवेदन में उल्लेख है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मिश्रा आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए हमें यथाशीघ्र अवसर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : कोई समस्या नहीं है। हम सुनिश्चित करेंगे कि सदन में हर विषय पर चर्चा हो।

प्रो० मधु दण्डवते : ठीक है। आप समझौता कर लेते हैं यही कारण है कि मैंने यह सुझाव रखा है।

अध्यक्ष महोदय : कोई समस्या नहीं है। अब हमारे पास काफी समय है। हम एक-एक विषय को लेते हैं।

[हिन्दी]

कर लेंगे।

[अनुवाद]

आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं उस विषय के बारे में कुछ बोलिए।

12.16 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर विचार आरम्भ करेगी।

(एक) कलाकारों को विशेष सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : प्राचीनकाल से ही हम अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व अनुभव करते हैं। यह बहुत सन्तोष की बात है कि विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलापों के

संरक्षण के लिए और उन्हें देश विदेश में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार बहुत सारे कार्य कर रही है। कई सांस्कृतिक घटनाओं का हाल ही का संगठन उचित दिशा में एक कदम है। परन्तु एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय जिसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए वह यह है कि कलाकारों को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए।

12.17 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उन्हें नौकरियों में संरक्षण दिया जाना चाहिए। जैसा कि अन्य वर्गों में किया जा रहा है। इसी प्रकार प्राथमिकता के आधार पर इन कलाकारों के लिए डी०डी०ए० फ्लैट्स और मकानों के लिए जगह दी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो इस बारे में हम अनुच्छेद 16 (4) में एक संशोधन कर सकते हैं ताकि इन कलाकारों की ओर पर्याप्त और पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके।

(दो) देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगों के बार-बार होने की घटनाओं को रोकने के लिये आवश्यक उपाय

श्री जी०एस० बसवराजू (टुमकुर) : महोदय, भारत में साम्प्रदायिक दंगों से देश में बहुत से निर्दोष व्यक्तियों की जाने जा रही हैं। पिछले 3-4 महीनों से साम्प्रदायिक हिंसा तेजी से बढ़ रही है। ऐसे सभी साम्प्रदायिक तनावों में अधिकतर विदेशी तत्व शामिल होते हैं। कुछ राज्य पिछले 3-4 महीनों से लगातार साम्प्रदायिक दंगों का सामना कर रहे हैं। गुजरात कर्नाटक, मध्य-प्रदेश और कुछ अन्य राज्य ऐसे लगातार साम्प्रदायिक हमलों का शिकार रहे हैं। परन्तु ये राज्य उस साम्प्रदायिक प्रवृति को नियन्त्रित करने में सफल नहीं रहे हैं जो इन राज्यों में बढ़ रही है। केन्द्र को ऐसे दंगों को रोकने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए और भविष्य में ऐसी हिंसा को रोकने के लिए प्रावधान बनाने के लिए राज्य-सरकारों की निदेश तथा सहायता करनी चाहिए यदि इस स्थिति में सख्त कार्यवाही नहीं की जाती तो स्थिति और जटिल हो जायेगी और देश में अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी। गुजरात और कर्नाटक के साम्प्रदायिक दंगों से हम सभी की आंखें खुल जानी चाहिए। इसलिए इस समय इस बात की उपेक्षा करके कि यह सम्बन्धित राज्य का मामला है, केन्द्र को ऐसे उपायों के बारे में सोचना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि वह इस बारे में तुरन्त कदम उठाए।

[हिन्दी]

(तीन) नर्मदा नदी के किनारों पर स्थित जीर्ण-शीर्ण मंदिरों और धर्मशालाओं का संरक्षण करने की मांग

श्री के०एन० प्रधान (भोपाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस सार्वजनिक महत्व के प्रश्न को सदन में उठाना चाहता हूं।

[श्री के०एन० प्रधान]

नर्मदा इस देश की पवित्र नदियों में से एक है। कई राज्यों की जीवन रेखा है। यही एकमात्र नदी है जिसकी इस देश के वासी युगों से परिक्रमा करते आ रहे हैं। इसी कारण इसके किनारे, स्थान-स्थान पर मन्दिर और धर्मशालाएं बनी हुई हैं। परिक्रमा करने वाले धर्मशालाओं में ठहरते हैं और मंदिरों में पूजा करते हैं।

गत कुछ वर्षों में कई स्थानों पर बाढ़ तथा कटाव के कारण मंदिर और धर्मशालाएं नष्ट हो चुकी हैं। आज भी नर्मदा के किनारे अनेकों मन्दिर और धर्मशालाएं मौजूद हैं, परन्तु अधिकांश की जीर्ण-शीर्ण अवस्था है और बाढ़ तथा कटाव के कारण उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है।

सभी राज्य नर्मदा से अधिक से अधिक पानी तथा बिजली लेने को लालायित हैं, परन्तु इसके धार्मिक महत्व को आदर देने के लिए कोई योजना नहीं है। केन्द्र सरकार उन सभी राज्य सरकारों की मदद से जहां से नर्मदा बहती इन मंदिरों तथा धर्मशालाओं को बचाने के लिए शीघ्र ही योजना बनाए।

(चार) राजस्थान में सूखे से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए उस राज्य को सामान के रूप में सहायता देने की मांग

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार को भीषण अकाल का मुकाबला करने के लिए जो सहायता दी है वह अपर्याप्त है। अधिकांश सहायता एडवान्स प्लान के अन्तर्गत दी है जिससे योजना को बड़ा धक्का लगेगा। जहां अकाल की भीषण स्थिति है वे तो इसका लाभ उठा सकेंगे और जिन क्षेत्रों में अकाल नहीं है या बहुत कम है वे योजना का लाभ उठाने में वंचित रह जायेंगे।

केन्द्र सरकार ने सिर्फ रोजगार के लिए लेबर कम्पोनेंट के रूप में सहायता दी है, मैटीरियल कम्पोनेंट के रूप में कोई सहायता नहीं दी है, जिसके कारण बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में जहां कि अकाल की भीषण स्थिति के कारण मैटीरियल के रूप में जनता से चंदा नहीं लिया जा सकता वहां पक्के कार्य नहीं हो सकेंगे। राजस्थान सरकार ने मैटीरियल कम्पोनेंट के रूप में सिर्फ तीस प्रतिशत देने का निर्णय लिया है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में पक्के उपयोगी कार्य करने में 60 प्रतिशत मैटीरियल लगाना पड़ता है, वह इन पक्के उपयोगी कार्यों को नहीं ले सकेगी क्योंकि ग्रामीण जनता तीस प्रतिशत का कंट्रीब्युशन नहीं कर सकती।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि राजस्थान सरकार को पक्के उपयोगी कार्यों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार में जिस प्रकार पचास प्रतिशत मैटीरियल दिया जाता है उसी प्रकार अकाल, राहत कार्य पक्के उपयोगी बन सकें, पचास प्रतिशत मैटीरियल के रूप में देकर अनुगृहीत करें।

[अनुवाद]

(पांच) हैदराबाद और सिकन्दराबाद के बीच चलने वाली उपनगरीय रेलगाड़ियों की समग्र स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता

श्री पी० पेंचालैया (नैल्लोर) : हैदराबाद और सिकन्दराबाद के दो नगरों में उपनगरीय रेलगाड़ियों की सेवा बहुत ही निराशाजनक है। इन दो नगरों में केवल उपनगरीय रेलगाड़ियां परिवहन का साधन है।

सैकड़ों यात्री प्रतिदिन स्थानीय रेलगाड़ियों से यात्रा करते हैं। यह ओसमानिया विश्व-विद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, गांधी अस्पताल, आदि पहुंचने का मुख्य परिवहन साधन है। इन यात्रियों में मुख्यत: छात्र और अध्यापक, कर्मचारी और औद्योगिक मजदूर होते हैं। ओसमानिया जनरल अस्पताल और गांधी अस्पताल जाने वाले पुराने शहर के अनेक व्यक्ति भी इसी रेलगाड़ी से यात्रा करते है। इन यात्रियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि स्थानीय रेलगाड़ियां नियमित रूप से नहीं चलती हैं। इन रेलगाड़ियों को बिना किसी कारण के अचानक रद्द कर दिया जाता है। रेलगाड़ियां प्राय: पुलों पर रोक ली जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। सिगनल समय पर नहीं दिए जाते जिसके फलस्वरूप रेलगाड़ियों को घंटों दो स्टेशनों के मध्य रुकना पड़ता है। परिणामस्वरूप, एक भी स्थानीय रेलगाड़ी अपने गन्तव्य स्थान पर समय पर नहीं पहुंचती है। यह दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और छात्रों के समय पर पहुंचने को प्रभावित करती है। दूसरा परिवहन साधन न होने के कारण यात्री इन रेलगाड़ियों को चलाने वाले स्टाफ की दया पर निर्भर करते हैं।

ये स्थानीय रेलगाड़ियां भाप इंजनों द्वारा रोक ली जाती है जो प्राय: खराब रहते हैं। इसका परिणाम होता है असाधारण देरी और प्राय: कई दिनों के लिए गाड़ियों का रद्द होना।

बोगियों में न तो कोई पंखें हैं और न ही बल्ब तथा महिलाओं के डिब्बो में शौचालय सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं।

इन निराशाजनक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय रेल मंत्री से इसे बहुत आवश्यक समझते हुए, तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं और वह यह सुनिश्चित करें कि उपनगरीय रेलगाड़ियां ठीक प्रकार से चलें।

(छह) आंध्र प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों और बजट आवंटनों में क्षेत्रीय असमानताओं की जांच करने के लिए एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने की आवश्यकता

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) आन्ध्र प्रदेश राज्य में वर्ष 1969 और 1971 में दो आन्दोलन हुए हैं। कुछ समय पश्चात आन्दोलन समाप्त हो गए और उसके प्रभाव से एक

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

"राष्ट्रपति आदेश" द्वारा "छह सूत्री फार्मूला" बनाया गया। इस फार्मूले में स्थानीय लोगों के लिये राज्य के सरकारी दफ्तरों में नियुक्ति के लिये कुछ नियम निर्धारित किये गये हैं। इन नियमों से असमानताओं को दूर करने की आशा की जाती है जो राज्य के तीन क्षेत्रों अर्थात आंध्र; तेलगाना और रायलसीमा के अनेक सरकारी कर्मचारियों में विद्यमान हैं। भर्ती प्रक्रिया में विद्यमान खामियों को समाप्त करने पर विचार किया गया। लेकिन योजना के कार्यान्वयन का हिस्सा हमेशा असफल रहा है।

निजी क्षेत्र राज्य में ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां वृद्धि की सम्भावना नहीं है। यदि कोई नया रोजगार पैदा करना है तो यह केवल सरकारी क्षेत्र में हो सकता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियां "छह सूत्री फार्मूला" की परिधि के अन्तर्गत नहीं आती। इस फार्मूले का क्रियान्वयन पूर्ण राज्य में एक समान नहीं है। आन्ध्र प्रदेश में, यह अत्याधिक ज्यादा है और दूसरे क्षेत्रों में यह बहुत कम है। रायलसीमा के शोर-शराबे से लोगों की नब्ज का स्पष्ट पता चलता है।

इस संदर्भ में 'एक सदस्यीय आयोग' की रिपोर्ट पूर्णतया अध्ययन की जानी चाहिए। दुखी लोगों की भावना अभिव्यक्त होकर कोई रास्ता ढूंढे, इसमें अधिक देरी करने से पहले कुछ ठोस कार्यवाही पक्के इरादे से करनी चाहिए।

इस अवस्था में राज्य में दूसरे आन्दोलन को रोकने के लिए, केन्द्रीय सरकार को कारगर ढंग से हस्तक्षेप करना चाहिए और इस मामले की जांच-पड़ताल के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति करनी चाहिए और छह सूत्री फार्मूले को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी लागू करना चाहिए। छह सूत्री फार्मूले को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार के निकाय और सरकारी नियुक्तियों में क्षेत्रीय असमानताओं की पूरी तरह से जांच करने की आवश्यकता है।

(सात) देश के विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत का पता लगाने हेतु गहन अनुसंधान करने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : देश की सांस्कृतिक विरासत की खोज नये भारत के निर्माण हेतु सुदृढ़ आधार प्रदान करने में अत्याधिक सहायक होगी। हमारे गतिशील प्रधानमंत्री की नई शिक्षा नीति भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाने वाली है। भारत की सम्पूर्ण संस्कृति ऊपर नहीं उठ सकती जब तक भारतीय संघ ढांचे के क्षेत्रों में विद्यमान साहित्य और गौरवशाली अतीत का पता लगाने हेतु गहन अनुसंधान नहीं किया जाता। यह प्रसन्नता की बात है कि नई शिक्षा नीति इस पहलू पर विचार करती है जो देश के साहित्यिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है, उड़ीसा के मामले में, अकबर के शासन काल के दौरान उड़ीसा के अव्यवस्थित ढंग से फैले क्षेत्रों का बर्धवान से राजमुंद्री तक विस्तार हुआ। उड़ीसा कलिंग के नाम से जाना जाता था जहां से हजारों लोग समुद्र से दक्षिणी-पूर्वी एशियाई द्वीपसमूह जैसे जावा,

सुमत्रा, बाली की यात्रा करते थे और व्यापार करने के अतिरिक्त उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत का प्रचार करते थे। 14वीं शताब्दी तक उन स्थानों में उनका महत्त्व था। उन दिनो कलिंग की नौ सैना बहुत शक्तिशाली थी। 14वीं शताब्दी के मध्य में कलिंग की नौ सेना भारत के पूर्वी तट पर चीनी आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना कर सकी। अन्यथा चीनी भारत पर कब्जा कर चुके होते। उन दिनों पुष्फेगिरि विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय था। यह आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता दक्षिण पूर्व एशिया के इन स्थानों की यात्रा करें तथा हमारी महान प्राचीन संस्कृति की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करायें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देश के विश्वविद्यालयों को गौरवशाली प्राचीन संस्कृति के बारे में गहन अनुसंधान करने के लिए तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत का सम्पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए सलाह देनी चाहिए।

(आठ) उड़ीसा में रेलवे परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की मांग

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : यह खेदजनक है कि कुछ केन्द्रीय परियोजनाओं का क्रियान्वयन उड़ीसा राज्य में कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है। रायगढ़ कोरापुर रेलवे लाइन का निर्माण कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है। यद्यपि विदेशी वित्तीय सहायता उपलब्ध है। इसके बारे में सरकार द्वारा तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

धनराशि की कमी के कारण सम्बलपुर तलचर रेल लाइन का काम ठीक नहीं चल रहा है। यह लाइन पश्चिमी उड़ीसा और तटीय क्षेत्रों के बीच आवागमन के लिए महत्त्वपूर्ण लाइन है। सरकार को कार्यक्रम के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए जरूरी वित्तीय आवंटन करना चाहिए और अन्य सभी कदम उठाने चाहिए।

धन आवंटन की कमी के कारण सम्बलपुर रेलवे डिवीजन कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वित नहीं की जा रही। इस परियोजना का उद्‌घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था और यह आशा की जाती थी कि यह उचित समय पर प्रारम्भ की जाएगी और शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कर दी जाएगी। वहां के स्थानीय लोगों का असन्तोष बढ़ रहा है।

यद्यपि उड़ीसा के पुरी जिले में कन्नस रोड रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का भारी यातायात है तथापि इसका अभी तक विकास नहीं हुआ है। स्टेशन पर प्लेटफार्म शेड और पर्याप्त विश्राम शेड नहीं हैं। वर्तमान विश्राम शेड इतने नीचे स्थान पर है कि बाढ़ के दौरान यह बाढ़ के पानी में डूब जाता है। किसी भी सफाई कर्मचारी के सफाई न करने के कारण स्टेशन गन्दा रहता है। मोटरी और कन्नस के बीच टेलीफोन सुविधा नहीं है। विकास के लिए स्वीकृत सभी राशियों को गत दो वर्षों से अभी तक खर्च नहीं किया गया है। महिलाओं के लिए विश्राम शेड, जिसकी मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है, ऊंचे स्थान पर निर्माण किये जाने की आवश्यकता है ताकि यह वर्षा ऋतु में उपयोग में लाया जा सके।

उड़ीसा के पुरी जिले में देल्लंग और मोटरी रेलवे स्टेशनों पर भी दोनों ओर प्लेटफार्म शेडों की आवश्यकता है। यह बात रेल मंत्री के ध्यान में लाई गई है।

(नौ) क्षेत्रीय भाषाओं में नेटवर्क कार्यक्रम प्रसारित करने तथा बंगलौर दूरदर्शन पर कन्नड़ कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : भारत सरकार ने दूरदर्शन कार्यक्रम के विस्तार हेतु अनेक कदम उठाए हैं और यह बहुत ही उपयोगी होगा और उद्देश्य को भी पूरा करेगा यदि क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसारण के घंटों की संख्या में वृद्धि की जाती है। बंगलौर दूरदर्शन के मामले में, शनिवार को छोड़कर, कन्नड़ कार्यक्रम के कुल घंटे प्रतिदिन दो घंटे से कम हैं। यह अपर्याप्त है। यदि दूरदर्शन से जनता को लाभान्वित करना है तब क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की अवधि को बढ़ाना होगा। वर्तमान में बच्चों को टीका लगाने की उपयोगिता तथा रोग उन्मुक्ति कार्यक्रमों संबंधी संदेशों का भी प्रसारण कन्नड़ भाषा में नहीं होता। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह क्षेत्रीय भाषाओं में नेटवर्क प्रसारित करने तथा बगंलौर दूरदर्शन पर कन्नड़ कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 13 को लेगें। श्री जी० एस० ढ़िल्लों।

12.31 म०प०

कपास, खोपरा और वनस्पति तेल उपकर (उत्सादन) विधेयक

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि उपज उपकर अधिनियम 1966 ओर नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में और संशोधन करने तथा खोपरा उपकर अधिनियम 1979 और वनस्पति तेल उपकर अधिनियम 1983 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

महोदय, वित्त मंत्री ने फरवरी, 1986 में अपने बजट भाषण में कहा था कि उपकरों की संख्या कम करने के प्रयास के रूप में कपास, खोपरा और वनस्पति तेल पर उपकर समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इन उपकरों को समाप्त करने के विचार से लोकसभा में 8.12.86 को कपास, खोपरा और वनस्पति तेल उपकर (उत्सादन) विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

इस समय उपज उपकर अधिनियम के अन्तर्गत कपास पर उपकर लगाया जा रहा है। खोपरा पर खोपरा उपकर अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत और वनस्पति तेलों पर वनस्पति तेल उपकर अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत उपकर लगाया जा रहा है।

कपास पर उपकर से हुई आमदनी को उपज उपकर अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत जिसमें कपास शामिल है 'उपज' के विकास पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया

जाता है। नारियल विकास बोर्ड के लिए खोपरा पर उपकर और राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड के लिए वनस्पति तेलों पर उपकर वित्त का मुख्य स्रोत है।

कपास के विकास तथा नारियल विकास बोर्ड और राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड के लिए धनराशि की जरूरत बजट द्वारा आबंटित धनराशि से पूरी की जायेगी और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाये जायेंगे कि इन तीनों बोर्डों की योजनाओं और कार्यक्रमों को पर्याप्त सहायता मिले।

इस विधेयक का उद्देश्य कपास पर उपकर समाप्त करने के लिए उत्पाद उपकर अधिनियम, 1966 में संशोधन करना है। खोपरा और वनस्पति तेलों पर उपकर को समाप्त करने के लिए क्रमश: खोपरा उपकर अधिनियम, 1979 तथा वनस्पति तेल उपकर अधिनियम, 1983 को रद्द किया जा रहा है। खोपरा विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 में प्रस्तावित संशोधन इसके परिणामस्वरूप किया जा रहा संशोधन मात्र ही है।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि विधेयक का उद्देश्य असंख्य उपकरों को समाप्त करना.है तथा कपास, खोपरा, तिलहन तथा वनस्पति तेलों के विकास के लिए सभी सहायता तथा प्रोत्साहन दिए जाते रहेंगें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि उपज उपकर अधिनियम, 1966 और नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने तथा खोपरा उपकर अधिनियम, 1979 और वनस्पति तेल उपकर अधिनियम, 1983 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

अब इस विधेयक के लिए एक घंटा आबंटित किया गया है जिसमें मंत्री जी का उत्तर भी शामिल है। इसलिए इसमें भाग लेने वाले सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे संक्षेप में कहें।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव चर्चा का आरंभ करेंगें।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : उपज उपकर अधिनियम, 1966 और नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 में और आगे संशोधन करने तथा खोपरा उपकर अधिनियम, 1979 और वनस्पति तेल उपकर अधिनियम, 1983 का निरसन करने वाले कपास, खोपरा और वनस्पति तेल उपकर (उत्सादन) विधेयक, 1986 पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम इस कार्यवाही का स्वागत करते हैं।

उद्देश्यों के कथन में उल्लिखित है कि :

> "उपकरों और करों की संख्या को कम करने के प्रयास के रूप में" इस प्रस्ताव को सदन में लाया गया है। हम इसका स्वागत करते हैं।

[श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव]

इससे बहुत सी कागजी कार्यवाही और प्रशासनिक प्रक्रियायें जिसमें कभी-कभी लालफीताशाही पनपती है, भी समाप्त हो जायेंगी। वैसे भी इसमें लगी धनराशि बहुत अधिक नहीं हैं कपास के मामले में 64 लाख रुपये ही खोपरा के मामले में 70 लाख रुपए तथा वनस्पति तेलो के मामले में 7 करोड़ रुपए सम्बद्ध हैं। वस्तुत: अधिकतर पैसा उपकर इकट्ठे करने वाली मशीनरी पर खर्च हो जाता है। तथापि इस संबंध में मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

पहले इन उपकरो को इस उद्देश्य से लगाया जाता था कि इस धनराशि को उपज के सुधार विकास और विपणन को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपायों पर खर्च किया जाएगा। इन वस्तुओं पर इन उपकरो को समाप्त करने के बाद अब सरकार को चाहिए कि वह इन उपजो के सुधार, विकास और विपणन को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाने वाले उपायों को सहायता देती रहे। अब तक उपकर द्वारा इकट्ठी की जाने वाली यह धनराशि काफी अधिक थी। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को इन सब उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक धनराशि प्रदान करनी चाहिए।

मै यह नहीं कहता कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाये है, पर मैं यह कहूंगा कि पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये हैं। मैं आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में कपास में "व्हाइट फ्लाई" लगने की एक घटना उद्धृत करना चाहूंगा जिससे कपास की फसल को अत्याधिक क्षति पहुंची है। इससे हजारो कपास उत्पादक आर्थिक रूप से तबाह हो गए हैं। बहुत से लोगो ने आत्महत्या कर ली है और इसके परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में कुल कपास का उत्पादन कम हो गया है। यह बात सरकार के नोटिस में आई होगी। सरकार से मेरा सुझाव है कि वह अधिक राशि खर्च करें, ऐसे अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन दे जिससे ऐसी कपास का उत्पादन हो सके जिस पर 'व्हाइट फ्लाई' न लगता हो। इसके बिना कपास के मामले में हमारी स्थिति अधिक समय तक अच्छी नहीं रहेगी।

आप जानते हैं कि किसान घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा खुश नहीं हैं और देश के बहुत से हिस्सों में खासकर महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में किसानों ने अपना रोष व्यक्त किया है। मैं सरकार से कपास के विकास और सुधार के लिए अनुरोध करता हूं क्योंकि यही एक आधारभूत वस्तु है जो जरूरी है। सरकार को कृषि-लागत पर विचार करके वास्तव में पर्याप्त लाभप्रद मूल्यों की पेशकश करनी चाहिए। सरकार ने इस बीच कपास की 4 लाख गांठों का निर्यात करने का निर्णय लिया है। मेरा यह भी सुझाव है कि इसका और निर्यात किया जा सकता है। देश में कपास का पर्याप्त भंडार है। कपास का अधिक निर्यात होने से घरेलू बाजार में देशी कपास की मांग अधिक होगी। इससे बाजार मूल्य में वृद्धि होगी और किसानों को अधिक बेहतर और संतोषजनक कीमतें मिलेगीं। बाजार में बिचौलिए और कभी-कभी भारतीय कपास निगम के क्रय एजेंट किसानो का शोषण करते है। एजेंट कपास की किस्म का निर्धारण करते हैं। और इसके अनुसार ही किसानो को उनके उत्पाद की कीमतें मिलती हैं। किसान को निश्चित रूप से समर्थन

मूल्य से कम मिलता है। एजेंट औसत किस्म की कपास की काफी कम कीमत निर्धारित करते हैं। आलोचना के लिए मैं इस बात का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऐसी अफवाहें हैं कि बहुत बार, बे-कारण उनको ही पता होगे, औसत किस्म की कपास का कम मूल्य निर्धारित कर देतें हैं। और कभी-कभी वे थोड़ी घटिया किस्म की कपास की अधिक कीमत भी निर्धारित कर देते हैं। इसलिए सरकार से मेरा सुझाव है कि किसानों को देने के लिए कपास की उपयुक्त कीमत निर्धारित करने के लिए कोई तर्कसंगत वैज्ञानिक प्रक्रिया विकसित की जाए। इससे उनके हितों की रक्षा आगे चलकर की जा सकेगी।

महोदय, बहुत से क्षेत्रों में इलैक्ट्रानिक मशीन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। कपास में नमी की मात्रा तथा माइक्रोनर पहलुओं का पता लगाने के लिए इलैक्ट्रानिक मशीनें हैं। उनकी लागत कुछ हजार ही होगी। आप बहुत से क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इन इलैक्ट्रानिकी मशीनों की खरीद के लिए विनियमित विपणन केन्द्रों की सहायता करें ताकि वे इन स्थानों पर इन मशीनों का इस्तेमाल कर सकें। इन मशीनों की खरीद के लिए भारत सरकार की ओर से कुछ राज सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि विपणन केन्द्रों में काम में तेजी आए और बिचौलियों तथा अन्य बेईमान व्यक्तियो को हटाया जा सके। इससे किसानों के हितों की भी रक्षा हो सकेगी।

महोदय, वनस्पति तेलों के बारे में मैं सचेत करने के लिए कुछ शब्द कहना चाहता हूं। वनस्पति तेलों के आयात के कारण कुछ ऐसे कदाचार नहीं होने चाहिए जो किसानों के हितो के विरुद्ध हों। सरकार से मेरा सुझाव है कि विदेशों से तेलों के आयात पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय सरकार को किसानों को लाभकारी मूल्य देना चाहिए क्योंकि वे हमारी मांगों को पूरा करने के लिए तिलहनों का उत्पादन करने में पूर्ण सक्षम हैं। इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि यहां भी बिचौलिए किसानों का शोषण कर रहे हैं। मैं कृषि से संबंधित पत्रिका के नवीनतम अंक में से एक उदाहरण दूंगा जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि 31 अक्तूबर, 1986 से 28 नवम्बर, 1986 के बीच एक माह की अवधि में— मूंगफली की कीमत 516 रु० प्रति क्विंटल से घटकर 435 रु० प्रति क्विंटल हो गई है। लेकिन इसी अवधि के दौरान प्रति क्विंटल मूंगफली के तेल की कीमत 1766 रुपए से बढ़कर 1820 रुपए हो गई है अर्थात 54 रुपए की वृद्धि हुई है। किसानों तथा उत्पादको में इस बात को लेकर बहुत क्षोभ है कि उन्हें उनके उत्पाद का उपयुक्त मूल्य नहीं दिया जाता। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसे आवश्यक उपाय करे जिससे बिचौलियो के शोषण को समाप्त किया जा सके।

महोदय, खोपरा के बारे में पता चला है कि सरकार ने कुछ लोगो को नारियल का आयात करने की अनुमति दे दी है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इससे घरेलू बाजार पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और नारियल के तेल की कीमतें लगातार घटती जा रही हैं। किसानो को कठिनाई महसूस हो रही है और उन्हें लाभप्रद मूल्य नहीं मिल सके हैं। इससे उन पर और दबाव पड़ रहा है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि नारियल का उत्पादन करने वाले किसानो के हितो की रक्षा के लिए नारियल के तेल और खोपरा का आयात करने के लाइसेंस को वापिस लिया

[श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव]

जाए। हमारे देश में नारियल का उत्पादन बहुत बढ़ा है और सरकार द्वारा अधिक सहायता करने के रवैये से इसका उत्पादन और बढ़ाने की काफी संभावनाए हैं। दक्षिणी राज्यो के तटीय क्षेत्रो में नारियल के उत्पादन को बढ़ाने की काफी गुंजाइश हैं। आशा है सरकार नारियल के उत्पादन को बढ़ाने और उसके विकास के लिए भरसक प्रयास करेगी।

अंत में, मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने कपास पर न्यूनतम आयात मूल्य को समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तथा कपास निर्यात पर राज सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है तथा सरकार देश के कपास उत्पादको के हित की रक्षा के लिए और उपाय करेगी।

इन शब्दो के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बिल आया तो मेरे दिमाग में यह बात आई कि आप डेफिसिट बजट पेश करते हैं और हर साल दो हजार, तीन हजार और चार हजार करोड़ के करीब डेफिसिट बजट पेश होता है। यह गवर्नमेंट आज नया काम करने जा रही है। यह कम से कम आठ करोड़ रुपया छोड़ने जा रही है। यह क्यों छोड़ा गया और क्या लाया गया। यह तो मालूम नहीं। मेरे विचार में तो सुरजीत सिंह बरनाला इसको लाने वाले थे। लेकिन आज ढिल्लों साहब को मोका मिला है जिसकी वजह से वह इसको छोड़ रहे हैं। इसको लाने वाले श्री सी० सुब्रह्मण्यम जो तमिलनाडू के थे वह लाये थे। इसका कारण यह है कि तमिलनाडू, केरल और आन्ध्र प्रदेश आदि जगहों में नारियल होता है और नारियल की खेती होती है। इसको बढ़ाने के लिए और तकनीकी ज्ञान के लिए यह सेस लगाये जा रहे हैं। मैं ढिल्लों साहब से यह जानना चाहूंगा कि क्या कभी आपने सोचा कि उस बोर्ड का खचा कौन वहन करेगा। आज आपको कोपर सेस ऐक्ट से 70 लाख, प्रोडयूस सेस ऐक्ट से 64 लाख और वेजिटेबल आयल से 7 करोड़ रुपया मिलता है। आज आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अन्दर जो अपनी कृषि नीति बना रहे हैं और उसके द्वारा काश्तकारों की जो जमीन खराब हो रही है, उसकी पूर्ति करने के लिए आप विकास के नाम पर उनको रुपया नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने लिखा है :

[अनुवाद]

कपास, खोपरा और वनस्पति तेल पर उपकर समाप्त करने का प्रस्ताव है और इसकी उपज के विकास के लिए योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए बजट आबंटन द्वारा आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

यह मेरे दोस्त बैठे हैं मिस्टर महाजन। यह बड़े इकोनोमिस्ट हैं। यह देश को बहुत फायदा

पहुंचाते हैं। रोज घाटे का बजट पेश कर रहे हैं। मैं तीन साल से घाटे का बजट देख रहा हूं। अब गवर्नमेंट नया कदम उठा रही है और वह यह कदम अपनी तारीफ करवाने के लिए उठा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह इतने साल क्यों चुप रही ? अगर आपको मालूम था कि सैस से लाभ नहीं होता है बल्कि नुक्सान ही होता है तो आप चुप क्यों रहें ? क्या आप बतायेंगे कि इसके विकास पर कितना रुपया खर्च होगा और क्या बजट में इसका प्रावधान किया है ?

श्रीमन, जब 1966, 1979 और 1983 और उससे भी आगे इतने सालों तक यह कानून लागू रहा और आपका बोर्ड लागू रहा, आपको सैस मिलती रहा और उससे आपको आमदनी भी हुई तो आप बतायें कि उस आमदनी का क्या उपयोग हुआ ? इससे पहले जब यह बिल पास हुआ तो बिल वालों ने यह लिखा था :

[अनुवाद]

यह तकनीकी विकास के लिए है।

[हिन्दी]

हमने देखा है कि केरल के अन्दर बहुत कम एकड़ जमीन में यह नारियल के पेड़ बोये जाते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडू में अधिकतर लोग नारियल की खेती से ही अपना गुजारा करते हैं। उनको कुछ आप मदद देना चाहते हैं, फाइनेंशियल एड देना चाहते हैं और आज सरकार कह रही है कि हम आज सब सैस माफ कर रहे हैं, तो कहां से मदद करेंगे ? आप कह रहे हैं कि बजट के अन्दर इसका प्राविजन कर दिया जायेगा तो मेहरबानी करके बताइए कि बजट में कितना रुपया रखेंगे कोकोनट के लिए, कितना रखेंगे वेजीटेबल आयल के लिए, कितना रखेंगे काटन के लिए और आपका एक्सपेंडीचर क्या है ? क्या सरकार ने सोचा है कि इन तीनों का विकास करने के लिए कितना रुपया उसके पास है कि जिससे वह इनका पूरा विकास कर सके ? गवर्नमेंट ने इसको एबालिश करने के लिए क्यों सोचा ?

आपका स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स ऐंड रीजन्स जो है उसमें कहीं आपने यह नहीं लिखा कि इतना रुपया गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इसमें आपने यह लिखा है :

[अनुवाद]

उपकर को समाप्त करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है और उपकर समाप्त कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

लेकिन आपने यह नहीं बताया कि कितना रुपया रखेंगे और आज कितने रुपये की जरूरत इसके लिए है ? आप स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स ऐंड रीजन्स में यह बताते कि कितना रुपया खर्च हो रहा है इनके डेवलपमेंट के लिए, कितना फाइनेंशियल एड आप देते हैं तो उससे कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता था।

[श्री मूलचन्द डागा]

आज आपकी चीजें बाहर नहीं जाती हैं। आज हम लोग वेजीटेबल आयल पैदा नहीं कर सकते और यह कह रहे हैं कोकोनट आयल का ज्यादा प्रचार कीजिए, इसका ज्यादा प्रचार होना चाहिए। लेकिन हम करोड़ों रुपये का तेल बाहर से मंगा रहे हैं। कम से कम 15 करोड़ का तेल बाहर से मंगा रहे हैं और यह जो बिल रखा है उसमें ढिल्लो साहब ने एक झटके से यह कह दिया कि हम यह सैस माफ कर देंगे और इसके लिए बजट में प्राविजन कर देंगे। बजट तो पास होगा अप्रैल तक। आप यह बताइए कि कितना अनुमान आपने लगाया है ? कितना रुपया इन तीनों के विकास के लिए खर्च करेंगे? नारियल में बीमारी बहुत जल्दी लगती है।...(व्यवधान)...तो स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स ऐंड रीजन्स में ये सारी बातें मैंने नहीं देखीं। आज काश्तकारों की जो हालत है उसमें जो आप चाहते हैं कि तकनीकी ज्ञान उनको दें, साइंस की तरफ उनको बढ़ाना चाहते हैं तो वह कैसे बढ़ायेंगे ? विरोधी दल के लोगों ने कह दिया कि अच्छा हुआ लेकिन अच्छा क्या हुआ ? रुपया कहां से आएगा यह बात मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

*श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक के कारण, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, सरकार के राजस्व में कमी आ रही है। सरकार को 8 करोड़ 34 लाख रुपये की आय होगी किन्तु मैं जानता हूं कि कर की इस राशि को वसूल करने में सरकार को इससे कहीं अधिक खर्च करना पड़ेगा। यह आय सरकार द्वारा मिल मालिकों से वसूल की जाएगी। मिल मालिक इस कानून से निस्संदेह प्रसन्न होंगे क्योंकि यह विधेयक लाने से पूर्व मिल मालिकों को बहुत-सी बकाया राशि देनी थी। यह इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में लिखा गया है। मुझे आशा है कि सरकार अतिशीघ्र इस बकाया राशि को वसूल करेगी।

इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो कपास पैदा होती है वह हमारे देश की सारी मांग पूरी कर सकती है यदि किसानों को उनके उत्पाद के लिए पर्याप्त और समुचित मूल्य मिल जाते और सरकार कपास में लगने वाले विभिन्न रोगों और किसानों के कपास की बिक्री को जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ले यदि सरकार ने बुआई समय से पूर्व कपास के मूल्यों की घोषणा कर दी होती तो उससे किसानों को अत्यन्त लाभ मिल जाता और उन्हें अधिक कपास उगाने के लिए प्रोत्साहन मिल जाता। किन्तु सामान्य तौर पर हमारा अनुभव क्या है ? हम देखते हैं कि कपास उगाने वाले राज्य कपास की अपनी फसल को उचित समय तथा उचित मूल्य पर नहीं बेच सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप किसान आन्दोलन करते हैं और सरकार के सामने अपनी मांग उठाते हैं। बेचारे (गरीब) किसानों के पास ऐसा स्टाक है जो उन्होंने नहीं बेचा है और वे इस स्टाक को कम कीमत पर बिचौलियों को बेचने के लिए विवश होते हैं। किसान इससे पीड़ित हैं और हमें हानि हो रही है। इसके कारण उनका उत्साह कम हो रहा है और वे निरुत्साहित हो रहे हैं। इसी प्रकार गत नारियल मौसम में और इससे थोड़ा पहले नारियल उत्पादक प्रति नारियल 2 रुपये से 2 रु० 50 पैसे ले सकते थे। किन्तु चालू मौसम में उन्हें अपना नारियल 1 रुपये प्रति

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

नारियल बेचने पर विवश होना पड़ता है। अतः नारियल के उत्पादकों को अपने उत्पाद के लिए बहुत कम मूल्य मिलता है, किन्तु नारियल के तेल के मूल्य में तनिक भी कमी नहीं हुई है उपभोक्ताओं को नारियल तेल के लिए अधिक से अधिक मूल्य देने पड़ते हैं और हैरानी की बात यह है कि नारियल का तेल अधिक लागत पर अन्य देशों से आयात भी किया जाता है। सरकार इस आयात को टाल भी सकती थी। यदि उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए उचित मूल्य दिया जाता तो हमारे देश में नारियल की सारी मांग हमारे अपने उत्पादन से ही पूरी हो सकती थी। इसी प्रकार हम वनस्पति तेल की अपनी पूरी मांग को अपने ही उपलब्ध साधनों और उत्पादन क्षमता से पूरा कर सकते हैं। किन्तु यह खेद की बात है कि सरकार के पास इनको प्राप्त करने के लिए कोई योजनाएं नहीं हैं। वह उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। महोदय तिलहन थोड़े से थोड़े पानी के उपलब्ध होने पर उगाए जा सकते हैं। यह वर्षा के जल से भी उगाए जा सकते हैं। तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ी सिंचाई योजनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके लिए थोड़ा-सा पानी चाहिए। अतः हम ऐसी भूमि पर भी तिलहन उगा सकते हैं जहां और कोई फसल नहीं उगाई जा सकती है। मूल प्रश्न तो यह है कि तिलहन के उत्पादकों को तिलहन उत्पादन करने लिए प्रोत्साहन देने के लिए समुचित मूल्य दिया जाना चाहिए। क्या सरकार उत्पादकों को इस प्रकार का आश्वासन दे सकती है? वह नहीं देगी। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली उपाय करने के लिए सरकार ने कोई प्रणाली स्थापित की है। राष्ट्रीय स्तर पर एक निगम है। किन्तु हम देखते हैं कि इस निगम द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह बताया गया है कि इस निगम प्रशासनिक खर्च करके रूप में वसूल की गई राशि से पूरा किया जाएगा यह निगम इतनी थोड़ी-सी राशि पर प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर सकता। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में सरकार इन मुद्दों की ओर पर्याप्त ध्यान देगी। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। बोर्ड में तिलहन उत्पादक किसानों का एक प्रतिनिधि और तेल मिलों के कर्मकारों का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए। केवल ऐसा करने से आपक आरंभिक जानकारी तथा मार्ग निर्देश मिलेंगे कि किस प्रकार राष्ट्र के हित में तिलहन तथा खाद्यो तेलों के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार कपास मिलों के कर्मकारों का प्रतिनिधि और कपास उत्पादकों का एक प्रतिनिधि इस बोर्ड में होना चाहिए, ताकि उन्हें सरकार को उनके काम में सहायता करने का अवसर मिल जाए।

1.00 म०प०

मुझे विश्वास है कि थोड़े से प्रयत्न से तथा उचित योजना से सरकार उत्पादन में वृद्धि कर सकती है। वह कृषकों को बेहतर तथा समुचित मूल्य भी दे सकेंगी और साथ ही अपने ही उत्पादन से अपने देशी की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगी। मैं आशा करता हूं कि सरकार भविष्य में ऐसा करेगी। महोदय, इस आशा से मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए सभा स्थगित करते हैं।

1.01 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.07 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 7 मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कपास, खोपरा और वनस्पति तेल उपकर (उत्सादन) विधेयक

[—जारी]

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल व्यास।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि जो सेस इन्होंने लगा रखा था, वह बिल्कुल बेकार साबित हुआ। ये जितने बोर्ड बने हुए हैं भारत सरकार के, चाहे वह टी बोर्ड हो, काफी बोर्ड हो, काटन बोर्ड हो, काटन कंपोनेंट बोर्ड हो, जितने भी बोर्ड बने हुए हैं इन सब में सफेद हाथी बैठे हुए हैं और खर्चा करने के अलवा इनकी आमदनी बढ़ाने या इनके विकास के लिए ये कोई भी काम नहीं करते। यह सेस तो सरकार ने समाप्त कर दिया है, परन्तु इसके साथ-साथ इन बोर्डों को भी समाप्त करना चाहिए, ये बोर्ड बिल्कुल बेकार हैं।

श्री बापूलाल मालवीय (शाजापुर) : हाथी तो हाथी है, चाहे सफेद हो या काला हो ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको सफेद हाथी से चिढ़ है क्या, सफेद इसलिए कि वे थोड़े होते हैं, काले तो बहुत होते हैं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जितने डेवलमेंट बोर्ड बने हुए हैं, सब निरर्थक हैं और बेकार हैं। जिस मकसद से सेस लगाया गया था, इसके एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स में बताया गया है—

[अनुवाद]

"इस उपकर के आगमों का उपयोग इस अधिनियम के अधीन उपज के, जिसके अंतर्गत कपास भी है, सुधार, विकास और विपणन की अभिवृद्धि करने के लिए किए गए उपायों के संबंध में उपगत व्यय की पूर्ति के लिए किया जाता है···"

[हिन्दी]

सो इस मकसद के लिए सेस लगाया गया था, लेकिन इस सेस की व्यवस्था के संबंध में इन्होंने कोई काम नहीं किया है। यह कदम स्वागत योग्य है, पर इससे फायदा पूंजीपतियों को होगा, जो व्यापारी लोग हैं, जो सामान खरीद कर देते हैं, उसको फायदा होगा, काश्तकार को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। गरीब काश्तकार को फायदा पहुंचाने के लिए जो डेवलपमेंट के काम इन्कलूड किए हैं, जिन परपजेज के लिए सेस लगाया गया उस वर्क को अपने डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरीके से आप आगे प्रोसीड करेंगे, किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, जिससे काटन, कोकोनट, वेजीटेबल्स आदि का प्रोडक्शन बढ़े और किसानों को फायदा हो, देश का फायदा हो, इस प्रकार की व्यवस्था करने की मैं समझता हूं कि आप कोशिश करेंगे, ताकि आपका मकसद पूरा हो और इस देश के उत्थान में भी आप ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सकेंगे। तो ये एक मकसद है।

दूसरा मकसद है, जिसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि काटन की पैदावार आपके महकमे की वजह से या भारत सरकार की नीतियों की वजह से काफी बढ़ी है। जितनी मेहनत काश्तकार करता है, उसका फायदा उसको मिल रहा है या नहीं इसको आपने कभी देखा है या नहीं। दो साल पहले जो प्राइस कॉटन की थी, उसमें अब कितना अन्तर हो गया है। एक क्विटल पर सात सौ, आठ सौ रुपए की प्राइस बढ़ गई है। आज जबकि काश्तकार को ज्यादा से ज्यादा पांच सौ रुपया पर-क्विटल दिया जा रहा है। क्या आपने यह आन्दाजा लगाया है कि एक क्विटल पर कितना एक्सपेंडीचर होता है और काश्तकार के लिए यह लाभदायक प्राईस है या नहीं। यह बताया जाए कि काश्तकारों का फायदा देने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है। कॉटन कारपोरेशन आफ इंडिया के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। यह भारत सरकार की संस्था है और आपसे इसका ताल्लुक नहीं है। बाजार के अन्दर जब कॉटन आता है, तब यह कारपोरेशन कॉटन नहीं खरीदती है। जब भाव ऊंचे चढ़ने लगते हैं, तब यह कारपोरेशन कॉटन खरीदने की कोशिश करती है। बीच के जो दलाल होते हैं, वे सस्ते भाव पर कॉटन खरीद लेते हैं और कॉटन कारपोरेशन को महंगे दामों पर देते हैं। आपने देखा होगा कि इस कारपोरेशन को कितना लॉस हुआ है। एक तरफ तो काश्तकार को लॉस होता है और दूसरी तरफ कॉटन कारपोरेशन आफ इंडिया को लॉस होता है क्योंकि बाजार में लेट आने पर ऊंचे भावों पर उसको कॉटन खरीदना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि कामर्स डिपार्टमेंट को इसकी तरफ तवज्जुह देनी चाहिए कि जब बाजार के अन्दर कॉटन आ जाए तो यह कारपोरेशन उसको सस्ते दामों पर खरीद सके और काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा पैसा इस कारपोरेशन की तरफ से मिल सके और उनको लाभदायक मूल्य उपलब्ध हो सके। इस तरह की व्यवस्था करने की नितान्त आवश्यकता है। इसी तरीके से एक स्वागत योग्य कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। उन्होंने कॉटन एक्सपोर्ट में सबसिडी देने की बात की है। जितनी कॉटन बेल्स यहां पैदा होती है, उसका एक्सपोर्ट न होने की वजह से कीमतें कम ही रहती हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने से कीमतें ऊंची हो जायेंगी और काश्तकारों को लाभ होगा। प्रधान मंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, वह निश्चित तरीके से बहुत ही स्वागत योग्य है। उससे हमारे काश्तकारों को फायदा मिलेगा। इसी प्रकार से वेजीटेबल आयल्स के ऊपर सात करोड़ का सेस वसूल किया जाता है। पिछले साल

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

के मुकाबले इस साल कम से कम साठ से सत्तर रुपए के बीच पन्द्रह किलो के टिन पर कमतें बढ़ी हैं। इससे यह साबित होता है कि इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मनमाने तरीके से दाम बढ़ाते रहते हैं, इससे कंज्युमर को बहुत नुकसान होता है, इस बात का अन्दाजा नहीं लगाया गया इसीलिए अभी तक कोई ठोस कदम इस संबंध में नहीं उठाया गया है जिसकी वजह से प्राइस कंट्रोल हो सके और कंज्यूमर को फायदा पहुंच सके। ऐसी व्यवस्था करने से प्राइस भी स्थिर होगी और कंज्युमर को भी लाभ होगा। हमारा कंज्युमर इन्डैक्स बढ़ता है और होल-सेल इन्डेक्स भी बढ़ता है, इसीलिए इस तरफ आपको ध्यान देना होगा। आपकी जो डवलपमेंट एक्टीविटी है, वह निरन्तर बढ़ती रहनी चाहिए। खेती, हमारे देश के लोगो का मुख्य धंधा है। 80 प्रतिशत लोग यहां पर खेती पर निर्भर करते हैं। उसके लिए कृषि ज्ञानकेन्द्र स्थापित करने की जरूरत है। मेरे जिले भीलवाड़ा में अच्छा विकसित कृषि एरिया है, लेकिन वहां अभी तक कृषि ज्ञानकेन्द्र स्थापित नहीं हुआ। आपने जिन जगहों पर इसकी आवश्यकता नहीं है वहां पर कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापित कर दिये हैं, लेकिन हमारे जिले भीलवाड़ा में नहीं किया। इसकी वजह से वहां के किसानों के विकास के लिए, उनकी जानकारी के लिए जो कुछ व्यवस्थायें होनी चाहिए वह नहीं हो पाई हैं, हमारे क्षेत्र के किसानों को इससे नुकसान हो रहा है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपा करके भीलवाड़ा में कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापित करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदया, ऐसा प्रतीत होता है कि इस संशोधन विधेयक का शीघ्र लाभ मिल मालिकों और बिचौलियों को मिलेगा। वोट से मुझे लगता है कि सरकार यह विधेयक शायद इस लिये ला रही है क्योंकि उसे पैसे वसूल करने में कठिनाई होती थी। अब यह उत्सादन विधेयक इस लिए लाया जा रहा है क्योंकि यह तेल उपकर वसूल करने में असफल रहा है। मुझे इस बात की आशंका है कि यदि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाती है कि किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए यदि वर्तमान विकास गतिविधियां बनायी नहीं रखी जायेंगी तो इससे किसान गम्भीर रूप से प्रभावित होंगे।

इस समय हम अपने आंतरिक उपभोग के लिए विदेशी बाजार पर निर्भर करते हैं। हम पाम तेल, सूरजमुखी तेल तथा अन्य तेल जनता के उपयोग के लिए आयात कर रहे हैं। इस संबंध में किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यदि कोई समुचित तंत्र नहीं है कि वे अधिक से अधिक नारियल पेड़, तिलहन, आदि लगायें तो इससे देशी बाजार भी प्रभावित होगा।

निस्सन्देह मैं इस विधेयक का इसलिए स्वागत करता हूं कि यह उपकर समाप्त करता है। परन्तु इसके साथ ही मैं सरकार से निवेदन करता हू कि वह उन किसानों की सहायता करने के लिए व्यावहारिक व ठोस कदम उठाए जो कपास, नारियल तथा तिलहन की खेती कर रहे हैं। इस प्रयोजन हेतु इस विषय में कुछ अनुभवों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे राज्य का हुए हैं। जैसाकि आपको विदित है, केरल उन राज्यों में से एक है जहां नारियल का उत्पादन भारी मात्रा

में होता है। हमारे राज्य की अधिकांश अर्थव्यवस्था नारियल के उत्पादन पर निर्भर करती है। पिछले वर्ष जब नारियल की कीमतों में कमी हुई तो किसानों पर इसका बहुत असर पड़ा था। निःस्सन्देह, कुछ राहत मिली थी क्योंकि यह देखने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे कि पाम आयल इत्यादि का आयात न किया जाये और उपभोक्ताओं को उसके बजाय नारियल का तेल ही वितरित किया था।

परन्तु यहां मुझे एक शिकायत है। केन्द्र सरकार यह जानने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही कि देश के अन्य भागों में अन्य राज्यों द्वारा भी नारियल के तेल का प्रयोग किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। यह केवल केरल तक ही सीमित है। यदि नारियल के तेल के लिए स्वदेशी बाजार मिल जाता है तो यह स्वाभाविक है कि नारियल की खेती करने वाले किसानों तथा अन्य लोगों, जो कि नारियल से सम्बन्धित क्रियाकलापों में लिप्त है, को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उनको लाभ भी मिलेगा। परन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से नारियल के तेल का वितरण करने की अपेक्षा सरकार विदेशों से खाद्य तेलों का आयात कर रही है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये उन तेलों का ही वितरण कर रही है।

इस चर्चा में भाग लेते हुए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि नारियल को तिलहन घोषित किया जाना चाहिए और इसकी खेती करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यह जानने के लिए भी उपाय किए जाने चाहिएं कि केरल के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में भी खाद्य तेल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि ऐसा हो जाता है तो मंडो को विनियमित किया जा सकता है और किसानों को लाभ मिलेगा।

निस्सन्देह यह सच है कि उपकर केवल तब ही उठाया गया है जब सरकार ठीक ढंग से इसे वसूल नहीं कर सकती थी तथा उपकर वसूल करने के लिए प्रशासनिक व्यय पर अधिक धनराशि खर्च की जा रही थी तथा उस समय सरकार के पास केवल एक ही रास्ता बचा था वह उपकर को समाप्त करना है। बोर्ड को तथा अन्य संवर्धनकारी क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में किए गये प्रावधानों सम्बन्धी प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं। यह अच्छी बात है कि आप संवर्धनकारी क्रिया-कलापों को संस्थागत रूप दे रहे हैं। परन्तु मौजूदा संवर्धनकारी क्रियाकलापों पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। नारियल की अधिकाधिक खेती करने के लिये हमें अधिकाधिक सहूलियतों की जरूरत है और लोगों को तिलहनों, नारियल तथा कपास की खेती करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में किसानों को किसी एजेन्सी से किसी भी तरह की सहायता नहीं प्राप्त हो रही है। जो कुछ भी किया जा रहा है वह बिचौलियों की सहायता के लिए किया जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जब तक कि सरकार किसानों को सीधे प्रोत्साहन देने के लिये कदम नहीं उठाती है, तब तक यही स्थिति रहेगी। यह उपकर समाप्ति विधेयक उनकी किसी भी तरह सहायता नहीं कर पायेगा। अतः किसानों की सहायता करने के लिये तथा यह देखने के लिये कि नारियल की खेती को प्रोत्साहन दिया गया है, आखिरकार कोई उद्देश्य होना चाहिए।

[श्री तम्पन थामस]

कपास के मामले में भी वही बात है। कपास की खेती करने वालों के सामने भी वही कठिनाइयां आ रही हैं। जो लोग कपास के व्यापार में लगे हुये हैं वे हमेशा फायदे में रहते हैं क्योंकि वे मिल मालिक हैं तथा बिचौलिये भी हैं। कपड़ा उद्योग के मालिक, बिचौलिये तथा आढ़-तिये वे ही हैं। वे वहां स्थिति का लाभ उठा रहे हैं।

मेरा निवेदन यह है कि सरकार को यह जानने के लिए पूरा ध्यान देना चाहिये कि कृषि को बढ़ावा दिया जाये, तथा कृषि के क्षेत्र में अधिक भूमि को लाया जाये तथा अन्य क्षेत्रों में भी नारियल के तेल तथा अन्य तेलों को लोकप्रिय बनाया गया है।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, कौटन, खोपरा और वैजिटेबल ऑयल सैस (एबोलिशन) बिल, 1986 का मैं स्वागत करता हूं। हमारी सरकार की धीरे-धीरे सैस को पूर्ण रूप से खत्म करने की नीति स्वागत योग्य है। उसका कारण यह है कि इसके कारण हमारी मल्टीपिलसिटी ऑफ टैक्सेज की प्रोब्लम कम हो जायेगी। सरकार को इन करों से जितना पैसा प्राप्त होता था, उतना ही इनको वसूल करने में और इस्टैब्लिशमैंट पर खर्च हो जाता था। सर-कार इस ओर काफी समय से प्रयत्नशील है, जो स्वागत योग्य कदम है।

यहां पर कौटन के सम्बन्ध में कई वक्ताओं ने अपने-अपने विचार रखे, मैं भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसा देखने में आया है कि जितने कौटन के ट्रेडीशनल ग्रोअर्स हैं, जो काफी समय से कौटन पैदा करते आ रहे हैं, आज वे दूसरी फसलों की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं। सरकार को इसके मूल में जाकर, मूल समस्या के निदान की कोशिश करनी चाहिए। राजस्थान में इंदिरा कैनाल के फर्स्ट फेस में जो एरिया आता है, वहां पहले बहुत ज्यादा कौटन पैदा होती थी लेकिन आज वहां स्थिति बिल्कुल उलट है। वहां का एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट इरीगेशन डिपार्टमैंट की ओर देखता है और इरीगेशन डिपार्टमैंट किसी दूसरी ओर। उन विभागों में आज किसी तरह का कोआर्डिनेशन नहीं है। इसके साथ-साथ वहां सीपेज या वाटर लैगिंग की प्रोब्लम है। इन कारणों से उस क्षेत्र से कौटन की खेती समाप्त सी होती जा रही है। सरकार को इसके मूल कारणों का पता लगा कर उसका समाधान करना चाहिये।

जहां सरकार ने सैस हटाकर अच्छा काम किया है, परन्तु सैस का फायदा मिल-मालिकों को होगा, किसान को नहीं होगा। यदि देश के किसान को मजबूत बनाया जा सके तो हमारा देश मजबूत होगा। आज स्थिति यह है कि जिस वक्त कौटन ग्रोअर्स बीज की तलाश में निकलते हैं तो उचित समय पर उनको बीज उपलब्ध नहीं होता। यदि कभी समय पर उपलब्ध हो भी गया तो वह बहुत हल्का-फुल्का होता है और लाचार होकर उसे वही बीज बोना पड़ता है। कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि नेशनल सीड कार्पोरेशन का बीज भी बहुत निम्न दर्जे का निकलता है और शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती। मेरे पास एक ऐसा उदाहरण भी है जहां

कौटन का बीज पानी में बदल गया। जब उसकी शिकायत की गई तो शिकायत करने वाले दफ्तरों के चक्कर काटते रहे परन्तु उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिये मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि कृषि विभाग को सीधे कौटन ग्रोअर्स किसानों की भलाई के लिये कुछ न कुछ काम करना चाहिये ताकि उनको उन्नत बीज समय पर मिल सके। उसके लिये किसान को ज्यादा देर तक इन्तजार न करना पड़े। जिस वक्त बुआई का समय हो उसी वक्त उसे बीज उपलब्ध करवाया जाए, तभी जाकर किसान कुछ राहत की सांस ले सकेंगे। इसके अलावा उनके सामने मार्केटिंग की भी प्रौब्लम है। मार्केटिंग में काफी दिक्कतें आती हैं। जब उसकी खेती बाजार में आने लगती है तब जाकर सरकार कौटन के दाम निश्चित करती है। सरकार को चाहिए कि बुआई के वक्त ही कौटन के दाम निश्चित किए जायें ताकि किसान अपनी उपज के बारे में आशान्वित हो जाए ताकि किसान अपनी उपज के बारे में इस बात के लिए आशान्वित हो जाये कि उसे इसका अच्छा पैसा मिलेगा। आज कौटन ग्रोअर की इकनामिक पोजीशन देखिए तो दूसरे किसानों से उसकी स्थिति कमजोर है। मिडिल मैन उसे ठगता रहता है। सरकार को चाहिए कि सरकार खुद उसकी उपज की खरीद का इन्तजाम अपने हाथ में ले और काटन के विकास पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करके किसानों की स्थिति को मजबूत करे। आज काफी लोग कपास की खेती छोड़ते जा रहे हैं, जिसको हमें रोकना होगा।

इसी प्रकार खोपरे पर जो 5 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपकर लगाया जाता था, 70 लाख रुपया प्रतिवर्ष इससे वसूल किया जाता था, उसको भी सरकार ने खत्म करके अच्छा कार्य किया है इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नारियल विकास बोर्ड, जिस पर यह रकम खर्च की जाती थी, उसके वर्किंग में कहीं कोई कमी न रह जाए। नारियल विकास बोर्ड, कोकोनेट विकास बोर्ड ने काफी अच्छा काम किया है। साउथ की 4, 5 स्टेट्स में नारियल की खेती के लिए किसानों में काफी जागृति पैदा की है। इसने किसानों को तकनीकी ज्ञान और उन्नत बीज भी वक्त-वक्त पर उपलब्ध कराए हैं और मार्केटिंग में भी काफी सुविधा दी है। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि इस उपकर को हटाने से नारियल विकास के कार्यों पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े, इस बात का आश्वासन मंत्री महोदय को देना चाहिए। उचित ढंग से इस पर काम होता रहे तथा समुचित धनराशि इस बोर्ड के लिए बजट के मार्फत उपलब्ध कराई जाए, यह देखने की बात है।

इसी प्रकार वनस्पति तेल उपकर भी खत्म किया गया है, यह भी स्वागत योग्य कदम है। इससे 7 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष इकट्ठा होता था जो राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास पर भी खर्च किया जाता था। इस बोर्ड के द्वारा पशुओं के उत्पादकों की भलाई के जो कार्य किए जाते थे, वह लगातार किए जाने चाहियें। आज देखने को यही मिलता है कि देशी खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति में अन्तर बना हुआ है, काफी मात्रा में तेलों का इम्पोर्ट करना पड़ता है। यहां के भाव भी बराबर बरकरार रहने चाहियें। तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार को भरपूर प्रयत्न करना चाहिए तथा तिलहन उत्पादकों को हर तरह से मदद देनी चाहिए। लोन, फर्टिलाइजर और सब सीडी की मार्फत उनको प्रोत्साहन देना चाहिये, तभी हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे।

[श्री शांति धारीवाल]

जैसाकि एडिबल आयल्स के बारे में देखने को मिलता है, तिलहन का प्राइस इन्डैक्स जनवरी 1986 में 299.6 था, वह जनवरी, 1987 में 408.2 हो गया। इस प्रकार से जो परसैंटेज आफ वैरिएशन है, वह जनवरी 1986 और 87 के बीच 36.2 हो गया। यह एक शोचनीय विषय है। अगर तिलहन में भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते तो किस बात में आत्म-निर्भर होंगे ? इसलिए खासकर इन बातों पर ध्यान देना चाहिये कि जिन स्टेट्स में तिलहन का उत्पादन होता है, जहां के किसान तिलहन पर ही अपनी आर्थिक स्थिति जमाये हुये हैं, उनको हर तरह की मदद दी जाए, इसको टाप-प्रायर्टी समझकर मदद दी जाये। इस प्रकार के बोर्ड की वर्किंग को देखना चाहिये कि वाकई इन्होंने किसानों की मदद की है या नहीं, किसानों में जागृति लाई है या नहीं, या उन्नत बीज उनको उपलब्ध कराया गया है या नहीं, या अन्य सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई गई हैं या नहीं ? अगर नहीं कराई गई हों तो इन बोर्डों को एबालिश कर देना ही अच्छा है और कोई न कोई दूसरी व्यवस्था उन किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिये और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें देखनी चाहिये।

[अनुवाद]

श्री कादम्बुर जनार्दन (तिरुनेलवली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। उपकर की समाप्ति से किसानों को कोई लाभ हो या न हो, पर इससे व्यापार तथा उद्योगों में लोगों को लाभ होगा तथा वस्तुओं को लाने ले जाने में भी मदद मिलेगी।

कपास के सम्बन्ध में हमें यह मानना होगा कि तमिलनाडू तथा अन्य स्थानों पर बिनौले के तेल के हो रहे व्यापक प्रयोग के कारण मूंगफली का उत्पादन कम होने के बावजूद भी, हम स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं।

इसलिए, यदि सरकार की भावना वास्तव में कपास पैदा करने वालों की दशा सुधारने की है तो उन्हें उन्हीं के बारे में सोचना चाहिए। पहले केवल कपास के रेशे का ही सट्टा होता था, परन्तु, अब बाजार में कपास के रेशे और बिनौले दोनों का सट्टा होता है। पिछले वर्ष कपास का मूल्य 400 रुपये से 415 रुपये तक था। उस समय बिनौले की कीमत 300 रुपये थी; परन्तु इस वर्ष कम फसल होने के कारण कपास की कीमत 600 रुपये से 700 रुपये तक हो गई परन्तु बिनौले की कीमत वही 300 रुपये से 330 रुपये तक है। ऐसा सितम्बर-अक्तूबर में कपास का समर्थन मूल्य निर्धारित करने की हमारी नीति के कारण होता है।

कपास की फसल का निरीक्षण अधिक आवश्यक है। फसल का अनुमान कपास की फसल का निरीक्षण कर लेने के बाद ही लगाया जाना चाहिए। परन्तु मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में फसल का अनुमान बुआई के समय केवल एकड़ के हिसाब से लगाया जाता है। यह एक गलत प्रक्रिया है जिससे हमेशा दिसम्बर-जनवरी के महीनों में सट्टा व्यापार को बढ़ावा मिलता है। स्वाभाविक ही है कि इस वर्ष आधार-भूत मूल्य 530 रुपये है जबकि

बाजार भाव कम से कम कीमत 650 रुपये है। इसलिए व्यापारी तथा उद्योगपति अधिक कपास खरीद रहे हैं जबकि भारतीय कपास निगम तथा संघ वाले लोग उसी मूल्य पर कपास खरीदने के लिए मजबूर हैं। इसलिए कपास के आधारभूत मूल्य का निर्धारण, विशेषतौर पर यदि यह नारियल तथा अन्य चीजों के लिए नहीं है, फसल का निरीक्षण हो जाने के बाद ही किया जाना चाहिए। 1960 तक यह तरीका अपनाया गया था। परन्तु मैं नहीं जानता कि अब यह तरीका क्यों नहीं अपनाया जाता है। इसके लिए, जहां तक कपास बोर्ड का सम्बन्ध है, इसका प्रतिनिधित्व तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब तथा कर्नाटक द्वारा किया जाना चाहिए इन राज्यों में ही वास्तव में कपास की खेती की जाती है तथा केवल उन किसानों को ही बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए; केवल उन किसानों द्वारा गठित बोर्ड को ही दौरा करना चाहिए तथा फसल का निरीक्षण करना चाहिए और फिर फसल का अनुमान लगाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो ही यह एक उपयोगी बोर्ड होगा। अन्यथा, दूसरों की सहायता करने का नाम ही होगा तथा यह किसी को भी सहायता नहीं कर पायेगा।

बीजों की किस्म के सम्बन्ध में, जैसाकि एक सदस्य महोदय ने जिक्र किया था, मिस्र तथा सूडान में बोने के लिए बीज सरकारी विभागों से ही दिए जा रहे हैं; परन्तु केवल हमारे देश में ही हर व्यक्ति द्वारा बीज खरीदे जाते हैं। इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए तथा सरकारी विभागों के जरिए कपास उत्पादकों को दोष मुक्त बीज दिए जाने चाहिए। कपास उत्पादकों के कल्याण के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

आज हमारे देश में 80% बिनौले के तेल का इस्तेमाल किया जाता है तथा अधिकतर मद्रास में जब हम होटलों में तैयार माल को देखते हैं तो पाते हैं कि वे मूंगफली के तेल का इस्तेमाल नहीं करते, वे बिनौले के तेल के सिवाय किसी भी तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं; देश में इसका प्रयोग सामान्यतया होने लगा है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस ओर अधिक ध्यान दें और देखें कि कम से कम 1990 तक किसानों को बीज बेचने वाले सभी गैर-सरकारी लोगों की दुकानों को बन्द कर दिया जाना चाहिए तथा किसानों को बोने के लिए बीज पूर्णतया सरकारी विभागों द्वारा ही प्रदान किए जाने चाहिए। तब केवल फसल में ही सुधार नहीं लाया जा सकेगा परन्तु फसल की निश्चितता का भी अनुमान लगाया जा सकता है।

मेरे गांव कादम्बुर में भारतीय कपास निगम के खरीद केन्द्रों को बन्द कर दिया गया है। यह क्षेत्र 100 वर्ष पुराना है। जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, वहां कपास निगम से कार्यकरण का यह अध्ययन है। अत: मैं आपके जरिए माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह यह देखें कि वे कपास केवल वास्तविक कपास विक्रय केन्द्रों से ही खरीदें।

*श्री जी० एस० बसवराजु (टुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कपास, खोपरा तथा वनस्पति तेल उपकर (उत्पादन) विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा हमारे माननीय कृषि मन्त्री के विचारार्थ कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

*मूलत: कन्नड़ में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री जी०एस० बसवराजु]

कपास नारियल तथा वनस्पति तेलों के उत्पादकों पर उनके उत्पादन का कम मूल्य मिलने के कारण असर पड़ा है। खाद्य तेलों के आयात से भी किसान हतोत्साहित हुए हैं। इन समस्या के साथ ही भारी उपकर का भार है ऐसी परिस्थिति में हमारे मन्त्री महोदय ने यह उपकर उत्सादन विधेयक प्रस्तुत किया है जिससे कपास, खोपरा तथा वनस्पति तेल के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को बहुत राहत मिली है।

हमारे एक बुजुर्ग साथी श्री व्यास जी ने नारियल बोर्ड तथा अन्य बोर्डों को सफेद हाथी की संज्ञा दी है। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि ये बोर्ड ही उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु कठिन परिश्रम कर रहे हैं।

मसालों, कपास तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता जा रहा है परन्तु दुर्भाग्यवश उत्पादकों को अच्छी कीमतें नहीं मिल रही हैं। हमारे वयोवृद्ध नेता प्रो० एन० जी० रंगा हमारे किसानों के कल्याण में गहरी दिलचस्पी लेते हैं। वह अच्छी तरह जानते हैं कि किसानों को जो कीमतें मिल रही हैं वे संतोषजनक नहीं हैं। उत्पादकों को लाभकर कीमतें नहीं मिल रही हैं। दुर्भाग्यवश करोड़ों रुपये के खाद्य तेलों का आयात किया जा रहा है। यदि हमारे किसानों को सुविधाएं प्रदान की जाएं तो हम खाद्य तेलों में भी आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सकते हैं। कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से घाटप्रभा मालाप्रभा, अपर कृष्णा तथा अन्य अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सहायता का अनुरोध किया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से लाखों एकड़ भूमि पर तिलहन की खेती करने में किसानों को सहायता मिलेगी। इस तरह हमें 1000 से 1100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है।

महोदय, मैं नारियल बोर्ड का उपसभापति हूं और मैं बोर्ड की कठिनाइयों से पूरी तरह अवगत हूं। उसे पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती है। सातवीं योजना अवधि में केवल 6 करोड़ रुपये आबंटित किए गए है। कभी-कभी तो बोर्ड को अपने कर्मचारियों को वेतन देने में कठिनाई आती है। हमारे पास कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु उड़ीसा राज्य के विस्तृत क्षेत्रों में तिलहन खेती की कई योजनायें है। लेकिन नारियल बोर्ड के पास पर्याप्त धन नहीं है। इसे अधिक से अधिक वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए जैसी कि मसाला बोर्ड और इलायची बोर्ड को मिलती है। नारियल बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के पास कोई अधिकार नहीं हैं। यहां तक कि 200 रुपये की छोटी सी राशि खर्च करने के लिए बोर्ड को केन्द्र के कृषि विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। इसलिए मैं माननीय कृषि मंत्री से नारियल बोर्ड अधिनियम में शीघ्र उपयुक्त संशोधन करने का अनुरोध करता हूं।

केरल राज्य में 25 प्रतिशत से भी अधिक नारियल के वृक्ष, जड़े सूख जाने की बीमारी से प्रभावित हैं। ऐसी बीमारियों को आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके रोकना चाहिए। कसार गोड में इस प्रकार की बीमारियों को रोकने के लिए एक अनुसंधान केन्द्र है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हमें इन बीमारियों पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए कुछ अधिक ठोस कदम उठाने चाहिए।

नारियल बोर्ड को उचित ढंग से कार्य कर सकने के लिए लगभग 80 करोड़ रुपये की राशि अपर्याप्त है। अगर आप नारियल के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक योजना काल के लिए 25 से 35 करोड़ रुपया आबंटित करने होंगे, जैसा कि इलायची बोर्ड और काफी बोर्ड को आबंटित किये जा रहे हैं।

मैं मंत्री जी से औद्योगिक तेल के आयात को शीघ्र रोकने का अनुरोध करता हूं। जब तक नारियल के तेल का आयात रोका नहीं जाता, तब तक नारियल उत्पादकों को कोई राहत नहीं मिल सकती। अगर आप नारियल के तेल का आयात करते हैं तो उससे केवल व्यापारियों को लाभ मिलेगा, न कि उत्पादकों को।

मैं आशा करता हूं कि कृषि मंत्री जी माननीय वाणिज्य मंत्री से सलाह करेंगे और आगे से तेलों के आयात को तत्काल रोकने की आवश्यकता से मनवा लेंगे।

महोदय मुझे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी द्वारा जो बिल लाया गया है, उसका कोई औचित्य नहीं था। औचित्य इसलिए नहीं था, क्योंकि आप 28 तारीख को बजट पेश करने जा रहे हैं और 24 तारीख को आप यह बिल लाए हैं। यह कैसी बिडम्बना हैं। जब लोकसभा को नोटिस आता है, तब आप अध्यादेश भी ले आते हैं जो नियमों के विरूद्ध होता है।

वनस्पति तेल उपकर अधिनियम, 1983, यह बिल आप तीन-चार बार लेकर आए हैं। इस बिल के जरिए आप 8 करोड़ 34 लाख रुपए का राजस्व छोड़ रहे हैं या छूट दे रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की शंका है कि जो रुपया आप छोड़ रहे हैं, इसका फायदा जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस पर हमको विश्वास नहीं होता है। मेरा ख्याल है कि इसका फायदा इन लोगों को न मिलकर घूम-फिर कर उन्हीं बड़े लोगों और मिल-मालिकों के पास चला जाएगा। जब आप मूल्य निर्धारित नहीं करते है, तो क्या कपास का मूल्य बढ़ेगा या नहीं? वनस्पति तेल में भी आप सात करोड़ रुपए छोड़ रहे हैं, तो इस सात करोड़ रुपए का लाभ किसको मिलेगा? वनस्पति तेल के दाम रोज ब-रोज बढ़ते जा रहे हैं, जब तक आप इस पर अंकुश नहीं लगायेंगे, तब तक इसका फायदा आम लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात पर आपको गौर करना चाहिए।

दूसरी बात आप ऐसे विभाग के मंत्री हैं, जिस पर 75 प्रतिशत ग्रामीण जनता निर्भर करती है। हमारे देश में कुछ एसे राज्य हैं, जहां भिन्न-भिन्न प्रकार की चीजें पैदा होती हैं। मान लीजिए—एक राज्य में नारियल की खेती होती है, उससे अधिक लोग फायदा उठाते है और अपना जीवन-यापन करते हैं। नारियल के विकास के लिए आपने विकास बोर्ड बनाया है। मैं पेपर्स लेड आन टेबल कमेटी का मेम्बर हूं। उसके माध्यम से कोचिन और त्रिवेन्द्रम जाने का मौका मिला। वहां मैंने देखा कि 20-25 हैक्टेयर जमीन में नारियल की खेती है, लेकिन वहां सब के सब पौधों

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

में बीमारी है। आपने विकास बोर्ड बनाया है, उसमें बड़े-बड़े लोग मौजूद हैं, बड़े-बड़े आफिसर मौजूद हैं, डाक्टर मौजूद है। वहां मैंने पूछा— क्या इन पौधों को बचाया जा सकता है या नहीं? क्या इसके लिए कोई दवा निकाली है या नहीं? उन लोगो ने कहा— इसके लिए कोई दवा नहीं है। उन्होने यह भी कहा कि हम उन्नत किस्म की पौध तैयार कर रहे हैं। मैंने कहा— उन्नत किस्म की पौध से क्या होगा अगर यह बीमारी मौजूद रहेगी। सबसे बड़ी चीज तो पौधों के संरक्षण की है, जोकि आप नहीं कर पा रहे हैं। इससे वहां के किसानों की हालत बहुत ही खराब है।

यह बात सही है कि आप जो तेल बाहर से खरीदते हैं, उसमें आप को 1200, 1600 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। यह जो तेल आप बाहर से मंगाते हैं, यहां पर तिलहन की खेती करा कर, इस को बन्द कर सकते हैं लेकिन तिलहन पैदा करने वालों को आप कोई प्रोत्साहन नहीं देते हैं। कुछ ऐसी खेती हैं जहां पर खास तिलहन की खेती कराई जा सकती हैं।

इसलिए मेरा कहना यह है कि बाहर से जो आप तेल मंगाते हैं, तो इस पर आप को गौर करना चाहिए। आप को इस बात पर गौर करना चाहिए, क्योंकि आप इस देश को चला रहे हैं अगर तेल का उत्पादन यहां पर किया जाए और इससे जितने करोड़ रुपये का तेल आप बाहर से मंगाते हैं, उसको बन्द करें। उस का फायदा यहां देश को मिलेगा और वह पैसा देश के विकास के काम में लगाया जा सकता है। यह बात आप क्यों नहीं सोच पाते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां के किसानों को आप ने देख लिया है कि चाहे बिहार का किसान हो और चाहे हरियाणा और पंजाब और दूसरी जगह का किसान हो, उसने देश को अन्न के मामले में स्वावलंबी बना दिया। तेल के मामले में भी किसान देश को स्वावलंबी बना सकता है।

किसानों की फसलों की लाभकर मूल्यों की बात कही जाती है। लाभकर मूल्य हम उस को मानते है कि किसान अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को, जिन पर वह निर्भर करता है, अपने उत्पादन के मूल्य से खरीद सके। 40 किलो चावल का मूल्य अगर 150 रुपये मिलता है, तो किसान जो दूसरी वस्तुएं खरीदने में ज्यादा दाम देना पड़ता है। आज उसको उतने चावलों में 2 बोरी सीमेंट ही मिलता है जबकि आज से 20 वर्ष पहले, जबकि चावल का मूल्य 35 रुपये प्रति मन था, वह 4 बोरी सीमेंट खरीद सकता था। इसलिए मेरा कहना यह है कि किसान की उपज का मूल्य, किसान की जो आवश्यकता वाली चीजें हैं, उनके मूल्य के आधार पर तय होना चाहिए। किसान की आवश्यकता वाली चीजों और उस की पैदावार, दोनों को मिला कर ही मूल्य तय होने चाहिए। उसी को हम लाभकर मूल्य कहते हैं। अभी जो हमारी नीति है, वह किसानों को कंगाल बनाने वाली नीति है।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल पेश किया गया है, इससे किसानों को लाभ नहीं होगा मगर कपास के कुछ ज्यादा दाम मिल जाएगें। किसान की कपास के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं। आप जो किसानों की कपास के मूल्य निर्धारित करते हैं, तो आप कहते हैं कि मिनीमम सपोर्ट प्राइस देगें। हम मिनीमम सपोर्ट प्राइस नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं किसानों को लाभदायक, रेम्यूनरेटिव प्राइस मिले। आप रेम्यूनरेटिव प्राइस डेक्लेयर क्यों नहीं करते हैं ताकि उन को लाभ मिले। आप कन्जूमर को दृष्टि में रखते हुए कपास का मूल्य निर्धारित करते हैं। उसको मिनीमम सपोर्ट प्राइस नहीं बल्कि मिनीमम रेम्यूनरेटिव प्राइस चाहिए। आज किसान को आपके सामने भीख मांगनी पड़ती है। अब किसान भीख मांगने के लिए तैयार नहीं है। **रेम्यूनरेटिव प्राइस इज डिफ्रेन्ट फ्राम दि मिनीमम सपोर्ट प्राइस**। इस साल कपास के भाव कुछ ज्यादा हो गये हैं, पिछले वर्ष से ज्यादा हो गये हैं. 100, 200 रुपये क्विंटल बढ़ गये हैं लेकिन उस को रेम्यूनरेटिव प्राइस चाहिए और वह कम से कम 1 हजार रुपये पर क्विंटल होनी चाहिए। आज हम क्या देखते हैं कि कपास का दाम तो कम हो जाता है लेकिन कपड़े का दाम या तो स्थिर रहता है या बढ़ जाता है। आप बताइये इसका क्या कारण है ?

उसी प्रकार से ग्राऊंडनट का दाम जब 4 सौ रुपये, 5 सौ रुपये क्वींटल मिलता था तो तेल का दाम 25 रुपये पर के० जी० था। अब ग्राऊंडनट का दाम 3 सौ रुपये 4 सौ रुपये क्विंटल हो गया है तब भी तेल का दाम वही 25 रुपये के० जी० है। एकदम से तेल के भावों में दस रुपये के० जी० की बढ़ोतरी क्यों हुई थी ? किसान जिस चीज को रात-दिन मेहनत करके पैदा करता है उसके काम में आप रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। आन्ध्र का ग्राऊंडनट बैंगलोर में नहीं जा सकता है। एक स्टेट का ग्राऊंडनट दूसरी स्टेट में नहीं जा सकता है। ग्राऊंडनट से निकला हुआ आयलसीड किसान दूसरी जगह, दूसरी स्टेट में नहीं बेच सकता है। इसका क्या कारण है ? इसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : बैंगलोर में बेचेगा तो प्राइस अच्छा मिलेगा।

श्री सी० जंगा रेड्डी : प्राइस अच्छा मिलेगा, इसीलिए उसको बेचने नहीं देते है । मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में किसान को क्यों पीसा जा रहा है ? केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने अपने-अपने कानून लागू किये हुए हैं। आप कांस्टीच्युशन में अमैंडमेंट कीजिए। फूड स्टेट का विषय है । मगर दोनों के बीच पैडी की वही हालत है। एफ० सी० आई० वाले कहते हैं कि हमको 14 लाख क्विंटल राईस की जरूरत है। लेकिन हमारी सरकार कहती है कि हम 26 क्विंटल लेवी लेते हैं। इससे किसान का नुकसान होता है। आप क्यों नहीं किसान को दूसरी जगह पैडी बेचने देते हैं ? आज पैडी एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकती है। किसान अगर दूसरे जिले में धान का भाव ज्यादा है तो वहां जा कर नहीं बेच सकता है। एक तरफ एफ० सी० आई० की रेस्ट्रिक्शंस और दूसरी

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

तरफ कम्प्रोमाईज्ड प्राइस पर राज्य सरकार को देना पड़ता है। इसीलिए आज किसानों को दोनों के बीच में पिसना पड़ता है।

आयलसीड किसान दूसरी स्टेट में नहीं बेच सकता है। अगर ग्राऊंडनट का भाव महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या उड़ीसा में ज्यादा है तो वहां पर बेचने के लिए रेस्ट्रिकशंन है। ये रेस्ट्रिकशंस क्यों है? बम्बई का क्लाथ हैदराबाद आ सकता है मगर हैदराबाद का आयलसीड बम्बई नहीं आ सकता है। ये रेस्ट्रिक्शंस आपको हटानी होंगी। क्या कारण है कि इंडस्ट्रियल गुडस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मगर किसान जो दिन-रात काम करता है, बारिस के भरोसे पर रहता है, सूरज के भरोसे पर रहता है, दिन-रात मेहनत करके अपना खेत जोतता है, फिर भी उसको रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिलती है? उसको उसकी उपज का जितना दाम मिलना चाहिए, उतना दाम नहीं मिलता है।

मेरे मित्र ने कहा कि कपास से तेल निकलता है। लेकिन कपास का वही भाव है। कई-कई जगह पर खाने के लिए तेल निकाल रहे हैं, तेल को रिफाइन कर रहे हैं। लेकिन इसकी आप तुलना कीजिए कि किसान को कपास का क्या मिलता है और जो इंडस्ट्री लगाता है उसको क्या मिलता है। जो इंडस्ट्री लगाता है वह तो अपना बंगलो वगैरह: बना लेता है लेकिन किसान जो कपास पैदा करता है उसका घर और खेत तक नहीं रहता है।

कपास की पैदावार में दो-तीन के बाद में कीड़ा लग जाता है। और कीड़ा लग जाने की वजह से किसान की पर एकड़ उपज नीचे गिर जाती है। पहले पर एकड़ 12 से 15 किवंटल पैदावार होती थी अब 5 किवंटल पैदावार नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है, इसके बारे में आपको अनुसंधान करना होगा। इसके बारे में आपको जल्दी से कोई दवाई मार्किट में लाना होगा।

साथ ही साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि काटन कारपोरेशन आफ इंडिया के जो गोदाम है उनमें आग क्यों लग जाती है? मैंने कई मर्तबा कहा तो कहा कि हमने जांच की है। मैं कहता हूं कि आप मेरे सामने जांच कीजिए। वे खरीदते कम हैं और लिखते ज्यादा हैं। फिर कह देते हैं कि गोदाम में आग लगने से नुकसान हो गया। ये गोदाम इतने क्यों जलते हैं इसकी आप जांच कराइये।

जितने भी किसान की पैदावार के लिए, उत्पादन के लिए बोर्ड हैं, वे आपके कंट्रोल में रहने चाहिएं, यही मुझे आपसे कहना है।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : कपड़ा मिल, वनस्पति तेल मिल तथा कोपरा मिल आदि के मालिक विभिन्न उप कर अदा करते हैं। लेकिन इस संशोधन के कारण उच्च तथा मध्यम वर्गों द्वारा उपकर के रूप में अदा की गई छोटी-सी राशि रद्द हो गई है। अब तक प्राप्त इस उपकर का उद्देश्य कपास उत्पादकों तथा उनकी उपज के विक्रय का संवर्धन करना है। इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या आप बजट में जो कि शीघ्र ही संसद में प्रस्तुत किया जाने वाला है कुछ दे रहे हैं अथवा नहीं, क्योंकि उपकर अनेक तरह के हैं। यह अज्ञात है कि इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि आबंटित की जायेगी और इसका कैसे उपयोग किया जायेगा, मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस मुद्दे को अपना उत्तर देते समय स्पष्ट करेंगे। महोदय, कपड़ा मालिक, कर के रूप में केवल एक रुपये का भुगतान कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है विभिन्न स्तरों पर 74 लाख रुपये का प्रश्न है। मैं सदन में बताना चाहूंगा कि थोड़ा उपकर लगाये जाने की कपड़ा नीति के कारण, इस समय पूरे देश में कपास उत्पादक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मिल मालिक केवल एक रुपये का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि वे कितना कमाते हैं। यह उचित समय है जब सरकार को इस ज्वलंत प्रश्न पर विचार करना चाहिए था। पिछले वर्ष लगभग 1300 करोड़ रुपये के मूल्य का सूती कपड़ा और बने बनाये सूती वस्त्र निर्यात किए गये हैं और मिल मालिकों ने काफी धन कमाया है और इसके अतिरिक्त आप उन निर्यातकों को प्रति वस्त्र दस रुपये की राज-सहायता देते हो। एक वस्त्र के लिए वह बहुत अधिक है क्योंकि उसकी कीमत मुश्किल से 30 रुपये होती है और उसमें 20 रुपए का सूती कपड़ा लगा होता है। तो, कपास उत्पादकों का उसमें कितना हिस्सा है? उनको इस राशि में से दो या तीन रुपये भी प्राप्त नहीं होते हैं। वह व्यक्ति जो निर्यात कर रहा है अधिक हिस्सा प्राप्त करता है और इसके ऊपर सरकार उसे राज-सहायता दे रही है। इससलिए महोदय कपास उत्पादकों को दो या तीन रुपये की तुच्छ राशि के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है।

2.57 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

दर्जी जो वस्त्र की सिलाई करता है उसे भी ज्यादा नहीं मिलता। उसे वस्त्र सिलाई के लिए तीन या चार रुपये प्राप्त हो रहे हैं।

महोदय, इस वर्ष लगभग एक करोड़ कपास की गांठों का उत्पादन हुआ है। इसमें से 90 लाख गांठें देश की आवश्यकता के लिए है। सरकार 15 लाख गांठों का निर्यात करने की अनुमति क्यों नहीं देती है। महाराष्ट्र इससे बहुत अधिक प्रभावित है। अब, जबकि उप कर आदि कम हो गये है, फिर भी कपास उत्पादकों को अच्छा मूल्य देने की नीति उनके लिए बिल्कुल भी सहायक नहीं है लेकिन कपड़ा मिल मालिकों को दी गई रियायत उनके लिए लाभदायक है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या ज्यादा आर्टिफिशियल फाइबर यूज नहीं हो रहा है ? इस बारे में भी कुछ बताइये ।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामन्त : हाँ जी, मैं माननीय मंत्री को बता रहा हूं कि कपड़ा नीति के अनुसार आयात शुल्क में कमी करके 31 करोड़ रुपय की रियायत दी गई है और इस रियायत के कारण देश में कपास की मांग बहुत कम रह गई है । कम दर से कपास खरीद कर तथा रूस और अमेरिका जैसे देशों को जहाँ सूती कपड़ा और सूती वस्त्र की बहुत अधिक माँग है, निर्यात करके, बम्बई की बिरला टैक्सटाइल और सैंचुरी मिल ने अधिकतम लाभ कमाया है। वे बहुत अधिक धन कमा रहे हैं और इसके अतिरिक्त आप उन्हें निर्यात शुल्क में छूट दे रहे हैं। लेकिन कपास उत्पादक और श्रमिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सिद्धान्त बिल्कुल ठीक है कि उप कर की विविधता हटा दी गई है। इसे आप आगामी बजट में शामिल कर रहे, जो चार दिन बाद सदन में प्रस्तुत किया जायेगा । फिर भी आप यह सुझाव दे रहे हैं और कहते रहे हैं कि यह कपास उत्पादकों के लिए अच्छी है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ करो न ।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामन्त : मंत्री जी ने इस बोर्ड और खरीद प्रणाली तथा अन्य बातों के बारे में उल्लेख नहीं किया है । वे सब लोग भ्रष्ट हैं । किसानों को कभी कुछ नहीं मिलता । महाराष्ट्र में किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । वे आन्दोलन कर रहे हैं । उत्पादक और श्रमिक बुरी तरह प्रभावित हैं और यहाँ दी गई तुच्छ रियायतें और सुझाव मुझे स्वीकृत नहीं है । सरकार को कुछ सकारात्मक उपाय करने चाहिए जिससे श्रमिकों और किसानों को लाभ प्राप्त हो सके । लेकिन वर्तमान नीति में, आप ये सभी रियायतें कपड़ा मालिकों को दे रहे हैं ।

3.00 म० प०

आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए 750 करोड़ रुपये दिये हैं । आखिर किसलिए ? उन्हीं मालिकों ने जिन्होंने मिलों को बीमार बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है यह लाभ पहुंचाया जा रहा है । कपड़ा मिल मालिकों की वजह से 1500 करोड़ रुपये बीमार मिलों पर खर्च किये गए हैं । यह आंकड़े दिये गये हैं । इन मिल मालिकों की खातिर आप आगामी पाँच वर्षों में आधुनिकीकरण के लिए फिर आप 750 करोड़ रुपये दे रहे हैं और आधुनिकीकरण के लाभ

शहरों में रहने वाले उच्च वर्ग के लोग उठा रहे हैं। इसलिए इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करते हुए ; मैं सरकार की इस प्रकार की नीतियों का दृढ़तापूर्वक विरोध करता हूं और इसलिए इस प्रकार थोड़ा-थोड़ा करके चर्चा करने के बजाय, यह कहते हुए मैं सरकार से अपील करता हूं कि कपड़ा नीति को पुन: बनाने और उस पर पुनः विचार करने का यह उचित समय है। मैं सोचता हूं। वास्तव में इस नीति ने श्रमिकों और किसानों को पूरी तरह बरबाद कर दिया है। आप ऐसे कपड़ा मालिकों को सस्ती कपास देकर उनके हितों को क्यों पूरा कर रहे हैं ? वे सब लेखाजोखों में धोखेबाजी करते हैं, जिससे कोई मदद नहीं मिलेगी। इसलिए मैं सदन के द्वारा खण्डशः विधान बनाये जाने के विरुद्ध हूं।

———

3.02 म० प०

पंजाब की स्थिति के सम्बन्ध में गृह मंत्री द्वारा दिए गये वक्तव्य पर चर्चा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन पंजाब की व्याप्त स्थिति के बारे में गृह मंत्री द्वारा 24 फरवरी,1987 को सभा में दिए गये वक्तव्य पर चर्चा आरम्भ करते हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, गृह मंत्री कहां हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मुझे अफसोस है कि मैं दिखायी नहीं दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह बहुत अधिक श्वेत हैं !

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं मामले को नहीं उठाना चाहता। गृह मंत्री, जिन्होंने वक्तव्य दिया है, उन्हें यहां पर होना चाहिए।

श्री पी० चिदम्बरम : वह राज्य सभा में उत्तर दे रहे हैं। वह यहां पर 10-15 मिनट में आ जायेंगे। दूसरी सभा में भी इस मामले पर वाद-विवाद किया जा रहा है। वह अब बोल रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं प्रसन्न हूं कि वह वरिष्ठ सदस्यों के साथ आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, महोदय, वरिष्ठ सदस्यों के सुझाव पर ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ कहना चाहता था, परन्तु अब नहीं कहूंगा क्योंकि प्रोफेसर कुछ कहने जा रहे हैं। श्री महन्ती आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : महोदय, मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि……

प्रो० मधु दंडवते : आपने सरकारी भेद प्रकट कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : नही, महोदय, मैंने गोपनीय बात नहीं बतायी है। सिर्फ लिफाफे में रखे गये मसले के बारे में बताया गया है ।

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, मैं उन राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं जिन्होंने भारतीय धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखने के लिए अपना जीवन बलिदान किया है को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उन पुलिस कर्मियों जिन्होंने धर्मांधता के विरुद्ध संघर्ष करते हुये अपना जीवन बलिदान कर दिया, को भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धर्मांधता के खिलाफ हमारे संघर्ष में पंजाब के मुख्य मंत्री श्री बरनाला एक नायक के रूप में उभरे हैं। इस सम्बन्ध में दूसरे व्यक्ति प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी हैं, जिनके प्रयासों का परिणाम अब सामने आ रहा है, और अब आप देख रहे हैं कि वहां पर एक अलग ही प्रकार का माहौल है अन्यथा, पंजाब में गृह युद्ध की स्थिति होती…… (व्यवधान) जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो आप इसे शुरुआत कहेंगे अथवा जब धर्म युद्ध का नारा उठाया गया था तो इसे शुरुआत कहेंगे ? इसलिए, शुरुआत की बात छोड़िए, परन्तु मैं भारत के प्रधान मंत्री द्वारा उठाया गया निर्भीक कदम और सहायता देने के लिए उनके द्वारा की गई पहल के लिए उनकी सराहना करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो समय-समय पर राजीव गांधी द्वारा किए गये प्रयासों की आलोचना करती रहती हैं।

महोदय दूसरी बात……(व्यवधान)। क्या आप उत्तर चाहते हैं ?

श्री नारायण चौबे : अपनी बात से अलग मत जाइए।

(व्यवधान)

श्री बृजमोहन महन्ती : जिस बात को लेकर हम लड़ रहे है वह एक क्षेत्रीय मामला नहीं है। यह मामला सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। समूचे देश में हमें धर्मांधता का मुकाबला करना है। यह सिर्फ सिखों की धर्मांधता नहीं है परन्तु यह हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों की धर्मांधता है जिसका हमें मुकाबला करना है। शायद जो संघर्ष यूरोप में 200 या 300 वर्ष पहले चला था,

अब यहाँ पर हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, परन्तु समूचे दक्षिण-पूर्व एशिया और यहां तक कि मिश्र में और विश्व के दूसरे भागों में भी विभिन्न देश इन धर्मांध ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं। यह एक आख्यान है।

महोदय, धर्मांधता रूढ़िवाद से परस्पर जुड़ी हुई है। जो शक्तियां परिवर्तन के खिलाफ हैं वे एक मोड़ देकर राजनीति में धार्मिक रंग देना चाहते हैं और हमें इस बारे में बहुत जागरूक रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसके लिए राष्ट्रीय जन चेतना की आवश्यकता है। इस मामले में संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए जिससे इस पर प्रभाव पड़े। यह देश में उपलब्ध राजनीतिक नेतृत्व पर निर्भर करता है। मेरे विचार में सैनिक दल सम्भव नहीं है कुछ राजनैतिक दल यह सुझाव दे रहे हैं कि पंजाब में फौजी शासन होना चाहिए। मेरा उत्तर यह होगा कि, समस्या के समाधान के लिए यह सही उपाय नहीं है। इसके लिए समूचे देश में धर्मांधता के विरुद्ध जन आन्दोलन चलाने की आवश्यकता है और यह प्रवृति पंजाब के मुख्यमंत्री के कार्य से प्रकट होती है और इसे जारी रखा जाना चाहिए। मुझे इस बात से प्रसन्नता होती है कि समस्त देश में राष्ट्रीय जन चेतना का निर्माण करने के लिए गृह मंत्री पहल कर रहे हैं।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि जहां तक सिख धर्म का सम्बन्ध है यह एक क्षेत्रीय धारणा नहीं है। जब महाराजा रणजीत सिंह ने भगवान जगन्नाथ के सामने कोहीनूर हीरा करने की इच्छा व्यक्त की थी तो यह एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण नहीं था। गुरू गोबिन्द सिंह के पांच 'प्यारों' में एक उड़ीसा से तथा दूसरे देश के विभिन्न भागों से आये थे। सिख धर्म अपने आप में एक क्षेत्रीय धारणा नहीं है। यह एक राष्ट्रीय धारणा है और इसीलिए मेरा निवेदन यह है कि समस्त देश में सिख, हिन्दू और मुस्लिम धर्मांधता चाहे यह कहीं भी हो और किसी भी रूप में हों, इसके खिलाफ सिखों, गैर-सिखों और प्रत्येक व्यक्ति में जन चेतना की भावना होनी चाहिए।

अब, जहां तक अकालियों का सम्बन्ध है, इन्होंने हमें तीन प्रकार से मदद दी है। एक बात तो यह है कि वे राष्ट्रीय व लोकतांत्रिक ताकतें और नरमपंथी हैं। उनको नरमपंथी क्यों कहा जाता है? यह इसलिए क्योंकि, उग्रवादी उन्हें ऐसा कहते हैं। वे नरमपंथी इसलिए भी हैं क्योंकि वे राष्ट्रवादी हैं और वे धर्मांधता का विरोध करते हैं। उनको नरमपंथी कहा जाता है और वे इकट्ठे हो गए हैं। आतंकवादी तत्वों द्वारा सारे विश्व में एक प्रचार किया जा रहा है कि पंजाब में अल्प संख्यकों को दबा दिया गया है। इस बात को चुनावों ने रद्द कर दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे हमारी व्यवस्था को और मजबूती मिली है कि जब केन्द्र में कांग्रेस दल सत्ता में हो तो पंजाब में किसी विपक्षी दल का शासन हो। पर यह कोई समस्या नहीं है। यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्ता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अब, बादल, टोहरा, अमरेन्द्र सिंह का दल यह कहता है कि—मैं नहीं जानता कि वे कहां यह बात कहते हैं, वे चैम्बर में कहते हैं—कि वे भी राष्ट्रवादी हैं और वे पंजाब को भारत से अलग करना नहीं चाहते। वे इस देश की एकता और

[श्री बृजमोहन महन्ती]

अखंडता में विश्वास रखते हैं। मेरा यह कहना है कि उनको राष्ट्रवादी बनाने से कौन रोक सकता है? मैं भूत काल में नहीं जाना चाहता। उनको खुले रूप में आगे आना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने पंजाब में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ने-फोड़ने वाली ताकतों के विरुद्ध कार्य करना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे और सारा राष्ट्र इस पर प्रसन्नता जाहिर करेगा। अन्यथा राजनीति में उनका कोई भी स्थान नहीं होगा।

अब, मैं दूसरे पहलू को ले रहा हूं। जहां तक पंजाब में दिन-प्रतिदिन होने वाली घटनाओं का सम्बन्ध है, वहां पर अनेक निर्दोष लोगों की हत्या की गई है और अनेक निर्दोष लोग रोज मारे जा रहे हैं जिसके कारण समूचे देश में असन्तोष व्याप्त है। जहां तक आतंकवाद का संबंध है, यह हमेशा एक लम्बी लड़ाई होती है। इसे रातो-रात खत्म नहीं किया जा सकता। जैसा कि श्री रिबेरो ने स्पष्ट तौर पर कहा है, इसमें समय लगा है और लगेगा। जहां पर भी कभी भी आतंकवाद अथवा धर्मांधता के विरुद्ध लड़ाई हुई है, यह एक लम्बे समय तक चलने वाली प्रक्रिया रही है। परन्तु इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि इसे राजनीति से खत्म करने के लिए सारे देश को श्री रिबेरो, पंजाब के मुख्यमंत्री और देश के प्रधान मंत्री का साथ देना चाहिए।

जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक इस पंजाब की घटना का सम्बन्ध है यह सिर्फ एक राष्ट्रीय घटना ही नहीं है परन्तु इसकी अन्तर्राष्ट्रीय आशय जटिलताएं हैं। मैं यह कहता हूं कि पंजाब के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। मैं कल का समाचार पत्र पढ़ रहा था। एक अमरीकी सेनेटर ने यह आरोप लगाया कि जहां तक पाकिस्तानी सीमा के साथ-साथ हमारे सैनिक अभ्यासों का सम्बन्ध है, यह सिर्फ सिखों को दबाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने बड़ी रोचक अनुरूपता दिखाने की कोशिश की है। खेद की बात है कि भारतीय दूतावास की तरफ से वहां पर कोई भी उपस्थित नहीं था। इसका खंडन किया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में एक और पहलू भी है। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत श्री बारनेस ने कहा है कि जहां तक खालिस्तान आन्दोलन का सम्बन्ध है, यह प्यूरिटो रिको की तरह एक राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन है? क्या यह एक राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन है आप सरबत खालसा प्रस्ताव से अवगत हैं। इसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कुछ अमरीकी सेनेटर भी पंजाब में आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। अगर कोई चाहे तो सरबत खालसा प्रस्ताव में जिनकी प्रशंसा की गई है, उनके मैं नाम बता सकता हूं।

ऐसा प्रतीत होता है कि सी० आई० ए० द्वारा पंजाब के आतंकवादियों को धन और शस्त्र गुप्त रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिए जा रहे हैं। गृहमंत्री को इस मामले की जांच करनी चाहिए।

जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, गृहमंत्री के वक्तव्य में स्पष्ट तौर पर कोई बात नहीं कही गई है क्यों हम पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध सुधारना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या पाकिस्तान पंजाब में आतंकवाद समाप्त करने के लिए वास्तव में सहायता का हाथ बढ़ा रहा है ? माफ करना, मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि वह ऐसा कभी भी नहीं करता। इसी माह, ढाका सम्मेलन में, पाकिस्तान सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए ले० जनरल अकरम खान ने यह घोषणा की कि पाकिस्तान के भारत के साथ विशेष सम्बन्ध हैं। वह विशेष सम्बन्ध क्या हैं ? इसका अर्थ है भारत के प्रभुत्व को इस क्षेत्र में विफल बनाने का प्रयास करना तथा भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करना। इस प्रकार का विशेष सम्बन्ध उन्होंने हाल ही में बताया है। मेरे विचार में यह 15 दिन पहले की बात है। स्वभावतः इसका क्या तात्पर्य है ? क्या इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान अपना मदद का हाथ हमारी तरफ बढ़ाएगा ?

इसके अतिरिक्त एक और पहलू भी है। पाकिस्तान सिख आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है। यह बात सर्व विदित है। अब, पाकिस्तान के सैनिक शासन ने भारत का दौरा किया है। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हमारे सामने एक मुश्त समझौता पेश किया। परन्तु मेरा कथन यह है कि समझौता और इसके अन्दर कुछ भी हो सकता है परन्तु यह लागू कभी भी नहीं होगा। पाकिस्तान का एकमात्र उद्देश्य भारत को कमजोर करना, हराना और यह देखना है कि भारत विभाजित हो जाये। वह इस बात को भूल जाता है कि खुद पाकिस्तान में अलगाववादी और विभाजनकारी ताकतें मौजूद हैं। कराची उपद्रवों का ही उदाहरण लीजिए। हाल ही में कराची में हुई एक ही घटना के दौरान मरने वालों की संख्या पंजाब में पिछले दो साल में मारे गए लोगों की संख्या के लगभग बराबर है। उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को भारत के साथ समझौता करना चाहिए और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सहयोग करना चाहिए। आतंकवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृति के रूप में उभर रहा है। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सभी को आपसी सहयोग द्वारा और मिल कर कार्य करना चाहिए।

अब मैं एक और पहलू को लेना चाहता हूं। जहां तक गृहमंत्री के वक्तव्य का सम्बन्ध है, मैं उनका ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आतंकवादियों से कुछ दस्तावेज पकड़े गए हैं। आतंकवादियों का क्या इरादा है ? वे इसका परिचालन कैसे करना चाहते हैं ? प्रमुख आतंकवादियों से पकड़े गए कुछ दस्तावेजों से यह पता चलता है कि आतंकवादियों की एक व्यापक योजना और नीति थी। दस्तावेजों से यह पता चला कि उनकी दो सिखों को मारने की योजना थी और बाद में उनकी हत्या की जिम्मेदारी शिव सेना और बलिदानी जत्थे के ऊपर डाल देना चाहते थे। दस्तावेज से यह भी पता चलता है कि उनकी योजना निहंगों को मारकर शिव सेना पर उसकी जिम्मेदारी डालने की थी।

उनका एकमात्र उद्देश्य पंजाब में हिन्दू तथा सिखों को अलग-अलग करने का है और उनमें

[श्री बृजमोहन महन्ती]

से कुछ यह स्थिति पैदा करने के कार्य का परिचालन कर रहे हैं। वे पंजाब को विभाजित करने का षड्यन्त्र रच रहे हैं। वे सिर्फ पंजाब में ही सांप्रदायिक विभाजन नहीं चाहते बल्कि समूचे देश में चाहते हैं। इसीलिए, मेरा यह निवेदन है कि गृह मंत्री को इस बारे में बहुत ध्यान देना चाहिए और देश को इस बात के लिए सतर्क कर देना चाहिए कि ऐसे प्रचार को गम्भीरता से नहीं किया जाना चाहिए और हमें आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाने मे एक जुट हो जाना चाहिए।

कुछ सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। इस सम्बन्ध में काफी वाद-विवाद हो चुका है। मैं गृह मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह यह देखें कि जो लोग देश के विभाजन के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार कर रहे हैं, क्या वे देश की नागरिकता के हकदार हैं। मैं यह कहता हूं कि उनकी नागरिकता अभी समाप्त कर देनी चाहिए।

उन्हें एक ओर तो देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध कार्य करने और साथ-साथ देश के नागरिकों के रूप में मिलने वाले सभी अधिकारों का लाभ उठाने की छूट मत दीजिए।

साम्प्रदायिक दलों ने बहुत गड़बड़ की है। उनके द्वारा देश का विभाजन हुआ। इस समय फिर से देश की अखंडता को समाप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। क्या हम उन्हें इस देश में पनपने दें ? हमें सभी साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विचार करना चाहिए जिससे हमारी व्यवस्था का विकास स्वस्थ तथा प्रभावशाली तरीके से हो सके।

समय आ गया है जब सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक स्थानों का राजनैतिक षड्यन्त्रों के लिए और राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग न किया जाए, सकारात्मक कार्य करने चाहिए। ब्लू स्टार के अनुभव हमारे पास हैं। हमने देखा है कि बरनाला सरकार ने आतंकवादियों को कैसे बाहर निकाला। मुझे बताया गया है कि पंजाब के सभी गुरुद्वारे इस समय पुन: आतंकवादियों के नियंत्रण में हैं जहाँ से सभी आतंकवादी गतिविधियां शुरू की जाती हैं। यदि सम्भव हो तो इस मामले की जांच अन्य राजनैतिक दलों के सलाह लेकर करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि धार्मिक स्थानों का प्रयोग राजनैतिक षड्यन्त्र रचने और राजनैतिक गतिविधियां संचालित करने के लिए न हो, निश्चित कदम उठाये जाने चाहिए।

दूसरा पहलू जिसका मैं सुझाव देना चाहता हूं कि शीघ्र राजनयिक स्तर कार्य करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पाकिस्तान या अमेरिका या अन्य कोई विदेशी राष्ट्र आतंकवादियों की गतिविधियों में परोक्ष या अपरोक्ष सहायता नहीं दे, यदि वे हमारे साथ मित्रता और स्नेहपूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं।

जैसा कि, गृह मंत्री ने ठीक ही सूत्रपात किया है, जनमत पैदा करने की प्रक्रिया सम्पूर्ण देश में शीघ्र आरम्भ करनी चाहिए। जनमत जगाने की प्रक्रिया में सभी राजनैतिक दलों का,

चाहे उनसे वैचारिक मतभेद ही क्यों न हों, सहयोग लिया जाना चाहिए। हमें इस प्रश्न पर एकजुट होना चाहिए और धार्मिक कट्टरतावाद और साम्प्रदायिकता के विरुद्ध जनमत जगाने की दिशा में मिलकर कार्य करना चाहिए।

महोदय, कृपया मेरी ओर न देखें, मैं समाप्त कर रहा हूं। बरामत हो रहे हथियारों के बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है कि वे किस देश से आ रहे हैं और किस देश से आतंकवादी इन हथियारों को प्राप्त कर रहे हैं। इसका छानबीन करना चाहिए कि ये किसी देश विशेष की सरकार की मिली भगत से आ रहे हैं या वहां ये चोरी-छिपे आ रहे हैं। राष्ट्र को इस पहलू के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है।

महोदय, क्योंकि आप मेरा साथ देने को तैयार नहीं हैं इसलिए मेरा अन्तिम शब्द होगा कि एकता और अखंडता की भावना सम्पूर्ण देश में प्रत्येक के प्रयासों द्वारा उत्पन्न होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी-अभी आप की ओर देख रहा था क्योंकि मैं आपको दत्तचित्त सुन रहा था।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष होने के नाते आप उसकी नजर में आना चाहते थे।

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रकार भी कहा जा सकता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं पंजाब पर हो रहे वाद-विवाद में, पहली बार मैं ऐसे मौके पर भाग ले रहा हूं जब वहां कोई सकारात्मक परिवर्तन आता दिखाई दे रहा है। इस परिवर्तन के दो मुख्य तत्व हैं। अधिक से अधिक जन सहयोग लेने की दिशा मे बढ़ते हुए प्रयास और दूसरा श्री बरनाला मुख्य मंत्री और उनके दल के अधिकांश सदस्यों द्वारा अपनाया गया साहसिक दृष्टिकोण है।

पहले तत्व के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवादी ताकतों के विरुद्ध जनमानस को सचेत करने का प्रश्न काफी दिनों पुराना है और यह सफलता ऐसी नहीं जो हम इस सम्बन्ध में प्राप्त करना चाहते हैं, वह हमें आवश्यकतानुसार उस सीमा तक मिल चुकी है। अभी तो एक शुरुआत की गई है और सभी राजनैतिक दल देश की एकता और अखंडता के लिए अभियान चलाने हेतु और विघटनकारी शक्तियों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक समझौते पर आए हैं और स्थिति की गम्भीरता को समझते हैं जिससे सारा देश आज मुकाबला कर रहा है।

इस बारे में, मुझे कहना चाहिए कि वे सब जिन्होंने यह समझौता किया है, उन्हें पूर्णतया भाग लेना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके दलों का प्रत्येक सदस्य इस अभियान में सक्रिय भाग लें। वर्तमान स्थिति में मात्र भाषण ही पर्याप्त नहीं है। जनमानस को आतंकवा-

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

दियों से मुकाबला करने हेतु सचेत करने की आवश्यकता है और इसी प्रकार के अभियान उन्हें देने की आवश्यकता है और इस मामले में भी हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। हम अपने दल की ओर से घोषणा करते हैं कि हम उन सबके साथ होंगे जो इस कार्य को करेगा और पंजाब में आतंकवादियों को अलग-अलग करने तथा परास्त करने की कोशिश करेगा।

दूसरी बात मुझे कहनी चाहिए कि इस स्थिति का प्रशासनिक पक्ष पर अधिक निर्भर रहना वास्तव में बिल्कुल उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ है। यह एक राजनैतिक समस्या है और इसमें राजनैतिक समाधान की जरूरत है। हम सब इस पर सहमत होते हैं लेकिन फिर से दो दिन पहले मैंने समाचार पत्रों में एक शीर्षक पढ़ा था कि संविधान में संशोधन किया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्यों ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : शायद आतंकवाद का सामना करने के लिए इसकी आवश्यकता है ? मुझे नहीं मालूम कि संवैधानिक संशोधन के बिना आतंकवाद से लड़ने में कोई अड़चनें आ रही हैं। अतः मुझे इस वक्तव्य पर हँसी आ रही है। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि समस्या के इन पहलुओं पर आग्रह करने से हमें कोई सहायता नहीं मिली है और न ही भविष्य में मिलेगी। मुझे श्री रिबेरो का, जो वहां लड़ रहे हैं, का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यदि जनता सक्रिय है तो पुलिस अधिक सक्रिय होगी। उन्होंने किसी राजनैतिक दल का नाम लिया है—मैं नाम नही बताना चाहता, उन्हें क्या करना चाहिए था वह उन्होंने नहीं किया। लेकिन यह जिम्मेदारी हम अपने कंधों पर लेते हैं जो हमारे तथा सभी राजनैतिक दलों द्वारा आशा के अनुरूप पूरी नहीं की गई है।

अब महोदय, दूसरी बात यह है कि मुख्य मंत्री और उनके दल के अधिकांश सदस्यों ने जो रवैया अपनाया है उससे यह सिद्ध हो गया है कि हम जो यह मांग करते रहे हैं कि राजनीति को धर्म से अलग रखना होगा, आज उसका बहुत अधिक महत्व है और उसकी अविलम्ब आवश्यकता है। प्रत्येक ऐसा कह रहा है। परन्तु हम इसे कैसे करने जा रहे हैं ? तथ्यों ने सिद्ध कर दिया है कि बरनाला जैसे एक धार्मिक व्यक्ति को भी एक निश्चित दबाव जिसकी हम सिफारिश कर रहे हैं अपनाना पड़ा है यह सिद्ध हो गया है कि यदि हम धर्मनिरपेक्षता का पूर्णतः पालन करने में असफल रहते हैं तब देश के दुश्मनों और साम्राज्यवादी एजेंटों द्वारा निश्चित ही धर्म का प्रयोग किया जाएगा। अतः जिनके दिलों में सच्चा धर्म है, उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और राजनैतिक नेताओं को भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं। अभी एक माननीय सदस्य ने कट्टरतावाद के विरुद्ध हमारी धर्म-निरपेक्ष लड़ाई के बारे में कहा है।

अब महोदय, क्या मैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति, श्री जिया द्वारा कही बात को उद्धृत कर

सकता हूं ? मैंने यह बात शायद 'टेलीग्राफ' में पढ़ी थी। श्री जिया ने कहा है कि हम कुछ पिछड़े हुए हैं। लेकिन हम प्रगतिशील हैं। उन्होंने किस सन्दर्भ में श्री जिया ने यह कहा है, मैं नहीं जानता।

एक माननीय सदस्य : शाह बानो······

श्री सैफुद्दीन चौधरी : विधेयक में कुछ उदार उपबन्ध हैं। शायद जिसे हमने अधिनियम बनाया है उसके बारे में हो।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने टर्की के बारे में पढ़ा है ?

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, इस समय असली बात यह है कि क्या हम सच्ची धर्म-निरपेक्षता का अपने देश में वास्तव में पालन कर रहे हैं। मैं काफी समय नहीं ले रहा हूं। मैं इसकी असली गम्भीरता की बात समझना चाहता हूं। हम सब कह रहे हैं कि हमें पंजाब में धर्म-निरपेक्ष ताकतों को मजबूत करना होगा। हम सब उनके पक्ष का समर्थन करते हैं। इसलिए, मुझे कहना चाहिए, केन्द्रीय सरकार पंजाब समझौते को लागू करके एक सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। आप कह सकते हैं कि पंजाब समझौते के अनेक उपबन्ध लागू किये जा चुके हैं लेकिन स्पष्ट है कि कुछेक उपबन्ध लागू नहीं किये गये हैं। वे कह सकते हैं लेकिन इस पर कोई विश्वास नहीं करता। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को कैसे संतुष्ट करते हैं लेकिन क्रियान्वयन न होने की बात स्पष्ट है और उन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि समझौता पूरी तरह लागू हो। इससे धर्म निरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने और जनमानस को आतंकवादी ताकतों तथा राष्ट्र विरोधी ताकतों के विरुद्ध सचेत करने में काफी सफलता मिलेगी। अन्यथा जनता के मन में यह भावना पैदा होगी। कि उनके साथ धोखा किया गया है। अतः यह दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैं कहना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अवसर पर जहां आपको आशा की किरण दिखाई दे सकती है, मैं समझता हूं कि कोई भी राष्ट्रीय राजनैतिक दल ऐसी मांग न करे जिससे कि जो सफलता मिलती जा रही है उसमे रुकावट पड़े प्रत्येक को रैली आयोजित करने का हक है लेकिन यदि इस विशेष अवसर पर, आप सैनिक शासन या राष्ट्रपति शासन और इसी तरह की मांग करते हैं तो इससे स्थिति वास्तव में खराब होगी। यह नही होना चाहिए। इस संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि जब हम कुछ ठोस परिवर्तन आता देख सकते हैं तो हमने पहले यह भी देखा होगा कि बाहरी तत्वों द्वारा, साम्राज्यवादियों द्वारा इस विशेष परिवर्तन को तोड़ने के प्रयास की खबरें समाचार पत्रों में छपी हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में एक असफल हड़ताल का प्रयास हो सकता है। उस समय भी, हमें अपने धैर्य से विचलित नहीं होना चाहिए और हमें कुछ बातों को पथ-भ्रष्ट तरीके मात्र से नहीं देखना चाहिए हमें बातों की उनके परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और स्पष्ट रूप

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

से देखना चाहिए कि आतंकवादी ताकतें या राष्ट्र विरोधी ताकतें क्या चाहती हैं, हमें उनके किसी जाल में नहीं फंसना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की स्थिति घटित न हो।

हमें इन तीन-चार बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, उचित दिशा में बढ़ना चाहिए और आम जनता का साथ देना चाहिए। उन्होंने यह दिखा दिया है कि वे देश के लिए है, देश की एकता के लिए हैं, वे कट्टरतावाद के विरुद्ध है और वे शान्तिप्रिय हैं। चुनावों के दौरान और लोगोंवाल सम्मेलन के समय लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है। यह एक महान कार्य है जिसे वे कर रहे हैं और हमें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें एक अवसर मिला है और हमें इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं वाद-विवाद के इस रुख का स्वागत करता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे माननीय मित्र ने ; जिन्होंने अभी-अभी साम्यवादी (मार्क्सवादी) पार्टी की ओर से भाषण दिया है अपने भाषण में रचनात्मक रवैया अपनाया है। फिर भी, मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि आज सुबह ही सरदार बूटा सिंह ने अपने वक्तव्य में वास्तविक रूप से सरकार की स्थिति को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वे पूरे दिल से बरनाला सरकार को पूर्ण समर्थन देना चाहते हैं और इस स्थिति में उनके द्वारा लिए गए सफल और साहसी रवैये की वे प्रशंसा करते हैं। इसलिए उन्हें विशेष राजनैतिक तत्वों द्वार उत्पन्न किए गए वातावरण के बारे में डरने की आवश्यकता नहीं है और जल्दी ही वहां राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। परन्तु दूसरी ओर इसके साथ ही हमें पंजाब के मुख्य मंत्री से सकारात्मक दृष्टिकोण की भूमिका निभाने की आशा करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और वह बात यह है कि हमें राष्ट्रपति शासन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उन्हें और उनके समर्थकों को इस प्रकार का प्रयास नहीं करना चाहिए और ऐसी गलत मांगें नहीं मांगनी चाहिए जो राष्ट्रविरोधी और असम्भव हैं, जिन मांगों को उनके विरोधी तथाकथित अकाली लोग उठा रहे हैं, अकाली दल नहीं, और केन्द्रीय सरकार के लिए इस समझौते को लागू करने में और पारस्परिक मित्रता, राष्ट्रीय एकता और सदभाव के वातावरण को बढ़ाने में अधिक कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं।

इसके साथ ही मैं इस गलती को मानता हूं कि मास्टर तारा सिंह और अन्य लोगों द्वारा इस खतरनाक भौगोलिक क्षेत्र को हमने उस संघर्ष के लिए उन्हें अपना समर्थन दिया। एक स्वतंत्र राजनैतिक अस्तित्व देने के लिए जो संघर्ष उस समय चल रहा था उस समय हमने वह बड़ी भारी गलती की थी और मुझे आशा है कि भविष्य में हम ऐसी गलती फिर आगे नहीं दोहरायेंगे और फिर भाषाई एकता आदि के बारे मैं सोचिए। वर्षों पहले में इसके पक्ष में था। अब भी मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि एक विशेष भाषाई क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिनका अपना राज्य है, पड़ोसी राज्यों के लिए इस कारण समस्या उत्पन्न न करे कि उनकी भाषा बोलने वाले कुछ अल्प-संख्यक लोग उनके राज्य में रहते हैं। हाल ही में पश्चिमी तट पर ऐसा हुआ है जहाँ मेरे मित्रों को

बहुत ज्यादा हानि हुई है। हमें भी बहुत हानि हुई है। प्रत्येक व्यक्ति को हानि हुई है। इस सम्बन्ध में हमें पूर्व सावधान होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : समस्या केवल यह है कि हम इतिहास से कुछ सबक नहीं लेते।

प्रो० एन० जी० रंगा : पच्चहत्तर हजार या एक सौ हजार एकड़ भूमि हरियाणा को देनी है मैं नहीं समझता यह सब क्या है? यदि कुछ हजार हिन्दू जो गुरुमुखी के बजाय हिन्दी बोलते हैं, वहां रह जाते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है।

हमें इस प्रकार के पागलपन पर काबू पाना है। मैं हरियाणा के अपने मित्रों के साथ बहस करने का प्रयास कर रहा था परन्तु मैं उन्हें सहमत नहीं कर सका। पंजाब में यह सारी समस्या हम सभी भारतीयों के लिए एक चेतावनी है कि वे इस प्रकार के विघटनकारी तत्वों और विघटनकारी शक्तियों को मजाक न समझें।

क्या इस बात को समझने के लिए यह उचित समय नहीं है जिसे हम उस समय नहीं समझ पाए जब हमने वह दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारा किया; कि अपने सीमान्त राज्यों में अपना शासन चलाने के लिए हमारी एक अलग और भिन्न राजनैतिक प्रणाली होनी चाहिए? उस समय हम इस बात को समझने में असफल रहे और जहां तक पूर्वोत्तर सीमा का सम्बन्ध है वहां हमें इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। जोश में आकर हमने इस बात को नहीं समझा कि कश्मीर से नीचे राजस्थान तक हमें सीमा पर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अब हमारे सामने सीमा-समस्या ही है। इसलिए इन क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। इन क्षेत्रों मे हमें ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की इस खर्चीली विलासितापूर्ण व्यवस्था को अपनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए जिसमें एक दल 'हां' कहता रहता है और दूसरा दल हर समय 'नहीं' कहना ही अपने लिए उचित समझता है। यह एक विघटनकारी बात है।

इसलिए हमें पंचायत प्रणाली की दिशा में सोचना आरम्भ करना चाहिए। हमने इस बारे में सोचा था और हमने इसे "गांधीवादी" व्यवस्था कहा था। बाद में स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण ने इस व्यवस्था के साथ झूठा प्यार जताया। अब हममें से बहुत से लोग भी सर्वदलीय सरकार और मिलीजुली सरकार के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब पंजाब की स्थिति इस बात को सामने लाती है। आपने इसे सौंप दिया और यह सच है कि अकाली दल को बहुमत मिला। क्या इस कारण से अकाली दल को केवल अपने दल के सदस्यों को ही लेकर मन्त्रिमंडल का निर्माण करना चाहिए था। क्या उसमें अन्य लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता था, क्या अन्य लोगों को बुलाकर अनुपातिक आधार पर एक मिली-जुली सरकार बनाना राजमर्मज्ञोचित बात नहीं होती? हमें इस प्रकार की प्रणाली को अपनाने का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? यहीं पर नहीं अपितु मिजोरम में भी और कल परसों अरुणाचल, असम और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी इस

[प्रो० एन० जी० रंगा]

प्रयोग को किया जा सकता है। कछार के लोगों की असम में बुरी स्थिति है और अन्य बहुत से स्थानों पर भी यह स्थिति जारी है।

(व्यवधान)

3.37 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए।]

यदि आप एक दलीय शासन रखना चाहते हैं और अन्य सभी दलों को हर समय विरोधी पक्ष में रखकर एक दूसरे की प्रगति में रुकावट डालना चाहते हैं तो भी क्या हमारे लिए यह उचित नहीं होगा कि हम भारत की राजधानी में नहीं तो कम से कम सीमान्त क्षेत्रों में एक सर्वदलीय सरकार बनाएं ? निश्चित रूप से हरियाणा और पंजाब में इस दिशा में परीक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार विघटन की दिशा में बढ़ते इन तत्वों और शक्तियों का मुकाबला करने के लिए हम अपने आपको शक्तिशाली बना सकते हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : इस विचार को स्वीकार करने के लिए आपको प्रधान मंत्री महोदय को सहमत करना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। परन्तु साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र इस बारे में थोड़ा विचार करें। अन्य किस तरीके से हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं ! वहां श्री बादल हैं। आरम्भ में वे यहां केन्द्र में मंत्री थे और बरनाला महोदय उनके चेले थे। जब वह मुख्य मंत्री के रूप में वहां गए तो मेरे मित्र प्रो० दण्डवते के सहयोगी और कृषि मन्त्री के रूप में श्री बरनाला यहां उनके अत्यन्त लोकप्रिय मनोनीत व्यक्ति थे। हम सभी उन्हें चाहते थे और वे भी एक-दूसरे को प्यार करते थे। अब सत्ता की बात उनके बीच में आ गई है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उनका प्यार अन्धा नहीं था।

प्रो० एन० जी० रंगा : सत्ता की बात ने उन्हें अलग कर दिया। इसने उनके सम्बन्धों में विष घोल दिया है।

परन्तु क्या हम श्री बादल को सदा जेल में ही रखेंगे ? ब्रिटिश लोगों ने यह सोचा था कि वे हमें सदा जेल में रखेंगे परन्तु हम लोगों को उन्हें मुक्त करना पड़ा। इसी प्रकार उनको आज या कल छोड़ना पड़ेगा। तब क्या उन्हें राजनैतिक निर्वासन में रखा जायेगा ? क्या उन्हें अपना सकारात्मक योगदान देने का अवसर नहीं दिया जायेगा ? हमें इन बातों पर अवश्य सोचना चाहिए। उन्हें एकजुट बनाना चाहिए। आज वे दुश्मन हैं कल वे मित्र बन सकते हैं। आज सत्ता के लिए वे

दुश्मन हैं। कल भारत की एकता और देशभक्ति की भावनाओं को मजबूत बनाने के लिए अपने सहयोगी प्रयत्न में वे मित्र भी बन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में श्री बरनाला भी अपना कार्य प्रारम्भ करें।

इससे आगे, उन जोधपुर के कैदियों की बात है। पंजाब में हर व्यक्ति यह कह रहा है कि उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो। उन्हें छोड़ने की बात पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु साथ-साथ अनुशासन की बात भी है। सुरक्षा सेनाओं की अपनी अलग संघभक्ति है। वे हमारी तरह नहीं हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : वे सुरक्षा सेनाओं के लोग नहीं हैं।

प्रो० एन० जी रंगा : उनसे बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। उनमें एकता की भावना है। अपने अनुशासन से खिलवाड़ करना वे पसन्द नहीं करते। और ऐसा प्रतीत होता है कि जिस स्थिति में उन गुमराह नवयुवकों ने यह कार्य किया है वह हमारे राष्ट्रीय जीवन की सबसे दुर्भाग्य-पूर्ण स्थिति है। मैं माननीय प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और सुरक्षा सेनाओं से इस बारे में विचार करने और उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा करने तथा राजनीति से इस दाग को हटाने का अनुरोध करना चाहूंगा। महोदय, कृपया सुरक्षा सेनाओं की एकता और अनुशासन की भावना संघभक्ति की भावना को अस्त व्यस्त किए बिना उनकी सहमति से हमें यह कार्य करना चाहिए। यह कार्य जितना जल्दी हो सके उतना ही बेहतर है। तब पंजाब में बेहतर सम्बन्धों की स्थिति होगी।

उसके बाद इन आतंकवादियों की बात है। वे कौन हैं ? क्या वे सभी भारतीय हैं ? मैं इस बात को नहीं जानता। क्या वे सभी भारतीय प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यह मालूम नहीं। क्या उनके पीछे बाह्य शक्तियां नहीं हैं ? उनमें से एक महान हस्ती हमारे साथ थी। हम मेलजोल रखते थे। हम एक-दूसरे को गले लगाना और साथ-साथ समझौता करना सीख चुके हैं, मैं नहीं जानता कि किस स्थिति में, किस ढंग से किस प्रकार का समझौता कल या परसों हुआ है। परन्तु निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने का हमें प्रयास करना चाहिए और फिर भी उन कट्टरपन्थी शक्तियों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग रखा और जिनसे भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग रखने की संभावना भी है। यहां इस पक्ष में और उस पक्ष में भी सामाजिक और राजनैतिक कट्टरपंथी तत्व विद्यमान है, जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जो हमारे बीच समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। हमें इन सभी बातों पर काबू पाने में सक्षम होना चाहिए। यह एक दिन की समस्या नहीं है, एक दिन का समाधान नहीं है परन्तु फिर भी यह वह समस्या है जो हर समय हमारे देश के सामने रही है और हम इस गम्भीर समस्या को नहीं भूल सकते।

क्या आतंकवादियों को केवल पाकिस्तान ही समर्थन दे रहा है ? पाकिस्तान के अलावा पश्चिम से, पूर्व से तथा अन्य हिस्सों से, और भी कितने ही देश हैं ? अतः यही उचित समय है कि हम सब इकट्ठे हो जायें। मेरे माननीय साम्यवादी मित्र ने कहा है कि ये प्रयत्न काफी पहले किये

[प्रो० एन० जी० रंगा]

जाने चाहिए थे। मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन कुछ प्रयास किये गए थे। पंजाब में स्वतन्त्रता सैनानियों ने शान्ति पदयात्रा की थी। हमारे अपने सुनील दत्त की भी शान्ति पद यात्रा करने की इच्छा हो गयी है। महाराष्ट्र के ही एक अन्य संत बाबा आमटे भी ने कन्याकुमारी से हिमाचल प्रदेश तक की पद यात्रा की। मैं समझता हूं कि वह सारे देश को सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी प्रयास किये गये हैं। हमें उन प्रयासों को यह आश्वासन देकर और अधिक मजबूती प्रदान करनी चाहिए कि इस सभा के विभिन्न राजनैतिक दल एक हैं तथा इस दिशा में एक साथ मिलकर कार्य करने की इच्छा रखते हैं जिससे भारत की एकता को दृढ़ता प्रदान करने हेतु मिलकर रहने के लिए हमारे लोगों की सहायता की जा सके।

महोदय, मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं बधाई देने की बात को पुनः दोहराता हूं। मेरे माननीय मित्र ने पहले ही पंजाब के लोगों को और विशेष रूप से पंजाब के मुख्यमंत्री को सहायता देने की पेशकश की है फिर भी एक प्रयास किया गया है अर्थात हमारे देश में एक सरदार ने वास्तव में हम सबका मार्ग प्रशस्त किया है। जब मुख्य ग्रन्थियों ने स्वर्ण मन्दिर अमृतसर में अपना जाति धर्म से बहिष्कृत करने वाला प्रस्ताव पारित किया और गृहमंत्री को उनके समक्ष पेश होने और झुकने को कहा, तब उन्होंने भारत के प्रति अपनी निष्ठा को और देश को किसी अन्य कर्त्तव्य से देश को पहली प्राथमिकता दी और मैं उस गृह मंत्री का अभिवादन करता हूं तथा वह हमारे ही गृह मंत्री हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : मैं माननीय अध्यक्ष का पंजाब की स्थिति पर चर्चा की अनुमति देने के लिए आभारी हूं। इस विषय पर हमारे सारे देश के लोग बहुत उत्तेजित और चिन्तित हैं।

पंजाब की घटनाऐं समस्त देश के लोगों में काफी उत्तेजना फैला रही है। विशेष रूप से पिछले कुछ महीनों में प्रमुख राजनैतिक नेता, न्यायाधीश तथा उच्च अधिकारी मारे गये हैं जिससे जनता में यह भावना पैदा हुई है कि पंजाब की स्थिति बहुत बिगड़ गई है तथा वहां इतने प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए भी अब कोई सुरक्षा नहीं है पहले भी हमने वहां ऐसी कायरता पूर्ण घटनाऐं देखी हैं ; जिनमें बसों में सफर कर रहे निर्दोष लोगों का कत्ल किया गया था। अब इन बातों ने एक अलग ही रुख ले लिया है। दुर्भाग्य से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनावों में बरनाला का विरोध करने वाला गुट विजयी रहा है। इसके बाद के परिवर्तनों को हमारे गृह मंत्री ने अपने दिये गये नोट में स्पष्ट किया है। मैं उन बातों के विस्तार में नहीं जाऊंगा।

इन परिस्थितियों में मैं श्री बरनाला को अपने दल की ओर से साहसी रुख अपनाने के लिए बधाई देता हूं अर्थात् उन मुख्य ग्रन्थियों के हुकमनामे के सामने न झुकने के लिए बधाई देता हूं जो कि धर्म के नाम पर लोकतान्त्रिक चुनाव प्रक्रिया के द्वारा लोगों के दिये गये फैसले को नकारना चाहते हैं। परन्तु सिख लोगों के साथ-साथ पंजाब के लोगों ने इसे एक दम अस्वीकार कर

दिया है और उन्होंने श्री बरनाला के नेतृत्व में चुनी गई एक लोकतान्त्रिक सरकार का पक्ष लिया है।

मैं अकाली दल (लोंगवाल) के कई विधान सभा सदस्यों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र को सुरक्षित रखने के प्रयत्नों में श्री बरनाला का दृढ़ता से साथ दिया है।

जैसा कि प्रो० रंगा ने कहा है एक बड़ा सिख जन समूह 20 फरवरी को, लोंगवाल गांवमें बरनाला सरकार के संग अपनी एकात्मता व्यक्त करने के लिए तथा मुख्य ग्रन्थियों को यह स्पष्ट रूप से बताने के लिए एकत्र हुए कि वे धर्म को राजनीति से न जोड़ें, अपितु स्वयं को केवल धार्मिक मामलों तक ही सीमित रखें।

यह वास्तव में अच्छी बात है कि स्वतन्त्र भारत में पहली बार संसद के दोनों सदनों को दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक मुख्य मंत्री का जिक्र किया गया। उससे पिछले ही रोज भारत के राष्ट्रपति ने श्री बरनाला को धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र के मूल्यों को बनाये रखने के उनके साहस के लिए बधाई दी है।

संघ सरकार ने कितनी ही बार कहा है कि वह पूरी तरह से श्री बरनाला के साथ है। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि संघ सरकार उतनी सहायता नहीं दे रही है जितनी इसे श्री बरनाला को उन सिख लोगों को बड़ी संख्या में अपने साथ करने के लिए तथा प्रभावी उपाय करने के लिए देनी चाहिए जो कि एक दूसरी ही धारणा लिये है।

प्रो० रंगा ने जोधपुर में बन्दी लोगों की रिहाई के बारे में कहा है। क्या श्री बरनाला ने कई बार यह नहीं कहा है कि कम से कम उन निर्दोष बन्दियों को उन जवान लोगों या औरतों को छोड़ दिया जाये जिन्हें हिरासत में ले लिया गया था क्योंकि वे उस समय स्वर्ण मन्दिर में थे। क्योंकि वे स्वर्ण मन्दिर के कर्मचारी थे। अब चाहे कोई भी सरकार सत्ता में आयी हो कम से कम उन्हें, उनमें से कुछ को रिहा कर देना चाहिए। अन्यथा इस बात का पंजाब समझौते में जिक्र क्यों किया गया था जबकि वे उस समय इसे क्रियान्वित करने के लिये गंभीर नहीं थे? श्री बरनाला ने उन लोगों की रिहाई के लिए नहीं कहा है जिन्हें सरकार दोषी समझती है। उन्होंने केवल निर्दोष लोगों की ही रिहाई के लिए कहा है। क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है तथा जो लोग वहां बंदी थे उनका विवेचनात्मक अध्ययन किया है? क्या उन्होंने यह नही पाया है कि जो लोग वहां बंदी हैं उनमें से 5 या 10 प्रतिशत लोग निर्दोष हैं? यदि सरकार ने कम से कम कुछ लोगों को रिहा किया होता तो इससे श्री बरनाला को उन उग्रवादियों के द्वारा किये जा रहे प्रचार को बन्द करवाने में आसानी होती जो इस प्रचार को बुरी नियत से कर रहे हैं। परन्तु उन्होंने कहा है कि आप श्री बरनाला के मित्र हैं। मैं सरकार से इस पर गम्भीरता से विचार करने के लिए तथा उन निर्दोष लोगों को तुरन्त रिहा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहूंगा जो कि जोधपुर में बन्दी हैं।

[श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव]

दूसरे, श्री बरनाला अन्य बातों को छोड़कर पंजाब समझौते के अन्य उपबन्धों के क्रियान्वयन के लिए जोर दे रहे हैं। जहां तक चन्डीगढ़ के अन्तरण का सम्बन्ध है यह एक अपेक्षित बात है और संघ सरकार ने पहले इसके लिए स्पष्ट रूप से एक तारीख की घोषणा की थी जिस तारीख तक उनको चन्डीगढ़ का अन्तरण कर दिया जाएगा। कांग्रेस दल के एक उपनेता ने अब साफ-साफ कहा है कि पंजाब को चन्डीगढ़ दे दिया जाना चाहिए, परन्तु प्रश्न यह है कि इसके बदले में हरियाणा को पंजाब का कितना क्षेत्र दिया जाएगा तथा इस बात पर फैसला किया जा सकता है। लेकिन, यहां यह मसला किसी दल अथवा सरकार का नहीं है। परन्तु मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि दुर्भाग्य से दल के हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यदि कुछ कदम उठाए जाते हैं तो तब हरियाना में सत्तारूढ़ दल की सम्भावना धुंधली हो जाती है। इसका तात्पर्य है कि हरियाना के चुनावों के समाप्त होने पर ही वे पंजाब के मामले में वे कुछ करेंगे। मुझे इसका खेद है सभापति महोदय, यह उचित नहीं है। राष्ट्र का हित दल के हित से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री ने पंजाब और असम के सम्बन्ध में समझौता किया है। पंजाब में लोगों ने अपने लोकतान्त्रिक अधिकार के तहत अपने प्रतिनिधियों अर्थात पंजाब में अकाली दल तथा असम में गण परिषद को चुना है। पिछले रोज मिजोरम में लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : जहाँ कहीं भी उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं उन्हें वहाँ अपने शासन से हाथ धोना पड़ा है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : परन्तु वह एक भिन्न मसला है। लेकिन अब देश की एकता और अखण्डता हरियाणा में चुनाव जीतने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने पूरे मन से मैं संघ सरकार से राष्ट्रीय हितों के बजाय दल के हितों को सुरक्षित करने की संकुचित नीति से हट कर चलने की अपील करता हूं।

मैं प्रसन्न हूं कि सभी राजनीतिक दल एक बात पर राजी हुए हैं कि उन्हें सिख लोगों के साथ-साथ पंजाब के लोगों को संगठित करने, उग्रवादियों को निकालने तथा अलग करने के लिए प्रयत्न करने हैं। इन प्रयासों से निश्चित रूप से हिन्दुओं में एक सुरक्षा की भावना पैदा की जानी चाहिए। अन्यथा काफी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, इसे रोका जाना चाहिए क्योंकि जैसे प्रो० रंगा ने कहा है हमें न केवल अब अपितु भविष्य में भी भाईयों की तरह रहना है।

मुझे खुशी है कि हाल ही में सररकार द्वारा मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के स्वीकार किये जाने पर एक रचनात्मक परिवर्तन आया है। मुझे उन दुर्भाग्य पूर्ण घटनाओं को दोहराने की आवश्यकत नहीं है जो उन दिनों घटी हैं तथा जो विशेष रूप से कितनी ही सिख औरतों तथा

युवाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं। सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया है, तथा मैं सरकार से उन अपराधियों को पकड़ने के लिए तुरन्त आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं तथा सुझाव देता हूं, जो उन कायरतापूर्ण घटनाओं के जिम्मेदार थे और इससे काफी संख्या में उन सिख युवाओं पर असर पड़ेगा जो कि अब आतंकवादियों तथा ऐसे तत्वों द्वारा गुमराह किये जा रहे हैं जो देश-द्रोही हैं तथा जो हमारे देश का विभाजन करना चाहते हैं और देश की एकता तथा अखण्डता के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इसमें काफी समय लगेगा। मैं सरकार से इस दिशा में यथाशीघ्र कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : महोदय, पंजाब इस समय एक बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। यह संकट इतना गंभीर है कि इससे पहले पंजाब में कभी भी इतनी नाजुक समस्या नहीं आयी थी। शुरू में दुर्भाग्य से हममें से बहुतों ने तथा विशेष रूप से विपक्ष के सदस्यों ने इस समस्या की प्रकृति को नहीं समझा था, जिससे उस समय पंजाब गुजर रहा था तथा हम यह भी न समझ पाये थे कि वहां क्या संकट था और समस्या का क्या संभावित हल हो सकता था मुझे याद है कि ब्लु-स्टार से पहले कई मित्र अमृतसर गये थे तथा प्रत्येक व्यक्ति का दिल्ली आने पर इसके बारे में भिन्न मत था। इसलिए इस बात पर एक प्रकार का भ्रम था कि वहां की वास्तविक स्थिति क्या थी। परन्तु मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि आज यहां सभा में माहौल बिल्कुल भिन्न है तथा एक ऐसी स्थिति है जहां आपस में ज्यादा समझ है इसलिए मैं केवल वर्तमान स्थिति का ही उल्लेख करूंगा।

महोदय, पंजाब की स्थिति को समझने के लिए पंजाब की राजनीति में अकाली दल की भूमिका को समझना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से वे विभाजित हो गये हैं तथा उनके आपसी विभाजन ने पंजाब की राजनैतिक समस्या को इस स्थिति तक पहुंचा दिया है।

दूसरे पंजाब की राजनीति में धर्म एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जो कि एक भूमिका अदा कर रहा है।

और तीसरे सभी राजनीतिक दलों का समस्या पर विचार करना तथा एक मान्य हल निकालना भी महत्वपूर्ण है।

परन्तु, अन्त में एक महत्वपूर्ण कारण और है जिसकी विगत समय में अवहेलना की गयी है और मुझे आशा है कि इसकी अब उपेक्षा नहीं की जायेगी तथा यह कारण, विदेशी शक्तियों का इस देश में अस्थिरता पैदा करना, इस देश के टुकड़े-टुकड़े करना तथा समस्या को बढ़ा कर पंजाब में हमारी कठिनाइयों से लाभ उठाना है।

इसलिए ये चार कारण हैं जिन्हें मैंने स्पष्ट किया है और जिन्हें पंजाब की समस्या का हल ढूंढने से पहले समझने की आवश्यकता है फिर हमें तदनुसार इस समस्या से निपटना चाहिए।

[श्री रघुनन्दन लाल भाटिया]

महोदय, मैं अमृतसर से हूं और मैं इस मसले के काफी नजदीक हूं। तथा मेरे अपने अनुभव और अपना नजरिया है। मेरा नजरिया यह है कि पंजाब में सिख राजनीति में जिसका गुरुद्वारों पर नियंत्रण है वही सिख राजनीति पर नियंत्रण रखता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसे हममें से अधिक लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं, न ही इसकी तह में हममें से अधिक लोग जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसका गुरुद्वारों पर नियंत्रण है वही सिख राजनीति को भी नियन्त्रित करता है। और आपने देखा होगा कि भिन्न समय में अलग-अलग लोगों का गुरुद्वारों पर नियंत्रण रहा है। दर्शन सिंह फेरूमान जैसे लोग तथा जत्थेदार जलाल उस्मान जैसे भी गुरुद्वारों से संबद्ध रहे हैं। फिर हमारे सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों जो यहाँ बैठे हैं भी गुरुद्वारों से संबद्ध रहे हैं। तब गुरुद्वारों से धर्मनिरपेक्षता, प्यार, सौहार्द, और सद्भाव का प्रचार होता था। परन्तु अलग-अलग समय पर अलग-अलग लोग सत्ता में आते रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश अब इस समय में गुरुद्वारे उन लोगों के हाथों में चले गये जिन्हें हम धोखेबाज कहते हैं। वे उस शक्ति का प्रयोग सिख राजनीति में कर रहे हैं। केवल यह ही नहीं गुरुद्वारों यानि अकाल तख्त पर नियन्त्रण करने के बाद वे राज्य के अकालियों की राजनैतिक शाखा पर भी नियन्त्रण करना चाहते हैं।

4.00 म० प०

एक निदेश द्वारा उन्हें यह कहा गया कि अकाली दल की सभी इकाइयों को भंग कर दिया जाना चाहिए और उन्हें यह चेतावनी दी गई कि जो व्यक्ति निदेश को नहीं मानेगा उसका निष्कासित कर दिया जायेगा। इसी बात के लिए श्री बरनाला को निष्कासित किया गया है क्योंकि उन्होंने उनके निदेश पर ध्यान नहीं दिया है।

इसके अतिरिक्त एक घोषणा की गई है कि वे किसी भी न्यायिक आयोग या उनके निर्णयों को नहीं मानेंगे; वे अपने आप को किसी न्यायिक आयोग अथवा समस्या या झगड़े का समाधान करने के लिए मामले की जाँच हेतु केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी प्राधिकारी के अधीन नहीं मानेंगे। उनके निर्णय उन पर लागू नहीं होंगे। और अन्त में उन्होंने एक अन्य घोषणा में कहा है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में केन्द्र सरकार का कोई भी हस्तक्षेप बरदाश्त नहीं किया जायेगा, जिसका अर्थ है कि कानून व्यवस्था बनाये रखने में सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की भूमिका को स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः यह एक नई स्थिति है। आपको इस हालत में समस्या का समाधान करना है। इस संदर्भ में आपको पंजाब देखना है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने जो बातें बताई हैं यदि आप उनको इकट्ठा लें तो आपको एक अलग ही तसवीर मिलेगी, एक बहुत गम्भीर स्थिति। हम एक गम्भीर स्थिति पर विचार कर रहे हैं। इसका समाधान कैसे किया जाये? इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि विगत में क्या किया गया है। हमें देखना चाहिए कि पंजाब में

हालात को सामान्य कैसे बनाया जा सकता है। हमें इसके रास्ते में आने वाली रुकावटों को देखना चाहिए। और हमें उन रुकावटों को दूर कर देना चाहिए ताकि लोगों में एक बेहतर सद्भावना का माहौल पैदा हो सके। मैं दो समाधान पेश कर सकता हूं।

ब्लू स्टार आपरेशन अथवा दिल्ली में हुये दंगों के कारण सिख मानस को जो आघात लगा है उस पर विचार करना होगा। जब तक हम उस गलतफहमी को दूर नहीं कर देते, जब तक हम उस धब्बे को दूर नहीं कर देते, अधिकांश सिख जनता शान्त है तथा उन ताकतों के साथ नहीं है जो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। आपको उन सभी को ध्यान में रखना होगा यदि आप उन ताकतों को अलग करना चाहते हैं जो देश को कमजोर बनाना चाहती हैं तथा देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं तो यह बहुत अनिवार्य, अत्यावश्यक है कि हम समस्त सिख सम्प्रदाय को अपने साथ लेकर चलें। और इसके लिए हमें देखना चाहिए कि उनके मानस के घाव को कैसे भरा जा सकता है। इसके लिए हम साथ बैठकर समाधान ढूंढ सकते हैं।

एक बात जिस पर मैं बल देना चाहता हूं वह यह है। बरनाला जी अकेले, कोई व्यक्ति अकेला, कोई अकेली राजनैतिक पार्टी पंजाब समस्या को नहीं सुलझा सकती है। इसका परिमाण बहुत व्यापक है। देरी के कारण तथा कुछ घटनाओं के कारण, दुर्भाग्यवश, यह समस्या इस चरण पर पहुंच गई है जहां इसका परिमाण बहुत व्यापक हो गया है। यह बहुत आवश्यक है कि हम सभी को इसमें शामिल होना चाहिए क्योंकि, जैसा कि मैंने कहा है, कोई भी अकेला व्यक्ति न ही अकेले बरनाला जी या अकाली दल, और इसके लिए अकेली कांग्रेस पार्टी भी इस समस्या को नहीं सुलझा सकती है। इसका समाधान मिलकर वहां के सभी राजनैतिक दलों के सहयोग से तथा उन राजनैतिक ताकतों का मुकाबला करके, जो इस देश को अस्थिर बनाना चाहती हैं, किया जा सकता है। इसलिए इस सम्बन्ध में, विपक्षी दलों के साथ वार्ता शुरू करने तथा कुछ नतीजे पर पहुंचने के लिए मैं प्रधान मन्त्री जी की भूमिका की सराहना करता हूं। यह एक शुभशकुन है। परन्तु बहुत कुछ करना है। हमें इसे ईमानदारी के साथ क्रियान्वित करना है। सभी दलों को एकजुट होकर पंजाब में जाना चाहिए। इसके दो प्रभाव होंगे। इसके दो परिणाम निकलेंगे। प्रथम तो इससे अल्पसंख्यकों को सहायता मिलेगी और दूसरे इससे उन ताकतों को बल मिलेगा जो अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतों का मुकाबला करना चाहती हैं। इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं अपने साथियों से केवल यह निवेदन करूंगा कि जो माहौल मैंने अब पाया है—क्योंकि इस सभा में पंजाब के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है, सामान्यतया मैंने एक दूसरे पर आरोप लगाते पाया है कि वे जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार हैं—वह यह कि अब एक नई स्थिति पैदा हो गई है और इसलिए हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। हमें मिलकर होकर पंजाब में कार्य करना चाहिए ताकि समाधान आसान हो जाये।

बैठने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दण्डवते जी ने कहा है कि वे जानते थे कि कल पार्टी की बैठक में आतंकवाद पर एक नया कानून बनाने के लिए चर्चा होगी। यह गलत है। हमने वहां केवल साम्प्रदायिकता विरोधी दृष्टिकोण पर चर्चा की इस देश में साम्प्रदायिकता

[श्री रघुनन्दन लाल भाटिया]

विरोधी दृष्टिकोण कैसे जोर पकड़ता जा रहा है और हमें इससे कैसे निपटना होगा। अतः हम केवल साम्प्रदायिकता विरोधी ताकतों के बारे में चर्चा कर रहे थे, आतंकवाद पर कानून बनाने के बारे में नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय एक खबर छपी है कि एक आतंकवाद विरोधी संविधान में संशोधन किये जाने की सम्भावना है। अखबारों में यह बात छापी है। निस्सन्देह, वे उसी दल के सदस्य हैं। अतः मेरी अपेक्षा उनकी बात अधिक सही हो सकती है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : इसलिए मैंने आपको बताया है कि हमने सम्प्रदायिकता विरोधी ताकतों के बारे में चर्चा की थी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : सभापति महोदय, वास्तव में अब पंजाब में स्थिति ब्लू स्टार आपरेशन से पहले की स्थिति से एक तरीके से अधिक खतरनाक है। परन्तु साथ ही एक आशा की किरण भी दिखाई दी है जिसने इस समस्या के समाधान के लिए नये अवसर प्रदान किये हैं। इस खतरनाक स्थिति को मिटाने के लिए हमें इस नये अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इन खालिस्तानी आतंकवादियों ने 26 जनवरी को स्वर्ण-मन्दिर में जो सरबत खालसा की बैठक बुलाई थी उसमें खालिस्तान की घोषणा की पुनरावृत्ति की गई तथा खालिस्तानी झण्डा फहराया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को जलाया गया था। औरतों तथा बच्चों सहित हिन्दुओं तथा सिखों दोनों समुदायों के निर्दोष लोगों की निर्दयतापूर्वक की गई हत्याओं की निन्दा में एक शब्द भी नहीं कहा गया। संयोगवश सच यह है कि 1986 में आतंकवादियों द्वारा मारे गये 520 लोगों में से 196 सिख थे। इस सरबत खालसा में उग्रवादियों ने हत्यारों को मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी।

हाल ही की घटनाओं से जो हम देख रहे हैं, उग्रवादियों, अलगाववादियों की स्वर्ण मन्दिर पर कब्जा करने की एक योजना प्रकाश में आई है ताकि वे तथाकथित संयुक्त अकाली दल और इसकी सरकार को अस्तित्व में लाने के लिए इसका प्रयोग कर सकें जो खालिस्तानी आतंकवादियों, जिन्हें साम्राज्यवादियों तथा पाकिस्तान के शासकों का सहयोग प्राप्त है, को हर संभव ढंग से सहायता दे सके। श्री टोहरा के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष चुने जाने के शीघ्र बाद ही इस योजना पर विचार किया गया है।

प्रो० मधु दंडवते : विचार किया गया है और घोषणा की गई है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हाँ, और अब घोषणा भी कर दी गई है। अपने धार्मिक अधिकार का प्रयोग करते हुये तथा दबाव में काम करते हुये—मैं ऐसा मानती हूं कि यह दबाव में ही हो रहा है—पाँच मुख्य ग्रन्थी यह प्रयास कर रहे हैं कि पंजाब के लोगों—सिखों तथा हिन्दुओं और अन्य लोगों—द्वारा चुनी गई सरकार को कैसे अपने ढंग से चलायें। यह अन्यायपूर्ण है। धार्मिक नेताओं को देश के राजनैतिक मामलों पर फतवा देने या हुकुमनामा देने तथा मन्त्रियों, राजनैतिक

नेताओं तथा अधिकारियों को अपने कहे अनुसार काम करने के लिए बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात अवश्य याद रखी जानी चाहिए कि भारत ने धर्मनिरपेक्ष प्रजातन्त्र को चुना है। यदि धार्मिक नेताओं द्वारा ऐसे हस्तक्षेप के प्रयास किए गये तो धर्मनिरपेक्ष प्रजातान्त्रिक प्रणाली समाप्त हो जायेगी जिसकी अनुमति कभी नहीं दी जा सकती।

मुख्य ग्रन्थियों द्वारा बनाया गया तथाकथित संयुक्त अकाली दल का संविधान वास्तव में खालिस्तानी षडयन्त्रों को ढांपने का झूठा आवरण है। 'खालसा पन्थ' शब्दों का प्रयोग, एक अलग एवं स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में जिसका उद्देश्य खालसा की श्रेष्ठता सिद्ध करना है इस बात का प्रमाण है। स्वतन्त्र क्यों? इस शब्द का एक महत्व है। यह बात याद रखी जानी चाहिए। इस परिस्थिति में यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो आशा की किरण दिखाई दी है उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए अर्थात राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले तथाकथित धार्मिक नेताओं, का, जो वास्तव में आतंकवादियों को राह दे रहे हैं, हिम्मत से मुकाबला करने तथा उनके सामने न झुकने के बरनाला जी के दृष्टिकोण का स्वागत किया जाना चाहिए। अतः हमें बरनाला जी को हर सम्भव सहायता देनी चाहिए और मेरा विश्वास है कि यदि ठीक ढंग से समझा जाये तो शायद बरनाला जी को काफी लम्बा सफर तय करना है। मुझे विश्वास है कि वे यह सफर तय करेंगे। और हम आशा करते हैं कि वे यह सफर तय करेंगे यदि इसे ठीक ढग से समझा जाये तो धर्म को राजनीति से अलग करने के लिए नये संघर्ष की शुरुआत की जा सकती है जो आज राष्ट्रीय अखंडता के संघर्ष में एक अत्यावश्यक अंग है।

हमें बहुत खुशी है हाल ही में सभी एक सर्वदलीय बैठक हुई है तथा सभी एक कार्य योजना पर सहमत हो गये हैं। मैं सभी विगत बातों को नहीं कुरेदना चाहती यद्यपि कई पहलुओं पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। परन्तु यहाँ मैं केवल यही बात कहना चाहती हूं कि पंजाब में हमारे दल की ऐतिहासिक भूमिका की सराहना की जानी चाहिए। मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारे साथियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हिन्दू-सिख एकता के लिए कार्य किया है। यह हमारे लिए ही गर्व की बात नहीं है। हमने अन्य दलों को भी अपने साथ लाने की कोशिश की है।

मुझे यह कहते हुये खेद है कि हिन्दू साम्प्रदायिकता की भूमिका को भी नहीं भुलाया जाना चाहिए। इसे याद रख जाना चाहिए। इस समय मैं किसी भी दल का नाम नहीं लूंगी। प्रत्येक व्यक्ति यह बात जानता है कि कल तक बरनाला जी का त्यागपत्र कौन मांग रहे थे। अब बात यह है कि श्री सुरजीत सिंह बरनाला की सहायता कैसे की जाये। फिर पंजाब समझौते का प्रश्न है। अब यह प्रश्न पैदा हो गया है कि हमने आयोग इत्यादि का गठन कर दिया है। हमारे विचार से केन्द्र सरकार को पंजाब समझौते की भावना को ध्यान में रखते हुये क्षेत्रीय तथा नदी-जल विवाद के राजनैतिक हल ढूंढने हेतु सार्थक पहल करनी चाहिए। यह आयोग का काम नहीं है। यह बात स्पष्ट हो गई है कि आयोग समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। इसका समाधान राजनैतिक तौर पर, राजनैतिक आधार पर किया जाना चाहिए। श्री बूटा सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इसके लिए केन्द्र सरकार सब कुछ करेगी। हम जानना

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

चाहते हैं कि क्या कदम उठाये जा रहे हैं। मुझे आशा है कि वास्तव में वे कदम उठाए जायेंगे।

परन्तु उसके लिए मुझे कहना चाहिए कि प्रमुख दलों को संकीर्ण चुनावी हितों से ऊपर उठाना होगा ; अन्यथा कोई राजनैतिक हल नहीं खोजा जा सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य : सम्बन्धित माननीय मन्त्री महोदय सभा में उपस्थित नहीं है।

श्री नारायण चौबे : पंजाब एक गम्भीर विषय है।

सभापति महोदय : उन्होने मुझसे अनुमति ली है और वह अभी आ रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह वाद-विवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है—पंजाब समझौते को कैसे लागू किया जाना है।

श्री नारायण चौबे : तो हमें वाद-विवाद को रोक देना चाहिए और जब वह सभा में आ जायें तो शुरू करना चाहिए।

कृषि मन्त्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : वह अनुपस्थित नहीं हैं। वह दो मिनट में ही वापस आ रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे उम्मीद है कि सभा में इस समय उपस्थित मन्त्री जी ने ही इसका कार्य भार ग्रहण कर लिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : शायद विभाग में फेर-बदल हो गई है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे आशा है कि नहीं हुई है।

जो कुछ भी हो, जैसा कि मैंने कहा है प्रमुख दलों को चुनावी हितों से ऊपर उठना होगा। यदि मैं ऐसा कहूं कि कांग्रेस (इ) को पंजाब तथा हरियाणा दोनों राज्यों में एक ही बात कहनी होगी। यह अत्यन्त आवश्यक है। मुझे आशा है कि यह हो जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : वे द्विभाषी राज्य में विश्वास रखते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : धार्मिक स्थानों को राजनैतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके लिए, उपयुक्त शैक्षणिक अभियान और प्रशासनिक उपाय किये जाने चाहिएं। महोदय, मुझे विश्वास है कि जोधपुर बन्दियों के मामले में प्रत्येक मेरी बात से

सहमत होगा—मैं श्री भाटिया जी से सहमत हूं जो थोड़ी देर पहले इस बारे में बोले हैं—कि इन बंदियों की छानबीन की जानी चाहिए और निर्दोष पाये जाने वालों को बगैर किसी और देरी के रिहा किया जाना चाहिए। इसके बाद, दिल्ली, कानपुर और बोकारों में हुए दंगों के अपराधियों को सजा देनी चाहिए। इसके बगैर किसी भी तरह का विश्वास पैदा नहीं किया जा सकता। पंजाब सरकार को उग्रवादियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिएं। मैं आशा करती हूं कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा किया जायेगा।

अब, जहां तक अभियान का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा, कि पंजाब का कर्मकार वर्ग अभियान चला रहा है और किसान वर्ग में इसके लिए शुरुआत की जा रही है और सभी दलों को एक नया अभियान आरम्भ करना चाहिए। इस अभियान का लक्ष्य क्या हो? इस अभियान का लक्ष्य, सबसे पहले लोगों को श्री बरनाला की सही स्थिति के समर्थन के लिए तैयार करना होगा और उसको ठोस कार्यवाही करने में मदद देनी होगी। दूसरे राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर धर्म को राजनीति से अलग रखने का लक्ष्य भी बहुत आवश्यक है। तीसरे, हमें इस बात का पर्दाफाश करना होगा कि आतंकवादी और अलगाववादी सिर्फ भारत विरोधी ही नहीं हैं बल्कि सिख-विरोधी भी हैं। चौथे, हमें हिन्दू संप्रदायवादियों का पर्दाफाश करना चाहिए जो किसी भी तरह की 'बदले' और 'प्रतिकार' के सिद्धान्त का प्रचार करते हैं और जो भारत को एक "हिन्दू राष्ट्र" बनाना चाहते हैं। पांचवें, नवम्बर 1984 में सिख विरोधी दंगे कराने वालों को तथा उन लोगों को निवारक सजा दी जानी चाहिए जो निर्दोष लोगों की हत्या कराते हैं। छठे, जोधपुर बंदियों की जांच करके उनमें निर्दोष पाये गये लोगों को रिहा किया जाना चाहिए।

महोदय, अब हमारा अन्तिम चरण है। मेरे विचार में इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें एक बहुत सत्यनिष्ठ और संयुक्त प्रयास करना पड़ेगा। अन्यथा, इतिहास इस स्थिति पर ही नहीं रुकेगा। इसलिए, समूचे राष्ट्र को एक जुट हो जाना चाहिये और आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा के लिए यह देखना चाहिए कि सिर्फ शब्दों से ही नहीं बल्कि कर्मों के माध्यम से देश की अखंडता और एकता की पूर्णतया रक्षा की जानी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सभापति महोदय, इस सभा में मैंने तीन से भी अधिक बार पंजाब का मामला उठाया है और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इससे पहले की गई चर्चाओं में दिये गये कहे तर्कों और उठाई गई बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता।

महोदय, मैं गृह मंत्री द्वारा आज सुबह दिये गये वक्तव्य पर ही मुख्यत: केन्द्रित रहना चाहता हूं और मैं इस ओर सभा का तथा आपके माध्यम से गृह मंत्री का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं ताकि और अधिक सही कार्यवाही की जा सके तथा स्थिति को बिगड़ने से बचाया जा सके।

[प्रो० मधु दण्डवते]

महोदय, अपने वक्तव्य में, गृह मंत्री ने कहा है :—

"30 नवम्बर, 1986 को श्री गुरचरण सिंह तोहरा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष चुने गये थे। इसके तुरन्त बाद स्वर्ण मन्दिर परिसर से आतंकवादियों को बाहर रखने के लिए उनके द्वारा पहले से गठित किये गये विशेष कार्य बल को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति ने बर्खास्त कर दिया। 24 दिसम्बर, 1986 को अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति की कार्यकारी समिति की बैठक में मुख्य ग्रन्थियों की नियुक्ति की गई ......"

महोदय, आपको पता है कि उन्होंने 'हुक्मनामा' जारी किया। महोदय मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले की गहराई में जाये। उन्होंने निश्चित तौर पर यहां यह संकेत दिया कि श्री जी० एस० तोहरा के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष चुने जाने के बाद कुछ परिवर्तन हुए हैं। यह बहुत रोचक बात है। मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वह सभा की कार्यवाही के लिए उचित नहीं है।

परन्तु महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात की पूरी जांच करवायें कि क्या सताधारी अथवा विरोधी दल के ऐसे सदस्य यहां पर हैं जिन्होंने श्री तोहरा का समर्थन करने के लिए अमृतसर के बाहर गुरुद्वारों के प्रतिनिधियों की विशेषरूप से सहायता की और जो तुच्छ दलगत राजनीति और व्यक्तिगत प्रतिद्वंदता के लिए यह चाहते थे कि श्री तोहरा निर्वाचित हो जायें और उसके बाद कई बातें हुई। मैं चाहता हूं कि इस विशेष मामले की पूर्ण जांच की जाए। नये निर्वाचित अधिकारियों ने नये सिरे से निर्वाचित कार्य बल को बर्खास्त कर दिया और नये मुख्य ग्रंथियों का चुनाव किया गया। प्रो० दर्शन सिंह रागी को कार्यवाहक जत्थेदार चुना गया और इसके बाद, जैसा कि मैंने कहा है, उन्होंने हुक्मनामा जारी किया।

महोदय, मैं मूलभूत मामला उठाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि समस्त सभा इससे सहमत होगी, विशेष रूप से प्रो० रंगा जो संविधान सभा के के सदस्य रहे हैं, संविधान सभा के वाद-विवादों को स्मरण करेंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि वह मुझसे सहमत होंगे, कि इस सारी घटना से धर्म निरपेक्ष राजनीति का एक प्रश्न जुड़ा हुआ है। मैं वह मूलभूत मामला उठाता हूं जिस पर संविधान सभा ने चर्चा की थी, कि क्या धर्म और राजनीति को अलग रखा जाये अथवा नहीं और क्या देश की राजनीति में धार्मिक संस्थाओं को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाये या नहीं। महोदय, संविधान सभा में इस समस्या पर गहराई से चर्चा की गई थी, परन्तु दुर्भाग्यवश कोई भी विधेयक नहीं बनाया गया और कोई भी प्रशासनिक कदम नहीं उठाये गये जो संविधान सभा के अधिकतर सदस्यों की भावना को कार्य रूप देते और यही स्थिति की विडंबना है। हमने समस्या को समझना चाहिए।

मैं, सिर्फ श्री बादल के सामने ही नहीं बल्कि सभी अकाली दल के सदस्यों से एक प्रश्न करना चाहता हूं। यह प्रश्न मैं श्री बरनाला से भी करता हूं। महोदय, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। जनता सरकार के मंत्रिमंडल में वह मेरे साथी रहे हैं। मैंने उनको मंत्रिमंडल में कार्य करते देखा है, मेरी उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। परन्तु इसके साथ-साथ मैं सभी संबंधित व्यक्तियों से यह प्रश्न करता हूं और मैं श्री बरनाला से भी यह प्रश्न करता हूं। मेरा प्रश्न यह है: क्या आप एक धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार हैं "कि हम देश की राजनीति में धार्मिक आदेशों का हस्तक्षेप नहीं होने देंगे ? मैं यहां पर संविधान का उल्लेख करना चाहता हूं। महोदय, अकाली दल के सिर्फ एक विशेष गुट, श्री बादल, श्री तोहरा और प्रो० दर्शन सिंह के ही बारे में बातें क्यों की जायें ? मैं अपने साथी और मित्र श्री बरनाला से एक प्रश्न करता हूं कि अकाली दल के संविधान का पुनः अवलोकन किया जाये। महोदय, क्या आप जानते हैं कि अकाली दल की प्राथमिक सदस्यता सिर्फ उन्हीं के लिए खुली है जो सिख समुदाय से संबंध रखते हैं ? क्या आप जानते हैं कि हमारे लोकतांत्रिक दल में एक नियम है कि वह कोई व्यस्क जो दल की विचारधारा और सिद्धान्तों का समर्थन करता है, सदस्य बन सकता है ? परन्तु एक सक्रिय सदस्य ही दल का पदधारी बन सकता है। यही हमारा संविधान कहता है। परन्तु, महोदय, अकाली दल में एक और खंड है और श्री बरनाला को उस संबंध में अपने विचार व्यक्त करने चाहिएं। क्या ऐसी बात नहीं है कि अकाली दल के संविधान के अनुसार, सिर्फ एक अमृतधारी सिख अकाली दल का पदधारी बन सकता है ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : अमृतधारी कौन होता है ?

प्रो० मधु दंडवते : अमृतधारी के बारे में जानने के लिए कृपया विशेषज्ञों से परामर्श लें। वो लोग जिन्होंने कोई बहुत पवित्र वस्तु ग्रहण कर ली हो अथवा शायद कुछ और, मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहता। परन्तु मैं श्री बरनाला से पूछता हूं कि जहां तक उनके नेतृत्व वाले दल का संबंध है, क्या यह एक तथ्य नहीं है कि जो एक अमृतधारी सिख होता हैं सिर्फ वही अकाली दल का पदधारी बन सकता है ? क्या यह एक तथ्य नहीं है कि जब यह सब गड़बड़ हुयी और नव-नियुक्त मुख्य ग्रंथियों ने एक नयी घोषणा की और अकाली दल की अंदरुनी राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया और उन सब को यह कहा, 'कि आप अपने इस्तीफे कल पांच बजे तक दे दें,' तो उसके बाद, मुख्यमंत्री ने भी एक वक्तव्य दिया कि इस तरह हम अकाल तख्त के खिलाफ नहीं हैं। हम उनके प्राधिकार के खिलाफ नहीं हैं। परन्तु उन्हें हमारे दृष्टि-कोण को समझना चाहिए था, उन्हें कुछ सिद्धान्तों को मानना चाहिए था और फिर उन्हें निर्णय लेना चाहिएं। महोदय, इसमें केवल नाम का अन्तर है। अगर मेरे मित्र श्री बरनाला समस्या को समझना चाहते हैं तो उन्हें दुतरफा रुख नहीं अपनाना चाहिए। इससे समस्यायें नहीं सुलझेंगी। इस प्रकार, क्या वह यह कहने का साहस दिखायेंगे— क्या वह श्री दर्शन सिंह और दूसरे लोगों को यह कहने के लिए तैयार होंगे कि हम अकाली दल के संविधान का पुनः प्रारूप बनाने के लिए तैयार हैं और यह दल सिर्फ सिख समुदाय के लिए ही खुला नहीं

[प्रो० मधु दंडवते]

होगा बल्कि सभी के लिए होगा। सिर्फ श्री दर्शन सिंह ही क्यों ? इस मामले में श्री बरनाला को नेतृत्व करना पड़ेगा और उन्हें इस देश में धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वालों को यह बताना पड़ेगा कि जैसे वे यहां पर धर्मनिरपेक्ष हैं वही दृष्टिकोण अपनाने के लिए वे भी तैयार हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है तो समस्या ऐसे ही बनी रहेगी। क्या आज हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि शंकराचार्य श्री हेगड़े को दल की सदस्यता से त्यागपत्र देने के लिए आदेश दे ? कल, क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि वह शेख अब्दुला को पद से अथवा दल की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए कहें ?

एक माननीय सदस्य : कश्मीर में, अब फारूख अब्दुला हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे अफसोस है। यह गलती से कहा गया। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि ये सिर्फ गलती से कही जाने वाली बात का ध्यान रखते हैं। इसलिए, मैं गलती से कही गयी बात का प्रारम्भ से अवलोकन करता हूं और कहता हूं कि अगर कोई ईमाम फारूक साहब को दल की सदस्यता से कल चार बजे तक इस्तीफा देने के लिए कहता है, तो ऐसी बातें इस देश में होती ही रहती हैं चाहे वे हिन्दू, मुस्लिम अथवा सिख हों। तब तक इस देश की राजनीति प्रदूषित ही रहेगी और इस विशेष मुद्दे पर कोई भी पक्का दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार नही है। जब तक श्री बरनाला अथवा सिख समुदाय का और कोई गुट और अकाली दल धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं तब तक प्रत्येक भावुकता और अतिसंवेदन-शीलता देखना चाहता है। आज आप खिचड़ी बना सकते है और समस्या का समाधान करें। परन्तु समस्या बार-बार उभरती रहेगी। इस संबंध में मैं एक उदाहरण देता हूं। पंजाब में जनता दल के अध्यक्ष श्री कृपाल सिंह भी सिख समुदाय से हैं। परन्तु कल अगर अकाल तख्त उनको दल की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए कहता है तो पंजाब में सिख समुदाय से सम्बन्ध रखते हुये भी साहस और विश्वास के साथ उनको वह यह कहेंगे "कि आपके आदेश भाड़ में जायें, मैं तो दल की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दूंगा" धर्मनिरपेक्ष दल से संबंध रखने वाले सिख इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार है, चाहे वे जनता दल अथवा साम्यवादी दल अथवा कांग्रेस से संबंध रखते हों। वे इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार हैं। क्या अकाली संविधान को बदलने और नई अवस्थिति अपनाने के लिए तैयार हैं ? यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए।

इस संदर्भ में में सत्ताधारी दल और विरोधी पक्ष के अपने साथियों के सामने एक रचनात्मक सुझाव रखना चाहता हूं। धर्मनिरपेक्षता की इस वास्तविक भावना को प्रभावशाली बनाने के लिए कि हम राजनीति में किसी भी समुदाय को बहिष्कार और सामाजिक तौर पर बहिष्कार करने की अनुमति नहीं देंगे, इस संबंध में हमें आम सहमति के साथ संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए। मैं किसी एक विशेष समुदाय का जिक्र नहीं कर रहा हूं। महोदय, यह तो

विभिन्न समुदायों में होता है। प्राचीन समय में हिन्दू कोड में कई वर्षों तक सामाजिक सुधारों का बहिष्कार किया गया . उनका दूसरे समुदायों में भी बहिष्कार किया गया। सिख समुदाय में काफी लोगों को समुदाय से बहिष्कृत किया गया है। पंजाब में जनता दल के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री हरभजन सिंह का भी बहिष्कार किया गया था। उन्होंने कहा कि उनका बहिष्कार भाड़ में जाये। मैं तो अपनी समाजवादी राजनीति के साथ पंजाब में आगे बढ़ता ही रहूंगा। वह झुके नहीं। समय आ गया है कि हमें इस सभा में इस बात पर सहमत होने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जाये जिसके तहत किसी भी समुदाय द्वारा किया गया सामाजिक बहिष्कार एक गैर कानूनी कार्य माना जायेगा। मैं आपको बताता हूं कि इससे कैसे नुकसान होगा। मेरे अपने राज्य महाराष्ट्र में, जहां से आप भी हैं, वहां की बड़ी दुखःदायी घटना है कि सवर्ण हिन्दू समुदाय से संबंध रखने वाले कुछ जमींदारों ने ग्रामीण स्तर पर एक निर्णय लिया कि अनुसूचित जाति समुदाय से संबंध रखने वाले कृषि मजदूरों का सामाजिक बहिष्कार किया जायेगा, उनको कुओं से पानी लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी और कोई भी जमींदार उनको कृषि मजदूरों के रूप में अपने खेतों में नहीं रखेगा। ऐसे कार्य विभिन्न समुदायों में होते रहे हैं। फिर, ऐसा सिर्फ सिख समुदाय तक सीमित क्यों रहेगा। इसलिए, इस सभा में इस बात के लिए आम सहमति बनाने का समय आ गया है कि जैसा कि इस देश में किसी का अनुसूचित जाति के रूप में नाम लेना और उसे तंग करना एक अपराध माना गया है उसी तरह सामाजिक बहिष्कार एक गैर-कानूनी कार्य माना जायेगा। इस देश में, सामाजिक बहिष्कार को एक अपराध माना जाना चाहिए और ऐसा इस सभा द्वारा कानून बना कर किया जाना चाहिए। मैं एक ठोस प्रस्ताव करता हूं कि ऐसा किया जाना चाहिए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : सामाजिक बहिष्कार सामाजिक प्रतिषेध के अधीन आता है।

प्रो० मधु दंडवते : पहले ही सामाजिक बहिष्कार हो चुका है।

4·31 म०प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं दो ठोस प्रस्तावों के बारे में कह रहा था। मैं आपके सत्प्रयास का उपयोग करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है श्रीमान, ऐसा ही होगा।

प्रो० मधु दंडवते : सबसे पहले अकाली दल को तथा अन्य सभी दलों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम अपना संविधान बदलेंगे और यह देखेंगे कि हमारे दल की सदस्यता सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों तक सीमित न हो।

दूसरे, एक अधिनियम द्वारा इस देश में सामाजिक बहिष्कार को अवैध बना दिया जाये

[प्रो० मधु दंडवते]

चाहे बहिष्कार हरिजनों का हो, चाहे हिन्दू समाज के समाज सुधारकों का हो, चाहे मुस्लिम समुदाय के समाज सुधारकों का हो या सिक्ख समुदाय के समाज सुधारकों अथवा उनसे मतभेद रखने वालों का बहिष्कार हो, ऐसे बहिष्कार को अवैध समझा जायेगा। इस बारे में इस सदन को अधिनियम बनाना चाहिए। मैं इसके लिए आग्रह करता हूं। मुझे आपकी सहमति की आशा है।

अध्यक्ष महोदय : हां, श्रीमान जी।

प्रो० मधु दण्डवते : कानून और व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में मैं एक और पहलू का उल्लेख करना चाहूंगा। हाल ही में जालन्धर में एक बड़ी बैंक डकैती डाली गई आपने भी यह समाचार पढ़ा होगा। आतंकवादी और उग्रवादी लोग बैंक के आहते में एक घण्टा और पैंतालिस मिनट तक रहे। यहां पर भी मैं इस तकनीकी मुद्दे को नहीं उठाना चाहता कि कानून और व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है अथवा किसी अन्य का। मैं इस सदन में यह बताना चाहता हूं कि सन 1983 में पहले ही केन्द्र की ओर से देश के विभिन्न भागों में सभी बैंक अधिकारियों के पास इस बारे में हिदायतें जा चुकी थीं कि उन्हें बैंक में विशेष सुरक्षा प्रबन्ध अवश्य कर लेने चाहिए। उनके पास स्वचलित संकट चेतावनी घण्टी होनी चाहिए और उन्हें यह अवश्य ही निश्चित कर लेना चाहिए कि बैंक की सुरक्षा वास्तव में सुनिश्चित है और उसके लिए केन्द्र की ओर से जिस सहायता की आवश्यकता है, उसे उपलब्ध कराया जायेगा। ये सिफारिशें 1983 में की गई थीं। उग्रवादियों ने जालन्धर बैंक में प्रवेश किया। वे वहां एक घन्टा और पैंतालीस मिनट तक रहे। शायद पुलिस के लोग यह मालूम करने के लिए गलियों में परेड कर रहे थे कि दूसरी दिशा में अपराधियों को ढूंढ़ा जा सकता है। जबकि वे किसी अन्य दिशा में भाग रहे थे। यह बातें वहां घटित हो रही हैं। जहां तक बैंकों के उत्तरदायित्व का सम्बन्ध है केन्द्र इस बारे में क्या कार्य कर रहा है ? यह पहला अवसर नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक की जालन्धर शाखा से 5·7 करोड़ रुपए लूट लिए गये हैं।

कुछ माननीय सदस्य : ऐसा लुधियाना में हुआ।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे खेद है ऐसा लुधियाना में हुआ। क्योंकि मैंने ऐसा कहा है इसलिए जालन्धर में भी कोई ऐसी कोशिश कर सकता है। उन डाकुओं और उग्रवदियों द्वारा 5·7 लाख रुपया लूट लिया गया जो एक घण्टा और पैंतालीस मिनट तक वहां रहे। स्थानीय पुलिस क्या कर रही थी ? और केन्द्र क्या कर रहा था जिसे राष्ट्रीयकृत बैंकों का स्वामी समझा जाता है ? इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए।

बरनाला मंत्रालय ने 29 अप्रैल 1986 के सरबत खालसा के आह्वान की निन्दा की है। वास्तव में ऐसा कहा गया और इसे भारतीय समाज में अस्थिरता पैदा करने के लिए विदेशी शक्तियों का एक षडयन्त्र बताया। यह वक्तव्य पंजाब से मंत्रालय ने जारी किया है। बरनाला

सरकार ने यह प्रमाणित वक्तव्य दिया है। इसके आधार पर मैं यह मांग करूंगा कि केन्द्र सरकार के सहयोग से सदन को यह बताने के लिए एक श्वेत-पत्र तैयार करे कि किस रूप में इस देश में विदेशी शक्तियों की साठ-गांठ स्थापित हुई है। यदि ऐसा घटित हो रहा है तो यह एक खतरनाक बात है। हम बरनाला सरकार के इस बयान को सही मान कर नहीं चल सकते कि विदेशी शक्तियां देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही हैं और हमारे पास इसका कोई प्रमाण है। यदि आपके पास कोई प्रमाण है तो आप पूरे देश को अपने विश्वास में लीजिए। केन्द्र सरकार संसद को विश्वास में ले और हम इस बारे में जनमत तैयार कर सकते हैं क्योंकि यदि यह बात सिद्ध हो जाती है कि देश में अस्थिरता उत्पन्न करने में विदेशी शक्ति शामिल है तो चाहे राजनैतिक दलों में कोई भी मतभेद हो। परन्तु जहां तक देश की स्थिरता का सम्बन्ध है सम्पूर्ण देश इस बारे में एक-जुट हो जायेगा। इसलिए मंत्रालय की ओर से एक वक्तव्य जारी करना ही पर्याप्त नहीं है, इस बारे में श्वेत-पत्र जारी कीजिए।

हम समझौते को लागू करने के बारे में इतनी अधिक बातें करते हैं। हमने मुख्यमंत्री श्री बरनाला के साथ बातचीत की थी। उनकी वेदना यह है कि वह कठिनाई का सामना कर रहे हैं। उग्रवादियों के हाथों को मजबूत किया जा रहा है क्योंकि समझौते को लागू करने के बारे में कोई राजनैतिक समर्थन नहीं मिल रहा है। जहां तक इस समझौते का सम्बन्ध है, मेरे पास इसकी एक प्रतिलिपि है और यदि आप मुझसे एक सीधा प्रश्न पूछते हैं—कृपया यह मत समझिए कि मैं आपकी टांग खींच रहा हूं—इस पंजाब समझौते का क्या हुआ, इसे कहां तक लागू किया गया है तो मैं केवल यह कहूंगा कि इस समझौते पर केवल हस्ताक्षर किए गए हैं और कुछ नहीं हुआ है। सारांश में केवल यही हुआ है।

एक माननीय सदस्य : यह गलत है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप कह सकते हैं कि यह गलत है परन्तु मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। आपको यह पता चलेगा कि बहुत से मुद्दों का बिलकुल समाधान नहीं किया गया है। ठोस रूप से मैं एक बात कहूंगा। इन तीन आयोगों को देखिए। मैथ्यू आयोग की बात आती है तो वह कहता है कि वह कार्य नहीं कर सकता क्योंकि सारी निर्देश शर्तें इतनी कठोर रूप से तैयार की गई है कि अब वह उन हिन्दी भाषी गांवों का पता लगाता है जो हरियाणा को हस्तान्तरित करते हैं तो यदि एक छोटा-सा गांव रास्ते में रूकावट बन जाता है तो तकनीकी तौर पर हिन्दी भाषा क्षेत्र की संलग्नता टूट जाती है। इस प्रकार वह भागोलिक दृष्टि से सोचते हैं न कि वास्तविकता की दृष्टि से। इसलिए इन गांवों को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता और चण्डीगढ़ पंजाब के पास नहीं जा सकता।

फिर दूसरे आयोग की बात आती है। हैरानी की बात है कि वैंकट रमइया आयोग कहता है कि 70,000 एकड़ भूमि को हस्तान्तरित किया जाना चाहिए। उसमें से वह कितनी भूमि का निर्धारण करते है, 45,000 एकड़ भूमि का निर्धारण किया जा चुका है और क्योंकि काफी भूमि

[प्रो० मधु दंडवते]

का निर्धारण नहीं किया गया इसलिए पंजाब को यह बता दिया गया है कि चण्डीगढ़ की स्थिति वही रहेगी जो अब है, आपकी स्थिति भी वही रहेगी और आयोग की स्थिति भी वही रहेगी जो अब है। श्री बरनाला ने सुझाव दिया है कि यदि 45,000 एकड़ भूमि का निर्धारण किया गया है तो इसे हरियाणा को हस्तान्तरित कर दो और इस बीच चण्डीगढ़ पंजाब को हस्तान्तरित कर दो। इसे पंजाब की राजधानी के रूप में स्वीकृति दीजिए। परन्तु वह ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह समझौते की बात को तो समझते हैं परन्तु मनोभावों को नहीं समझते।

मुझे खुशी है कि आपकी अनुपस्थिति में श्री भाटिया ने सिक्खों के मनोभावों के बारे में बात की थी। केवल मांग की बात ही आवश्यक नहीं अपितु उनके मनोभाव अधिक आवश्यक हैं। इसलिए इन बातों को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

नवम्बर के दंगों का भी उल्लेख किया गया है। मुझे खुशी है कि इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा आयोग जो दिल्ली में नवम्बर में हुए दंगों के बारे में जांच-पड़ताल कर रहा है उसके जांच क्षेत्र में बोकारो और कानपुर में हुए दंगों को भी शामिल कर लिया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। हमें इस मुद्दे को दबाना नहीं चाहिए।

हमने उन बहुत से सिख परिवारों से मुलाकात की है जिन्होंने उन दिनों दुख भोगे थे। मैं केवल सदन को यह बताने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं। आप उस रिपोर्ट को पढ़ने पर देखेंगे कि आयोग की रिपोर्ट क पृष्ठ संख्या 20 पर मेरे शपथ-पत्र को प्रकाशित किया गया है। राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा करते हुए मैंने सिक्खों पर अत्याचार के नमूने को देखा कि उन्हें बाहर खींच कर पुलिस की उपस्थिति में मारा जा रहा था। उन्हें जलाकर मार दिया गया और नीली वर्दी पहने एक कुली को भी जलाकर मार दिया गया। पुलिस वहां खड़ी थी और मैं उनके पास गया और उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। मैने उन्हें डांटा और उन्हें रेलगाड़ी में ले आया। हिन्दू लोग यह कह रहे थे कि आश्रम मार्ग के सिख एकत्रित हैं और वे उन्हें मार डालेंगे इसलिए रेलगाड़ी को नहीं जाना चाहिए। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि भूतपूर्व मंत्री होने के नाते मैं रेलगाड़ी का उत्तरदायित्व लेता हूं। मैंने उन्हें दरवाजों पर ताले लगाने के लिए कहा। हमने पुलिस को बुलाया और एक डिब्बे को छोड़कर हर दूसरे डिब्बे में पुलिस वालों को रखा गया और हम सुरक्षित दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। बाकी बचे हुए सिक्खों की भी सुरक्षा की गई। आयोग की रिपोर्ट में पृष्ठ 20 पर इस प्रकाशित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि बहुत से लोग जिन्होंने श्री दण्डवते से जिरह करने की कोशिश की वे उनकी बात नहीं काट सके···और क्योंकि वे एक जिम्मेवार संसद सदस्य और भूतपूर्व रेलवे मंत्री हैं इसलिए उनकी बात में अविश्वास का कोई प्रश्न ही नहीं है और हम उनकी बात को पूर्णतः स्वीकार करते हैं। मिश्रा आयोग ने यह बातें कही हैं। महोदय, ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। इन घटनाओं का समाधान करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे मांग की है। मै नहीं जानता कि कार्य मंत्रणा समिति में आपने क्या निर्णय लिया है। मैंने इस बारे में पहले ही नोटिस दिया है कि मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि

मुझे यह पता चला है कि हममें से कुछ लोगों ने शपथ-पत्र दिये थे और पुलिस द्वारा कुछ अन्य लोगों से हमारे शपथ पत्रों को झूठा साबित करने के लिए विपरीत शपथ-पत्र लिए गये। विपरीत शपथ-पत्रों की साइक्लोस्टाइल प्रतियां जारी की गई थीं। मैंने उनको अपने कब्जे में कर लिया है। मिश्रा आयोग ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया है। ऐसे सैकड़ों साइक्लोस्टाइल विपरीत शपथ-पत्रों को बांटा गया था। मैं चाहूंगा कि इस बारे में चर्चा की जाए क्योंकि जिन भावनाओं को उन्होंने भड़काया उन्हें शान्त करना पड़ेगा और उन्हें यह बताना है कि कुछ अन्य बातें घटित हुई हैं। उन्होंने पहले ही यह बात कही है कि पुलिस दोषी पाई गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण राष्ट्र को इन घृणित घटनाओं पर खेद होना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : परन्तु उस 'खेद' को भी एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिए। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि इस बारे में चर्चा होनी चाहिए।

अब जोधपुर के नजर बन्दियों के बारे में कुछ बातें हैं। सत्तारूढ़ दल और विरोधी पक्ष के बहुत से सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है। प्रो० रंगा ने एक सकारात्मक रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा है कि हमें सहनशीलता का रूख अपनाना चाहिए। मैं प्रो० रंगा को बताना चाहूंगा कि उनमें से कोई भी व्यक्ति सुरक्षा सेनाओं से सम्बन्धित नहीं है। आप जानते हैं कि किन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और किन्हें जोधपुर कैम्प में नजर-बन्दी बनाकर रखा गया है। वे सभी वे लोग हैं जो मन्दिर के अन्दर पाए गए थे। महोदय, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रामूवालिया का एक सदस्य भी वहां है। वह मन्दिर गए थे और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और नजर-बन्द रखा गया है उनकी कुल संख्या 369 है और आपको यह जानकर दुःख पहुंचेगा कि 369 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के विरुद्ध भी दोषारोपण सिद्ध नहीं किया जा सका है। वे लोग सुरक्षा सेवाओं से नहीं है। वे सेना के भगोड़े भी नहीं हैं। उन्हें राजद्रोह और देश के विरुद्ध षडयन्त्र का अपराधी समझा गया है और जब सरकार उनमें से किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी आरोप सिद्ध नहीं कर सकी, तो आप जानते हैं कि उन्हें क्या बताया गया। अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व आप पर ही है। यदि आप मुझे 'एक्स' अथवा 'वाई' की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार करके बन्दी बना लेते हैं और आप यह सिद्ध नहीं कर पाते कि मैंने हत्या की है और यदि न्यायधीश यह कहता है कि अपने आपको निर्दोष सिद्ध करने का उत्तरदायित्व आप पर है तो यह एक विचित्र न्याय शास्त्र है। इस देश में ऐसी बातें घटित हो रही है। इसलिए सिख समुदाय को उत्तेजित करने के लिए उग्रवादियों को एक अतिरिक्त मौका मत दीजिए और इसलिए उस समस्या का भी अवश्य ही समाधान किया जाना चाहिए। महोदय धर्म निरपेक्षता की रक्षा करने और साम्प्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए अपने दल की ओर से मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि इस बारे में हम किसी से पीछे नहीं हैं। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो हम शत-प्रतिशत प्रशंसा नहीं करते। हम कभी भी किसी व्यक्ति को कोरा चैक नहीं देते—चाहे वह प्रधानमंत्री हो अथवा पंजाब का मुख्य मंत्री—परन्तु

[प्रो० मधु दंडवते]

जिन प्रयासों से राष्ट्र को लाभ होगा हम सदा उनमें सहयोग देंगे। इसलिए मैंने कुछ ठोस सुझाव दिए हैं अर्थात कुछ कानून बनाने के बारे में और कुछ सुझाव राजनीति से धर्म को पूर्णतः अलग रखने के बारे में हैं।

मैं समझता हूं कि संविधान सभा की भावना को लगातार इस सदन में जीवित रखा जाना चाहिए और धार्मिक संस्थाओं को राजनीति से अलग रखने के बारे में संविधान-सभा की भावना को जब हम वैधानिक रूप दे पायेंगे, केवल तभी समस्या का समाधान होगा वरना आज यह समस्या पंजाब में है कल किसी अन्य राज्य में होगी और इस प्रकार यह समस्या जारी रहेगी। मुझे आशा है कि सरकार इस बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनायेगी और उसके आधार पर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रो० दण्डवते की इस बात से सहमत हूं कि यदि राष्ट्र को अपना आस्तित्व भली प्रकार बनाए रखना है तो सम्प्रदायवाद का उन्मूलन करना चाहिए। किसी भी समाज द्वारा अनुभव की गई यह सबसे बड़ी बुराई है।

प्रो० मधु दण्डवते : दुर्भाग्य से हम गीता पाठ की तरह इसका उच्चारण करते रहते हैं परन्तु करते कुछ नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सम्पूर्ण सभा से कई बार अनुरोध किया कि हमें कम से कम इस पहलू पर एकजुट हो जाना चाहिए क्योंकि हम पहले ही बहुत हानि उठा चुके हैं। क्या हमें 1947 का विध्वंस याद नहीं है? लाखों लोग बेघर हो गए थे और हजारों लोग अंगहीन हो गए थे। यदि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते तो भविष्य के इतिहास में हम किस प्रकार के व्यक्ति समझे जायेंगे। इस प्रकार हमें एकजुट होकर स्थिति का सामना करना चाहिए और कुछ करना चाहिए और एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दोनों सदनों को संयुक्त रूप से इसे समझना चाहिए, कुछ नियम बनाने चाहिए और कुछ सकारात्मक कार्य करना चाहिए। यही समय की मांग है वरना केवल बातचीत करने से कोई लाभ नहीं होगा। कथनी और करनी के अन्तर को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं कुछ सकारात्मक कार्य करने के पक्ष में हूं। मैं आपको सलाह देता हूं और आप सब लोगों से स्थिति का सामना करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यह एक बुराई है। साम्प्रदायवाद और प्रजातन्त्र साथ-साथ नहीं रह सकते। हमें इस पागलपन को दूर करना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : विरोधी पक्ष और शासक दल साथ-साथ रह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, वे सदैव सह-अस्तित्व में रह सकते हैं क्योंकि उसके बिना प्रजातन्त्र रहेगा ही नहीं।

मैं समझता हूं कि आपने प्रधानमंत्री के साथ भी कुछ विचार विमर्श किया था और वे कानूनी कार्यवाही की बातचीत भी कर रहे थे। आप सभी एकजुट होकर आगे क्यों नहीं आते।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे आशंका है कि वे कुछ संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यदि वे इसे प्रस्तुत नहीं करें तो मुझे बहुत खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय का आशय साम्प्रदायवाद से था, आतंकवाद से नहीं।

श्री आर०एस० स्पैरो (जालंधर) : महोदय पंजाब में अस्त व्यस्त स्थिति है और इस भव्य सदन को प्राथमिकता के आधार पर विशेष रूप से इस बारे में विचार करना चाहिए कि वहां चरणबद्ध रूप से किस प्रकार स्थिति में सुधार किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों से पंजाब के सभी वर्गों के लोग और अधिकारी अभूतपूर्व आगजनी, लूट, हत्या और अज्ञात भय से पीड़ित हैं। एक अभूतपूर्व बात है और यह कार्य दुश्मनों, उग्रवादियों आतंकवादियों और सभी प्रकार के अपराधियों के हाथों से हो रहा है और ऐसी घटनाएं अधिकतर इस नाजुक-स्थिति वाले सीमांत राज्य के जिलों में घटित हो रही हैं। कुछ विशेष सुधारों भू-युद्धनीतिक, भू-राजनैतिक को हम सभी लोग भली प्रकार समझ सकते हैं। आज पंजाब की यह स्थिति है और महोदय आकस्मिक रूप से लोग अपनी जगहों पर ही कष्ट भोग रहे हैं। वे समझते हैं कि वे किस प्रकार अग्नि-परीक्षा से गुजर रहे हैं।

[हिन्दी]

जिस तन जाने जिस तन लागे
सेइ जाने न जाने पीर पराई।

4.47 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए।]

[अनुवाद]

यह एक 'इल्म उल यकीन' का प्रश्न नहीं है। यह एक 'हक उल यकीन' का प्रश्न नहीं है। यह एक 'आयनल यकीन' का प्रश्न है। किसी स्थान पर आपकी जानकारी में जलती हुई आग को आप देखते हैं। आप अपनी आंखों से देखते हैं कि यहां आग है। परंतु महोदय यदि आप जलती हुई आग के अन्दर हों तो आप यह जान सकते हैं कि आग का अभिप्राय क्या है। यही बातें मेरे प्यारे पंजाब के साथ घटित हुई जहां हिन्दू, सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लमान आदि सभी लोग रहते हैं और परम्परागत रूप से वे एक सर्वोत्तम प्रजाति समूह है जिसे ऐतिहासिक रूप से भली प्रकार जाना जाता है। यह एक हिन्दू अथवा सिख होने का प्रश्न नहीं है अपितु एक सम्पूर्ण प्रजाति समूह का प्रश्न है! और महोदय आज की चर्चा में आप किसे दोष देंगे?

[श्री आर० एस० स्पैरो]

हम किस पर दोष लगायेंगे ? क्या हम पंजाब सरकार पर दोष लगायेंगे अथवा केन्द्रीय सरकार, विरोधी दलों अथवा इस सदन पर हो दोष लगायेंगे जो पंजाब समस्या पर कई बार विचार कर चुका है। इससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि मैं चक्रानुक्रम से किसी पर दोष लगाना आरम्भ करता हूं तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। जहां तक पंजाब समस्या का प्रश्न है मेरा अनुरोध है कि इस बारे में कोई राजनैतिक पक्षपात नहीं होना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। इस बारे में उचित रूप से हमें एकजुट होना चाहिए। मुझे यह सुनकर काफी प्रसन्नता है कि यदि इसके लिए कुछ संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत करने पड़ें तो इस कार्य को भी कर देना चाहिए। परन्तु यह कार्य किसे करना है ? यह सदन सर्वोच्च है। आप इस पर चर्चा कीजिए और एक व्यावहारिक समाधान निकालना चाहिए, एक समाधान जो हिमालय से कन्याकुमारी तक के सभी लोगों बच्चों, महिलाओं, पुरुषों और धर्म निरपेक्ष भारत के लाभ के लिए उचित और समर्थ हों। हमें अपनी एकता और प्रभुता बहुत प्यारी है। उसे हमने इतना अधिक संघर्ष करके प्राप्त किया है और उस संघर्ष में कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं रहा। अकाली सिख, हिन्दू और प्रत्येक व्यक्ति ने उस संघर्ष में बड़े पैमाने पर भाग लिया। उस संघर्ष में बंगाल, मद्रास, कन्या कुमारी आदि सभी जगहों से व्यक्तियों ने भाग लिया। भारत देश हम सभी की सम्पत्ति है और हमें इसकी देख-भाल करनी चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।

पहला प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूं वह यह है कि एक राष्ट्रीय मतैक्य के रूप में हम कैसे इसे निपटाने जा रहे हैं। इस बारे में बहुत कुछ कहा सुना जा चुका है। परन्तु अब हमें यथार्थ बात पर आना चाहिए। जब हमें यथार्थ बात पर आना है तो हमें उन लोगों को भी अपने रास्ते पर लाना है जो हमसे सहमत नहीं हैं। अकाली नेतृत्व में मेरे जैसे एक ही तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व है। मैं जानता हूं कि वे लोग धर्म निरपेक्ष रहना चाहते हैं, वे भारत मां की सेवा करना चाहते हैं परन्तु कुर्सी पर बैठने के लिए घटनाओं के प्रवाह के साथ, दवाब और प्रति-दवाब के कारण सभी प्रकार के मतारोपण किए गए हैं गलत मत प्रचार किया गया है कुछ विशेष व्यक्तियों ने अपना रास्ता और सन्तुलन भी खो दिया है। उस सन्तुलन को ठीक करना हमारा कर्त्तव्य है मुझे बहुत खुशी है कि प्रो० रंगा और अन्य माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि हमें एक मतैक्य बनाना चाहिए। जहां तक कानून-व्यवस्था और अन्य वास्तविकताओं का सम्बन्ध है उसके लिए कुछ ऐसा समाधान निकालना है जिस पर सभी लोग सहमत हों। माननीय प्रधानमंत्री और केन्द्रीय सरकार पंजाब समस्या के बारे में जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं मुझे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए।

आप इस बारे में जल्दबाजी नहीं कर सकते। जल्दबाजी करने पर आप स्थिति को बिगाड़ सकते थे और सीमा पर संघर्ष छिड़ने पर स्थिति कुछ और ही बन सकती थी। यदि जल्दबाजी में कोई कार्यवाही की जाती, तो स्थिति कुछ और ही हुई होती।

हमारे मुख्य मंत्री पंजाब में एक अत्यन्त कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। वह अपने आधार पर खड़े हैं। जहां तक सभी लोगों यहां तक कि अकाली दल से भी समर्थन का सम्बन्ध है, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि वे एकजुट होकर कार्य करना चाहते हैं और मसले को निपटाना चाहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे सामने आकर एक जुट होकर, साथ-साथ काम करें। उन्हें कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए और यह घोषणा करनी चाहिए कि वे धर्म निरपेक्ष रहना चाहते हैं, खालिस्तान से उनका कोई वास्ता नहीं है। जो सगे सम्बन्धी क्रोधी नवयुवक खालिस्तान चाहते हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यह एक अशुभ संकेत हैं उन्हें यह विचार त्याग देना चाहिए और देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करना चाहिए। उनका विचार लाभकारी नहीं है। परन्तु मैं जानता हूं कि हम लोग कौन हैं। मेरे गुरुओं के अनुसार हम भारत के स्वामी हैं। हम एकांत में कैसे रह सकते हैं? हमारा धर्म सबसे अच्छे धर्मों में से एक है। सरबत दा भला। हम सभी के लिए मंगलकामना करते हैं। हमारे गुरुओं ने हमारे लिए क्या कार्य किया? उन्होंने इस प्रकार का हुक्कनामा किसी व्यक्ति को नहीं दिया।

मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। गुरु गोविन्द सिंह महाराज, 'सर्व कला सम्पूर्ण' थे। वह एक दुविधा में थे। आनन्द पुर साहब में शत्रु उनके विरुद्ध लड़ रहा था। उस समय उनके उन अनुयायियों द्वारा उनका घेराव किया गया, जो राजनैतिक भू-सैनिक और अथवा सैन्य राजनीति के मसलों पर उनसे सहमत नहीं थे। मेरे अपने जिले अमृतसर के कुछ सिख उनसे असहमत थे और उन्होंने गुरु गोविन्द सिंह को बताया कि उनकी नीतियां गलत थीं। उन्होंने उन लोगों को अपने दृष्टिकोण से सहमत करने का प्रयास किया परन्तु वे सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वे उनसे अलग हो रहे हैं और एक 'बिदावा' लिखा गया। उन्होंने यह कहा कि वे सिख बनकर उनके साथ नहीं रहना चाहते और इसके बाद वे चले गये। क्या आप पर विश्वास करेंगे? गुरु गोविन्द सिंह महाराज ने उनमें से एक व्यक्ति को भी तनखइया घोषित नहीं किया। अन्त में वे सद्भावना सहित मित्र बनकर पंथ में वापिस आ गए और सिख बनकर पुन: साथ-साथ काम करने लगे। इसलिए राजनैतिक उद्देश्यों से किसी भी व्यक्ति को धर्म से निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए। यह मेरा नम्र निवेदन है और ऐतिहासिक सन्दर्भ में वे इस बात पर विचार कर सकते हैं। महोदय, मैं इस विषय पर काफी लम्बे समय तक बोल सकता हूं परन्तु मैं जानता हूं कि मुझे अधिक समय नहीं लेना चाहिए और मैं आपकी नीतियों का आदर करता हूं। किसी अन्य समय मैं आपको विशेष बातों के बारे में सुझाव दूंगा।

आज मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सदन सर्वोच्च है और इसका हम सभी लोगों से संबंध है। बिना किसी राजनैतिक पक्षपात के हमें पंजाब समस्या के समाधान के लिए एक जुट होकर कार्य करना चाहिए। केवल तभी हम उचित समाधान ढूंढ सकते हैं जिससे न केवल पंजाब की स्थिति को सुधारने में सहायता मिलेगी अपितु देश के अन्य भागों में भी उसका वांछित प्रभाव पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री भोलानाथ सेन (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, जब कभी पंजाब में समस्या खड़ी होती है, तो हम बंगाल के लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी एक कविता पढ़ी थी, जो दूसरे धर्म में विश्वास रखने वाले शासकों द्वारा सिखों को यातना दिए जाने के बारे में थी। जब हम बहुत छोटे थे, जब हम स्कूल में थे उस समय हमने जलियांवाला बाग हत्या कांड और गुरुदेव टैगोर द्वारा नाइट की उपाधि त्यागने के बारे में सुना था।

कल ही जब मैं पोर्ट ब्लेयर गया था तो मैंने कलकत्ता जेल देखी थी जिसमें मुझे पता चला कि अधिकतर कैदी बंगाल और पंजाब से थे। जब हम अपनी स्वतन्त्रता के बारे में सोचते हैं तो हम लाहौर से दिल्ली गाड़ियां भरकर लाई गई लाशों के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकते और हम उन लोगों और उनकी यातना के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकते। और वे सारे कष्ट धर्म के कारण थे। बंगाल में भी हमारे भाग्य में यही लिखा था। बंगाल का विभाजन हुआ और पंजाब का भी विभाजन हुआ। धर्म और सम्प्रदायवाद के कारण दोनों राज्यों में लाखों लोग मारे गए और भारत विभाजित स्वतन्त्र भारत के रूप में उदित हुआ। दोनों राज्यों में हमारे संबंधी थे और इसी प्रकार उनके भी संबंधी थे। निस्संदेह उन्होंने बहुत कष्ट उठाए होंगे। धर्म के कारण ही यह सब घटनाएं होती हैं। परन्तु अब भी धर्म भारत की राजनीति में कैसे आ सकता है। इससे मुझे वास्तव में चोट पहुंचती है। कलकत्ता में नेताजी सुभाष बोस की प्रतिमा स्थापित करने से पहले अमृतसर में उनकी पहली प्रतिमा स्थापित की गई थी।

5.00 म०प०

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं रखते थे। वह एक धर्म निरपेक्ष व्यक्ति थे। जिन लोगों ने उनके साथ अपना जीवन बलिदान किया, जो लोग उनके संग भारत की स्वतन्त्रता के लिए लड़े, उन सभी को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जैसे धर्म निरपेक्ष व्यक्ति का नेतृत्व मिला।

आज अचानक पूरी स्थिति बदल गई है। यह कैसी बात है कि धर्म आज एक ऐसी धुरी बन गया है जिसके चारों ओर राजनीति एक उपग्रह की भांति चक्कर काट रही है?

मुझे पन्थ समिति की बात को सुनकर अत्यधिक कोतुहल हुआ जिन्होंने कहा है कि इसका फैसला वे करेंगे कि राज्य में मुख्य मंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा तथा भारतीय संविधान के अन्तर्गत कौन शासन करेगा, यह एक बहुत अजीब बात है। यह हर तरह से संविधान के विपरीत है। भारत एक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र है। यह एक धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतन्त्र है।

एक धार्मिक संस्था राजनीति के मामले में यह कैसे कह सकती है कि मैं शासन करूंगी अर्थात यह कहना कि पंजाब में एक द्वैध शासन हो? भारतीय संविधान के अन्तर्गत द्वैध शासन के लिए कोई स्थान नहीं है। हमने संविधान स्वयं बनाया है बल्कि हमने नहीं अपितु हमारे उन पूर्वजों

ने बनाया है, जो धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखते थे, हिन्दू धर्म में विश्वास रखते थे, इस्लाम में विश्वास रखते थे। हमने अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय में अनुच्छेद 51(क) को संविधान में सम्मिलित किया था। उसमें अन्य बातों के अलावा कहा गया है कि :

"भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो; ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।"

यह बात संविधान में थी। संविधान बनाने के तुरन्त बाद एक जन प्रतिनिधि अधिनियम बनाया गया जिसके अनुसार यदि एक व्यक्ति चुन लिया जाता है तो उसका चुनाव अदालत द्वारा रद्द किया जा सकता है यदि उसने चुनाव के दौरान सांप्रदायिक विचारों का आश्रय लिया हो। अतः इस तरह के चुनाव श्री छागला के तथा अन्य लोगों के चुनावों के समय से रद्द किए गए।

इसके बावजूद आज यह बात कैसे हो सकती है...अर्थात कोई व्यक्ति जिसके पास संविधान से इत्तर शक्ति हो वह यह फैसला करे कि संविधान को कैसे क्रियान्वित किया जाये ? जिन मतदाताओं ने श्री बरनाला तथा उनके दल को अपना मत दिया है क्या वे सभी केवल ि ख थे। वे सब सिख नहीं थे। उन्हें मत देने वाले अन्य लोग भी थे। जिन लोगों ने मतदान में भाग लिया तथा जिन लोगों ने विपक्ष को मत दिया वे भी सिख थे। मतदाता, सिखों के साथ-साथ गैर सिख लोग भी थे उदाहरण के लिए मुसलमान तथा भारत मे रहने वाले सभी प्रकार के लोग थे। प्रत्येक व्यक्ति का एक मत होता है। किसी भी वयस्क व्यक्ति को चाहे वह किसी धर्म का हो जिसकी आयु 21 वर्ष की हो चुकी है एक मत देने का अधिकार है। हमारे जैसे गणतन्त्र में किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, यदि वह कम से कम 21 वर्ष की आयु का हो। उसे कैसे आदेश दिया जा सकता है ? यह देश एक गणतन्त्र कैसे हो सकता है यदि एक संविधान से इतर धार्मिक शक्ति स्रोत कार्य करता रहे और यह फैसला करे कि कौन शासन करेगा तथा कौन मुख्यमंत्री होगा ? यह एक गणतन्त्र कैसे हो सकता है ? यह लोकतन्त्र कैसे हो सकता है ? यदि वे लोग जो चुनावों के सहज अनुगामी नहीं हैं यह शक्ति स्रोत प्राप्त कर लें तब आप इसे लोकतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षता कैसे कह सकते हैं ? यदि वे यह फैसला करें कि एक कार्यकारी सदस्य या पदाधिकारी बनने के लिए एक व्यक्ति को अमृत धारी होना चाहिए और यह भी वे ही निश्चित करेंगे कि कौन-सा अमृत-धारी सिख अथवा सदस्य राज्य का शासन संभालेगा तब यह लोकतन्त्र कैसे है ?

सांप्रदायिकता की यह सम्पूर्ण धारणा इस बात का लिहाज किये बिना कि यह सिख हैं या हिन्दू हैं या मुसलमान हैं आदि, संविधान के विपरीत है। हमें उसके लिए कानून की आवश्यकता नहीं है। हमें संविधान को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें एक कानून बनाने की आवश्यकता है और समय आ गया है जब एकमत से एक कानून पारित किया जाए जिससे इन धार्मिक संस्थाओं को देश के संवैधानिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति न मिले, जो कि

[श्री भोलानाथ सेन]

एक गणतन्त्र है जिसमें विभिन्न धर्मों के भिन्न वर्गों के तथा भिन्न भाषायें बोलने वाले लोग रहते हैं। हमारे जैसे देश में सभी लोगों के हित में तथा शान्ति से रहने वाले लोगों के हित में यह आवश्यक है कि इन धार्मिक संस्थाओं को संवैधानिक मामलों में हस्तक्षेप न करने दिया जाए। अन्यथा क्या होग ? पहले भी दंगे हुए थे। दंगे भड़के थे। लेकिन क्यों भड़के थे ? यह फिर भड़केंगे और भारत के राजनैतिक तन्त्र को शांति को निगल जायेंगे। भारतीय गणतन्त्र के इन दुश्मनों को वैधानिक रूप से कार्य करने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए ? खैर, कानून बनाये जा सकते हैं। यदि ये नहीं बनाए जा सकते तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। मेरे विचार से संविधान में संशोधन करना आवश्यक नहीं है। एक कानून ही काफी है, एक साधारण विधि-निर्माण ही काफी है।

मंत्री महोदय ने आचार-संहिता के बारे में कहा है। क्यों न एक आचार संहिता बनाई जाये जिसमें धर्म, भाषा आदि का ध्यान न रखा जाये ? यहां हम भारत के मुख्यालय में बैठे हैं हमें एक कानून बनाना चाहिए जिससे किसी की धार्मिक भावना को चोट न पहुंचे बल्कि इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति परस्पर धार्मिक भिन्नताओं का लिहाज किये बगैर एक दूसरे पर विश्वास कर सकें।

हम राष्ट्रीय एकता के बारे में विचार कर रहे हैं परन्तु ये धार्मिक स्रोत, धार्मिक संगठन जहां धर्म की महत्ता है अपने उद्देश्य के रूप में, देश की एकता को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे देश का विघटन करने की कोशिश कर रहे हैं; हम राष्ट्रीय एकता के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण अलगाववादी गतिविधियां आरंभ हो गयी हैं। इन सभी गतिविधियों पर एक साथ विचार करना चाहिए। अलगाववाद और सांप्रदायिकता साथ-साथ चलाते हैं। वे लोकतन्त्रीय गणतन्त्रीय विचारों तथा धर्मनिरपेक्षता के साथ नहीं चल सकते।

5.06 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरा दूसरा मुद्दा 70,000 एकड़ भूमि के बारे में है। मैं समझता हूं कि वह समय आ गया है जब हमें कहना चाहिए कि भले ही प्रशासनिक रूप से यह भूमि हरियाणा को दी जाये फिर भी वे लोग भारतीय रहेंगे और और उनका यह अधिकार है कि वे चाहे भारत क किसी भी भाग में रहें।

क्या सैकड़ों और हजारों सिख पश्चिम बंगाल में नहीं रह रहे हैं ? श्री रामूवालिया यहां उपस्थिति हैं। उन्हें किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक जानकारी है। हम सिख एकता के लिए लड़ रहे हैं। क्या सिख कलकत्ता शहर में नहीं रह रहे हैं ? कलकत्ता में बाहर से आने वाले लोगों का सबसे बड़ा समूह सिखों का है। वे बंगाली बोलते हैं। वे लगभग हर तरह से बंगाली हैं। उनकी खान-पान की आदतें लगभग वही है, सिवाय इसके कि वे अच्छा खाना खाते हैं। इसके अलावा

अन्तर कहां है ? वे पगड़ी पहनते हैं, जिसे हम भी सर्दियों में अपने सिर को ठण्ठ से बचाने के लिए बांध लेते हैं। अन्यथा अन्तर क्या है ? यदि वे वहां रह सकते हैं तो सिख, पंजाबियों या अन्य लोगों के संग अपने राज्य में क्यों नहीं रह सकते हैं ? मुझे यह समझ नहीं आता है। उन्हें वहां रहने के लिए अमृतधारी बनने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल इतना चाहिए कि उनकी पुकार सुनी जाये।

जब हम पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ थे तो हमारे साथ एक श्री ज्ञान सिंह सोहनपाल थे। वह एक सिख थे। हमें कोई कठिनाई महसूस न हुई। हम भाइयों की तरह थे। हम इसे इस भावना में लेते थे। वह अभी तक वहां विधान सभा के सदस्य हैं। श्री ज्ञान सिंह सोहनपाल एक वक्त मंत्री भी रहे। हमें कुछ भी परेशानी नहीं हुई। उन्हें भी कोई कठिनाई नहीं हुई। यह कैसी बात है कि सिख पंजाब में परेशानी महसूस करते हैं ?

अन्ततः आज सिखों को यह बताना जरूरी है कि वहां कांग्रेस जन हैं, अकाली हैं और अकालियों के तीन विभिन्न गुट हैं। मैं प्रो० दण्डवते से सहमत हूं, कि फिर अकाली दल के संविधान में इस प्रकार का खण्ड क्यों अनिवार्य हो कि अकालियों को अमृतधारी होना चाहिए ? क्यों ?

विगत समय में केवल ब्रिटिश लोग ही कानून-क्लबों के सदस्य हो सकते थे। इस पर झगड़ा हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति को बाध्य किया गया अर्थात इन संगठनों को भारतीयों को भी सदस्य के रूप में लेने के लिए बाध्य किया गया। फिर इसके भारतीय सदस्य भी हुए, यद्यपि इसको प्रारम्भ में केवल ब्रिटिश लोगों के लिए ही आरम्भ किया गया था। ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते हैं ? आप ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं कि जिस कार्य से सांप्रदायिकता की बू आती हो उस पर रोक लगाई जानी चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सेन कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब श्री कुलनदईवेलू बोलेंगे।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : सर्वप्रथम मुझे उन लोगों की भावनाओं की सराहना करनी है जो लोंगवाल गांव में श्री बरनाला के आह्वान पर 20 फरवरी को एकत्र हुए थे। बरनाला सरकार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए लाखों लोग वहां एकत्र हुए। इससे स्पष्ट रूप से यह जाहिर होता है कि सिख उग्रवादी या आतंकवादी नहीं हैं।

दक्षिण भारतीय लोगों में भी यह गलत धारणा है कि सिख आतंकवादी या उग्रवादी हैं। सिखों के 20 फरवरी को लाखों की संख्या में एकत्रित होने से वह गलत धारणा पूरी तरह दूर हो गई है।

[श्री पी० कुलनदईवेलू]

आगे, मुझे अपने गृहमंत्री श्री बूटा सिंह को एक पहले अवसर पर भी बधाई देनी थी। उन्होंने स्वयं श्री बरनाला का ध्यान इस बात को सुनिश्चित करने की अत्यावश्यकता की तरफ दिलाया कि लोकतान्त्रिक संस्थाओं और विधि द्वारा स्थापित सरकार में धार्मिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाये तथा केन्द्र भी चाहता है कि इस देश से आतंकवाद का सफाया कर दिया जाये। केन्द्र ने अपनी इस बात को दृढ़ता से व्यक्त किया कि वह सांप्रदायिक, अलगाववादी तत्वों के षड्यन्त्र को सहन नहीं करेगी, भले ही वे किसी भी रूप में कार्य कर रहे हों। इसलिए यहां केन्द्र का स्पष्ट संकेत हैं। केन्द्रीय सरकार को राजनीति से धर्म को हटाने देश से आतंकवाद तथा उग्रवाद का सफाया करने में आगे आना चाहिए।

यह एक दुखद समाचार है कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जैसे धार्मिक संस्थान द्वारा जो सिख धर्म का उच्च स्थान है, उग्रवादियों के दबाव में आकर एक हुक्मनामा पारित किया गया है। वहां के मुख्य ग्रन्थी ने श्री बरनाला को जारी किये गये हुक्मनामें का पालन करने के लिए कहा है। निश्चित रूप से श्री बरनाला अकाल तख्त के सामने पेश हुए और मुख्य ग्रन्थी द्वारा दिये गये दण्ड को स्वीकार किया यहां तक कि उन्होंने लगभग एक सप्ताह तक जूते साफ किये तथा यह काम अब तक देश के इतिहास में किसी भी मुख्य मंत्री ने नहीं किया है लेकिन वे आगे आये और उन्होंने मुख्य ग्रन्थी के हुक्मनामे का पालन किया। यह बात नहीं है कि उन्होंने हुक्मनामा धार्मिक भावना को ध्यान में रखकर बनाया हो लेकिन वास्तव में इस समय स्वयं अमृतसर मन्दिर में धर्म और राजनीति मिश्रित हो गई है और अमृतसर मन्दिर एक धार्मिक संस्थान के रूप में न रहकर एक राजनैतिक दल का कार्यालय बन गया है। इसीलिए स्थिति को देखते हुए इस समय धर्म में राजनीति को समाप्त करने हेतु तथा आतंकवाद को इस देश से मिटाने के लिए अवसर के अनुकूल सिद्ध होना।

[हिन्दी]

चौधरी सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है, उससे वहां के सारे लोग परेशान हैं। उग्रवादी तख्त वाले हो गए हैं और पंजाब के लोग शान्ति चाहते हैं। मंदिर, गुरुद्वारों के मुताल्लिक महात्मा गांधी ने कहा है कि इसमें चोर रहते हैं। जो भी मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे मौजूद हैं, उनसे हिन्दुस्तान में आराम नहीं आ सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि धर्म का सही तौर पर यदि इस्तेमाल किया जाए, तो कोई बुरी बात नहीं है। धर्म क्या है ? धर्म यह है कि आप गरीब आदमी की मदद करो। सही तौर पर जो धर्म होता है, वह किसी धर्म के खिलाफ नहीं होता है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में जो लोग हैं, वे ज्यादा पैसे की तरफ घूमते हैं। पैसा चाहे किसी भी तरह से हासिल किया जाए, चाहे चोरी के द्वारा या किसी रास्ते से हासिल किया जाए। जो उग्रवादी हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं, वे भी चाहते हैं कि इस तरह से दो-चार लाख रुपया कमा लो। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, श्री प्रताप सिंह कैरो के समय में श्री तारासिंह ने व्रत रखा था। लोग कहने लगे कि यह तो मर जाएगा, तो क्या

होगा ? उन्होंने कहा कि यदि यह मर जाएगा, तो चार खिलाने वाले होंगे। जो चार आदमी उठाएंगे, वे भी मेरे आदमी होंगे। इसलिए उससे सब डरते थे। मैं समझता हूं कि सख्ती से काम लिया जाए तो अच्छा है और यह नरम नीति नहीं अपनानी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि

सीख तां को दीजिए जा को सीख सुहाय

सीख न दीजिए बांदरा जो बया घर जाए ।।

इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। अब सेन्ट्रल गवर्नमेंट क्या करे। मैं समझता हूं कि हुकूमत जो होती है, वह डंडे से होती है और मिन्नत से नहीं होती है। आज सारे लोग तंग हैं। मुझे एक अमीर आदमी मिला। उसने कहा कि अगर मुझे मार कर कोई चला जाए, तो रिपोर्ट कहां करेंगे। पंजाब में हुकूमत ही कहां है। ये जो गुरुद्वारे, मन्दिर, मस्जिद हैं, इसमें परमात्मा नहीं रहता है। परमात्मा तो वहां रहता है, जहां गरीबों की मदद होती है। महात्मा गांधी ने कुछ काम किया, तो सारी दुनिया उनके पीछे लग गई। इस समय जो यह किस्सा चल रहा है, तो इसमें जितने आदमी हैं, उनमें जान नहीं है, दम नहीं है। धर्म क्या है। अगर सही तौर पर धर्म को मानते हो तो मैं आपको बताता हूं। धर्म वह जो दूसरे धर्म से बैर नहीं रखता है।

[अनुवाद]

"जब आप समझते हैं कि भगवान के नाम के उच्चारण मात्र से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तब आपको जानना चाहिए कि आप अपने आपको लोक की आसक्ति से मुक्त कर चुके हैं और भगवान को प्राप्त कर चुके हैं।"

महात्मा गांधी

[हिन्दी]

बात यह है कि आदमी अपना कब्जा कायम करना चाहता है।

[अनुवाद]

भगवान ने आपको कर्म करने का आदेश दिया है। जब आप कार्य करते हैं, तो इसे अपनी सहायता के लिए, कुछ लाभ प्राप्ति के लिए करते हैं। आप भगवान के पास या भगवान की पूजा करने स्वयं के लिए कुछ लाभ प्राप्ति हेतु जाते हैं। यदि आपने अस्पताल निर्माण या ऐसा कुछ कार्य किया है तो आपने केवल अपनी सहायता की है। जब आप रोटी का टुकड़ा एक कुत्ते को देते हैं तब आप केवल भगवान की पूजा कर रहे हैं। जो कुछ कार्य आप करते हैं वह आप अपने लाभ के के लिए, स्वयं की मुक्ति के लिए करते हैं। भगवान मेरे और आपके लिए खाई में नहीं गिर गया है कि अस्पताल बनाकर उसका इलाज कराये या इसी प्रकार के कार्यों से उसे प्राप्त किया जाए। उसने कर्म करने का अपनी सहायतार्थ नहीं बल्कि स्वयं आपकी सहायतार्थ आदेश दिया है लेकिन आप सोचते हैं कि एक चींटी भी आपकी सहायता के बिना मर जायेगी। अत्यधिक भगवान की निन्दा से आपको सहायता नहीं मिलेगी। जब आप रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को देते हैं तब आप

[चौधरी सुन्दर सिंह]

भगवान की पूजा करते हैं, आप कुत्ते की भगवान के रूप में पूजा करते हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं और सब में विद्यमान है।

(स्वामी विवेकानन्द)

[हिन्दी]

मजहब यही सिखाता है कि किसी के बरखिलाफ न हो लेकिन लोग मजहब के नाम पर एक्सप्लायर करते हैं। जब सब लोग पढ़ जाएंगे, तो धर्म की वजह से लोग एक्सप्लायर नहीं कर सकेंगे। आज तो लोगों को मिसलीड किया जा रहा है।

[अनुवाद]

"सर्वव्यापकता जीवन है, संकुचित होना मृत्यु। सबसे स्नेह करना व्यापकता है। सभी स्वार्थ संकुचितता है। जो स्नेह करता है, जीवित रहता है; जो स्वार्थी है, वह मर रहा है। इसलिए प्यार के लिए प्यार करना चाहिए क्योंकि यही जीवन का नियम है।"

(स्वामी विवेकानन्द)

[हिन्दी]

जो गुरुद्वारे, मस्जिद में रहता है, वह रोटी खाता है और कोई काम नहीं करता है और जो सड़क पर काम करता है, उसमें परमात्मा है। परमात्मा उनमें नहीं है जो सुबह, शाम रोटी खा कर पढ़ाते हैं। जो भाषण देते हैं, उनमें धर्म नहीं है।

इसलिए मैं समझता हूं कि धर्म बड़ी चीज है जिसको मानना चाहिए। हर आदमी को मानना चाहिए। लेकिन आज जो दुनिया में चल रहा है वह धर्म नहीं है। अनपढ़ लोग धर्म के पीछे लग जाते हैं और उसे खराब करते हैं। धर्म अपने आप में एक अच्छी चीज है।

मैं एक जगह गया। राधास्वामी मतवाले लोगों के पास गया। वे कहते हैं कि परमात्मा इसलिए है कि उसका नाम जपते रहो। मैं उनकी इस बात पर हंस पड़ा। मैंने कहा कि परमात्मा बड़ा लालची है जो यह कहता है कि मेरा नाम जपते जाओ और कुछ काम न करते जाओ। मैंने कहा कि परमात्मा अपने भक्तों से बहुत कुछ चाहता है।

[अनुवाद]

"जब आप समझते हैं कि भगवान के नाम के उच्चारण मात्र से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो आपको जानना चाहिए कि आप अपने आपको लोभ की आसक्ति से मुक्त कर चुके हैं और भगवान को प्राप्त कर चुके हैं।"

[हिन्दी]

इसी बात में परमात्मा है। परमात्मा काम करने में मिलता है, खाली मन्दिर में नहीं.

मिलता है। जो हमारा सच्चा धर्म है वह बात हम करते नहीं हैं और दूसरी बातें करने लगते हैं।

मैं इन शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : आज पंजाब रक्त में नहा रहा है और पंजाब के साथ राष्ट्र खून में नहा रहा है। पंजाब ने चुनौती, न केवल इस देश में प्रजातंत्र की नींव को है धर्म-निरपेक्ष चरित्र को है, और देश की एकता और अखण्डता को है, बल्कि, मैं विश्वास करता हूं, इन सब से अधिक राष्ट्र की विशिष्टता को, दी गई है। भारत की एक विशिष्टता है और वह विशिष्टता यह है कि हम हिंसा से घृणा करते हैं। लेकिन पंजाब में क्या हुआ है, इससे पता चलता है कि देश में धीरे-धीरे मानवता का ह्रास हो रहा है। पंजाब में न केवल आदमी मारे जा रहे हैं बल्कि जब सुबह लोग अखबार पढ़ते हैं और देखते हैं कि चार, पांच या छः आदमी पंजाब में मारे गए हैं, तो भी जनता के अन्तः करण में उन्हें कोई नहीं कचोटता मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि पंजाब में केवल पांच आदमी मारे गए हैं जैसे कुछ नहीं हुआ हो। यह जन समूह के रुख का अतिवाद है जिसे हमें रोकना चाहिए।

कुछ सकारात्मक लक्षण भी रहे है जिसके बारे में मेरे से पूर्व वक्ता पहले ही बोल चुके हैं। एक लक्षण श्री बरनाला द्वारा लिया गया सख्त और दृढ़ दृष्टिकोण रहा है। केवल कुछ दिन पूर्व मैंने स्वयं विपक्ष के कुछ नेताओं के साथ श्री बरनाला से एक मुलाकात की और उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से बताया कि अकाली दल ने ऐसी स्थिति अपनाई है जिसमें धर्म और राजनीति साथ-साथ न चल सकें; धर्म और राजनीति के बीच एक विभाजित रेखा होनी चाहिए। 20 फरवरी, 1987 को लोंगोवाल गांव में हुए सिख सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव को देखा है। लेकिन मैं पाता हूं कि श्री बरनाला द्वारा हमारे सामने स्पष्ट रूप से कहे गए मामले के उस पहलू का कोई उल्लेख न था। शायद श्री बरनाला की अपनी मजबूरियां हों और हमें इन्हें समझना चाहिए। वह बहुत पहले के लिए गए दृष्टिकोण से अलग कोई दृष्टिकोण नहीं ले सकते। एक कदम से सारी स्थिति पर काबू पाने की हम आशा नहीं कर सकते। दूसरी बात, सिख समुदाय को अपने साथ लेने की भी उसकी मजबूरियां हैं। यदि वह कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे वह सिख समुदाय से अलग हो जाते हैं; यद्यपि उनका दृष्टिकोण भी महान हो सकता है, मैं नहीं समझता कि वह राजनैतिक लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे। इसीलिए इस बात के बावजूद भी कि श्री बरनाला ने अकाल तख्त के विरुद्ध सख्त दृष्टिकोण अपनाया है, उन्होंने अकाल तख्त के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित किया है, क्योंकि शताब्दियों से सिख समुदाय में उत्पन्न अकाल तख्त का सम्मान हमें मालूम है और आप यह आशा नहीं कर सकते कि एक क्षण में उस सम्मान को चुनौती दी जाए चाहे स्थिति ऐसी मांग करती हो। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि श्री रामूवालिया और उनका दल तर्क संगत समापन पर इस दृष्टिकोण को अपनाएगा और किसी मौके पर यह कहने में समर्थ होंगे कि धर्म को राजनीति में कोई भाग नहीं लेना चाहिए; न ही राजनीतिज्ञों को भी धर्म में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि यह दोनों ओर से होता है। धार्मिक मनुष्य राजनीतिज्ञों और राजनीति को प्रभावित करना चाहते हैं और राजनैतिक उद्देश्यों के लिए हमने भी धर्म को प्रभावित करने का प्रयत्न किया है। तथ्य यह है कि धर्म का राजनीति से मिश्रण करने के लिए

[श्री दिनेश गोस्वामी]

हमें केवल अकाली दल पर ही दोष नहीं लगाना चाहिए। यदि हम अपने अस्तित्व के 40 वर्षों की जांचप-ड़ताल करें। शायद देश के सभी राजनैतिक दलों ने, किसी न किसी मौके पर, वोट की मजबूरियों के कारण, धर्म और राजनीति से समझौता किया है। विभिन्न राजनैतिक दलों से, जिन्हें हम साम्प्रदायिक दल कहते हैं, समझौते किये हैं, एक राज्य में हम उन्हें साम्प्रदायिक कहते हैं और दूसरे राज्य में हम उन्हें साम्प्रदायिक नहीं कहते है, और हम उन्हें धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। इसलिए, जब हम राजनीति को धर्म से अलग करने के बारे में बोलते हैं तो हम सबको इकट्ठा रहना चाहिए और संयुक्त और एक समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लोकतांत्रिक राजनीति में चाहे हम हार जाते हैं, इस देश के लिए यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

मैं वह बात भी लेता हूं जो श्री कुलनदईवेलू ने बताई है कि हमें किसी भी समय पंजाब की घटनाओं को हिन्दू और सिखों के बीच झगड़े का रूप देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह हिन्दू और सिखों के मध्य का झगड़ा नही है, यह झगड़ा राष्ट्रवादी ताकतों और उन ताकतों के बीच है जो राष्ट्र की अखण्डता पर विश्वास करती है, यह उन ताकतों के बीच झगड़ा है जिनमें एक ओर वे ताकतें हैं जो लोकतांत्रिक राजनीति में विश्वास रखती हैं दूसरी ओर वे और जो विश्वास नहीं रखती। मैं विश्वास करता हूं कि इसका समाधान केवल राजनैतिक समाधान में निहित है। इसका समाधान सैनिक शासन और कानून और व्यवस्था द्वारा नहीं हो सकता। मैं एक क्षण को भी यह नहीं कह रहा हूं कि कानून और व्यवस्था तंत्र में आतंकवादियों से लड़ने के लिए सुधार नहीं किया जाना चाहिए लेकिन मात्र कानून और व्यवस्था के तन्त्र से और न ही कानूनी व्यवस्था से हम आतंकवादियों का मुकाबला कर सकते हैं। आप संविधान और सभी कानूनों में लगातार संशोधन कर सकते हो लेकिन इससे पंजाब की घटनाएं हल नहीं होंगी। इसका हल इतना आसान नहीं है। विरोधी दलों द्वारा पूर्ण विरोध के बावजूद, सरकार अनुच्छेद 249 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव पारित करती है जिसमें कहा जाए कि वे एक सुरक्षा पट्टी बनाएंगे और तदुपरान्त वे आतंकवाद से लड़ेंगे। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है। राज्यों से केवल शक्ति ले ली गई है लेकिन 18 महीनों से नियमों को नहीं बनाया गया है। आज तक इस अधिनियम के कुछ मुख्य लक्षणों के बारे में भी कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। कानून या कानून और व्यवस्था द्वारा समाधान कुछ हद तक कार्य करता है।

मैं विश्वास करता हूं कि राजनैतिक मोर्चे पर, दो बातें होनी चाहिए। एक बात यह है कि आतंकवादियों को अलग-अलग किया जाना चाहिए। आतंकवादियों को अवश्य अलग-अलग किया जाना चाहिए। जब मैं समाचार पत्रों में पढ़ता हूं कि आतंकवादी, आदमियों की हत्या करके बचकर ट्रेक्टर में जा रहे है तो स्पष्ट संकेत है कि पास के गांव के किसी व्यक्ति ने उन्हें संरक्षण दिया है अन्यथा वे कैसे बच सकते हैं? इसका अर्थ है कि ग्रामीण किसी न किसी कारण से उनका कुछ समर्थन करते हैं। मैं उनमें से नहीं हूं जो यह मानने को तैयार हैं कि पंजाब के व्यक्ति राष्ट्र-विरोधी हैं और उनके हृदय में शान्ति नहीं है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, पंजाब के लोगों

ने अपना वायदा राष्ट्र के प्रति निभाया है, इसीलिए, हम ग्रामीण लोगों को वे कारण समझाने में सफल हो सकते हैं जिनके लिए आतकवादी लड़ रहे हैं, उनके द्वारा अपनाए गए तरीकों से न पंजाब को लाभ होगा और न देश को लाभ होगा।

मैं यह भी विश्वास करता हूं और प्रो० रंगा से पूर्णतः सहमत हूं कि विभिन्न ग्रुपों के बीच समझौते की भावना होनी चाहिए। मैं यह मानने को तैयार नहीं हू, उदाहरणार्थ, कि श्री बादल या श्री अमरेन्द्र सिंह राष्ट्र विरोधी है। श्री अमरेन्द्र सिंह शासक दल के सदस्य रहे हैं वे अलग-अलग पड़ गए हैं। मैं श्री शमीन्द्र सिंह को भी राष्ट्र विरोधी मानने को तैयार नहीं हूं। मैं विश्वास करता हूं कि श्री शमीन्द्र सिंह उतने ही राष्ट्रीय हैं जितने श्री रामूवालिया और यदि वे अलग-अलग पड़ जाते हैं, तब पंजाब को नुकसान होगा और भारत को नुकसान होगा। इसलिए, उनके द्वारा तथा हमारे तथा अन्यों के द्वारा भी उनको आपस में एक जगह इकट्ठा करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि जब हम प्रत्येक को एक स्थान पर इकट्ठा बैठाने में सफल होंगे, केवल तभी हम आतंकवादियों को अलग अलग करने में सफल होंगे।

प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी पेशकश की है। जब विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री से मिले थे तो शामिन्दर सिंह ने बताया था कि समाचारपत्रों में छपे तथा जनता के समक्ष लाए गए हुक्मनामा की व्याख्या सही नहीं है अर्थात हुक्मनामे ने श्री सुरजीत सिंह बरनाला या उनके विधायकों से त्याग-पत्र देने के लिए कभी नहीं कहा। उन्हें पार्टी के पदों से त्यागपत्र देने के लिए कहा गया प्रधान-मंत्री जी ने पेशकश की थी कि अगर हुक्मनामे की प्रेस या जनता में सही व्याख्या नहीं की गई है तो वह इस बात के लिए तैयार हैं कि दोनों अकाली दल अपनी स्थिति का दूरदर्शन पर स्पष्ट कर सकते हैं बशर्ते कि वस्तुत. दोनों दल देश की एकता और अखंडता के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने को तैयार हों। अतः स्थिति श्री शमिन्दर सिंह के पक्ष में है। आशा है वह इस बात को मान लेंगे और संचार माध्यमों पर हमें बताएंगे कि वास्तव में हुक्मनामें की सही व्याख्या क्या है। अगर उसकी सही व्याख्या नहीं हुई है तो हमें पता चलना चाहिए कि सही व्याख्या क्या है। हमारे दिमाग में भी बहुत सी गलत फहमियां है उन्हें हटाना चाहिए।

मैं समझौते के बारे में बात नहीं करूंगा। मैंने असम समझौते और पंजाब समझौते को लेकर भी बूटा सिंह जी से झगड़ा किया था। दोनों समझौतों का कार्यान्वित नहीं किया गया है। मुझे जोधपुर में बन्दी लोगों के बारे में कुछ कहना है। मैं जोधपुर बन्दियों की बात करता हूं। मैं हिंसा के खिलाफ हूं। लेकिन जिस तरह मैं व्यक्तिगत हिंसा के खिलाफ हूं उसी तरह राज्य हिंसा के भी खिलाफ हूं। राज्य हिंसा सबसे खराब प्रकार की हिंसा है। जोधपुर जेल के मामले में आपने कानून में यहां तक संशोधन कर दिया है कि बन्दियों को यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि वे निर्दोष हैं। हमारे देश के कानून के अनुसार अभियोग पक्ष को यह सिद्ध करना पड़ता है कि व्यक्ति दोषी है। अब कानून में इतना संशोधन कर दिया गया है कि बन्दी को प्रमाणित करना पड़ता है कि वह निर्दोष है। कानून में संशोधन के बावजूद आपको कोई भी मामला नहीं मिल सका। कानून मे संशोधन के बावजूद अगर इन व्यक्तियों के खिलाफ मामला नहीं बनाया जा सका तो आपको उन्हें 2-2½ साल नजरबन्द रखने का क्या अधिकार है? मेरा विश्वास है कि उन लोगों की नजर-

[श्री दिनेश गोस्वामी]

बन्दी हमारे देश के प्रजातांत्रिक ढांचे पर धब्बा है। अगर पंजाब में होने वाली घटनाएं तथा हत्यायें लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है तो बिना मुकदमा चलाए सालों-साल उन्हें बन्दी बनाए रखना भी हमारे देश के प्रजातांत्रिक बुनियाद को चुनोती है। श्री बरनाला ने हमें बताया था कि अधिकतर बन्दी श्री लोंगोवाल के कार्यकर्ता हैं। वे श्री लोंगोवाल के सुरक्षाकर्मी थे। इतिहास के इस क्षण यदि हम बरनाला जी पर विश्वास नहीं कर सकते तो मैं नहीं जानता कि पंजाब के सम्बन्ध में हम किस पर विश्वास करें।

कल राष्ट्रपति द्वारा बरनाला जी का उल्लेख किए जाने पर हम सबने हर्ष ध्वनि की थी। इस हर्ष ध्वनि का क्या अर्थ है ? इसका अर्थ है कि हमें उन पर विश्वास है। क्या विश्वास उन मामलों में है जो केन्द्र सरकार के अनुकूल हैं लेकिन उन मामलों में नहीं है जो केन्द्र सरकार के अनुकूल नहीं है ? हमें उन पर विश्वास है। श्री बरनाला ने एकदम स्पष्ट कहा है "मैं पंजाब समझौते के कार्यान्वयन और इन बन्दियों की रिहाई द्वारा राजनैतिक शक्ति चाहता हूं" इससे उन्हें आतंकवादियों ओर उग्रवादियों से लड़ने के लिए शक्ति मिलेगी। कृपया बरनाला जी को यह राजनैतिक शक्ति दीजिए।

हमारा दल असम राजपरिषद् पंजाब की राजनीति में सम्बद्ध नहीं है। हम पंजाब में कुछ अधिक नहीं कर सकते। फिर भी हम अपनी उपस्थिति का अहसास कराने के लिए पंजाब जाने को तैयार हैं अर्थात् देश की एकता और अखंडता को खत्म करने की लड़ाई में इस देश के सभी राजनैतिक दल, चांहे वे राष्ट्रीय हों या क्षेत्रीय, चुनौती का सामना करने को तैयार हैं और हमने उस चुनोती को स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि श्री बरनाला को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर किसी सहायता की जरूरत है तो राजनैतिक तौर पर उनके हाथ मजबूत किए जाएं। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब कानून की स्थिति के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। पंजाब वास्तव में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता के लिए एक चुनौती है। पंजाब में जो उग्रवादी और आतंकवादी कार्य कर रहे हैं, उन्होंने हिंसा के जरिए बहुत से निरापराध लोगों को मार दिया, फिर भी पंजाब की जनता जो हिन्दू. सिख और ईसाई भी है, उनमें कतई भी साम्प्रदायिक फूट पैदा नहीं हुई है। यह जो जनता की इस प्रकार की थिंकिंग है, यह इस बात को प्रबलता की ओर ले जाती है कि जनता किसी भी आतंकवादी शक्ति के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। श्री बरनाला जी ने जो अभी कदम उठाया है और जो ग्रंथियों ने हुकमनामा के जरिए उनकी सरकार को हटाने की कोशिश की है और जिस प्रकार मजबूती से श्री बरनाला ने मुकाबला किया है हम उनकी प्रशंसा करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी प्रशंसा करते हैं, परन्तु

प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत में उन्होंने जोधपुर में नजरबन्द लोगों के बारे में उल्लेख किया। कई विरोधी दल के लोगों ने भी जोधपुर बन्दियों के बारे में कहा। उन केसेज के बारे में स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए जो निरपराध हैं उनको छोड़ देना चाहिए और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए क्योंकि यही कानून का आधार है और इसी आधार पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि समझौते का पालन नहीं किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले भी स्पष्ट रूप में कहा है कि समझौते का पालन कौन नहीं कर रहा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? अगर कोई पालन नहीं कर रहा है तो वह बरनाला की सरकार नहीं कर रही है। जब 70 हजार एकड़ जमीन के बारे में फैसला हो चुका तो उसके बारे में क्यों नहीं बरनाला सरकार सहमत होकर चण्डीगढ़ का फैसला करवाती है। परन्तु इस बारे में वह मौन है, इस सम्बन्ध में वह कहीं भी तैयार नहीं है। इराडी कमिशन की रिपोर्ट भी जल्दी प्रस्तुत हो जायेगी। हम सब ने मान लिया है हरियाणा ने मान लिया, पंजाब ने मान लिया। अब प्रश्न यह है कि इराडी कमिशन की जो भी रिपोर्ट हो उसको सभी राजनीतिक दल और उसके नेता स्वीकार करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझौते की एक शर्त का वह पालन करें और दूसरी शर्त को न माने। इससे यह समझौता पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता। अभी जो तुरन्त कार्य योजना का कदम उठाया है वह बहुत ही सराहनीय है। कार्य योजना को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। सभी दलों के नेताओं को और जो इसके पक्ष के लोग हैं, जो वालिंटयर पार्टी के लोग हैं वह सब प्रचार करके समाजवाद के अनुकूल और साम्प्रदायिक शक्तियों के प्रतिकूल वातावरण बनायें और ऐसा स्थिति पैदा करें कि जो हिंसा की आग में पंजाब सुलग रहा है उसको बचाया जा सके।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि इस मसले को सेना से हल नहीं कर सकते। ऐसे मसलों को प्रजातन्त्र के अन्दर सेना से हल भी नहीं किया जा सकता है, यह सिर्फ बातचीत से हल किया जा सकता है। बादल साहब और उनका जो ग्रुप है, जो संयुक्त अकाली दल है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया कि वह टेलीविजन पर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करें।

श्री शमिन्दर सिंह (फरीदकोट) : टी॰ वी, जेल में भेज दो।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जो दूसरे नेता हैं अगर वह तैयार हैं तो जेल से भी उनको छोड़ा जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि वह अपनी नीति को स्पष्ट करें। अगर वह हिंसा के खिलाफ हैं, देश के टुकड़े नहीं करना चाहते, अगर वह खालिस्तान नहीं बनाना चाहते हैं तो वह सामने आयें और यह मसला बातचीत से हल करें। जैसे मिजोरम का मसला था हमारे प्रधानमंत्री जी ने हल कर दिया, असम में जो आग सुलग रही थी वह भी शांत कर दी। इससे हमारी पार्टी का नुकसान हुआ, लेकिन राष्ट्र को हमने नुकसान नहीं पहुंचने दिया। पंजाब के अन्दर भी ऐसा हुआ, हमारी पार्टी का राज चला गया। हमारे प्रधानमंत्री जी के हृदय में ऐसी विशालता है वह चाहते हैं कि देश की एकता और अखण्डता कायम रहे, भले ही कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचे। हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ठोस कदम उठाकर पंजाब की स्थिति को पूरी तरह से हल करके सम्भालेंगे, यही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

*श्री चरनजीत सिंह वालिया (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब समस्या पर इस सदन में बहुत बार चर्चा की गई है और माननीय सदस्यों ने उस पर अपने विचार भी व्यक्त किये हैं। पर अभी भी इस समस्या का हल नहीं निकला है क्योंकि वास्तव में इस समस्या को केन्द्र सरकार या दिल्ली सरकार ने जन्म दिया है। अगर उन्होंने इसे जन्म नहीं दिया होता तो अब तक इसका हल निकल गया होता। जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से पंजाब के साथ भेद भाव बरता जा रहा है। भाषायी आधार पर राज्यों को बनाए जाते समय काफी संघर्ष के बाद पंजाब को भाषा के आधार पर पंजाबी सूबा मिला था। भारत में पंजाब पहला राज्य है जिसे उसकी राजधानी नहीं दी गई। दूसरी ओर यह शर्त लगाई गई कि अगर पंजाब को राजधानी दी जाती है तो बदले में उसे हरियाणा को कुछ राज्य देने होंगे। यह स्पष्टतया भेद भाव है। इसी तरह पानी के मामले में सभी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों की पूरी तरह उपेक्षा की गई। सभी कानूनों को उठा कर ताक पर रख दिया गया। इसके विपरीत पंजाब में सिखों को सन्देह के आधार पर पकड़ा गया। अगर सिख भारत से अलग होना चाहते तो स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों ने उन्हें बहुत उकसाया था और अलग से एक सिख होम लैंड की पेशकश भी की थी। लेकिन सिखों ने भारत को सदैव अपना समझा और मैं यह बात गर्व की भावना से कह सकता हूं कि देश की आजादी के लिए उन्होंने सबसे अधिक बलिदान दिया है। उन्होंने ये बलिदान आजादी पाने के लिए ही नहीं दिया बल्कि उस आजादी को कायम रखने के लिए भी दिया। देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए चाहे 1962 की लड़ाई हो या 1965 या 1970, उन्होंने कुर्बानियां दीं। आपात-काल के दौरान अकाली दल ने पंजाब की रक्षा के लिए बहुत अधिक संघर्ष किया। मैंने इन सब बातों का उल्लेख इस लिए किया क्योंकि कहा गया है कि सिख, अकाली या विरोधियों के रूप में जाने जाते हैं देश वालों को भारत की जनता को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे देश की एकता या अखंडता में विश्वास रखते हैं या नहीं। अकालीदल के उत्तरदायी नेताओं, अकाल तख्तके नए जत्थेदार हमारे अध्यक्ष प्रो० दर्शन सिंह ने बहुत बार स्पष्ट किया है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध हो। हम भारत की एकता का सम्मान करते हैं। जब हमारे नेताओं और अध्यक्ष ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है तो क्या आप यह चाहते हैं कि हम इस बात को 'स्टाम्प पेपर' पर लिखें। इसके विपरीत सरकार सिखों को उग्रवादी और आतंकवादी बताकर उनकी बदनामी कर रही है। सरकार के सारे जनसंचार माध्यम चाहे दूरदर्शन हो या आकाश-वाणी अथवा प्रेस, भारत में सिखों को बदनाम करने में एक घृणित भूमिका निभा रहे हैं।

दूसरे अब मैं खालिस्तान के सवाल पर आता हूं। मैं यहां उपस्थित गृह मंत्री और इस सम्माननीय सदन से भी पूछना चाहता हूं कि क्या अकाली दल के श्री बादल या अब हमारे अकाली दल के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने कभी खालिस्तान की मांग की है या अकाली दल के किसी और नेता ने इसकी मांग की है या अकाली दल ने इस बारे में कभी कोई संकल्प पारित

* मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

किया है। अगर किसी ने भी ऐसी कोई मांग नहीं की तो मालूम नहीं कि आप यह सवाल बार-बार क्यों पूछ रहे हो और आप किस रूप में हमसे स्पष्टीकरण चाहते हैं। श्री सिमरनजीत सिंह मान ने हाल ही में राज्य सभा के लिए चुनाव लड़ा था। इस सदन के हम सदस्य चुनाव के माध्यम से आए हैं। हमने ये चुनाव इसलिए लड़े हैं क्योंकि हमें संविधान में विश्वास है। गृह मंत्री, प्रधान मंत्री, सिमरनजीत सिंह मान और हम सबने समान सपथ ली है। हमने चुनाव इसलिए लड़े हैं क्योंकि हमें देश की एकता और अखंडता तथा इसके संविधान में विश्वास है। इसलिए सिखों और अकाली दल से यह कहना कि वे अपनी विश्वसनीयता तथा नेकनीयती प्रमाणित करें, उनके साथ बहुत अन्याय करना है। इसके विपरीत हमें एकता और देश के संविधान में पूरा विश्वास है। मैं कहना चाहता हूं कि हमें एक तरफ अकेला जा रहा है। हम पर ऐसी बातें थोपी जा रही हैं जो सिख कौम या अकाली दल ने कभी नहीं चाहीं। सरकार को इस खतरनाक प्रवृति पर रोक लगानी चाहिए।

पिछले 5-6 सालों से अकाली दल आनन्दपुर साहिब संकल्प पर शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष कर रहा है। हमारे इस संकल्प पर काफी वाद-विवाद उठाया गया है। लोगों के बीच यह प्रचार किया गया है कि यह अलगाववादी दस्तावेज है जबकि इस संकल्प का उद्देश्य भारत के संघीय ढांचे को केवल व्यावहारिक रूप देना है। राज्यों को और शक्तियां दी जानी चाहिए। साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) भारतीय साम्यवादी दल तेलुगू देशम, आरील भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कणगम, द्रविड मुनेत्र कणगम दल ने भी इन शक्तियों की मांग की है। जब वे इन शक्तियों की मांग करते हैं तो उन्हें अलगाववादी नहीं कहा जाता। हमें ही क्यों अलगाववादी कहा जाता है। क्या यह केवल इसलिए है कि हम अल्पसंख्यक हैं और हम अकेले पड़ जायें, आप यह प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में आप को अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतना चाहिए।

जब आतंकवाद का प्रश्न उठता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि हम भी पंजाब में हिंसा का विरोध करते हैं। हमारा विचार है कि पंजाब में लोग यह सोचते और समझते हैं कि यह राज्य हिंसा कर रही है। राज्य आतंकवाद ने उग्रवाद को जन्म दिया है और यह सब आपरेशन ब्लू स्टार के साथ शुरू हुआ जैसा कि श्री भाटिया ने कहा है आपको सिखों की भावना को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध हैं। जैसा कि श्री गोस्वामी ने सुझाव दिया है। सरकार को राज्य के आतंकवाद को रोकना चाहिए क्योंकि ऐसा आतंकवाद उग्रवाद को बढ़ावा देता है। झूठे आरोप नहीं लगाये जाने चाहिएं। यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि देश के नागरिक कानूनों का सम्मान करें और उनका पालन करें। अगर व्यक्तियों को बिना न्यायिक मामलों या अभियोजनों में मारा या गिरफ्तार किया जाता है तो इससे लोगों में विद्रोह और असंतोष की भावना उत्पन्न होगी। सरकार को इस नीति को रोकना चाहिए और लोगों को प्यार से समझाना और उनका विश्वास जीतना चाहिए। लोगों को जेल भेजकर किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और पंजाब में शान्ति नहीं हो सकती। सभी नेताओं को चाहे वह श्री बादल या श्री सिमरनजीत सिंह मान या अन्य युवा हो, को सामान्य क्षमा-

[श्री चरण जीत सिंह वालिया]

दान दे देना चाहिये। हिंसा या बल का प्रयोग करने की बजाय राष्ट्रीय चर्चा शुरू करनी चाहिये जिससे इस समस्या का समाधान हो सके।

जहां तक गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखने का सम्बन्ध है जोधपुर में 2-1/2 वर्ष से अधिक समय से बिना किसी कानूनी कार्यवाही के बंदी जेल में हैं। सिमरनजीत सिंह मान जेल में हैं। लोकतन्त्र को दबाया गया है जैसा कि गृह मंत्री ने 30 नवम्बर को कहा कि घटनाचक्र में कुछ परिवर्तन हुआ है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के लिये लोकतांत्रिक ढंग से मतदान हुये थे जिसमें बादल गुट विजयी हुआ। उनको विश्वास में लेने और पंजाब समस्या का बातचीत द्वारा समाधान ढूंढ़ने की उन्हें आधे दिन के बाद ही पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया। केन्द्र सरकार ने सिख समुदाय और पंजाब के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने और उनका मुकाबला शुरू कर दिया है। इसे रोका जाना चाहिए। श्री बरनाला स्वयं स्वीकार करते हैं कि अकाल तख्त सर्वोच्च है और वह इसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं। जहां तक सिखों की प्रथाओं और परम्पराओं का सम्बन्ध है जब से 1920 में अकाली दल की स्थापना हुई है, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 1920 में जो सभा आयोजित हुई थी वह अकाल तख्त के जत्थेदार द्वारा आयोजित की गई थी। सभी धार्मिक मोर्चे जो स्वतन्त्रता से पूर्व चलाये गये थे, चाहे यह जैतो मोर्चा था या गुरु का मोर्चा उन सबका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समर्थन किया था, हालां कि वे धार्मिक मोर्चे थे। सिखों और अकाली दल की यह परम्परा रही है कि उसमें धर्म और राजनीति साथ-साथ चलते हैं। जब से खालसा की शुरुआत हुई तब से मीरी-पीरी की उत्पत्ति (हरमन्दर साहिब में गुरू हरगोविन्द साहिब के मीरी-पीरी के निशान साहिब हैं।) जब से सिख धर्म और अकाली दल की उत्पत्ति हुई, धर्म और राजनीति साथ-साथ देखी गई। स्वतन्त्रता से पूर्व सभी मोर्चे इसी आधार पर संगठित किये गये थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने इनमें हिस्सा लिया और उनका समर्थन किया था। जैतो मोर्चे के दौरान जवाहरलाल नेहरू को बंदी बनाया गया था और उन्हें नाभा जेल में रखा गया था।

अब अगर यह आशा की जाये कि उन परम्पराओं का निरादर किया जाये और अकाल तख्त के प्रभुत्व को चुनौती दी जाय और श्री बरनाला को इसे चुनौती देने को बाध्य किया जाये तो यह अच्छी प्रवृति नहीं होगी। मैं अपील करूंगा कि केन्द्रीय सरकार को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये या इसे संकीर्ण राजनीति के हितों की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, इसकी बजाय इसे गोलमेज कान्फ्रेंस का प्रबन्ध करना चाहिए और सभी राजनीति दलों से और युवाओं कैदियों राजनीतिक नेताओं को चर्चा के लिए बुलाना चाहिए। हम यह नहीं कहते हैं कि किसको शामिल करना चाहिए और किसको निकालना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को बात करने के लिए बुलाना चाहिए। हमें समस्या को जानने की कोशिश करनी चाहिए। तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है मैं सोचता हूं यह समस्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्पन्न की गई है। मैं केन्द्रीय सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से इस समस्या को सुलझाने की अपील करता हूं जिससे यह

समस्या गम्भीर रूप धारण न कर ले और राष्ट्र को गम्भीर हानि न हो। इस अपील के साथ मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरी पार्टी इस समस्या का समाधान ढूंढ़ने के लिए पूरा समर्थन और सहयोग देगी।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : आनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस हाउस के सभी मेम्बर साहेबान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं,

5.54 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जिन्होंने देश की परम्परा के मुताबिक इस महान भारतवर्ष की सदीवी खून और उच्चता के रूप में, जो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल सरदार सुरजीत सिंह बरनाला के नेतृत्व में कर रहा है, देश के लोगों की आपसी सद्भावना के लिये धर्मों और कई किस्म के विचारों के बावजूद देश की मान मर्यादा के लिये जो बरनाला जी कर रहे हैं, अकालीदल कर रहा है, उसके लिये अपना समर्थन जुटाया है, उसके लिये मैं हाउस का, सभी मेम्बर साहेबान का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।

शुरू में ही मान्यवर गृह-मंत्री जी ने जो लफ्ज लिखे हैं, उनमें लिखा है—

[अनुवाद]

पंजाब के सभी धर्मों के लोगों ने धर्म निरपेक्षता के आदर्श में अपना विश्वास और समर्थन व्यक्त किया है उसकी जितनी अधिक प्रशंसा की जाए, उतनी कम है।

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि पंजाब के लोगों को इतना बड़ा खिराजे अकीदत पेश किया गया है। उसके बाद आज बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा चैलेंज सारे देश की मदद से हल किया जा रहा है। अब हम उस प्वाइंट पर पहुंच गये हैं जिस पर कि हमें आगे विचार करना है कि हमें उसके आगे क्या करना है ?

मैं बहुत समय नहीं लूंगा। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि हमें उससे आगे जाने के लिए कुछ बातों को बहुत संजीदगी से और बहुत मजबूत इरादे से करना होगा। टैरारिज्म को कंडैम किया जा चुका है। उसके साथ फाइट की बात भी मजबूती से हो रही है। सिखों में कुछ ही लोग टैरारिज्म करते हैं। शायद हाऊस को यह जानकर हैरानी होगी कि वहां पर हिन्दू शिव सेना भी किसी से कम नहीं। वह बहुत से जुलूस निकालती है और बहुत जहर उगालती है। हिन्दू

[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]

शिव सेना के बहुत से लोग नकली दाढ़ी लगाये पकड़े गये। जब दाढ़ी खींची गई तो वह उतर गई। आज वह भी बैंक लूट रहे हैं और कई गलत काम कर रहे हैं। इस कारण आनरेबल स्पीकर सर, सभी को उसका विरोध करना है।

मैं इस समय 3-4 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं और उन पर हमें बहुत अधिक ध्यान देना है। सबसे पहले तो पंजाब के बाहर जो सिख भाई हैं वह 50 साल से और 100 साल से उस समाज का एक मान्यवर अंग बन कर वहां रह रहे हैं। वहां से देश के लिये, समाज के लिये, प्रान्त के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। ऐसी कहीं-कहीं भावनायें बन रही हैं जिससे वहां के रहने वाले सिखों को तकलीफें हो रही हैं। मैं यह मानता हूं कि सभी को वह तकलीफें नहीं हो रही हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तकलीफें हो रही हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि पंजाब से कुछ हिन्दू भाई जो बाहर आये उन्होंने जो कहानी सुनी उससे दिल बहुत उत्तेजित हुआ। इसी तरह से यहां से जो सिख भाई जाते हैं कहीं पर उनके साथ किसी कलेक्टर ने बे-इंसाफी की और कहीं किसी नीचे के अफसर ने बे-इंसाफी की या कहीं दो पड़ोसियों में झगड़ा हुआ तो उन्हें इन्साफ नहीं मिला। इन पर हमारे गृह मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए और कहीं भी अगर ऐसी बात हो तो उसे मजबूती से रखा जाना चाहिए।

अकाल तख्त साहब के बारे में मैं सारे हाऊस को सारे देश को बहुत नम्रता से जैसे कि अभी दिनेश गोस्वामी जी ने कहा कि हमें फख्र से बरनाला जी के साथ एक-एक लफ्ज पर और बरनाला जी पर आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए। मैं इस हाऊस को आपका साथी होने के नाते निवेदन करता हूं कि अकाल तख्त साहब की सर्वोच्चता, उसकी महानता और उस पर आंच आने वाला शब्द हमें सपने में भी नहीं कहना है। जहां तक उसकी ताकत के दुरूपयोग की बात है तो दुरुपयोग के खिलाफ हम आपसे आगे खड़े हैं और आप हमारे पीछे खड़े हैं। लेकिन अकाल तख्त की सर्वोच्चता बनी रहनी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब नेशनल प्राबलम बन चुका है। इसका कारण यह है कि वहां इंटरनेशनल फोर्स भी काम कर रही है। आप दो चीजों को इकट्ठा कर दीजिए। वैसे मैं शायर तो नहीं हूं। शायरी पर तो हमारे बूटा सिंह जी काफी योग्य हैं। वह पंजाबी के टीचर और प्रोफेसर रहे हैं। लेकिन इसमें दो चीजें हैं—एक धार्मिक और दूसरा माहौल। इन दोनों चीजों को पलट दीजिए। आप कहेंगे कैसे? आज एक माहौल और एक विश्वास पंजाब के भाइयों में बना है। मुझे यहां सेंट्रल सेक्रिटेरिअट में काम करने वाले सिख मुलाजिमों ने मधु दंडवते जी वह आपको भी मिल कर गये थे, कहा—

प्रो० मधु दंडवते : आप उनके नाम नहीं बताना। नहीं तो उनकी नौकरी चली जायेगी।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : आपने अच्छी बात कही। उन्होंने मुझे कहा कि जिस दिन

से बरनाला जी ने देश की एकता और अखंडता के लिये स्टेंड लिया है उस दिन से देश का वातावरण इतना बदला कि हमारे इम्पलाइज भाई जो कि रोज मजाक किया करते थे जैसे कि दोस्त करते हैं वह उन्होंने बंद कर दिये।

6.00 म० प०

इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब हमें पता चल गया है कि मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग, करोड़ों लोग देश के लिए सोचते हैं, वतन के लिए सोचते हैं, देश की एकता के लिए सोचते हैं। यह एक माहौल बना है, एक विश्वास बना है। उसको तो कीजिए मजबूत और जो एक धारणा सिखों में बनी है उसको कीजिए खत्म। वह धारणा कुछ प्रोपोगैंडे से बनी, कुछ वाक्यात से बनी, कुछ हकीकतों से बनी, जैसे भी बनी सिखों में यह धारणा बन गई कि हमें पूरा इंसाफ नहीं मिलता है और मिलता है तो बहुत कुर्बानी के बाद मिलता है। जैसे चार कमीशन अभी बने पहला मैथ्यू कमीशन, दूसरा वैंकटरमैया कमीशन, फिर देसाई पैनल बना और चौथा रंग नाथ मिश्रा कमीशन बना। देश के लोग चाहे संतुष्ट हो जायें टेकनिकलिटीज से लेकिन पंजाब के लोग, सिखों की साइकी जैसे श्री आर० एल० भाटिया जी ने कहा, वह संतुष्ट नहीं है। इसलिए कि उनके सामने जैसे मधु दण्डवते जी ने कहा—हकीकत कुछ और, और कमीशनों ने उसको इस तरह से पेश किया कि उनका दिल टूट गया है। उनको यह लगता है कि उनको इंसाफ नहीं मिला। इसलिए यह धारणा कि रिटेन समझौता जो हुआ पंजाब समझौता, उसमें टर्म्स आफ रेफरेंस बदलकर कमीशनों को दिए जा रहे हैं, इस धारणा को मजबूत मत कीजिए। ऐसा कुछ मत कीजिए। देश की कीमत पर, देश की एकता की कीमत पर और जो पंजाब समझौते में टर्म्स आफ रेफरेंस लिखे हैं, उस टर्म्स आफ रेफरेंस से एक लफ्ज भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर जाकर आप फैसला करेंगे तो वह अप्रामाणिक ही नहीं होगा बल्कि उसके रिजल्ट बहुत बुरे निकलेंगे।

मैं एक और जरूरी बात कहना चाहता हूं। डिप्लोमेटिक लेवेल पर आप मेहरबानी करके पाकिस्तान के साथ बात कीजिए, कैनाडा के साथ बात कीजिए, अमेरिका से, इंग्लैंड से कीजिए, जहां से भी टैररिस्टों को सपोर्ट मिलती है उसको बन्द कराने के लिए उनसे बात कीजिए। यह आपका, गवर्नमेंट आफ इंडिया का काम है। अगर यह बात बार-बार आती है तो उसको तो जैसे मधु दण्डवते जी ने कहा आप को ही रोकना है।

प्रो० मधु दण्डवते : अभी तो क्रिकेट के लेवेल पर बातचीत चल रही है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : यह भी मैं कहना चाहूंगा कि प्रोपैगंडा जो हो रहा है बरनाला जी के खिलाफ वह बरनाला जी से ही पूछ लीजिए कि उनको किस चीज की जरूरत है। कल श्री आइ० के० गुजराल जो हमारे देश में एक बड़े मानी हुई शख्सियत हैं उनके घर में बीस-पच्चीस बड़े-बड़े लोगों की मीटिंग थी। उसमें सभी लोग देश के लिए चिन्ता करने वाले लोग थे जो

[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]

इकट्ठे हुए थे। उसमें रिटायर्ड जनरल, बड़े-बड़े एयर मार्शल और कैबिनेट सेक्रेटरी, सब पच्चीस-तीस आदमी इकट्ठे हुए थे। उन्होंने कहा कि सीक्वेंस चेन्ज कर दीजिए। पंजाब को पोलिटिकल सपोर्ट पहले और कान्फरेंसेज, कन्वेन्शस, रैलीज, मास-मोबिलाइजेशन बाद में शुरू कीजिए। मैं महसूस करता हूं कि बरनाला जी से ही पूछ लीजिए कि उन्हें किस चीज की जरूरत है।

जोधपुर के डिटेन्यूज के बारे में तो गृह मन्त्री जी, आप कोई एक आदमी भी बैटरी से भी नहीं ढूंढ सकते हैं जो यह कहे कि इनको मत छोड़ो। सभी ने कह दिया, कांग्रेस ने कह दिया, देश ने कह दिया, फिर छोड़ने में क्या दिक्कत है? 266 आर्मी डेजर्टर्स हैं। उन्होंने तीन वर्ष कैद काट ली, एक साल रेमिशन का और छः महीने रहते होंगे, उनको भी छोड़ देना चाहिए। इससे देश में एक वातावरण बनेगा।

पंजाब में बरनाला जी को मजबूत करने के लिए, जो मसले हैं, चण्डीगढ़ का है, इलाकों का है उसके लिए आप खुले दिल से लेटर ऐंड स्पिरिट के मुताबिक ताकत दीजिए। मैं देश को फिर विश्वास दिलाता हूं कि देश के लिए, देश की परम्पराओं के लिए, परस्पर भाईचारे के, प्यार के वातावरण के लिए, सैकुलरिज्म के लिए, और इन सभी चीजों के लिए शिरोमणि अकाली दल सरदार सुरजीत सिंह बरनाला के नेतृत्व में, संत लोगोंवाल के दिखाए मार्ग पर मजबूती से चलेगा जो देश का मार्ग है, जो भारत की एकता, अखण्डता, भारत की मजबूती और सिख सिद्धांतों का मार्ग है, गुरु नानक का दिखाया मार्ग है और देश की सदीवी, सहीद और वजूद का मार्ग है, उसके लिए हम समर्पित रहेंगे।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने आज पहले ही दिन मैं कहूंगा, क्योंकि औपचारिक ढंग से आज ही हमारे इस सदन ने अपना काम-काज किया है, कल तो रसम ही हुई है।

आज सबसे पहले पंजाब की परिस्थिति के ऊपर इस सदन ने बहुत गम्भीर और बहुत ही संजीदगी के साथ विचार किया है। सभी मान्यवर सदस्यों ने जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, पूरी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी संजीदगी के साथ अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैंने भी यह प्रयास किया, अपने वक्तव्य में, कि जो पंजाब में वर्तमान परिस्थिति है, आज की परिस्थिति है, वह सदन के सामने प्रस्तुत करूं, ताकि सदन पूरी तरह से उसमें ध्यान लगाकर, देश के हित में और पंजाब के हित में विचार-विमर्श कर सके। आज के जो कुछ विचार और यहां वक्तव्य हों, उनसे पंजाब में शान्ति, एकता और मोहब्बत बढ़े। बहुत हद तक मान्यवर सदस्यों के भाषण इसी ओर रहे। कुछ एक नुक्ते उठाए गये हैं। इससे पहले कि मैं मान्यवर सदस्यों द्वारा पेश किए गये तर्क को अपनी चर्चा के दर्मियान लाऊं, सबसे पहले तो मुझे आप ही का बहुत आभार व्यक्त करना है। हमेशा के लिए जो आपने इस सदन को मार्ग-दर्शन दिया है, इस सदन के माध्यम से इस राष्ट्र को मार्ग-दर्शन दिया है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा खतरा हमारे लोकतन्त्र को है, हमारे राष्ट्र

की एकता और प्रभुसत्ता को है, वह साम्प्रदायिक विचारों से है, वह धर्म की कट्टरपंथी नीतियों से है। चाहे वे किसी भी धर्म से हो, उनकी वजह से खतरा उत्पन्न हुआ है, देश की एकता को और देश के अस्तित्व को। आपने जो मार्ग-दर्शन दिया है और कुछ मान्यवर विरोधी दलों के नेताओं ने उनके ऊपर जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं सदन के सामने यह भी व्यक्त करना चाहता हूं कि जब पिछले कुछ दिनों में हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने विपक्ष के नेताओं से बातचीत की थी, उसमें उन्होंने पंजाब के हालात सुधारने के बारे में व्यापक रूप से प्रोग्राम तय किया है। उन्होंने स्वयं इस बात की चर्चा की थी, जिसके ऊपर आज हमें आपने मार्ग-दर्शन दिया है। वे स्वयं चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक इस तरह की विचार गोष्ठी हो जाए, बाकायदा खुलेआम चर्चा हो जाए, जिसमें इस बात का मूल्यांकन करके हम फैसला कर पायें कि ये हमारे साम्प्रदायिक विचार मजहब के नाम से सम्प्रदाय के नाम से हमारे देश की एकता के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। इसको हम किस ढंग से अपने राष्ट्र की राजनीति से अलग कर सकें, उसमें प्रधान मंत्री जी के इस प्रस्ताव पर बहुत से विपक्ष के नेताओं ने सहमति व्यक्त की और आपने स्वयं आज हमें एक मार्ग-दर्शन दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधान मंत्री जी से नेतृत्व में जो विपक्ष के नेताओं ने बात कही है, हम इसके ऊपर आगे चलकर थोड़ा विचार करें। इससे पहले कि हम किसी औपचारिक ढंग से या किसी विधिवत् ढंग से इसके ऊपर आऊं, क्योंकि यह बहुत ही पेचीदा मसला है, लोगों के जजबात के साथ, धर्म के जजबात के साथ सम्बन्ध रखता है, इसके ऊपर पूरी विवेकता के साथ विचार करके, जो आपने आदेश दिया है, उसके ऊपर जो भी कदम राष्ट्र के हित में हों, सरकार उनको उठाने के लिए तैयार है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें पूर्ण विश्वास है कि समूचे तौर पर राष्ट्र का नेतृत्व बैठेगा और प्रधान मंत्री जी ने जो विचार, निर्देश और मार्ग-दर्शन दिया है, उनके ऊपर चलकर जो भी फैसला करेंगे, वह सबके लिए सर्वोपरि होगा। कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे देश में किसी धर्म के लोग, किसी सम्प्रदाय के लोग यह महसूस करें कि उनके धर्म के ऊपर किसी किस्म का आक्रमण हो रहा है। सही मायनों में यह भावना की धर्म के विरुद्ध है। कोई कहे कि हम अल्प-संख्यक हैं, कोई कहे कि हम बहुसंख्यक हैं, यह तो हिंसा की भावना है। जब हम अल्पसंख्यक मानते हैं अपने आप में, तो स्वयं में एक इन्फोरियरटी काम्प्लैक्स आ जाता है और हम समझते हैं कि हम सम्पूर्ण तौर पर इस देश के नागरिक नहीं हैं और जब हम मेजोरिटी की बात करते हैं, तो एक अहंकार की भावना पैदा हो जाती है और एक सूपीरियरटी काम्पलैक्स आ जाता है। तो हमारे जो विचार हैं, वे निष्पक्ष नहीं रहते हैं और उनके ऊपर एक किस्म का प्रभाव आ जाता है। तो हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार की भावना राष्ट्र में ऐसी हो, जिसमें भाई-भाई में और नागरिक-नागरिक में एक-दूसरे के प्रति इस प्रकार की भावना पैदा हो। इस मसले पर हम सरकार की ओर से तैयार रहेंगे और आप जैसा भी रास्ता निकालें और जब भी आप मौका मुनासिब समझें, इसके बारे में हम पूरी तरह से सहमति और पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

यह कहने के बाद मैंने अपने वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया है कि पंजाब के लोगों को किस तरह से आज भी, बावजूद इसके कि पिछले चार, पांच साल से उपद्रव चल रहे हैं, मासूमों

[सरदार बूटा सिंह]

की हत्याएं हो रही हैं और आए दिन कोई न कोई घटना घटती है, आपस में परस्पर प्यार और मैत्री भावना इनको जमाए बैठी है। कुछ लोगों पर प्रभाव होता है और जो समाचारपत्रों में खबरें छपती हैं, उनका असर होता है, फिर भी आज पंजाब के अन्दर लोग पूर्णतया एक-दूसरे पर विश्वास करके रहते हैं और पंजाब के लोगों में यह विश्वास अटूट है और यह भी इस बात का प्रतीक है कि पंजाब के लोग आपस में एक-जान होकर रह रहे हैं। यह सबसे बड़ा देश की अखण्डता और देश की एकता का सुबूत है और मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार से इन सब भयंकर चुनौतियों, इन सब खतरों का मुकाबला करके पंजाब के लोग देशभक्ति का परिचय देते रहेंगे।

अध्यक्ष जी, कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में, अपने वक्तव्यों में कुछ मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहले मैं श्री वालिया की कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने आज बड़ी हिम्मत के साथ कुछ मसले स्पष्ट करने का प्रयास किया है मगर दुःख की बात है और वह यह कि कुछ भावनाएं हैं जो लगातार चलती चली आ रही हैं और जिनके रहते देशवासियों के मन में अविश्वास पैदा होना है और उसका निष्कासन करने के लिए यदि मैं अकाली दल के नेताओं से कुछ प्रश्न पूछूं तो गलत न समझा जाए। सबसे ताजा और आखिरी बात, जिसमें स्पष्टीकरण की अभी भी जरूरत है, वह यह है कि श्री हरमिन्दर साहिब के अन्दर जो एक समागम पिछली 26 जनवरी को हुआ था, जिसको सरबत खालसा का नाम दिया गया, जिसमें हमारे पूज्य ग्रन्थि सभी शामिल थे और माननीय सदस्य श्री वालिया के भूतपूर्व अकाली दल, क्योंकि अब तो अकाली दल टूट गया है, इसलिए भूतपूर्व कहता हूं, और कोई नया अकाली दल बना है, के नेता भी उसमें शामिल थे।

एक माननीय सदस्य : यूनाइटेड।

सरदार बूटा सिंह : इसलिए भूतपूर्व कहना चाहिए क्योंकि तोड़कर चले गये।

एक माननीय सदस्य : यूनीफाइड।

सरदार बूटा सिंह : यहां यूनाइटेड था, अब यूनीफाइड है, ईश्वर जाने। मैं अपने मुद्दे की ओर जाना चाहता हूं। जिस सरबत खालसा का मैं उल्लेख कर रहा हूं, उस सरबत खालसा में जो कार्यवाही हुई, उसके बारे में अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। क्या उस सरबत खालसा में उन हत्यारों को पब्लिकली सम्मान नहीं दिया गया, जिन्होंने हत्या की जनरल वैद्य की, जिन्होंने हत्या की श्रीमती इन्दिरा गांधी की और जिन्होंने हत्या की उस महान् पुरुष की, जिसके नाम से वोट मांग कर श्री वालिया जी और उनके साथी यहां पर आए। श्री लोगोंवाल जी के हत्यारों को वहां पर सम्मान दिया गया। अभी तक वालिया जी की पार्टी ने इसके बारे में कोई स्पस्टीकरण नहीं दिया है और इससे भी आगे चलकर उसी सरबत खालसा का यह रेज्योलूशन है, जिसका मैं थोड़ा सा उल्लेख कर दूं।

मान्यवर, अध्यक्ष जी, सर्वत्र खालसा में जो प्रस्ताव पास हुआ है वह इस तरह से पढ़ा जाता है—

[अनुवाद]

भारत सरकार द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति के संबंध में यह सिख समागम 29 अप्रैल 1986 को पंथिक समिति द्वारा की गई खालिस्तान की घोषणा की पुष्टि करती है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिख पुरुषों-स्त्रियों और बच्चों द्वारा किये गये बलिदानों की प्रशंसा करती है।

[हिन्दी]।

यह मैं वालिया जी से कहना चाहता हूं कि आपने इस प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा। इसके अलावा एक और चीज है जिसके बारे में भी आपने कुछ नहीं कहा। एक नया संगठन वजूद में आया है। शिरोमणि गुरु द्वारा प्रबंधक कमेटी कानून के अन्तर्गत एक बोडी है जो सिख गुरुद्वारों का प्रबंध करती है और सिख गुरुद्वारों का शासन चलाती है। उसके द्वारा जो ओहदेदार तैनात किये हुए थे, जिनको कि हम सर्वोच्च मानते हैं, हमारे अकाली दल के नेता मानते हैं, उन ओहदेदारों की नियुक्ति को उस पंथिक कमेटी ने बदल दिया और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा नियुक्त किए गये ओहदेदारों को अपनी जगह पर बैठने नहीं दिया और यह कह कर नहीं बैठने दिया कि जब तक हम स्वीकृति नहीं देते तब तक वे ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए यह सर्वत खालसा बुलाया गया ताकि उसमें यह पंथिक कमेटी इन ग्रंथी साहेबान को रेगुलराइज करे और तब जा कर ये ग्रंथी अपना काम शुरू कर सकते हैं। जिनको एस० जी० पी०सी० ने नियुक्त किया, रेगुलराईज किया, रिकगनाईज किया उनको इन्होंने टेम्परेरी कर दिया। जब ये उनको रेगुलर अपोइंटमेंट दें तब जाकर ये फंक्शनरीज अपना काम शुरू करें। अण्डर द एक्ट एक ड्यूली कांस्टीच्यूटिड कमेटी अगर किसी पदाधिकारी को नियुक्त करती है तो एक बड़े फोर्स, एक्स्ट्रा कांस्टीच्युशनल फोर्स भी है जो वहां पर उन साहिबान की नियुक्ति को बरतरफ करती है और आफिशियेटिंग करती और इन पांच उच्च अधिकारियों ने उनके हुक्मनामे को माना है।

श्री चरनजीत सिंह अटवाल (रोपड़) : शिरोमणि कमेटी की एक्जीक्युटिव ने उन्हें परमानेंट अपोईंटमैंट नहीं दी थी।

[अनुवाद].

सरदार बूटा सिंह : मेरी इच्छा है कि मेरे विद्वान साथी इसकी पृष्ठ भूमि को जानते। मैं केवल एस० जी० पी० सी० रिकार्ड से उद्धृत कर रहा हूं उन्होंने उसे कभी भी कार्यकारी नियुक्त नहीं किया। तब क्या मैं पूछ सकता हूं कि वास्तविक कौन है ?

[हिन्दी]

श्री चरनजीत सिंह अटवाल : कमेटी ने उनकी अपोइंटमेंट टैम्परेरी की थी, परमानेंट नहीं की थी। यह मैंने कहा है।

सरदार बूटा सिंह : मगर कहता हूं कि उसको ओफिशियेटिंग किसने किया ? उसके पहले कौन था ? आखिर उन्होंने ही उसकी नियुक्ति को ओफिशियेटिंग किया। उन्होंने एक जत्थेदार नियुक्त कर रखा है। एक व्यक्ति को उन्होंने जत्थेदार नियुक्त किया है जो कि जेल में है। क्या वह व्यक्ति एस० जी० पी० सी० ने अपोईंट किया है ? इसके बारे में उस पंथिक कमेटी का यह कहना है कि जब तक वह व्यक्ति जेल में रहेगा तब तक यह दर्शन सिंह रागी अकाल तख्त के जत्थेदार रहेंगे तथा यह एक्सट्रा कांस्टीच्युशनल अथारिटी उस पंथिक कमेटी को नहीं दी गयी है ? मैं पूछना चाहता हूं कि इस पंथिक कमेटी की अपोइंटमेंट किसने की ? क्या एस० जी० पी० सी० ने की ? अभी तक किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। यह बात यहीं खत्म नहीं होती है। उस पंथिक कमेटी ने एस० जी० पी० सी० की पावर्स हाथ में ले ली है और उन पांच बड़े पुजारियों के बारे में उन्होंने उल्लेख नहीं किया।

[अनुवाद]

और वालिया जी यह बहुत गम्भीर बात है प्रत्येक को इस विषय में सोचना चाहिए—मैं उद्धृत करता हूं—"यदि पांचों सिख ग्रंथी उच्च सिख सिद्धान्तों से विचलित हो जाते हैं तो पंथक कमेटी सिख संगठनों की सलाह के साथ एक सरबत खालसा बुलाने में सक्षम होगी।"

[हिन्दी]

अब तो यह भी डेलीगेट कर दिया गया है। आज तो उनका हुक्मनामा चलता है क्योंकि उनके इशारे पर हुक्मनामे हो रहे हैं। अभी आपने जो स्पष्टीकरण दिया, यही स्पष्टीकरण दर्शन सिंह रागी दे दें और उनका डाइरेक्टिव पंथिक कमेटी को आ जाए तो आपका यह स्पष्टीकरण रहेगा।

श्री चरणजीत सिंह वालिया (पटियाला) : होम मिनिस्टर साहब ने जो प्वाइंट रेज किए हैं, मैं निवेदन करता हूं, हिन्दोस्तान की सरकार को तथा होम मिनिस्टर साहब को कि शिरोमणि अकाली दल का प्रधान सिमरन जीत सिंह मान है। पालिसी डिक्लेरेशन वही कर सकते हैं, होम मिनिस्टर साहब को मालूम है कि जेठ मलानी साहब ने सिमरन जीत सिंह के अपने हाथों से लिखे हुए जवाब, (व्यवधान)

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : मुझे खेद है मेरे बुद्धिमान साथी ने मुद्दे को छोड़ ही दिया है जो आप कहते हैं। उन पर मैंने कभी आपत्ति नहीं की।

[हिन्दी]

श्री चरनजीत सिंह वालिया : श्री सिमरन जीत सिंह मान ने हिन्दुस्तान की यूनिटी और इंटेग्रिटी के बारे में, हिन्दुस्तान के संविधान के बारे में, हिन्दुस्तान और पंजाब में हिन्दू-सिख मातृ-भाव के बारे में अपने हाथों से जवाब लिखकर भेजे हैं। अगर आप कहें तो वह सभी मैं हाथ से लिखे हुए जवाब आपको दे देता हूं ताकि आप उन्हें सभा के समक्ष रख सकें।

दूसरा प्वाइंट जो आपने रेज किया है वह शिरोमणि अकाली दल, एस०जी० पी० सी० के द्वारा जो भी विधिवत तरीके से अपाइंटमेंट की जाती है, अकाल तख्त के जत्थेदार जो प्रो० दर्शन सिंह रागी को एस० जी० पी० सी० ने अपाएंट किया और विधिवत तरीके से एक्ट के अनुसार उन्हें अपाएंट कि ा गया है। अकाली दल इसे स्वीकार करता है। वह यह भी मानते हैं कि सुरजीत सिंह बरनाला चीफ मिनिस्टर हैं, सरदार बलवंत सिंह तथा काउंसिल आफ मिनिस्टर्स में उनका पूरा विश्वास है और इसके बारे में एक टोटल यूनेनिमस रेजोल्यूशन हैं जिसे उन्होंने स्वीकार किया है और उसकी अप्रीसिएशन करते हैं।

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा बड़ा सीधा प्रश्न है कि जिस एक्ट के अन्तर्गत एस० जी० पी० सी० को पावर है, क्या आज की एस० जी० पी० सी० की रिट चलती है। (व्यवधान) अब आप कृपया मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मेरा कहना है कि नई बाडी दरमियान में आ गई है और इस बाडी के हाथ में इस वक्त जो कुछ भी अन्दर वातावरण है वह इस बाडी के हाथ में है। बहरहाल जो वालिया जी ने स्पष्टीकरण दिया है वह अपने आप में ठीक है और अध्यक्ष महोदय इस देश में पिछले 5 वर्ष में ऐसी-ऐसी घटनाएं घटीं, मैं छोटी सी मिसाल दूंगा आर्टिकल 25 आफ दी कांस्टीट्यूशन, प्रोफेसर साहब सुनिए, आपने कहा कि हमने लिखकर दिया है, एक वही धारा है, यह मैं नहीं कहता हूं, मैं तो कोई ज्यादा कानून नहीं जानता हूं, अनपढ़ हूं, जो सबसे बड़ा जज पंजाब ने पैदा किया है, जस्टिस नरूला, रिटायर्ड चीफ जस्टिस आफ पंजाब हाई कोर्ट, उनका कहना था, जब धारा को फाड़ा गया, उन्होंने कहा कि एक यही तो धारा है जो आपको अलग से रिकगनाइज करती है, आप इसको संविधान में से फाड़ देंगे तो आपका अस्तित्व कांस्टीट्यूशन में खत्म हो जाएगा। मगर अकाली दल ने लोगों में से यह भ्रम दूर नहीं किया, बावजूद इसके कि सबसे बड़ी उस वक्त की राय जो थी, उनका आर्टिकल अखबार में छपा कि मुझे दुख है कि यह काम हुआ है।

इस तरह से अकाली दल इन घटनाओं के साथ इस तरह से दबक कर बैठा रहा, न जाने किस वजह से, कुछ ऐसी-ऐसी शक्तियां हमेशा ही काम करती रहीं, समय नहीं है, यदि आप मुझे मौका देंगे तो मैं कहूंगा, ऐसी-ऐसी बातें हुई जो कि बिल्कुल फैक्ट हैं, जैसे अकाल तख्त के जत्थेदार का साइन किया हुआ हुक्मनामा वापिस लिया, उनसे यह कहलवाया गया कि मैंने साइन किए ही नहीं, जबकि एस० जी० पी० सी० की फाइल में वह आ गया था, अखबारों में छप ा या, ऐसे कुछ तथ्य हैं जिनकी ओर अकाली दल हमेशा ही सहमा-सहमा रहा है, जिसकी वजह से देश भर में

[सरदार बूटा सिंह]

सिक्खों की हालत बिगड़ी। अगर अकाली दल खुद ये स्पष्टीकरण रखता, जैसे आज आपने कहा है, मैं मानता हूं कि इस देश के लोग सिक्खों की कुर्बानियों को भूले नहीं हैं, पंजाब के लोगों ने देश की आजादी के लिए जो किया या जो इतिहास में वाकयात हुए हैं, उनको कोई भूला नहीं है, परन्तु इस प्रकार की दुविधा से जो दुविधा, मैं तो दुविधा ही कहूंगा कि जो दुविधा इसलिए बनी कि ऐन वक्त पर लोगों के सामने यह पक्ष नहीं आया। अब यही सरबत खालसा के बारे में है। अकाली दल की तरफ से एक अक्षर तक नहीं आया कि आया सरबत खालसा को ओन करते हैं या नहीं। किसी ने नहीं कहा और फिर अपने हाथ में उन्होंने वह अधिकार ले लिया। एस० जी० पी० सी० तो क्या ये सिर्फ पांच सिख साहेबान, उनकी निगाह में डेवीयेट करेंगे, उनकी भी नहीं मानेंगे, स्वयं कुछ और करेंगे, इसके बारे में अकाली दल ने आज तक कुछ नहीं कहा। इसलिए, अकाली दल अपने आप एक असमंजस में है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : अकाली दल में डिवीजन है, आपने अकाली दल को रेफर किया है, क्लियर कर दीजिए।······**(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह : यह असमंजस दूर होना चाहिए। आज मौका नहीं है। मैं तो देश के सामने और सदन के सामने रखना चाहता हूं कि श्री अकाल तख्त साहब इतना सर्वोच्च परमधाम है, उसके ऊपर बैठकर सियासत की बात करना श्री अकाल तख्त साहब जी का निरादर है, जिसको मालूम है कि अकाल तख्त साहब क्या है लेकिन उनको यह नहीं मालूम कि राजनीति किसको कहते हैं।

श्री शमिन्दर सिंह (फरीदकोट) : मीरी पीरी है।

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : मीरी-पीरी के बारे में जानने का मुझे सौभाग्य मिला। मीरी-पीरी का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

यह मालूम नहीं है कि बस से दसवां आदमी उतार लो उसके सिर पर पगड़ी नहीं है तो यह भी नहीं पूछो कि तुम सिख हो या नहीं, सिर्फ गोली मार दो। यह मीरी-पीरी नहीं है। उसका बाप सिख है, बच्चे को इसलिए मार दिया कि उसके मुंह पर दाढ़ी नहीं थी, उसके सिर पर बाल नहीं थे। वह अकाल तख्त इतना पवित्र है कि वहां गुरू महराज का हुक्म था गुरु हरगोबिन्द साहब ने बनाया था कि मेरे बाद इस अकाल तख्त के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा। इसके ऊपर सिर्फ शस्त्रों की पूजा होगी। इस अकाल तख्त से कोई

हुकमनामा नहीं चलेगा। दस गुरू साहेबान को हम गुरू मानते हैं। दस गुरू साहेबान के वक्त में कोई भी हुकमनामा अगर अकाल तख्त से जारी हुआ है, कोई माननीय सदस्य बता दें तो मैं अपने विचार बदल लूंगा। यह तो इस पवित्र स्थान को सर्वोच्च स्थान को जो एक बहुत पवित्र गुरूधाम है, जैसे हरमन्दर साहब है वैसे ही अकाल तख्त साहब है, उसकी दुरूपयोग करके अपने बुनियादी मंतव्य को हल करने का एक ढकोस है। किन-किन लोगों ने किस-किस तरह से किया, मेरा जी नहीं चाहता। मेरे मन में अकाल तख्त साहब के लिए वह एहतराम है जो मैं समझता हूं कि हमें सबको रखना चाहिए और अकाल तख्त साहब को इस गंदे पालिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। एस० जी० पी० सी० ने खुद यह छापा हुआ है कि किस बात पर हुकमनामा हो सकता है, किस बात पर नहीं हो सकता। कैसे आदमी को तनखैया घोषित किया जा सकता है और कैसे आदमी को नहीं किया जा सकता। उसमें एक वाक्य भी नहीं है। यह एस० जी० पी० सी० का खुद का छापा हुआ है। यह चीज गुरू साहेबान के बाद की है। गुरू साहेबान के वक्त में ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं थी। गुरू साहब का व्यक्तिगत हुकम था। वह चाहे माता जी का हुकम हुआ, चाहे गुरू साहेबान का हुकम हुआ, वह संगत को ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए, समृद्ध करने के लिए, लोगों को पैगाम था और हुकमनामे के नीचे लिखा रहता था, गुरू महाराज सहायक होंगे, ईश्वर सहायक होंगे, आपके परिवार में वृद्धि होगी और आपको सुख-शांति मिलेगी। आज के हुकमनामे में क्या लिखा रहता है। निकाल दिया जाता है तो रोटी-बेटी का रिश्ता तोड़ दिया जाता है। जो इसको, मिलेगा, वह सब तरह के पापों का भागी होगा। गुरू महाराज के हुकमनामें में लिखा रहता था "राम-राम" "ईश्वर" और "वाहे गुरू" और आज के हुकमनामे में लिखा रहता है जो सिख इसको मिलेगा, उसका रोटी-बेटी का रिश्ता तोड़ दिया जायेगा एक वो हुकमनामा और एक यह हुकमनामा उसके साथ मिलाते हैं, बड़े शर्म की बात है। वह हुकमनामा था वृद्धि के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। यह हुकमनामा है, दूर ले जाने के लिए। मैं आज माननीय सदस्यों से यही कहूंगा कि हमें इन पवित्र स्थानों को इस तरह से रखना चाहिए जैसे एक बहुत बड़ी झील में, बड़े सरोवर में, कमल का फूल रहता है उसकी पवित्रता झील के जल से भी कभी टूटती नहीं है। उसके ऊपर पानी का छींटा डाला जाए तो पानी मोती की तरह नीचे उतर जाता है। इसलिए हमारे जो पवित्र गुरूधाम हैं वह भक्ति के लिए हैं, कीर्तन के लिए हैं, ईश्वर से मिलने के लिए हैं। इसलिए नहीं है कि कान से पकड़-कर अच्छे-अच्छे सिखों को निकाल दो। आज जो पंजाब की स्थिति है उसको सामने रखते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि देश के सभी राजनीतिक दलों ने प्रधान मंत्री जी के साथ मिलकर एक प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि मुट्ठी भर उपद्रवी लोग जो पंजाब में इस वक्त जनता के जीवन को तहस-नहस कर रहे हैं उनके साथ निपटने का काम बड़ा कठिन है। खासकर तब जबकि उन्होंने हमारे पवित्र स्थानों में पनाह मिलती हो, बड़े लोग, अमीर लोग उन्हें यातायात के साधन देते हों पैसा देते हों, राशन देते हों, प्रशिक्षण देते हों तो इतनी बड़ी समस्या का समाधान करने में मुश्किल हो जाती है। फिर वहां के शासन में ऐसे लोग हों जो आजकल वह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के प्रधान बन गये हो, न जाने क्यों उन्होंने ऐसे नौजवान पैदा किये होंगे, मैं समझता हूं कि इनसान कभी भी सुधर सकता है। लेकिन आज पंजाब में जिस तरह से भेद पैदा किया जा रहा है, आज वहां की पुलिस के डायरेक्टर जनरल हैं उन्हीं का आदमी, उनकी

[सरदार बूटा सिंह]

ही तनख्वाह लेकर, उसी की वर्दी पहन कर उसी के ऊपर खड़ा हो जाता है, यह भावना किसने पैदा की है ? इसलिए वहां नाजुक हालात है इसकी समझने की बात है । आज जिनको देश के दुश्मन बाहर से भी मदद दे रहे हैं, असला दे रहे हैं, पैसा देने में मदद कर रहे हैं और इस प्रकार के उपद्रव करवाये जा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि यह खालिस्तान का मूवमेंट इसमें देश के दुश्मन विदेशी ताकतों के साथ एजेंटों के साथ मिलकर, षड़यन्त्र करके देश को कमजोर कर रहे हैं। इससे निपटना केवल पंजाब का काम नहीं है, यह राष्ट्र का काम है। पंजाब सरकार ने पिछले समय से जो बड़ा मुश्किल काम किया है उसमें भारत सरकार ने पूरा-पूरा साथ दिया है । अब प्रधानमंत्री जी के सहयोग से सभी राजनीतिक दलों और राजनीतिक गुटों के नेताओं ने फैसला किया है उसके तीन मुद्दे चुने गये हैं, इनके ऊपर पूरे पंजाब में और राष्ट्र में एक जागरण पैदा किया जायेगा, लोगों में एक भावना पैदा की जायेगी ।

[अनुवाद]

(क) पंजाब में जातीय, धार्मिक और मतांधता का प्रभावकारी रूप से मुकाबला किया जाये ।

(ख) जातीय और धार्कि आधार पर चल रहे प्रचार को रोका जाये ।

(ग) राजनीति उद्देश्य के लिए धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग रोका जाये ।

[हिन्दी]

इन तीन मुद्दों को लेकर एक व्यापक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें सभी दलों ने शामिल होना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें पंजाब के सारे वर्गों का जिसमें किसान सभा औद्योगिक श्रमिक, भूतपूर्व सैनिक ।

[अनुवाद]

औद्योगिक श्रमिक, भूतपूर्व सैनिक और उनके संगठन, स्वतन्त्रता सेनानी, युवक और विद्यार्थी, महिलाएं, बुद्धिजीवी कवि, लेखक और कलाकार भाग लेंगे। वे देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिये, परस्पर विश्वास की भावना पैदा करने के लिए और देश की एकता को मजबूत करने के लिए लोगों को तैयार करने तथा उनसे इनमें स्वयं को, सम्बद्ध करने के लिए भी कार्य करेंगे।

[हिन्दी]

यह एक व्यापक प्रोग्राम रखा गया है। बहुत सी बातें रामूवालिया जी ने कही हैं समझौते

के बारे में। यह चर्चा का विषय नहीं है कि कैसे समझौता लागू नहीं हुआ, मधु दण्डवते जी ने कमीशन का जिक्र किया। हम इसमें क्या करें, जबकि इसमें हर लाइन में कमीशन के बारे में लिखा हुआ है। यह जो समझौता किया गया था इस विश्वास से किया गया था कि इसको सभी पक्ष मानेंगे और सही ढंग से यह कार्यान्वित होगा। यह समस्या दोनों तरफ से पूरी होने वाली है अगर इकतरफा ही होती तो हम कभी का लागू कर लेते। इसमें 11 मदों में से 9 मद ऐसी थीं जिनमें इकतरफा कार्यवाही होनी थी वह तो हो चुकी है, 2 मद ऐसी हैं जिन पर दोनों तरफ से कार्यवाही होनी थी दुर्भाग्य से उसका नतीजा यह है कि :

[अनुवाद]

हम इन दो बातों पर रुक गये हैं और मुझे विश्वास है कि सबके सहयोग से कुछ भी असंभव नहीं है और आपसी सलाह और सहयोग से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि विभिन्न आयोगों द्वारा दिए गये निर्णयों को सभी पार्टियों द्वारा ईमानदारी से लागू किया जाएगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ एक बात कहकर मैं बैठ जाऊँगा। यहां पर प्रो० मधु दण्डवते जी ने रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट का उल्लेख किया। वैसे तो आपने सुबह ही कह दिया था कि उसका अध्ययन किया जायेगा और चर्चा होगी और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे बहुत से माननीय विपक्ष के नेताओं ने प्रधान मंत्री जी से यह आग्रह किया था। जिस वक्त यह आग्रह किया गया था तो मन में सिर्फ एक ही भावना थी कि हमारे देश में जिस तरह से कम्यूनल फीलिंग्स अचानक भड़क उठती है ; थोड़ी सी भी बात हो जाये तो लोगों के कत्ल हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि पूरे विवेक से और पूरे तहमूल के साथ हर मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। कमीशन ने जितनी सिफारिशें की हैं, उनके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट साथ ही में लगी हुई है।

[अनुवाद]

आयोगों की अधिकतर सिफारिशों को क्रियान्वित कर लिया गया है या किया जा रहा है इसलिए; सरकार की तरफ जो कुछ भी हो कोई हिचकिचाहट नहीं, और हम चाहते हैं कि जो कुछ आयोग ने कहा है, हमें देखना है कि इसे लागू किया जाये जिससे भविष्य में ऐसी घटना न घटे हम इस भावना के साथ इस सदन में आये हैं और मुझे विश्वास है माननीय सदस्य चर्चा करते समय यह बात ध्यान में रखेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपने गहन विचार व्यक्त किए और उनके विचारों को ध्यान में रखा जायेगा और मैं जरूर यह देखूंगा कि आज पूरा सदन मिलकर इस समय श्री बरनाला को अपना सहयोग दें जो देश की एकता और अखंडता के लिए आगे आये हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या हमें प्रतिवेदन की प्रतिलिपि मिल सकती है।

अध्यक्ष महोदय : ग्रंथालय में कुछ प्रतिलिपियां रखी हैं ? आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं।

6.36½ म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

तेतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का तेतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

6.37 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 25 फरवरी 1987, 6 फाल्गुन ;
1908 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, दिल्ली-110053